Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान

भाग-1

10th

दसवीं कक्षा

©KTBS Not to be republished

कर्नाटक पाठ्य पुस्तक सोसाइटी
100 फीट रिंग रोड, बनशंकरी तीसरा स्टेज,
बेंगलूरु - 560 085.

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ಮುನ್ನುಡಿ

2005ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು 2010 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 7 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು 5 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಾದ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ.

2005 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

- ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು
- ಕಂಠಪಾಠ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
- ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು
- ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
- ವಿಷಯಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರದೃಷ್ಟಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
- ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆ
- ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ (Integrated Approach), ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (Constructive Approach) ಹಾಗೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ವಿಧಾನ (Spiral Approach) ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜನಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ವಿಭಾಗದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯನಾಯಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಎಫ್ 2005 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ಪೌರನೀತಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳಾದ ಇಸವಿಗಳು, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಇತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲಕರಿಗೆ, ಸಂಯೋಜಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು

ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ,
ಬೆಂಗಳೂರು

Not to be republished ©KTBS

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವೇದನೆ

ಎಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಒದಗಿ ಬರುವುದೂ ಈ ಮಹತ್ತರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಯಿಡುತ್ತಾ ಹತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಹೊರಗುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟು 2005ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃಷಿ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿಯೂ ತೆರಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಕ್ಕಣೆ, ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಭೂಪಟ, ಸೂಕ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರತರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ, ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿತ್ತ ಮುಖ್ಯಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಡಾ. ಎಂ. ಶಶಿಧರ್
ಡಾ. ಪಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ.

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ರಚನಾ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಎಂ. ಶಶಿಧರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಪಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ರಾಮ್‌ಪ್ರಸಾದ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್.ಎಸ್. ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಿ॥ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉದಯಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಎಸ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಎ.ಜಿ.ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುನವಳ್ಳಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾ॥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು, ಮಸ್ಕಲ್ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರೊ. ದೊರೈರಾಜ್ ಎಸ್.ಎನ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು.

ಪರಿಶೀಲಕರು

ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಪೂಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಡಾ. ಟಿ.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಶ್ರೀ ಚ.ನ. ಶಂಕರ್‌ರಾವ್, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ರಂಗನಾಥ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಕೇಶವ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ನೂರ್ ಅಫ್ಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ. ರಂಗದಾಸಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೂ, ಅರ್ಥಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ 2014–15 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಜ್ಞರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ನೈತಿಕಮೌಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಕಸನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು" – ಇದು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಆಶಯ.

ಆನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ 27 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 24.11.2014 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ವಿಷಯವಾರು ಮತ್ತು ತರಗತಿವಾರು ಮಾನದಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿತವಾದವು. ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತ ಈ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು 24.11.2014ರ ಆದೇಶದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ 19.09.2015 ರಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 2016–17 ರ ಬದಲು 2017–18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇದೇ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿದೋಷ, ಆಶಯದೋಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಿತಿಗಳಾಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆನಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಕಡೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ (NCERT) ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಮೂರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ನೀಡಿದ ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವುದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಹೊರತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗತ್ವ ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ: ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಷಯವಾರು ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ 27 ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಾಠಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ನರಸಿಂಹಯ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು-85

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ)
ಬೆಂಗಳೂರು-85

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ

ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಜೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಡಾ. ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಪ್ರೊ. ಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಬಿ. ಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಶ್ರೀ. ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ. ಈರಣ್ಣ. ಎಂ. ಅಂಬಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಡಕೋಡು, ಧಾರವಾಡ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ. ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ತಳವಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ದಶರಥ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುವಾದಕರು

ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿ. ವಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದಳವಾಯಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣ, ನಂಜನಗೂಡು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ. ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ. ಎಸ್, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉದ್ಬೂರು, ಮೈಸೂರು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಎಸ್. ವಿಜಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಒಂಟಿಕೊಬ್ಬಲ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ. ಜಿ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, #49, ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 1ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ. ನಾಗಮಣಿ ಸಿ., ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಟಿ.ಜಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು.

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अनुक्रमणिका

क्रमांक	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
1.	भारत में यूरोपियों का आगमन	1
2.	अंग्रेजी प्रशासन का विस्तार	12
3.	अंग्रेजी प्रशासन के परिणाम	17
4.	कर्नाटक में अंग्रेजी प्रशासन का प्रतिरोध	30
5.	सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन	43
6.	भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857)	55
	राज नीति शास्त्र	
1.	भारत की समस्याएँ तथा उनका हल करने के उपाय:	60
2.	भारत की विदेशी नीति	68
3.	अन्य देशों के साथ भारत का संबंध	73
	समाज शास्त्र	
1.	सामाजिक स्तरीकरण	77
2.	उद्यम	84
	भूगोल	
1.	भारत का स्थान और विस्तार	93
2.	भारत की बाह्य विशेषताएँ	97
3.	भारत की जलवायु	105
4.	भारत की मिट्टियाँ	109
5.	भारत की वन सम्पदा	114
6.	भारत के जलसंसाधन	120
7.	भारत के भू संसाधन	128
	अर्थशास्त्र	
1.	अभिवृद्धि	138
2.	ग्रामीण अभिवृद्धि	147
	व्यावहारिक अध्ययन	
1.	बैंक संबंधी व्यवहार	153
2.	उद्यमवृत्ति (उद्यमिता)/ठेकेदारी	161

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

इतिहास

अध्याय - 1

भारत में यूरोपियों का आगमन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- भारत का यूरोपवासियों के साथ व्यापारिक संबंध ।
- भारत में व्यापार के लिए यूरोपवासियों का आगमन ।
- यूरोपियों के राजनैतिक उत्थान में कर्नाटक के युद्ध ।
- प्लासी की लडाई, बक्सर की लडाई, दोहरी सरकार की पद्धति ।
- अंग्रेंजों की आक्रमणकारी नीति ।

©KTBS Not to be republished

भारत में प्राचीन काल से यूरोपवासियों के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित रहे। मुख्यतः भारतीय मसाले जैसे काली मिर्च, जीरा, दाल चीनी, इलायची, अदरक आदि पदार्थों की यूरोप में अत्यधिक माँग थी। मध्य काल में भी यूरोप और भारत व एशियाई देशों के साथ व्यापार प्रगति पर था। एशिया के माल को अरब व्यापारी पूर्वी रोमन (बैजांटियम) साम्राज्य की राजधानी कानस्टेंटिनोपल नगर पहुँचाते थे। वहां से इटली के (रोम साम्रज्य का भाग) व्यापारी उस माल को खरीद कर यूरोप के देशों में बेचते थे। इस प्रकार कानस्टेंटिनोपल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल का विनिमय केंद्र बन गया। इस प्रकार यह नगर यूरोपीय व्यापार का प्रमुख द्वार माना जाने लगा था। एशियाई देशों के व्यापार पर अरब व्यापारियों ने एकधिकार स्थापित किया वहीं यूरोपिय देशों के व्यापार पर इटली के व्यापारियों ने एकाधिकार स्थापित किया। एशिया का व्यापारिक माल इटली के व्यापारियों को अच्छा लाभ पहुँचाता था।

कानस्टेंटिनोपल नगर पर अधिकारः एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार से संबंधित कारोबार कानस्टेंटिनोपल नगर के द्वारा होता था। सन 1453 में आटोमन तुर्कों ने कानस्टेंटिनोपल नगर पर अपना अधिकार जमाया। इस प्रकार इस नगर के जरिए होने वाले सभी व्यापारिक मार्ग तुर्कों के नियंत्रण में चले गये। तुर्कों ने इस व्यापारिक मार्ग पर आने जाने के लिए अत्यधिक कर लगाया। इसके परिणाम स्वरूप इस मार्ग के व्यापारियों को कोई खास लाभ नहीं मिलता था। इसी समय इटली के व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए स्पेन और पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देशों के व्यापारियों ने नए समुद्री मार्ग को खोजने के लिए साहसी नाविकों को प्रोत्साहन देना शुरु किया। इस कार्य को बढावा देने के लिए नया आविष्कार हुआ। दिशा सूचित करने वाला कंपास, एस्ट्रोलैब (नक्षत्र मापन) गोला - बारुद जैसे पदार्थ सहायक सिद्ध हुए।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

भारत आने के लिए नया जल मार्ग : 1498 ई. में पुर्तगाली नाविक वास्कोडगामा लिस्बन नगर से चला। वह समुद्री मार्ग से यात्रा करते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के पास ''काप्पड'' नामक जगह पर पहुँचा। इस प्रकार वास्को-डगामा ने भारत और यूरोप को जोडने वाले नए जलमार्ग की खोज की। वास्को-डगामा ने जो नया जलमार्ग खोजा था; इस मार्ग द्वारा अगले 370 वर्षों तक भारत और यूरोप के बीच का मार्ग अस्तित्व में रहा। वास्को-डगामा अपने साथ जो मसाला सामग्री एवं अन्य वस्तुओं को यूरोप ले गया था उसे बेचने पर अपने आने जाने के किराये से साठ गुना अधिक लाभ उसने कमाया। वास्को-डगामा ने पुन: एक बार भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। पुर्तगाली व्यापारी यूरोपीय देशों के पहले व्यापारी वर्ग के थे जो भारत में आए थे।

आप इस तथ्य से अवगत रहें : *1869 में लाल सागर और भूमध्य सागर से संपर्क करने के लिए भूमि खोदकर बडी नहर बनायी गयी ताकि बडे पानी के जहाज आसानी से आ-जा सकें। मिस्र (ईजिप्ट) के भूभाग में नहर बनायी गयी थी। यही नहर स्वेज नहर कहलाता है जो बहुत प्रसिद्ध है। स्वेज नहर बनाने से पहले वास्को-डगामा द्वारा खोजे गये जलमार्ग से ही भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था। स्वेज नहर बनने से सभी देशों को लाभ हुआ क्योंकि वास्को-डगामा द्वारा ढूँढा गया जो मार्ग था, पानी के जहाज अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप आफ गुड होप के पास से होकर भारत पहुँचते थे। इस मार्ग को केप आफ गुड् होप नाम से जाना जाता है। मुंबई से लंढ़न तक की दूरी (केप आफ गुड होप, मार्ग) 10800 नाटिकल मील का फासला था। (एक नॉटिकल मील = 1.85 कि.मी.) स्वेज नहर का रास्ता इस्तेमाल करने से केवल 6200 नॉटिकल मील की दूरी का फासला तथ करना पडता है। स्वेज नहर के बनने से लगभग आधा सफर कम हो गया।*

यूरोप की व्यापारिक कंपनियाँ

पुर्तगालियों के सफल प्रयत्नों से प्रेरित होकर यूरोप के डच. अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियाँ भारत में आयी। ऐसी बडी घटनाएँ भारत में होने पर विश्व में अनेक जगहों पर विकसित राष्ट्र अपने-अपने उपनिवेशों की स्थापना करने लगे। जिससे यूरोपीय राष्ट्रों का इतियास बदल गया।

पुर्तगाली कंपनी : जलमार्ग से होकर व्यापार के लिए भारत आया सर्वप्रथम यूरोपीय देश पुर्तगाल था। भारत को छोडकर सबसे अंत में जाने वाली कंपनी भी पुर्तगालियों की थी। वास्को-डगामा के बाद पुर्तगाल के सर्वप्रथम वायसराय बनकर फ्रांसिस्को-डी-आल्मेडा भारत आये। उन्होंने भारत में राज्य विस्तार न करके समुद्र पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए नौ-सेना को शक्तिशाली बनाने हेतु नीले जल की नीति (Blue Water Policy) को जारी किया। आल्मेंडा के बाद अल्फांसो अल्बुकर्क भारत आये। उन्होंने भारत में पुर्तगाली

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयत्न किया। अल्बुकर्क अपने इस कार्य में सफल हूए एवं ख्याति भी पायी। उन्होंने 151ई: में बिजापुर के सुल्तान से युद्ध कर गोवा को अपने कब्जे में लिया। उन्होंने गोवा को पुर्तगालियों का केंद्र स्थान बनाया। पुर्तगालियों ने एक शताब्दी तक भारत में व्यापार क्षेत्र में एकाधिकार स्थपित किया था। डच और अंग्रेजों के आगमन के बाद राजनेतिक दृष्टि से पुर्तगालियों की शक्ति कमोर होती चली गई।

डच कंपनी : डच लोग हॉलैण्ड या नीदरलैण्ड देश के थे। इन्होंने पूर्वी देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से 1602 ईं में युनाइटेड ईस्ट इण्डिया कंपनी की स्थापना की । और भारत, जावा, सुमात्रा, इण्ड्रोनेशिया जैसे मसाला पदार्थों की पैदावार करने वाले द्वीपों में प्रवेश किया। भारत में डच कंपनी ने सूरत, भडौंच, कैंबे, कोचिन, नागपट्टणा, चिन्सूर जैसे स्थानों में अपनी शाखाएँ स्थापित की। इस प्रकार डचों ने पुर्तगालियों के एकाधिकार पर प्रहार किया। अगले वर्षों में अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। इन देशों की स्पर्धा में पिछडने के कारण मसालों की पैदावार के द्वीप तक डच सीमित रह गए।

आप इस तथ्य से अवगत रहें : *किले व्यापारिक माल (वस्तुओं) के गोदाम बन गए थे। किले के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से ऊँची दीवारें बनायी गयी थीं।*

अंग्रेजी कंपनी : इंग्लैण्ड की रानी एलिजाबेथ 1600 ई: में (31 दिसंबर) इंग्लिश ईस्ट इण्ड्या कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने के लिए लिखित अधिकार दिया था। इस कंपनी ने औपचारिक रूप से 1613 ई: में व्यापार करना शुरू किया। मुगल सम्राट जहाँगीर ने सूरत में कारखाना अथवा बृहत गोदाम (Factory or Warehouses) शुरु करने का लिखित अधिकार दिया था। 1617 ई. में इंग्लैंड के राजा जेम्स (प्रथम) राजदूत बनकर जहाँगीर के दरबार में सर थामस रो के साथ आए। सर थामस रो ने साम्राज्य के विविध क्षेत्रों में कारखानों को स्थापित करने का अधिकार पाया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने आगरा, अहमदाबाद और भोच में कारखाने खोले। अंग्रेजों ने 1639 ई. में चंद्रगिरि के राजा से भूमि पाकर सेंट जॉर्ज नामक सुदृढ किले का निर्माण किया। आगे चलकर इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स (द्वितीय) ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के संदर्भ में भेंट के तौर पर प्राप्त बंबई को 1668 में कंपनी को वार्षिक रूप से 10 पाउण्ड के दर पर किराये पर दिया। 1690 के दशक में बगाल के राज्यपाल से हुगली नदी के किनारे सुतनुती, कलिकट और गोविंदपुर नामक तीन गाँवों को खरीदो। इस जगह पर फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। इसके आसपास के क्षेत्र में कलकत्ता नगर का विकास हुआ। 17वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नगरों को अपना प्रेसिडेंसी क्षेत्र बनाया। 18 वीं शताब्दी की शुरुवाती वर्षों में अंग्रेंजों ने कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ प्रदेशों में अपने ही नागरिक और अपराध कानून को जारी किया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

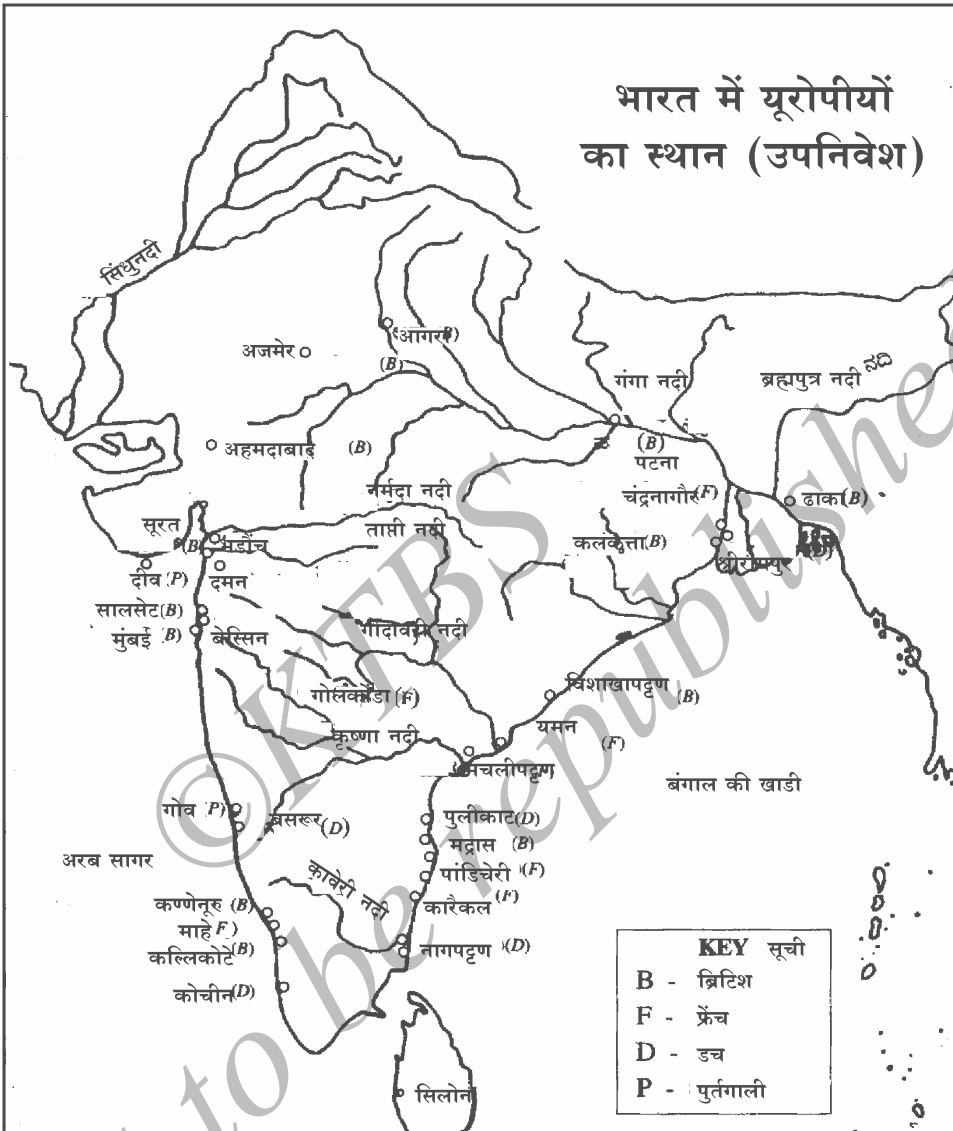

©KTBS Not to be republished

फ्रांसीसी कंपनी : फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कंपनी 1664 में सरकारी स्वामित्व के तौर पर शुरु हुई। इस संस्था ने 1668 में अपनी ही प्रथम बृहत माल-गोदाम को सूरत में शुरू किया। बाद में मछलीपट्टणा, चंद्रानगर, माहे, कारैकल, कासिम बजार, बालासूर, जैसे स्थानों को अपना केंद्र बनाया। फ्रांसीसियों ने 1674 में वालिकोंडा पुरम के मुस्लिम अधिकारी से एक गाँव पाया। धीरे-धीरे इसी गाँव को अपना बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाकर फ्रांसीसियों ने इसे ही अपनी राजधानी बनाया। आज यही गाँव, पुदुचेरी अथवा पांडिचेरी नाम से जाना जाता है। यह स्थान 1954 तक फ्रांसिसियों की राजधानी था। 1954 में फ्रांसीसी, देश छोडकर

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

चले गए थे। 1746 में डूप्ले नामक महत्वाकांक्षी अधिकारी, गवर्नर बनकर पाँडिचेरी आये। इन्होंने दक्षिण भारत में, फ्रांसिसियों का अधिकार जमाने का सपना देखा था। यही सब कारक अंग्रेजों के साथ कर्नाटक युद्ध का कारण बन गया।

अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के बीच की प्रतिस्पर्धा

पुर्तगाली और डच कंपनियाँ 18 वीं शताब्दी के मध्यकाल तक अंग्रेजों और फ्रांसिसियों से मुकाबला न कर पाने के कारण भारत के राजनैतिक क्षेत्र से पीछे हट गयीं। आखिर में अंग्रेजों और फ्रांसिसियों ने राजनैतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए परस्पर शक्ति प्रदर्शन करना शुरू किया। इसी संदर्भ में हैदराबाद रियासत और कर्नाटिक (तमिलनाडु का पूर्वीभाग) प्रांत की राजनैतिक अस्थिरता का लाभ उठाने का प्रयास फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने किया। इसके परिणाम स्वरूप ही तीन कर्नाटक युद्ध हुए।

ज्ञात रहे : *1724 में हैदराबाद रियासत को आसफ जान स्थापित किया था। इसके अधीन कर्नाटिक प्रांत पर राज करने वाला दोस्त अली नामक व्यक्ति आसफ झा के प्रति निष्ठावान नहीं था। 1740 में मराठों ने कर्नाटक को लूट कर 'दोस्त अली' को मार डाला। उसके दामाद चंद्रासाहब को सतारा में कैदी बनाकर रखा। तब आसफ जान ने अपने विश्वसनीय व्यक्ति अनवरुद्दीन को कर्नाटक के नवाब के तौर पर नियुक्त किया।*

कर्नाटक का पहला युद्ध (1746-48):

डूप्ले के निवेदन से लाबोर्डिना नामक फ्रांसीसि सेना के प्रमुख ने मारिशस से आकर अंग्रेजों से महास को अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेज असहाय हो गए थे तब वे कर्नाटक के नवाब अन्वरुद्दीन के पास अपनी प्रार्थना लेकर गए। मद्रास से फ्रांसीसि सेना को बाहर करने के लिए अन्वरुद्दीन ने जो सेना भेजी थी वह भी हार गई। आखिर में लाबोर्डिना डूप्ले को बिना बताये अंग्रेजों से धन प्राप्त कर मद्रास को अंग्रेजों के लिए छोड मारिशस चले गए। इस बात से डूप्ले को गुस्सा आया और उन्होंने मद्रास को पुन: अपने कब्जे में लेने का प्रयत्न किया लेकिन वे असफल रहे। अंत में यह युद्ध युरोप में प्रिंस और इंग्लैण्ड के बीच एक्स-ला-चापेल नामक समझौते से समाप्त हो गया।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ज्ञात रहे : *हैदराबाद रियासत के निजाम आसफ जान का 1748में निधन हो गया। सिंहासन की प्राप्ति के लिए उनके पुत्र नासिर जंग और उनके पोते मुजाफर जंग के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई। वहाँ कर्नाटक में (मराठों की कैद से छूटकर) चंदासाहेब और अन्परुद्दीन के बीच सिंहासन प्राप्ति के लिए लडाई-झगडा शुरु हो गया। तब फ्रांसिसियों ने हैदराबाद में मुजाफर जंग को; कर्नाटक में चंदासाहेब का समर्थन किया। इसके विपरीत अंग्रेजों ने नासिर जंग और अन्वरुद्दीन का समर्थन किया।*

1749 में चंदासाहेब, मुजाफर जंग और फ्रासींसि सेना की टुकडी सब ने एकजुट होकर अन्वरुद्दीन को आम्बूर की लडाई में मार डाला परिणाम स्वरूप चंदासाहेब कर्नाटक का नवाब बन गया। अन्वरुद्दीन का पुत्र मोहमद अली अंग्रेजों की सहायता से तिरूचिनापल्ली में स्थायी रूप से रहने लगा। वहाँ हैदराबाद में मुजाफर जंग चंदासाहेब और फ्रांन्सिसियों की सहायता से नासिर-जंग की हत्या करके निजाम बन गया। थोड़े दिन बाद उसकी भी हत्या कर दी गयी। उसकी जगह फ्रांसिसियों ने आसफ जान के, दूसरे पुत्र सलाबत जंग था उसे निजाम बनाया गया।

कर्नाटक का दूसरा युद्ध (1749-1754):

बदली हुई परिस्थिति में फ्रांसिसियों ने आसफ जान के दूसरा पुत्र सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बनाया। फ्रांसिसियों ने उसकी रक्षा के लिए दरबार में अपनी सेना सहित बुस्सि नामक अधिकारी को नियुक्त किया। दूसरी तरफ फ्रांसिसियों के समर्थन से चंदासाहेब कर्नाटक के नवाब बन गए। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कंपनी के अधिकारी जिनका नाम राबर्ट क्लाइव था उन्होंने कर्नाटक की राजधानी आर्काट पर आक्रमण करके फ्रांसिसियों और चंदासाहेब को बुरी तरह हराया। अंत में इस युद्ध में चंदासाहेब को बंदी बनाकर हत्या कर दी गयी। उसके स्थान पर अंग्रेजों ने अन्वरूद्दीन के बेटे मुहम्मद अली को नवाब के तौर पर नियुक्त किया। आखिर में कर्नाटक की दूसरी लडाई पांडिचेरी समझौता (1754) के साथ समाप्त हो गयी। फ्रांसिसियों ने डूप्ले को वापस अपने देश में बुला लिया। इस युद्ध से फ्रांसीसियों को राजनैतिक विकलता और अंग्रेजों को प्रतिष्ठा मिली।

कर्नाटक का तीसरा युद्ध (1756-1763):

1760 ई में फ्रांस देश के 'कौंट-डी-लैली' ने वांडिवाश किले को घेरने का प्रयत्न किया। वांडिवाश इस निर्णायक युद्ध में अंग्रेजी सेनाधिकारी सर आयरकूट न केवल फ्रांसिसियों को हराया बल्कि बुस्सि को कैद करने में सफल रहे। लैली किसी तरह अपनी जान बचाकर पांडिचेरी में ही कहीं छिपकर रहने लगा। आखिर में आयरकूट ने पांडिचेरी को चारों तरफ से घेर लिया। तब लैली ने 1761 ई में बिना शर्त के आत्म समर्पण कर दिया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसिसियों ने अपने प्रमुख केंद्रों को खो दिया। इसके बावजूद 1763 ई में पैरिस समझौते' के तहत फ्रांसिसियों को पुनः पांडिचेरी वापस कर दिया गया। ऐसी प्रमुख घटनाओं के कारण दक्षिण भारत में फ्रांसिसियों का अस्तित्व न के बराबर रहा। इस प्रकार अंग्रेजों अपने सभी यूरोप के प्रतिस्पर्धियों को पछाडकर दक्षिण भारत को संपूर्ण रूप से जीतने के लिए प्रयत्नशील हो गए।

आपको ज्ञात रहे :-

रॉबर्ट क्लाइव - भारत में अंग्रेजी प्रशासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी में कारिंदे के पद पर सेवारत था। कर्नाटक के युद्ध में विशेषकर आर्काट की चढाई में महत्व पूर्ण भूमिका निभाकर अंग्रेजों की विजय का कारण बना । सन् 1757 के प्लासी युद्ध में विजयी होकर बंगाल के नवाब पर अपनी पकड बनायी। इससे क्लाइव ने अपार संपत्ति कमायी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लाभान्वित किया। क्लाइव ने अपार संपत्ति इंग्लैण्ड भेजी और वह संसद का सदस्य नियुक्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के इंग्लैण्ड वापस आने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान भुगतना पडा । इंग्लैण्ड से क्लाइव पर आरोप होने पर भी अनिवार्यता वश सरकार ने अंग्रेजों के सम्मान हेतु और उनके हित के लिए उसे भारत वापस सेनापति के रूप में भेजा गया। बक्सर युद्ध में पुनः युद्ध जीत कर अंग्रेजों को सम्मान वापस दिलकर क्लजव ने बंगाल, बिहार, उडिसा प्रांतोंपर दिवानी अधिकार कंपनी को दिलवाया। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को संपत्ति प्राप्त करायी और सन् 1767 में इंग्लैण्ड वापस चला गया।

डूप्ले - डूप्ले भारत में फ्रांसीसि आधिपत्य पर गवर्नर जनरल के रूप में सन् 1742 में नियुक्त हुआ। भारत पर राजनैतिक आधिपत्य जमाने का स्वप्न देखने वाले डूप्ले ने यहाँ के देशी राजाओं के साथ समझौता किया था। डूप्ले द्वारा तैयार देशी सेना से हैदर अली ने भी प्रशिक्षण लिया था। अंग्रेजों को डूप्ले अपनी अधिपत्य स्थापना में सहायक लगा। इस प्रकार कर्नाटक और दकन पर अधिपत्य जमाने में अंग्रेज तथा फ्रांसीसियो का संघर्ष देखा जा सकता है। डूप्ले ने सन् 1746 में मद्रास युद्ध में बहुमुखी भूमिका निभायी और विजयी रहा। फ्रंसीसि और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष सन् 1754 में हुआ। तत्पश्चात फ्रांस की सरकार ने शांति की इच्छा से डूप्ले को वापस बुला लिया।

©KTBS Not to be republished

भारत में अंग्रेजों का शासन :

दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने राजनीतिक दृष्टि से नियंत्रण रखने में सफल हुए। 18 वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध में अब उनकी नजर बंगाल प्रांत जो कि अत्यंत समृद्धशाली क्षेत्र था पर नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे। कृषि, वाणिज्य और औद्योगिक क्षेत्र में बंगाल

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

राज्य समृद्ध था। इंग्लिश ईस्ट इण्डिया कंपनी इस प्रांत से अत्यधिक लाभ कमाती थी। 1717 ई.में मुगल राजकुमार फारुख शियार ने कंपनी को बंगाल में मुक्त एवं स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का परवाना लिखित अधिकार दिया था; इससे कंपनी को बहुत लाभ होता था। कंपनी के कर्मचारी गण अपना खुद का व्यापार करके दुरुपयोग करने लगे। ऐसा करने से बंगाल सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इसलिए मुर्शिद अली खान से लेकर अलिवर्दी खान तक सभी नवाबों ने परवाने के दुरुपयोगों का विरोध करते थे। आगे - चलकर यही विचार नवाब तथा कंपनी के बीच में संघर्ष का कारण बना। इसके परिणाम स्वरूप ही भारत के इतिहास को नया मोड देने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण दो लडाइयाँ हुई। उन लडाइयों के नाम हैं; प्लासी की लडाई और बक्सर की लडाई।

ज्ञात रहे : दस्तक का अर्थ : *बिना किसी कर प्रणाली के आधार पर वस्तुओं का आयात और निर्यात करना, माल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए आवश्यक लिखित अधिकार पत्र।*

प्लासी की लडाई (1757) :

बंगाल के नवाब अली वर्दी का निधन 1756 में हुआ। इसके बाद इनका पोता सिराज-उद-दौला राजगद्धी पर बैठा। सिराज-उद्दौला युवा नवाब था। इनके और अंग्रेजों के खिलाफ 1757 में इतिहास प्रसिद्ध प्लासी की लडाई हुई।

कारण :

1) **दस्तक (परवाना) का दुरूपयोग** : कंपनी को व्यापार के लिए दिये गये 'दस्तक' को अंग्रेजी कर्मचारियों द्वारा दुरूपयोग होता था। इससे राज्य के खजाने को अत्यधिक नुकसान हुआ। इस वजह से सिराज क्रोधित हुआ।

2) **बिना अनुमति के किले की मरम्मत:** अंग्रेज, फ्रांसिसियों के भय के कारण कलकत्ते के किले को सुदृढ़ बनाकर वहाँ तोपों को रखते थे। बिना अनुमति के किले की मरम्मत करवाने के कारण तोपों को हटाने के लिए सिराज-उ-द्दौला ने सूचित किया था लेकिन उन्होने इसका पालन नहीं किया जिससे सिराज क्रोधित हुआ।

3) **काल कोठरी दुर्घटना :** सिराज ने फोर्ट विलियम किले को आसानी से जीत लिया और अनेक अंग्रेजी सैनिकों को किले के एक कमरे में बंद कर दिया। कमरे में सैनिको की संख्या 146 थी। 123 सैनिक दम घुटने के कारण मर गये। इस समाचार को सुनकर रॉबर्ट क्लाइव को बहुत गुस्सा आया। वह अपने साथ शक्तिशाली सेना लेकर बंगाल पहुँच गया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले नवाब के विरोधी जैसे माणिकचंद, ओमिचाँदा, जगत सेठ (बंगाल का लेन-देन का कारोबारी) को अपनी तरफ आकर्षित किया। बाद में सिराज के सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने का लालच देकर युद्ध में तटस्थ रहने को कहा। इन बातों से रॉबर्ट क्लाइव ने धैर्यवान होकर 1757 जून 23 को सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दि। प्लासी नामक जगह पर हुए यह रॉबर्ट में क्लाइव की योजना के अनुसार सब कुछ ठीक-ठाक चला। युद्ध भूमि से नवाब खिराज उ द्दौला किसी तरह स्वयं को छिपाते हुए भागे जा रहा था; किंतु किसी तरह नवाब को पकडकर उसका वध कर दिया गया।

परिणाम :

1. इस युद्ध से पता चलता है कि भारतीयों में अनेकता, असंगठन, व्यापारी वर्ग में लोभ की भावना बढने लगी थी।
2. मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया।
3. कंपनी ने बंगाल प्रांत में व्यापार चलाने के लिए स्वेच्छापूर्वक काम करने का अधिकार पाया।
4. सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया था इसलिए हरजाने के तौर पर मीरजाफर ने कंपनी को सत्रह करोड सत्तर लाख रूपये दिये।

कुल मिलाकर परिस्थिति ऐसी थी कि मीर-जाफर को कंपनी और उसके कर्मचारियों की कठपुतली बन कर रहना पडा और निरंतर शोषित होता रहा। ऐसी हालात में बंगाल सरकार का खजाना खाली हो गया परंतु फिर भी लालची कंपनी के अधिकारियों का दिल नहीं भरा। ऐसी परिस्थिति में कंपनी ने मीर जाफर को निकम्मा समझ कर उसे नवाब के स्थान से हटाया । बदले में उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद पर नियुक्त किया।

बक्सर की लडाई (1764) : मीर कासिम एक दक्ष प्रशासन अधिकारी था। इसने भी प्रारंभ में कंपनी के प्रति निष्ठा दिखायी थी। इसने कंपनी को दो लाख पौण्ड् की धन राशि के साथ-साथ कुछ प्रदेशों को कंपनी को दिया। लेकिन शीघ्र ही मीर कासिम सचेत हो गए एवं स्वयं को स्वतंत्र राजा मानकर चलने लगे। दस्तक (कर प्रणाली) का दुरूपयोग हो रहा है; इस बात पर मीर कासिम ने सोच-विचार किया। बंगाल में होने वाले व्यापार को कर मुक्त (Tax Free) घोषित किया। इस वजह से भारतीय व्यापारी वर्ग को काफी राहत मिली और वे सीधे तौर पर अंग्रेजों से व्यापार के मामले में स्पर्धा करने लगे। इसके

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का व्यापार बहुत धीमा हो गया। अंग्रेज इस वजह से बंगाल के नवाब का विरोध करने लगे। अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के स्थान से हटाकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया। अंग्रेजों की लोमडी वाली चाल को समझकर मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरूद्ध सैन्य संगठन का काम करना शुरू किया। भारतीय व्यापारी वर्ग और कारीगर मीर कासिम के समर्थन में खडे हो गए। आसपास होने वाली घटनाओं को समझते हुए मीर कासिम ने मुगल बादशाह शाह आलम (द्वितीय) से मुलाकात की और अवध के नवाब शुजा-उ-द्दौला से समझौता किया। इसके परिणाम स्वरूप मीर-कासिम के नेतृत्व में तीनों संयुक्त सेनाएँ एक होकर अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले 'हेक्टर मनरो' की सेना के खिलाफ 22 अक्तूबर 1764 ई.में बक्सर नामक जगह पर भीषण लडाइयाँ हुयी। इस युद्ध में मीर कासिम हार कर कहीं दूर भाग गया। शाह आलम अंग्रेजों के शरण में स्वयं आ गया। अंग्रेजों की शक्ति के सामने मीर कासिम की संगठन शक्ति संपूर्ण रूप से विफल हो गयी।

बक्सर की लडाई के परिणाम :

1. शाह आलम ने ईस्ट इंण्डिया कंपनी को 'दीवानी' हक सौंप दिया।
2. शाह आलम ने वार्षिक रूप से 26 लाख रूपये पाकर बंगाल से संबंधित अपने सारे अधिकारों को अंग्रेजों को दे दिया।
3. अवध के नवाब शुजा-उद्दौला ने कंपनी को युद्ध में हुई क्षति पूर्ति के लिए 50 लाख रूपये दिये।
4. मीर जाफर की मृत्यु हो जाने के कारण उसके बेटे को निश्चित वेतन देकर कंपनी ने संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया।

ज्ञात रहे : दिवानी अधिकार : *भूमि पर लगाये जाने वाले कर को वसूलने का अधिकार।*

आखिर में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बक्सर की लडाई के बाद बंगाल, बिहार, उडीसा और अवध पर संपूर्ण स्वामित्व अंग्रेजों का हो गया है। 1765 ई.में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार की नीति को जारी किया। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों के पास 'दिवानी' प्राप्त करने का अधिकार था। अतः अंग्रेज भू-राजस्व भी वसूलते थे। नवाब प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था को सँभालता था। इस प्रकार अँग्रेज अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए राजनैतिक दृष्टि से एकाधिकार चाहते थे और इसमें वे सफल भी हुए। अंग्रेजों ने इस प्रकार संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमाया।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

आपको ज्ञात रहे :-

सन् 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैण्ड में स्थापित हुयी।

सन् 1602 में युनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नीदरलैंड में हुयी।

सनू 1619 में मुगल सम्राट जहाँगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिमी, समुद्री तट पर सूरत में तथा पूर्व में हुगली में व्यापार करने की अनुमति दी।

सर्न 1639 में अंग्रेजों से अपना प्रथम गोदाम (सामान रखने का कमरा) मद्रास में स्थापित किया।

सन् 1664 में फ्रांसीसि ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस में स्थापित हुयी।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्द भरिए -

1. सन् 1453 में आरोमान तुर्कियों ने ________नगर को अपने वश में कर लिया।
2. भारत और यूरोप के मध्य नवीन जलमार्ग को _______ ने ज्ञात किया।
3. भारत में स्थित फ्रांसीसियों की राजधानी _______ थी।
4. रॉबर्ट क्लाइव ने सन् 1757 में सिराजुद्दौला के साथ _______ युद्ध किया।
5. ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दिवानी अधिकार _______ ने दिया।
6. बंगाल में 'द्वि सरकार' (दोहरी सरकार) नीति को _______ ने जारी किया।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा द्वारा दीजिए।

1. मध्य काल में भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध कैसे थे?
2. भारत के लिए नवीन जलमार्ग खोजने का कारण क्या था? चर्चा कीजिए?
3. भारत में व्यापार हेतु आए यूरोपियों की सूची बनाइए?
4. द्वितीय कर्नाटक युद्ध का विवरण दीजिए ।
5. प्लासी युद्‌ध का कारण और परिणम बताइए ।
6. बक्सर युद्‌ध (लडाई) के परिणाम क्या थे?

III. क्रिया कलाप :-

1. अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रेसिडेंसी नगरों के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए ।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 2
अंग्रेजी प्रशासन का विस्तार

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- आंग्ल - मराठा युद्ध
- सहायक सेना प्रणाली
- अंग्रेजी अधिकारों का केंद्रीकरण
- आंग्ल - सिक्ख युद्ध
- दत्तक-पुत्रों को न अधिकार होने की नीति

अंग्रेजों ने कर्नाटक के युद्धों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में यूरोप का कोई भी देश इंग्लैण्ड का प्रतिद्वंदी न बने। प्लासी और बक्सर की लडाई द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत पर संपूर्ण राजनैतिक दृष्टि से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मैसूर और मराठा राज्य शक्तिशाली होने के कारण अंग्रेजों का प्रभुत्व बंबई तक पश्चिम भारत में सीमित रहा। अंग्रेजों ने दक्खन प्रदेश में निजाम के रियासत पर अपना प्रभुत्व जमाया था।

मराठा, पेशवा, मैसूर रियासत में शासन करने वाले हैदर-अली और उनका पुत्र टीपु-सुल्तान अंग्रेजों की क्षेत्र विस्तार नीति में रुकावट बना। इनके बाद उत्तर पश्चिम भारत में सिक्ख धर्म के लोग अंग्रेजों के प्रबल विरोधी हो गए।

अंग्रेजो ने अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए अठारहवीं शताब्दी के मध्यभाग से लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक एक के बाद एक अनेक युद्ध किये। राज्य विस्तार करने की नीति के अंतर्गत 'सहायक सेना प्रणाली' और 'दत्तक पुत्रों' को अधिकार नहीं है को लागू कर चालाकी से भारत के कई राज्यों को अंग्रेजों ने हडप लिया। इस अवधि में अंग्रेजों द्वारा भारत के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर-पश्चिमी भाग में किये गये युद्धों का विवरण इस प्रकार है - तीन आंग्ल - मराठा युद्ध, चार आंग्ल-मैसूर युद्ध और दो आंग्ल - सिक्ख युद्ध इस अध्याय में हम अंग्रेजों का मराठों और सिक्खों से युद्ध की जानकारी प्राप्त करेंगे।

आंग्ल - मराठा युद्ध

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1782) मुगल बादशाह शाह आलम-II जो बक्सर की लडाई में हार गया था और अंग्रेजों के आश्रय में था उसे मराठों ने पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। शाह आलम द्वितीय ने पहले अंग्रेजों को जो कोटा और हलाहबाद दिया था बाद में इन स्थानों को मराठों को दे दिया। इस वजह से मराठों और अंग्रेजों के बीच में दुश्मनी की भावना बढ़ गयी। मराठों में सबसे शक्तिशाली पेशवा माधवराव थे इसी समय उनकी मृत्यु हो गयी। मराठों को इस वजह से बहुत नुकसान हुआ। पेशवा के स्थान

Downloaded from https:// www.studiestoday.com
© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

पर उसके छोटे भाई नारायणराव ने सिंहासन सँभाला लेकिन बाद में उसके चाचा राघोबा (रघुनाथराव) ने उसका कत्ल कर दिया। इस प्रकार पेशवा के स्थान पर कलह का वातावरण था। नाना फडनवीस के नेतृव में पेशवा के स्थान का आकांक्षी रघोवा के बदले में नारायण राय के बेटे माधवराव द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया गया। मराठा घराने से अपेक्षित समर्थन न मिलने के कारण रघोबा ने अंग्रेजों से समर्थन के लिए निवेदन किया। अंग्रेजों ने इस अवसर से लाभ उठाने की बात सोची। अंग्रेजों और मराठा संघ के बीच 1775-1782 तक चली लंबी लडाई में मराठों को प्रारंभिक सफलता मिली थी। आखिर में मराठों के कब्जे से अहमदाबाद छूट गया। मराठा संघ ने युद्ध जारी न रखकर अंग्रेजों से सालबाय समझौता कर लिया। माधवराव द्वितीय को पेशवा के तौर पर नियुक्त किया गया।

लॉर्ड वेल्लेस्ली (1798-1805)

लॉ्र्ड वेल्लेस्ली गवर्नर जनरल बनकर आने के बाद भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य का विस्तार बडे पैमाने पर हुआ। इनके आगमन के समय तक शक्तिशाली मराठा और मैसूर राज्य दुर्बल हो गए थे। इस वजह से अंग्रेजों की विस्तार करने की नीति फायदेमंद रही। इस उद्‌देश्य की प्राण्ति के लिए वेल्लेस्लीने तीन तरीकों का पालन किया। वे तीन तरीके इस प्रकार से हैं - सहायक सेना प्रणाली, नये राज्यों पर युद्ध करना और जो राज्य पहले से ही कंपनी के अधीन थे उन्हें सीधे तौर पर अपने नियंत्रण में रखना।

सहायक सेना प्रणाली : 1798 में भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सहायक सेना प्रणाली नामक नीति को वेल्लेस्ली ने जारी में लाया। सहायक सेना प्रणाली अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कंपनी और भारतीय राज्यों के बीच का एक सैनिक समझॉता हैं।

सहायक सेना प्रणाली की शर्तें :

1. भारतीय राजा अंग्रेजो की एक सैनिक टुकडी को अपने राज्य में रखेंगे।
2. सेना के लिए वेतन और अन्य खर्च संबंधित राज्य ही देंगे। अन्यथा कुछ निर्दिष्ट प्रदेश जो राजस्वदेते हैं उन्हें अंग्रेजों के लिए छोड देना होगा।
3. राजा दरबार में रेसिडेंट को बैठने के लिए अवसर प्रदान करना होगा।
4. अंग्रेजों की अनुमति के बिना दरबार में किसी भी यूरोपियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
5. भारत के किसी भी राज्य के साथ युद्ध अथवा शांति संबंध स्थापित करना हो तो गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी होगी।
6. इसके बदले में कंपनी उस राज्य को आंतरिक एवं बाहय सुरक्षा प्रदान करेगी।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

इस नीति के तहत अंग्रेजों का सैन्य प्रबंधन आसानी से हो गया और भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में रखना संभव हो गया। भारतीय राज्यों का आर्थिक दृष्टि से तीव्र शोषण किया गया। इस समझौते पर सर्वप्रथम हैदराबाद रियासत ने हस्ताक्षर किये थे। उसके बाद मैसूर, अवध, तंजौर, मराठा, पेशवा, अर्काट, पूना, बिहार, ग्वालियर आदि राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध (1803-1805) : मराठा घराने के नेताओं का परस्पर संघर्ष ही इस युद्ध का कारण था। एक तरफ होल्कर घराने के यशवंतराव थे ता दूसरी तरफ सिंधिया घराने के दौलत राव और पेशवा बाजीराव (द्वितीय) थे। 1802 में होलकर सेना ने सिंधिया और पेशवा के सेनाओं को पराजित किया था। पेशवा राजा ने अंग्रेजों से सहायता माँगी। लॉर्ड वेल्लेस्ली को मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। पेशवा राजा ने बेस्सिन समझौते पर हस्ताक्षर करके सहायक सेना प्रणाली को मान लिया। इस बात का विरोध करते हुए होल्कर, भोंसले, सिंधिया जैसे मराठा घराने वाले एक हो गए। 1803-1805 तक मराठा घराने की सेनाओं को वेल्लेस्ली ने अनेक युद्धों में हराया था। लेकिन उसकी युद्ध प्रिय नीतियों से कंपनी पर ऋण को बोझ बढ़ गया। ऐसा होने के कारण वेल्लेस्ली की अधिक निंदा होने लगी इसलिए उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वह स्वदेश चला गया। इस वजह से उस प्रदेश में तात्कालिक रूप से शांति व्यवस्था कायम हो गयी।

तीसरा आंग्ल-मराठा युद्ध : (1817-1818) : मराठा घरानों ने अपनी प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए अत्यधिक प्रयत्न किया। पेशवा घराने के लोग भी अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील रहे। 1817में पेशवा ने पूना में ब्रिटिश रेसिडेन्सी पर आक्रमण किया और उसे आग से जला दिया। नागपुर के अप्पा साहेब और मल्हार राव होल्कर भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए, और उनकी हार हुई। आखिर में पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के खिलाफ 1818 में कोरेगाव और अष्टि युद्ध में हारकर उनके शरण में आ गए। अंग्रेजों ने पेशवा नामक पदवी को रद्द कर दिया और बाजीराव को सेवा निवृत्ति वेतन दिया। इसके बदले प्रताप सिंहा को छोटे राज्य सतारा की गद्धी पर बिठाया। इन्हें मराठों का नेता बनाकर, मराठों के प्रतिरोध को नियंत्रित किया।

अंग्रेजी अधिकारों का केंद्रीकरण : अंग्रेजों ने 1818 से लेकर 1857 तक अखंड भारत को जीतने का काम पूरा किया। इस अवधि में अंग्रेजों ने पंजाब, सिंध, अवध जैसे प्रमुख राज्यों को जीता। अंग्रेजों ने अनेक छोटे एवं महत्वपूर्ण राज्यों पर अपना अधिकार जमाया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

***ज्ञात रहे :** रणजीत सिंह : 1780में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। वे सिक्खों के 12 मिसल (संगठन) में एक सुखर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के पुत्र थे। दस वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था। वे एक छोटे प्रदेश के संगठन के मुखिया थे। काबुल के बादशाह जमान शाह ने भारत पर आक्रमण किया था तब रणजीत सिंह ने उनकी सेवा की थी। उसकी सेवा से खुश होकर 'राजा' नामक पदवी देकर उन्हें लाहौर का राज्यपाल नियुक्त किया। तब रणजीत सिंह की उम्र 19 वर्ष थी। बाद में वे विस्मयकारी तरीके से ऊँचे स्थान पर पहुँचे। सिक्खों पर संपूर्ण रूप से परमाधिकार पाना ही उनका प्रमुख उद्देश्य था। सतलज नदी के पश्चिम भाग के सभी सिकख प्रमुखों को अपने नियंत्रण में लेकर पंजाब में अपना राज्य स्थापित किया। 1809 में अमृतसर में अंग्रेजों के साथ 'निरंतर मैत्री' समझौते पर हस्ताक्षर किये। यूरोपियन तरीके से सेना का संगठन किया और सेना को प्रशिक्षित किया। इनकी सेना में न केवल सिक्ख बल्कि गोरखा, बिहारी, पठान, और मुसलमान धर्म के सैनिक भी थे। लाहौर में तोपों को बनाने के ढाँचों का कारखाना खोला। तत्कालीन स्थिति में भारतीय राजाओं की तुलना में रणजीत सिंह की सेना पहले दर्जे की थी। रणजीत सिंह में धर्मनिरपेक्षता की भावना, वे खुले हृदय वाले व्यक्ति थे। वे न केवल सिक्ख धर्म के गुरुओं का पोषण करते थे। सभी धर्म के लोग उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में ऊँचा स्थान पाते थे। अंग्रेजों से दुश्मनी न करके अपने सिकख राज्य की रक्षा करने में वे कामयाब रहे थे। उसी प्रकार अंग्रेजों द्वारा उत्तर-पश्चिम की दिशा से आक्रमण करने की संभावनाओं को रोकने के लिए रणजीत सिंह जैसी ऊँची दीवार (बफर स्टेट) की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्वतंत्र राज्य की स्थापना करके अंतिम समय तक स्वतंत्र रूप से शासन करते हुए 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई।*

आंग्ल-सिक्ख युद्ध : 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनैतिक दृष्टि से अराजकता फैल गयी। 1809 के बाद निरंतर रूप से मैत्री समझौते का उल्लंधन करके पंजाब को अपने कब्जे में लेने के लिए अंग्रेज षडयंत्र रचने लगे। 1845 दिसंबर में अग्रेजों और सिक्खों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। इन लोगों ने विदेशी लोगों से खतरा है; ऐसी बात को समझकर हिंदू, मुसलमान और सिक्ख धर्म के लोग एकजुट होकर वीरता से अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लडी लेकिन कुछ गद्धार नेताओं के कारण लडाई हार गये। 1846 में अपमानजनक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर करना पडा। तब से अंग्रेजी रेसिडेन्ट अधिकारी पंजाब का वास्तविक प्रशासन अधिकारी बन गया। इस प्रकार पंजाब अंग्रेजों के आश्रय का राज्य बन गया।

1848 में पंजाब पर अंग्रेज ही शासन व्यवस्था चलाएँगे: इस बात को जानने पर पंजाबियों ने विरोध प्रकट किया। इस हडताल का नेतृत्व चट्टार सिंह अटारीवाला ने लाहौर में किया। मूलराज ने हडताल का नेतृत्व मुल्तान में किया। पंजाबियों की फिर एक बार हार हुई। अंत में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

लॉर्ड डलहौजी और दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं है नीति :

1848 में भारत में डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आये। वे सभी भारतीय रियासतों को अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए अंतिम प्रक्रिया में जुट गए। 'दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं है' यह नीति अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करने का एक हिस्सा था। इसके सूत्रधार लॉर्ड डलहौजी थे। इस नीति के अनुसार "कोई भी भारतीय राजा जिसका पुत्र न हो, यदि वह राजा मर जाये तो उसके संबंधी यदि किसी दत्तक पुत्र को अपनायें तो उसे उत्तराधिकार के तौर पर कोई भी अधिकार नहीं मिलेंगे" ऐसे राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जायेगा। इस नीति के अंतर्गत जो राज्य शामिल थे उनके नाम इस प्रकार से हैं - सतारा, जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झाँसी और नागपुर इत्यादि।

डलहौजी के नेतृत्व में किये गये निरंतर आक्रमण के कारण भारतीय राजाओं के सामने अंधेरा सा छा गया। जनसामान्य लोग भी राजाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगे। जन मानस में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना उमड रही थी। संपूर्ण भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश की भावना और जन मानस के मन में देशप्रेम की भावना जाग उठी। इसके परिणामस्वरूप ही 1857 में सिपाही दंगे होने लगे।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानो की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :-

1. प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध के अंत में मराठा और अंग्रेजों के मध्य ________ समझौता हुआ।
2. सहायक सैन्य पद्धति को _______ ने लागू किया।
3. "गोद लेने का अधिकार न होने" की नीति _______ ईस्वी में लागू हुई।
4. गोद लेने का अधिकार न होने की नीति को _______ ने लागू किया।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा द्वारा दीजिए।

1. प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण लिखिए।
2. सहायक सैन्य पद्धति के नियम क्या थे? विवरण दीजिए।
3. तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का विवरण दीजिए ।
4. अंग्रेजों के अधिकार विस्तार के लिए "गोद लेने का अधिकार न होना" किस प्रकार सहायक रहा?
5. "गोद लेने का अधिकार न होना" नीति के अंतर्गत कौन-कौन से राज्य थे?

III. क्रिया कलाप :-

1. अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार के लिए अपना यी गयी रणनीति (कार्य नीति) का विश्लेषण करते हुए निबंध लिखिए।

* * * * *

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 3

अंग्रेजी प्रशासन के परिणाम

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था - नागरिक सेवाएँ, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था
- भू-राजस्व नीतियाँ - स्थायी जमीनदारी पद्धति, महलवारी पद्धति, रैतवारी पद्धति
- आधुनिक शिक्षा - लार्ड मैकाले. वुड्स आयोग (1854)
- अंग्रेजी प्रशासन के अधिनियम-रेग्युलेटिंग अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम।

©KTBS Not to be republished

अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आयी थी। कंपनी ने वाणिज्यिक लाभ के लिए काम किया। तत्कालीन भारत सैंकडों राज घरानों में बँटा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत की परिस्थिति का अच्छी तरह से अवलोकन किया ऐसी परिस्थिति को अपने राजनैतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रियासतों के राजा परस्पर झगडते रहे। अंग्रेजों ने ऐसे में 'फूट डाल कर शासन करने की नीति' को अपनाया। अंग्रेजों को अपनी इस नीति में कामयाबी भी मिली। उन सब राजाओं को अपने अधीन नियंत्रण में रखा। अपने अधीन लेने की प्रक्रिया में अंग्रेजों ने 'समझौता' और 'युद्ध' जैसे मार्गों का अच्छी तरह इस्तेमाल किया।

अंग्रेजों ने विविध उपायों को आजमाकर भारत को राजनीतिक दृष्टि से अपने अधीन लेने के बाद उस राज्य को स्थायी रूप से अपने अधीन कैसे रखें, इस बात पर भी ध्यान दिया। भारत अनेक छोटी-बडी रियासतों में बँटा हुआ था। अनेक राज्य या रियासतों को विविध करणों से अंग्रेजों ने एकरूप राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था में शामिल किया। शिक्षा, न्याय-व्यवस्था, भू-राजस्व, व्यापार, कृषि आदि क्षेत्रों में नयी प्रशासनिक-व्यवस्था को जारी करके एक रूप शासन व्यवस्था का निर्माण करने में अंग्रेज सफल हुए। इस दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन क्षेत्र में विविध प्रयोग लागू किए।

प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था -

नागरिक सेवाएँ : लार्ड कार्नवालिस ने नागरिक सेवा व्यवस्था को जारी किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्त करने की पद्धति का पहले से ही पालन करती आ रही थी। यहाँ जो कर्मचारी काम करते थे उन्हें अच्छा वेतन

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

नहीं दिया जाता था। कंपनी ने इन कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का अधिकार दिया था। इस मौके का फायदा उठाकर कर्मचारी गलत मार्ग से पैसा कमाकर अत्यंत भ्रष्ट हो गए। इसे रोकने के लिए 1773 में इंग्लैंड की सरकार ने भारत में रेग्यूलेटिंग एक्ट जारी किया। इस एक्ट का अर्थ है नियंत्रण रखना।

1800 ई.में नागरिक सेवाओं में नियुक्ति की आकांक्षा रखने वालों को शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक ने इसका समर्थन नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1853 तक नागरिक सेवाओं की सभी नियुक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक ने ही की 1853 के बाद नागरिक सेवाओं के लिए होने वाली नियुक्तियाँ प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा ही होना तय किया गया। इससे भारतीयों को अधिक लाभ नहीं हुआ। साभ ही अंग्रेज भारतीयों की क्षमता को संदेह की दृष्टि से देखते थे। कार्नवालिस ने कहा था - "हिंदुस्तान में रहना वाला हर एक मूल निवासी भ्रष्ट है।" इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों को निचले दर्जे की नौकरियाँ दी।

न्याय व्यवस्था : मुगलों से अंग्रेजों को धीरे - धीरे अधिकारों का हस्तांतरण हुआ। इसके साथ ही नई न्यायिक व्यवस्था भारत में जन्म लेने लगी। बक्सर की लडाई के बाद मुगल बादशाह शाह-आलम ने दिवानी नामक अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दिया था। बंगाल प्रांत में दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था जारी में आयी। इसे दोहरी सरकार (Double Government) कहा जाता है। इसके अनुसार राजस्व की वसूली, नागरिक और अपराध - न्याय प्रबंधन व्यवस्था भारतीय अधिकारियों को दिया गया था। वसूल किये गये भू-राजस्व के प्रबंधन-प्रशासन को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। कुछ वर्ष बाद अंग्रेजों ने अधिक केंद्रीकृत न्याय पद्धति को जारी करने का निर्णय लिया।

1772 में गवर्नर बनकर वारेन-हेस्टिंग आये। हेस्टिंग ने एक योजना लागू तहत प्रत्येक जिले में दो तरह के न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। वे दो तरह के न्यायालय इस प्रकार हैं 1. दिवानी अदालत 2. फौजदारी अदालत

दिवानी अदालत में नागरिक न्यायालय आते हैं। फौजदारी अदालत में अपराध न्यायालय आते हैं। यहाँ नागरिक न्यायदान के संदर्भ में हिंदुओं के शास्त्र ग्रंथ के अनुसार और मुस्लमानों को शरीयत कानून के अनुसार न्यायदान दिया जाता था। अपराध की घटना सामने आने पर सबको इस्लाम कानून के अनुसार विचार-विमर्श किया जाता था। धीरे-धीरे अंग्रेजी कानूनों को जारी में लाकर अपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया। नागरिक न्यायालय यूरोप के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में काम करते थे। अपराध न्यायालय काजियों के अधीन होने पर भी यूरोपियों की निगरानी में काम करना पड़ता था।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

पुलिस व्यवस्था : देश में आंतरिक शांति सुव्यवस्था को सँभालने की जिम्मेंदारी पुलिस वर्ग की होती है। कार्नवालिस ने सबसे पहले सुव्यवस्थित पुलिस विभाग को जारी किया। इन्होंने 'सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलीस' नामक नये पद की सृष्टि की। सन् 1793 में हर एक जिले को 'थाना' रूप में विभाजन करके हर एक 'थाने' को 'कोतवाल' के अधीन रखा गया। ग्रामों को 'चौकीदार' के अधीन में रखा गया। कोतवाल ग्रामस्तर में होने वाली चोरी, अपराध, लूट-पाट, डकैतियो को नियंत्रण में रखने की जिम्मेंदारी उठाते थे।

1770 के दशक में भीषण सूखे की आशंका के कारण कानून सुव्यवस्था को चोट पहुँची थी। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन रखा गया। 1781 में ब्रिटिश मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने की व्यवस्था जारी में आयी। पुलिस अधिकारी मैजिस्ट्रेट के अधीन काम करते थे। पुलिस व्यवस्था में निरंतर बदलाव होता था। 1861 में पुलिस अधिनियम जारी में आया। यह अधिनियम कानून और सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए सुदृढ बुनियाद थी। परंतु भारतीय उम्मीदवारों को नियुक्तियों में ऊँचे ओहदे नहीं दिये जाते थे। 1902 के पुलिस कमीशन अधिनियम के तहत उल्लेख किया गया था कि जिन अधिकारियों के पास शैक्षिक योग्यताएँ हो उन्हें ऊँचा ओहदा दिया जा सकता है। इतना होने पर भी भारतीयों के प्रति भेदभाव कम नहीं हुआ।

सैन्य व्यवस्था : अंग्रेजों के समय की प्रशासनिक व्यवस्था में सेना ही प्रमुख आधारस्तंभ थी। भारतीयों को सेना में भर्ती करके उनकी सहायता से ही अंग्रेजों ने भारत को अपने अधीन में ले लिया। सैनिक शक्ति का उपयोग करके अंग्रेजों ने भारत में अपनी विरोधी शक्तियों और विदेशी शक्तियों से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। सेना के ऊँचे ओहदों पर अंग्रेज ही अधिकारी होते थे। भारतीयों को सेना में अत्युन्नत स्थान जो मिलता था वह 'सूबेदार' था। अधिकांश भारतीय सैनिक मजदूर सैनिक होते थे। सन 1857 की घटना के बाद 'पील' नामक व्यक्ति के नेतृत्व में समिति की रचना करके उनकी सिफारिशों को अंग्रेजी सरकार के सामने रखा गया। इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर सैनिक व्यवस्था में परिवर्तन करके उसे नया आकार दिया गया।

भू-राजस्व की नीतियाँ :

अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत को अपना केंद्र स्थान बनाया था। ईस्ट इण्डिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार को वार्षिक रूप से चार लाख पौंड देना पडता था। साथ ही कंपनी को अपनी आर्थिक सुस्थिति को बनाये रखना भी जरूरी था। इसलिए पूरक रूप से राजस्व नीतियों को जारी करने लिए के कंपनी प्रयत्नशील थी।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

स्थायी जमीनदारी पद्धति:

वार्षिक रूप से निर्दिष्ट राजस्व (धन) पाने के लिए लार्ड कार्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार प्रांत में नई राजस्व पद्धति को जारी किया। इसे स्थायी जमीनदारी पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में जमीनदार भूमि के मालिक हो गए। इस नई योजना के अनुसार जमीनदार को प्रति वर्ष निर्दिष्ट दिनांक से पहले उसे राजस्व की राशि जो वह देने के लिए मान गये थे उसे सरकार को देना पड़ता था। भू-मालिकों को उससे अधिक लाभ होता था। क्योंकि सरकार को जो पैसा देना निश्चित किया गया था उससे अधिक वसूले गये पैसे को वह खुद अपने पास रख सकते थे। अतिवृष्टि या अनावृष्टि के कारण लगान न चुकाये जाने पर अंग्रेजी सरकार भूमि का मालिकाना हक उनसे छीन लेती थी और भूमि को अपने कब्जे में ले लेती थी। इस पद्धति से अंग्रेजों और जमीनदारों को लाभ होता था; किसानों को नुकसान होता था। अंग्रेजों को जो जमीनदार सहायक होते थे: अप्रत्यक्ष रूप से नये सामाजिक वर्ग (जमीनदारों) की अंग्रेजों ने सृष्टि की। किसान: मजदूरी करनेवाले किसान, और मजदूर वर्ग का जमीनदारों के भूमि में काम करने के लिए निरंतर मौका न मिलने के कारण अलग-अलग तरीकों से शोषण होने लगा। इस वर्ग के लोग बहुत दुखी थे। चार्ल्स मेटकाफ ने अंग्रेजों की भू-राजस्व नीति के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि - "भारत के किसान कर्ज की स्थिति में जन्म लेते हैं; कर्ज लेकर जीवन भर जीते हैं; कर्ज़ के बोझ तले ही वे मर जाते हैं।"

महलवारी पद्धति : उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश के अनेक भागों में, पंजाब तथा दिल्ली प्रदेशों में सामूहिक रूप से समझौता करके, सामूहिक रूप से सरकार को राजस्व देने की पद्धति को लाया गया। गाँव से गाँव - राज्य से राज्य तक इस पद्धति को अनुष्ठान करने में फर्क था। बड़े और छोटे पैमाने का जमीनदार इस पद्धति के हिस्सा थे। कंपनी, सरकार के अधिकारी भूमि से होने वाले उत्पादन से अधिक मूल्य का लगान वार्षिक रूप से तय करती थी; ऐसा होने के कारण अनेक जमीनदारों ने अपना अस्तित्व खो दिया। छोटे किसान और मज़दूरी करने वाले किसान बेसहारा हो गए।

रैतवारी पद्धति : रैतवारी पद्धति को पहले प्रयोग के तौर पर बारामहल प्रांत में 1792 ई.में एलेक्जेंडर रीड़ नामक व्यक्ति ने जारी किया था। इस पद्धति को थामस मुनरो ने मद्रास व मैसूर प्रांत में 1801 के बाद जारी किया। इस समय में इन प्रांतों के अधिकांश भाग कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत शामिल थे; यह प्रमुख कारण था। इस पद्धति के अनुसार सरकार और किसान के बीच सीधा संपर्क कराया गया था। जिस भूमि पर किसान खेती करता है; उस भूमि का मालिक वही होगा, सरकार ने ऐसी मान्यता दी। किसान जो

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

फसल की पैदावार करता था, उसका 50 प्रतिशत भाग सरकार को राजस्व के तौर पर देना पड़ता था। राजस्व को 30 वर्ष की अवधि तक तय किया गया। बाद में विचार विमर्श के लिए भी इसे शामिल किया जा सकता था।

छोटे किसानों के पास जो भूमि थी उस पर उन्हें हक दिया जाता था। भू-राजस्व अवैज्ञानिक होने के कारण किसान अत्यधिक मुसीबत में फँस गए: क्योंकि सालाना राजस्व की राशि को अधिक तय किया गया था। राजस्व वसूलने वाले अधिकारी कठोर कदम उठाते थे। अच्छी फसल या पैदावार न होने के कारण किसान वर्ग साहूकारों से कर्ज़ लेते थे, न चुकाये जाने के कारण उनके पास जो थोडी ज़मीन होती थी उसे बेचना पड़ता था। किसान वर्ग की भलाई के लिए रैतवारी पद्धति अच्छी है: इसलिए इसे जारी किया गया है, ऐसा अंग्रेजी सरकार का मानना था । किंतु अधिकांश किसान कर्ज़ में डूबे रहते थे यह दुर्भाग्य की बात है।

अंग्रेजों की राजस्व नीति के परिणाम :

1. असली किसानों का शोषण करने वाला नया सामाजिक वर्ग जमीनदारी समुदाय का सृजन हुआ।
2. किसान जमीनदारों से शोषित होकर अनेक तरह की मुसीबतों में फँस गए। धीरे-धीरे वे बेसहारा हो गए।
3. भूमि बिकाऊ वस्तु हो गयी। इसे गिरवी रखकर पैसा कर्ज़ के तौर पर लिया जा सकता था।
4. अनेक जमीनदार भू-राजस्व को भरने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे।
5. कृषि क्षेत्र का वाणिज्यीकरण हो गया था। इंग्लैण्ड में औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आवश्यकता थी। किसानों को उन्हीं कच्चा वस्तुओं की फसल को बोना पड़ता था।
6. पैसों का लेन-देन करने वाले साहूकार शक्तिशाली हो गए।

आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ

भारतीयों की परंपरागत शिक्षा सतत रूप से जारी में थी। मध्यकाल के संदर्भ में मुस्लिम शासन व्यवस्था कायम होने के बाद शिक्षा देते समय परंपरागत तरीकों में कुछ बदलाव हुए। आगे इसी क्रम में जो बदलाव हुए वे बदलाव 18 वीं शताब्दी में नये ब्रिटिश प्रशासन के दौरान हुए। भारत में जो यूरोपीय एवं एंग्लो-इण्ड़ियन समुदाय के बच्चे थे उनके लिए नये स्कूल प्रारंभ हुए। लेकिन इस शिक्षण व्यवस्था से स्थानीय बच्चों को कोई लाभ नहीं

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रचार के लिए उत्तेजना देने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्ज़ थे। 1781 में उन्होंने कलकत्ता मदरसा का प्रारंभ किया था। ज़ोनाथन डंकन नामक अंग्रेज़ व्यक्ति ने 1792 में बनारस में संस्कृत कालेज की शुरुवात की। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के व्यापक विस्तार के लिए पहले बल देने वाले व्यक्ति चार्ल्स ग्रांट थे।

1828 में विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल के तौर पर नियुक्त होने के बाद अंग्रेजी शिक्षाका विस्तार होने के साथ-साथ इसे और अधिक प्रोत्साहन मिला। गवर्नर जनरल की कार्यकारी सभा में लॉर्ड मैकाले को कानून सदस्य के तौर पर बेंटिक नें नियुक्त किया। सार्वजनिक शिक्षा के संदर्भ में इन्हें समिति के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। उनकी योजना का प्रमुख अंश था "भारतीयों के रग-रग में अंग्रेजी के प्रति अभिरुचि, उत्पन्न करना, अच्छे आशय, नीति और बुद्धिमता से इंग्लिश व्यक्ति बनाना"। नये पढ़े-लिखे भारतीय वर्ग की सृष्टि करना भी एक उद्देश्य था। भारत के अध्ययन क्रम में अंग्रेजी भाषा का माध्यम के रूप में उपयोग होना 1830 के दशक के बाद प्रारंभ हुआ।

अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम :

1. भारतवासियों में आधुनिकता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, वैज्ञानिक सोच के साथ राष्ट्रवादी दृष्टिकोणों का विकास संभव हुआ।
2. स्थानीय भाषाओं और साहित्य की रचना करने का प्रोत्साहन मिला। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य लोगों की सोच में एकता की भावना दिखाई देती है।
3. नए-नए समाचार पत्र शुरू हुए और उनका विकास हुआ। विशेष रूप से 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अखबारों में सरकार की नीतियों पर विमर्शा करने के साथ भारतीयों में अंग्रेजी प्रशासन के बारे में विमर्शात्मक सोच का विकास संभव हुआ।
4. नए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए।
5. जे.एस.मिल, रुसो, मान्टेस्क्यू जैसे अनेक विचार वादियों की आलोचना पढ़े-लिखे भारतीयों के आलोचना क्रम में नवीनता लायी।
6. विश्व भर में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा।
7. भारतीयों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का परिचय कराना संभव हुआ।

इस प्रकार भारत में पाश्चात्य शिक्षा की जो शुरुवात हुई उससे साक्षर लोगों की अभिरुचि और आलोचनाओं से नये-नये सकारात्मक सुधार होने लगे।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

संविधानात्मक विकास

भारत में अंग्रेजी प्रशासन के बढने के साथ-साथ समस्याएँ भी बढने लगी। समस्याओं के निवारण के लिए प्रशासन के क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता भी थी। ये सुधार भारतीयों की माँगों के लिए सहायक सिद्ध होनी चाहिए थी। तब अंग्रेजों ने समय-समय पर विविध नियमों को अधिनियम के रूप में जारी करने का प्रयास किया। इस प्रकार अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास के लिए सहायक सिद्ध हुए। इन अधिनियमों में से कुछ अधिनियम के बारे में समझेंगे।

1773 का रेग्युलेटिंग अधिनियम :

1773 में दिवानी हक जारी में आने के बाद अधिकारी वर्ग बेहद लालची होगए और वे अधिकारी अपनी वैयक्तिक संपन्नता बढाने में जुट गए। भ्रष्टाचार बहुत अधिक हो गया था। इंग्लैण्ड की शासन-सभा के सदस्य एड्मंड बर्क ने कहा था वार्षिक रूप से ईस्ट इंड़िया कंपनी से ब्रिटिश सरकार जो टैक्स रूप में धन प्राप्त करता है उसे 'अपराध कर' कहकर घोर निंदा की थी। कंपनी के अधिकारी भारत में जो अनैतिक कारोबार करते हैं उसकी जानकारी होने के बावजूद अंग्रेज सरकार उनके विरूद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती थी। कंपनी के अधिकरियों ने बहुत ज्यादा धन अनैतिक रूप से कमाया था। कमाए गए धनका परिमाण इतना ज्यादा था कि इंग्लैंड की राजनैतिक व्यवस्था संपूर्ण रूप से ड़ाँवाड़ोल हो सकती है; ऐसी लोगों में आतंक की भावना थी। इस परिप्रेक्ष्य में रेग्युलेटिंग अधिनियम 1773 में जारी हुआ ।

अधिनियम के प्रमुख लक्षण :

1. इस अधिनियम के जारी होने से पहले अंग्रेजों के अधीन प्रांतों को तीन रेसिडेन्सियों में बाँटा गया था। उन रेसिड़ेन्सियों के नाम इस प्रकार से है - बंगाल, बंबई और मद्रास। वे अलग-अलग एवं स्वतंत्रता पूर्वक काम करते थे। इस अधिनियम के प्रकार बंगाल की प्रेसिडेन्सियों पर अधिकार मिला।
2. बंगाल के गवर्नर तीन प्रेसिडेन्सियों के गवर्नर बन गए।
3. गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास प्रेसिडेन्सियों को निर्देश देना, नियंत्रण करना और निगरानी रखने का अधिकार इस कानून ने दिया।
4. बंगाल की सरकार अथव इंग्लैण्ड़ की निर्देशक मण्ड़ली (Court of Directors)से पूर्व अनुमति के बिना बंबई और मद्रास सरकार किसी पर युद्ध की घोषण नहीं कर सकती है अथवा शांति समझौता भी नहीं कर सकती है। अत्यंत आपात काल की परिस्थिति में ऐसी शर्तों में छूट थी।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

5. बंबई और मद्रास सरकारें जो निर्णय लेती हैं सभी विषयों को कलकत्ता सरकार को और इंग्लैण्ड़ में जो निर्देशक थे उन्हें बताना जरूरी था।

1784 का पिट्स इण्ड़िया अधिनियम :

1773 का भारतीय अधिनियम में जो बुराइयाँ थी साथ में ब्रिटिश सरकार के अधिकार को और कंपनी सरकार के अधिकार की सीमा को स्पष्ट करना ही इस अधिनियम का उद्देश्य था। इंगलैण्ड की सरकार इस अधिनियम में नई शर्तों को थोपने के साथ कंपनी सरकार को निर्णायक रूप से नियंत्रित करने लगी।

एक और प्रमुख बात यह थी कि 'नियंत्रण मण्ड़ली' (Board of Control) में 6 लोग कमिश्नर के तौर पर काम करते थे; इस नई संस्था की स्थापना की गयी। यहाँ प्रमुख रूप से ध्यान देने की बात यह है कि जो पहले निर्देशन मण्ड़ली (Court of Directors) थी उस की जगह पर नियंत्रण मंड़ली (Board of Control) की स्थापना हुई।

इस मंड़ली को नागरिकों, मिलिटरी,राजस्व के विषय में निर्देशित करना, नियंत्रण करना और निगरानी रखने का अधिकार हासिल किया था। इंग्लैंड में निर्देशक मंड़ली और नियंत्रण मंड़ली (Board of Control) दोनो जारी थी।

"भारतीयों ने अपने सार्वभौमत्व को अंग्रेजी राजसत्ता के नाम पर पाया है किंतु उनका अपना हक नहीं है।" ऐसा वाक्य अधिनियम में कहा गया था। भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों को निर्णायक रूप से रद्द कर दिया। इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के अधीन जो प्रदेश (The British Possessions) था उन्हें इंग्लैण्ड़ की सरकार ही अंतिम सार्वभौम हैं ऐसी घोषणा की थी।"

चार्टर अधिनियम

1793, 1813, 1833 और 1853 ई. में चार्टर अधिनियम जारी में लाया गया था। चार्टर अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत में ईस्ट इण्ड़िया कंपनी के अनुज्ञा पत्र का विस्तार करना। हर 20 साल में एक बार कंपनी के अनुज्ञा पत्र का नवीकरण करने के संदर्भ में इंग्लैंड की सरकार की नवीन नीतियों के इस अधिनियम में शामिल किया गया। इन चार अधिनियमों में 1813 और 1833 के अधिनियम विविध कारणों से महत्वपूर्ण थे।

1813 का चार्टर अधिनियम :

1. इस अधिनियम ने ईस्ट इण्ड़िया को अगले 20 वर्ष तक भारत में रहने का अधिकार दिया। इस अधिनियम के जारी में आने से पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी तक सीमित न रहकर, स्वेच्छा से व्यापार करने वालों को

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

भी दिये जाने के बारे में संघर्ष चला। इस परिप्रेक्ष्य में स्वेच्छा से व्यापार करने वालों को भी अधिनियम में मौका दिया गया। इसके परिणामस्वरूप मुक्त रूप से व्यापार करने का नया दौर शुरू हुआ। (Free track and Lansez faire)

2. अनुमति और अनुज्ञप्ति का नया दौर शुरू हुआ।
3. अब गवर्नर जनरल और सेवा महा प्रमुखों (Commandar in-chief) को निर्देशक मंड़ली को नियुक्त करने का अधिकार मिला।
4. गिरजाघरों को भारत में प्रवेश करने का अधिकृत मौका दिया गया। भारतीयों में नये ज्ञान को फैलाना, उनके नैतिक और धार्मिक जीवन शैली को उठाने की जिम्मेंदारी मिशनरी संस्थाओं को सौंपाजाना चाहिए; ऐसा निर्देश दिया गया। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरियाँ भारत में आने लगी थी। ईसाई धर्म का प्रचार और अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार अधिक हो गया।

1833 का चार्टर अधिनियम

इस अधिनियम के जारी में आने से पहले भारत की संपूर्ण व्यवस्था को और भी अधिक सुधारना चाहिए; यह इस अधिनियम के अनुष्ठान से संबंधित प्रमुख बात थी। ईस्ट इंड़िया कंपनी को फिर एक बार 20 वर्ष का परवानगी दी गई। इस अधिनियम के प्रमुख तथ्य इस प्रकार से हैं -

1. बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामकरण किया गया था।
2. भारत की सभी वस्तुओं (माल) का "निर्देशन करना, नियंत्रण करना और निगरानी रखने" का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला।
3. देशी रियासतों के साथ युद्ध, शांति और राजीतिक संबंधों के सभी विषयों केंद्र सरकार द्वारा ही निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त किया।
4. गवर्नर जनरल की कार्यकारी सभा में बाकी सदस्यों के साथ गवर्नर जनरल को किसी विषय पर एकमत होने पर वह अधिकांश निर्णय को अस्वीकार होने पर उसे लिखित रूप में उत्तर देना पड़ता था।
5. धर्म, वर्ण-भेद, आनुवंशिका के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए ऐसा इस अधिनियम निर्देशित है।
6. गवर्नर जनरल को कार्यकारी सभा के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में एक.व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ा।
7. सभी अंग्रेजों को भारत में आने की खुली छूट (आज्ञा सहित) दी गई।

यह अधिनियम 1830 के दशक के भारत की आंतरिक और इंग्लैण्ड राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालता है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ब्रिटिश (अंग्रेज) सरकार के प्रशासन में लागू हुए अधिनियम (1858-1947)

ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रसासन और भारत विरोधी अधिनियम से सन् 1854 में "सिपाही दंगा" हुआ। इससे कंपनी का प्रशासन ब्रिटेन की रानी को हस्तांतरित हो गया। इस समय लागू हुए प्रमुख अधिनियमों में भारत सरकार के नियम 1858, 1861, 1892,1909,1919, ओर 1935 के अधिनियम थे। भारत में विविध कालों में रचित राजनैतिक विकास की पृष्ठभूमि में बताए गए प्रत्येक अधिनियम के ऐतिहासिक महत्व को जानता आवश्यक है।

भारत सरकार का अधिनियम - 1858 : यह अधिनियम सन् 1857 में सैनिक और नागरिक क्रांति की पृष्ठभूमि में जाता जासकता है। अंग्रेजों का भारत अंग्रेज के सीधे प्रशासन था। 1 नवंबर सन् 1858 को ब्रिटिश रानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसके अनुसार अपने प्रशासन काल में भारत के सभी भागों का विकास किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रमुख अंग थे

1. ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता रद्द कर भारत को रानी के प्रशासन में हस्तांतरित किया गया।
2. गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल कर 'वायसराय' नाम दिया गया। वायसराय के रूप में "लार्ड क्यानिंग" की नियुक्ति हुई।
3. "सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया" नामक स्थान की सृष्टि अंग्रेज सरकार ने की। अंग्रेज मंत्रिमंडल की सदस्यता वाले इस अधिकारी ने भारत के प्रशासन की देखभाल का जिम्मा लिया।
4. इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत मंडली (काउंसिल आँफ इंडिया) अस्तित्व में आयी।

सन् 1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम : यह अधिनियम सन् 1857 की घटना के बाद लाग् होने वाला प्रमुख अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन रचना में स्थान दिया गया। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के प्रति अभिप्राय को जानने के लिए भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसे अंग्रेजी में 'Policy of Association' कहा गया।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश ये हैं :

- वायसराय काउंसिल को अभारतीय अधिकार रहित सदस्य के रुप में नामकरण किया गाया।
- आकस्मिक घटना के संदर्भ में सुमीवाज्ञा रुपी निर्मय के लिए आधिकार गवर्नर जनरल को सौंपा गया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सन् 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम

यह आधिनियम सन् 1861 आधिनियम का अगला भाग था। सन् 1892 का अधिनियम भारतीयों को प्रशासन सभा के प्रतिनिधित्व में और विस्तृत कसे के संबंध में था। कांग्रेस संघटन द्वारा अंग्रेजी प्रभासन के संबंध में लिए गए निर्णय की पृष्ठभूमि में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढाया गया।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश हैं -

- केंद्र और प्रांतीय प्रशासन सभा में अतिरिक्त सदस्यों को संख्या बढायी गयी।
- प्रशासन सथा (लेजिस्लेरिव कांउसिल) के अधिकार बढाकर उनमें बजर संबंधी चर्चा का अधिकार दिया गया।

सन् 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम -

यह आधिनियम 'मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम' कहलाया। क्योंकि लार्ड मिंटो मार्ले भारत के वायसराय रहे। लार्ड मोंल भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (राज्य सचिव) के रूप में कार्यरत थे। अंग्रेजों ने भारतीयों में पूर डालकर शासन करतें की नीति का उपयोग किया।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश ये हैं -

- केंद्र प्रशासन सथा के सदस्यों की संरमा 16 से 60 में बढायी गयी।
- प्रांतों में भी प्रशासन सभा के सदस्यों का स्थान बढ गया।
- प्रथम बार निर्वायिन (चुनाव) द्वारा प्रशासन सभा के लिए चथन का अवसर दिया गया।
- मुसलमानों के लिए अलग से राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाले अलग निर्वाचन मट क्षेत्र की व्यवस्था लाग् हुई।

सन् 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम (1919)

यह आधिनियम मांटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधार अधिनियम भी कहलाता है। प्रथम महायुद्ध (1914-1918) के समय भारतीयों के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भाग लेने के लिए प्रेरित करने की पृष्ठभूमि में यह अधिनियम लागू किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (राज्य सचिव) मांटेग्यू ने ब्रिटेन के संसद मे 20-08-1917 को एक घोषण की, जिसके अनुसार यह अधिनियम लागू हुआ। मांटेग्यू ने भारतीयों के लिए एक एक करके जिम्मेदार सरकार देना ही "अंग्रेज सरकार का उद्देश्य माना और घोषित किया। भारत के वायसराय चेम्सफर्ड ने राजनैतिक सुधार हेतु जोर लगाया। परिणामत: सन् 1919 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ।"

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

इस अधिनियम के प्रमुख अंश ये हैं -

1. • केंद्र में द्विसदन शासकांग की रचना का अवसर दिया गया। उनमें शासकांग सभा (निम्न सदन) और राज्यों को परिपद (उच्च सदन) की रचना हुयी।
2. • प्रांतों में द्विसरकार पद्धति को अवसर दिया गया।
   • भारत में एक हाई कमिशनर की नियुक्ति की गई।
   • स्वशासन युक्त स्थानीय संस्थाओं के विकास हेतु विश्वास दिलाया गया।
   • केंद्र के एजेंट द्वारा प्रांतों के बजट अलग किए गए।
3. • 'अलग निर्वाचन क्षेत्र' की व्यवस्था मुसलमान, सिक्ख, आंग्लों भारतीय और युरोपियों के लिए विस्तृत की गई।

सन् 1935 का भारत सरकार अधिनियम : भारतीय संविधान की रचना में यह अधिनियम बुनियाद रहा है। इस आधिनियम की रचना में मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में तैयार सन् 1928 की रपट (प्रतिवेदन) प्रमुख भूमिका रखता है। संविधान के कई अंश इस अधिनियम के आधार पर रचे गए। यह अधिनियम भारत को पूरी जिम्मेदारी वाले सरकार की रचना का अवसर प्रदान करता है। यह ब्रिटिश भारत के प्रांतो को भाष अंगीकृत न कर देशी संस्थानों को शामिल कर उन अंशों से युक्त है।

इस अधिनियम के प्रमुख अंश ये हैं :

- केंद्रो में ''द्वि सरकार'' स्थापित हुआ।
- ब्रिटिश प्रांत, देशी संस्थान और आश्रित राजाओं सहित अखिल भारत संगठन की रचना का अवसर मिला।
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का अवसर मिला।
- प्रांतों में द्विसरकार पद्धति को रद्द कर प्रांतों को स्वायत्वता दी गई।
- भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना का अवसर दिया गया।

भारतीय संविधान के विकास को इतिहास में देखे जाते पर विविध कालों में होने वाले राजनैतिक विकास भी अधिनियम रचना के समय दिखाई देते हैं। अंग्रेजी उपनिवेश शाही भारत में प्रशासन के समय ही यह अधिनियम लागू हुआ और अंग्रेजों की इच्छा से ये अधिनियम जुडा और भारतीयों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए संघर्ष का फल इस में देखा जा सकता है।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानो की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :-

1. 'दीवानी अदालत नामक नागरिक न्यायालय के स्थापक ________ थे ।
2. सुपरिटेंडेंट ऑफ पोलिस पद के सृष्टिकर्ता _______ थे।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

3. कायम जमींदारी पद्ति को बंगाल और बिहार प्रांतों में सन् _______ में लागू किया गया।
4. अक्लेक्जेंडर रीड द्‌वारा लागू करने वाली कर पद्‌धति _______ थी।
5. आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए प्रोत्साहन देने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी _______ था।
6. रेग्युलेटिंग एक्ट (कानून) सन् _______ में लागू हुआ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा द्वारा दीजिए।

1. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा देश में अंग्रेजों द्वारा जारी न्यायालय व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए।
2. अंग्रेजों के काल में पुलिस व्यवस्था में हुए सुधार कौन कौन से थे?
3. कायम (पक्की) जमींदारी पद्धति ने किसानों को कर्ज में जन्म लेने, कर्ज में जीने और कर्ज में ही मर जाने'' पर मजबूर किया। कैसे? चर्चा कीजिए?
4. रैतवारी पद्‌धति के प्रमुख अंश कौन कौन से थे?
5. अंग्रेजों की कर नीति के परिणाम क्या रहे?
6. अंग्रेजी शिक्षा के परिणामों की सूची बनाइए।
7. 'रेग्युलेटिंग एक्ट' के प्रावधान क्या थे?
8. सन् 1858 के भारत के अधिनियम के प्रमुख देश कौन कौन से हैं?
9. सन् 1935 में भारत सरकार के अधिनियम 'भारतीय संविधान की नींव' का समर्थन कीजिए।
10. सन् 1919 के अधिनियम के प्रमुख अंश क्या हैं?

III. क्रिया कलाप :-

1. अंग्रेजों ने प्रशासन में सुधार द्वारा अपने लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करें।

IV. परियोजना :-

1. शिक्षक की सहायता से इस पाठ में प्रस्तावित अधिनियम के अतिरिक्त अंग्रेजों द्वारा पारित लागू अधिनियमों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।

* * * *

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 4

कर्नाटक में अंग्रेजी प्रशासन का प्रतिरोध

इस अध्याय द्वारा निम्नाँकित अंशो की जानकारी होगी।

- हैदरअली और टीपूसुल्तान
- आंग्लो-मैसूर युद्ध
- दोडियावाघ
- कित्तूर विद्रोह-चेन्नम्मा, संगोल्ली रायण्णा
- अमर सूल्या विद्रोह
- सुरुपुर विद्रोह
- हलगली आखेटक दंगा

वर्तमान कर्नाटक एकीकरण से पूर्व विविध राजनैतिक अधिका शाही में बँट गया था। 18 वीं शती के उत्तराई में अंग्रेजों ने राजनैतिक आधिपत्य जमाने के साथ-साथ व्यापा और कृषि क्षेत्र में लोगों का अपने हित के लिए शोषण करना प्रारंभ किया। इस शोषण से कर्नाटक सहित विविध भागों में अस्थिरता की सृष्टि हुयी। देशी राजा राजनैतिक अस्थिरता का अनुभव करने लगे। इससे कर्नाटक का काफी भाग अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह करने लगा। इस प्रकार प्रारंभ में जमीनदार, संस्थान के राजा आदि लोगों ने बिना किसी एकता के अकेले ही विघटित रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास किया। इसकी पृष्ठभूमि में मैसूर राज्य के राजनैतिक संक्रमण का उपयोग कर हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध दक्षिण भारत में प्रारंभिक रूप से बहुत बडा प्रतिरोध शुरु किया। राजनैतिक रुप से उत्पत्न 1761-1799 के मध्य किया गया इनका प्रयास इतिहास में एक विशेष वर्ष है। इनका प्रयास अंग्रेज विरोधी विद्रोह का प्रारंभिक अस्थायी था।

हैदरअली और टीपू सुल्तान

भारत के इतिहास में 18 वीं शताब्दी राजनैतिक समस्याओं की शती के नाम से प्रचलित है। इसके अनेक कारण हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब की सन् 1707 में मृत्यु इसका प्रमुख कारण है। उसकी मृत्यु से मुगल राजनीति की सार्वभौमिकता कुंठित हुया। इससे दक्षिण भारत में मुगल राजनीति का नियंत्रण छूट गया। कर्नाटक प्रदेश में अधिकार हेतु संघर्ष प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व सन् 1704 में चिक्कदेव राज वडेयर की मृत्यु ने मैसूर के राजनैतिक विकास पर दुष्प्रभाव डाला। इसकी मृत्यु से उत्तराधिकार संबंधी समस्या के साथ-साथ प्रशासन का भी पतन हुआ। इस विकास से उस काल में मैसूर की राजनीति कुंठित हुयी। ऐसी विकट परिस्थिति में पृष्ठभूमि में स्थित मैसूरु तथा कर्नाटक राज्य के प्रदेश में हैदर अली ने राजनैतिक प्रमुखता हासिल की।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

हैदरअली

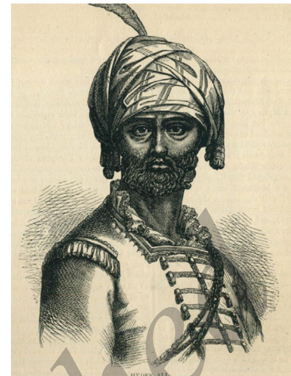

हैदरअली

यह एक सामान्य सैनिक के रूप में मैसूर साज्य में सेवा रत रहा। अपनी बुद्धिमत्ता पूर्ज राजनैतिक व्यवहार से प्रख्यात हुआ। मैसूर के राजनैतिक विकास पर सूक्ष्मता से नजर रखकर इसने देवनहल्ली को कब्जे में कर लिया और आकार्ट के निजाम संबंधी सैनिक कार्रवाई में उच्च स्थान प्रात किया। सैनिकों को अपने विश्वास में लेने में सफल हुआ। शीघ्रही नवाब हैदरअली खान के नाम से ख्यात हुआ। शस्त्रों के उपयोग तथा प्रयोग में प्रख्यात हुआ। इसके अतिरिक्त मुस्तैद सैनिक अभिमान द्वारा दलवाईयों के बल को दबाया और राजा कृष्णराज वडेयर को हटा कर अधिकार पर अपना स्वामित्व स्थापित किया। मराठा, हैदराबाद के निजाम और आर्काट के नवाब अपने राजनैतिक अस्तित्व तथा बाह्य उपलब्धि के लिए संघर्ष में जुटे रहे। ऐसे संक्रमण काल का उपयोग अपने राजनैतिक बल के लिए अंग्रेज तथा फ्रेंच (फ्रांसीसि) कर रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में हैदरअली और टीपू के समय हुए आंग्लो-मैसूरु युद्ध तथा इसके प्रेरक तत्व राजनैतिक विकास के बारे में जानेंगे -

प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध : यह युद्ध 1767 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1769 में समाप्त हुआ। दक्षिण भारत में हैदरअली द्वारा अर्जित राजनैतिक प्रबलता अंग्रेजों तथा हैदराबाद के निजाम तथा मराठों में राजनैतिक असहनीयता उत्पन्न कर चुकी थी। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी साम्राज्य शाहिता में काँटे की तरह चुभ रहे हैदरअली को राजनितिक रूप से मिटाने का जाल बुनना आरंभ किया। मराठों की चढाई से राजनैतिक और आर्थिक हानि का अनुभव कर रहे हैदरअली ने मराठों और निजाम को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया किन्तु विफल रहा।

हैदरअली के विरुद्ध अंग्रेज, मराठे तथा निजाम ने आपसी समझौता कर लिया। परिणामत: त्रिपक्ष मैत्रीदल निर्मित हुआ। किंतु हैदर अली अपनी चालाक राजनैतिक नीति अपना कर अपने विरुद्ध निर्मित मैत्री दल को तोडकर मराठों और निजाम को अंग्रेजों के विरुद्ध खडा करने में सफल हुआ।

इस बीच आर्काट में राजनैतिक समस्याएँ उत्पन्न हुयी। सन् 1767 में हैदरअली और निजाम, ने अंग्रेजों पर निर्भर देशी राज्य अर्काट पर हमला कर कब्जा कर लिया। इससे युद्ध प्रारंभ हो गया। तिरुचिनापल्ली, तिरुवन्नामलै, अंबूरु जैसे स्थानों में युद्ध हुए। इस संदर्भ में हैदरअली ने अकस्मात सैनिक कार्रवाई की। अंग्रेजी सेना ने अनेक स्थानों को अपने वश

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

में कर लिया। हैदर को तत्काल वापस लौटना पडा। मुंबई की अंग्रेज सेना ने प्रबंध किया। हैदर में इस युद्ध को अपने अभिमान का संकेत मानकर कार्रवाई को आगे बढाया। 1769 तक उसकी सेना मद्रास प्रांत पहुँच गयी और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पडे। अनिवार्य रूप से अंग्रेजों ने हैदरअली के साथ चर्चा और संधि द्वारा "मद्रास समझौता" किया। प्रथम आंग्लो-मैसूरु युद्ध 1769में "मद्रास समझौते" पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ।

द्वितीय आंग्लो-मैसूरु युद्ध (1780-1784) : तिरुवांकूर तथा तंजावूर राज्यों में राजनैतिक परिस्थितियाँ इस युद्ध का कारण रहीं। "मद्रास समझौता" दक्षिण भारत में तात्कालिक रुप से राजनैतिक विकास में बाधक रहा। किंतु अंग्रेजों ने "मद्रास समझौते" की शर्तों का उल्लंघन करने का प्रयास किया। मराठे माधवराय के नेतृत्व में सेना को आगे बढाकर श्रीरंगपट्टण की ओर घुस गए तब हैदर ने अंग्रेजों की सहायता चाही। किंतु अंग्रेजों ने इसे अस्वीकार कर मद्रास समझौते के विरुद्ध व्यवहार किया। "माहे" फ्रांसीसियों का उपनिवेश था जो हैदरअली के नियंत्रण में था। अंग्रेजों का माहे को वश में करना ही द्वितीय मैसूर युद्ध का कारण बना।

1780 में द्वितीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के प्रारंभ में हैदर विजयी रहा। कर्नाटक के अनेक दुर्ग किले उसके वश में आ गए। कांचीपुरम, उसके वश में आ गया। वह कोरमंडल तट तक अपनी सेना लेकर बढा। जो मद्रास के अंग्रेज सेनाधिपति के लिए कष्टकारी था। हैदर ने आर्काट पर हमला कर उसे वश में कर लिया। 'सर आयरकूट' के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना तैयार हुयी। इस बीच हैदर ने वेल्लूरू तथा वांडीवाश को धीरे धीरे कब्जा करने के लिए डराया। हैदर की सेना का पीछा सर आयरकूट ने पांडिचेरी तक किया। फ्रांसीसियों ने हैदर की सहायता अंग्रेजों के विरुद्ध करने से मना कर दिया। इससे हैदर ने युद्धगति में परिर्वतन किया। हैदर ने अंगेजों के वश में स्थित प्रदेशों पर हमला कर सेंध लगाकर अपार सम्पत्ति और शस्त्रास्त्र का संग्रह किया।

सन् 1781में पोर्टोनोवे में हुए युद्ध में हैदर पराजित हुआ। इससे युद्ध की गति में परिवर्तन हुआ और अंग्रेजों को संभलने का अवसर मिला। आत्मविश्वास बढा। तत्पश्चात् पुलिकाट और सोलिंगूर के युद्ध में आर्थिक हानि हुयी। इसी समय अंग्रेज सालबाई समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा हैदर की ओर से मराठों और निजाम को अपनी ओर खीचने में सफल हुए। युद्ध के मध्य में हैदरअली सन् 1782 में अस्वस्थता के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके पुत्र टीपू ने युद्ध को आगे वढाया।

टीपू हैदर की मृत्यु के समय मालाबार प्रांत में हो रहे युद्ध में व्यस्त था। टीपू की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने विदनूरू और मंगलूरू को वश में करने की ठानी। तिरुवांकूरु, कल्लीकोटे और मालाबार के अनेक राजाओं को टीपू के विरुद्ध बहकाने का

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

प्रयास किया। इस प्रकार टीपू ने मगलूरू और तटीय प्रदेशों को अपने वश में करने का सही समय मानकर मंगलूरू की ओर आगे बढा और अंग्रेजों की सेना को पराजित किया। अंत में सन् 1784 के 'मंगलूरु समझौते' द्वारा द्वितीय आंग्लो-मैसूरु युद्ध समाप्त हुआ।

टीपू सुल्तान :

टीपू सुल्तान

टीपू सुल्तान अंग्रेजों को लगातार परेशान करने वाला एक मात्र राजा था। अपने पिता हैदरअली की मृत्यु के बाद वह मैसूरु राज्य का अधिपति वना। अपनी कुटिल नीति (कूटनीति) से भारतीय राज्यों पर कब्जा कर रहे अंग्रेजों को उसने घोर शत्रु माना। उन्हें भारत से भगाना अपना प्रथम कर्तव्य समझा। अपने 17 वर्ष के प्रशासन में लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करता रहा। वह अंग्रेजों की क्षमता, तकनीक और कुटिल चाल और चालाकी को भली भाँति समझ गया था। अंग्रेजों को व्यापार में हानि होने पर वह उनकी राजनैतिक स्वामित्व को कुंठित करेगा, इसे वह भलीभाँति जानता था। इसलिए उसने अंग्रेजों का विरोध करने वालो को संघटित करने तथा उनकी सहायता पाने का प्रयास किया। उन्हें व्यापार में लाभ न प्राप्त हो इसका ध्यान रखते हुए व्यापार पर उनके द्वारा स्थापित एक स्वामित्व को मिटाने का प्रयास किया। ये सब टीपू के विरुद्ध और भी द्वेष भावना बढाने में अंग्रेजों के लिए सहायक रहा।

आपको ज्ञात रहे -

18वीं शताब्दी में अंग्रेजी प्रशासन को विस्तार को रोकने के लिए हैदरअली और टीपू सुल्तान के प्रयासों के कारण ये भिन्न लगते हैं। इन्हें ज्ञात था कि यूरोपीयों को सांप्रदायिक शस्त्रास्त्र द्वारा हराया जा सकता है। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने सेना को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। यूरोपीय सेना के समान अनुशासन बद्ध कवायद करने और बंदूक उपयोग करने वाले दल मैसूरु की सेना में थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने भारत में प्रथम बार राकेट का उपयोग युद्ध में किया। सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन्होंने जाना कि खाली राज्य का अंग्रेजों के हाथ में होना उनके आक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है। हैदरअली के सामने कर्नाटक प्रदेश के नवाब दिवालिया हो गए थे। इससे हैदर अली और टीपू सुल्तान ने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक नीति नियम बनाए। चंदन और तंबाकू तथा अन्य पदार्थों को राज्य के एकस्वामित्व के अधीन किया। फ्रेंच तकनीकी ज्ञानियों को आह्वानित कर मैसूर में संप्रदायिक हथकरधा वस्तुओं के स्तर को बढाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर विकास करना इनकी योजना थी।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध : इस युद्ध का सीधा कारण - तिरुवांकरू राजनीति से संबंधित है। उस राज्य के राजा ने पडोसी कोच्ची संस्थान में अंग्रेजों की सहायता से दुर्ग बनवाया और डच से आयकोटा और कागनूरु दुर्ग प्राप्त दिया। यह मंगलूरु समझौते का उल्लंघन था।

अंग्रेज जनरल मेंडोस के नेतृत्व में कारवार, कोयमत्तूरु, दिंडिगल, आदि को वश में कर लिया। इसके विरुद्ध टीपू ने बारामहल प्रान्त पहुँचकर सत्यमंगला को अपने वश में किया। तिरुचनापल्ली पहुँचकर उसे अपने वश में कर सैनिक कार्यवाही की। फिर भी यह फलदायक न रहा। इस समय लार्ड कार्नवालिस ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। इसने युद्ध की गति बदल दी।

अंग्रेजी सेना ने लार्ड कार्नवालिस के नेतृत्व में कोलार और होसकोटे को वश में किया। और बेंगलूरू की ओर आगे बढी। बेंगलूरु को वश में कर किले को नष्ट कर दिया। बेंगलूरु को वश में कर कर्नावालिस ने टीपू को समाप्त करने के लिए निजाम और मराठों से सहायता माँगी। निजाम और मराठों की संगठित सेना ने अंग्रेजों के साथ मिलकर युद्ध किया। मराठों ने सवणूरु, गजेंद्रगढ, लक्षेश्वर, हुब्बल्ली आदि को वश में कर लिया।

सन् 1792 में संघटित सेना ने एक एक कर किलों को वश में करलिया। और श्रीरंगपट्टण की ओर बढी। रात के समय किले को नष्ट कर दिया। इससे विचलित होकर टीपू ने अंग्रेजों के साथ समझौता करने की ठान ली। यह उसके लिए अनिवार्य भी था। सन् 1792 में असमान शर्तों वाले 'श्रीरंगपट्टण समझौते' पर टीपू ने हस्ताक्षर कर युद्द पर रोक लगायी। इस समझौते से तृतीय अंग्लो-मैसूरु युद्ध का अंत हुआ।

टीपू को हराने के लिए अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टण समझौते में असमान शर्तें रखीं। ये शर्तें थी टीपू अपने आधे राज्य को छोड देगा, तीन करोड रुपए युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के रूप में देना, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के जमानत के रूप में अपने दोनों पुत्रों को देना, और युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों की रिहाई।

इससे श्रीरंगपट्टण से अंग्रेजों के नेतृत्व में संघटित सेना पीछे हटी।

चतुर्थ आंग्लो-मैसूरु युद्ध : टीपू ने तृतीय आंग्लो मैसूरु युद्ध में वैयक्तिक रूप से हार स्वीकार कर इसे एक प्रमुख युद्ध माना। समझौते के अनुरुप अंग्रेजों के नेतृत्व में मित्रसंबंध के लिए दिये जाने वाले भूप्रदेशों और धन को बिना रुके चुका कर टीपू ने जमानत के तौरपर दिए अपने दोनों पुत्रों को वापस छुडा लिया। टीपू ने अंग्रेजों को ईमानदारी से अपने अधिकार का तर्क दिया किंतु अंग्रेजों ने इसे पुष्टि न दी।

लार्ड वेलेस्ली सन् 1798 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ। टीपू के विरोधी राजनैतिक क्रियाकलाप इसकी अवधि में काफी तेज हो गए। भारतीय राजाओं के साथ टीपू के संबंध जो अपनी ओर मिलाने के लिए थे तथा अपने शत्रु फ्रांसीसियों तथा

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

के साथ टीपू का संबंध वेलेस्लीतथा टीपू के विचारों में और भी द्वेष को बढ़ावा देने लगा। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की सहायता पाने के लिए अपने राजदूत को भेजा। यह अंग्रेजो के लिए असहनीय रहा। टीपू और फ्रांसीसियों के बीच का स्नेह आगे चलकर अंग्रेजों के आधिपत्य में बाधक होने की आशंका पनपने का कारण बना।

नयी शर्तों वाले एक समझौते को टीपू पर जबरदस्ती लादा गया। किंतु टीपू ने अम ानवीय और असमान शर्तों वाले इस समझौते को अस्वीकार किया। यही चतुर्थ आंग्लों मैसूरु युद्ध का प्रारंभ था।

सन् 1799 में युद्ध आरंभ हुआ। अभेद्य किले को अंग्रेजों ने भेद दिया। दोनों सेनाएँ बडी वीरता से लडी। टीपू अपनी सेना को प्रोत्सहित करते हुए, संघर्ष करते हुए सन् 1799 में मारा गया।

इसकी मृत्यु अंग्रेजों के लिए सम्पूर्ण भारत को ही अपने वश में करने का आनंद था। तत्पश्यात् अंग्रेजों ने इसके वश में स्थित भौगोलिक प्रदेशों को मराठों और निजाम के साथ बँटवारा कर लिया। एक छोटा भौगोलिक प्रदेश मैसूर के वडेयर राजवंश के एक प्रतिनिधि को स्थानांतरित हुआ। यह प्रदेश बाद में मैसूरु संस्थान के नाम से जाना गया।

टीपू के बाद मैसूरु

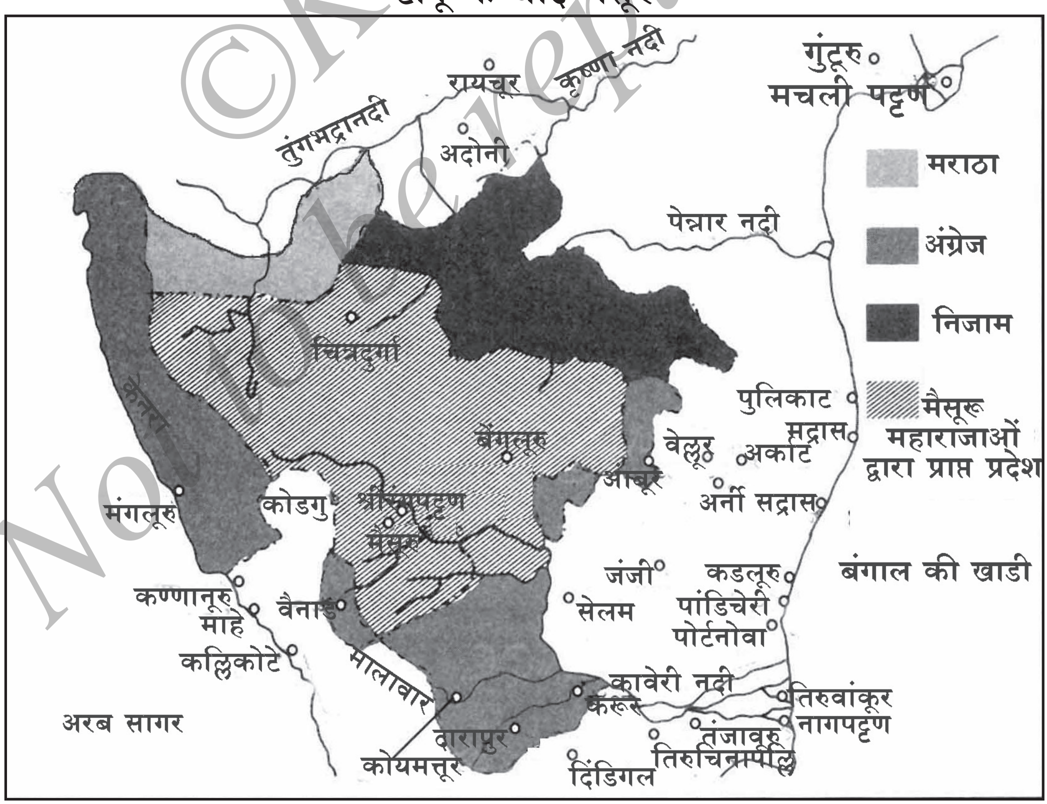

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

दोंडिया वाघ (सन् 1800)

आधुनिक कर्नाटक के इतिहास में टीपू के बाद विशेष रूप से 10 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध प्रकाश में आए विद्रोह तथा हडताल प्रमख स्थान रखते हैं। ये सशस्त्र विद्रोह था। इस सशस्त्र विद्रोह में दोंडिया वाघ के नेतृत्व में हुए समस्य दंगे प्रमुख थे।

दोंडिया का जन्म मराठा परिवार में हुआ था। उसके शौर्य पराक्रम से लोग उसे वाघ कहने लगे। मराठी में वाघ की अर्थ है बाघ यह सन् 1789 के लगभग मैसूरु के हैदरअली की सेना में एक अश्वारोही सैनिक के रूप में दाखिल होकर बाद में सेनानायक बना। अपनी निजी सेना तैयार करके टीपू की सेना में सेवा रत रहा। उसके साथ मनमुटाव के कारण कारागृह जाना पडा। चतुर्थ आंग्लो मैसूरु युद्ध के समय श्रीरंगपट्टण के पतन के बाद अंग्रेजों ने इसे कारागृह से मुक्त किया। तत्पश्चात इसने एक सेना को संघटित कर सैनिक कार्रवाई (अभियान) प्रारंभ की।

उसकी सेना बडी नहीं थी। उसने टीपू की सेना में स्थित अतृप्त सैनिकों, अधिकार छिन गए सेनापतियों आदि को संघटित कर एक सेना का सृजन किया और विद्रोह का झंडा फहरया। शिवमोग्ग और विदनूर के किलों को वश में कर लिया। चित्रदुर्गा के दुर्ग (किले) के वश में करने का विफल प्रयास किया। गवर्नर जनरल लार्ड वेलेस्ली ने विद्रोह का दमन प्रारंभ किया।

दोंडिया के नियंत्रण में स्थित शिवमोग्गा, होन्नाली, हरिहर आदि पर आक्रमण दिया। दोंडिया ने अपना स्थान खो दिया। अंग्रेजों ने शिवपुरा को वश में किया और दोंडिया निजाम के वश में स्थित गुत्ती स्थान की ओर पलायन कर गया। तब निजाम गुत्ती पहुँचा तो दोंडिया को मराठा प्रदेश की ओर भागना पडा। मराठा सेना ने उसे हराकर उसके शस्त्रात्रों, ऊँट तथा हाथियों को वश में कर लिया। और दोंडिया ने अपना संघर्ष जारी रखा।

अनेक अतृप्त सेनापतियों ने दोंडिया को प्रोत्साहित किया। मालाबार के माहे में स्थित फ्रांसीसियों ने इसकी सहायता की। हरिहर, चित्रदुर्गा, शिकारीपुरा, सवणूरु, राणेबेन्नूरु, कित्तूरु तथा लोंडा जैसे विशाल भौगोलिक प्रदेशों में अंग्रेजी सेना ने उसका पीछा किया। शिरहट्टी को अपनी सुपुर्दगी में लेकर अंग्रेजी सेना ने दोंडिया की सेना के अनेक सैनिको को मार डाला।

दोंडिया वाघ का अंत : लाई वेलेस्ली ने उसका अंत करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने देशी संस्थानों के राजाओं से सहायता माँगी। शिकारी पुरा के किले पर पुनः विजय प्राप्त कर दोंडिया की सेना को अंग्रेजी सेना ने तितर-बितर कर दिया। तुंगभद्रा और मलप्रभा नदियों के बीच के विशाल भूप्रदेश में निर्भय होकर संथार करने वाले दोंडिया की सेना को

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

हराने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। सभी दिशाओं से उसे अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। रायचूर से चले दोंडिया का पीछा किया गया। निजाम और मराठों की सेना के बीच फँसे दोंडिया के नेतृत्व में रही सेना पर अंग्रेजों ने यापलपेरवि नामक स्थान पर कार्यवाही कर कोनगल नामक स्थान में उसकी हत्या कर दी।

अपने नेता की हत्या के बाद शेष सैनिक बितर-तितर हो गए। विद्रोहियों से अपार मात्रा में बंदूक की गोली, कारतूस और शस्त्रास्त्रों को अंग्रेजों ने अपने वश में कर लिया।

कित्तूर का विद्रोह - वीररानी चेन्नम्मा (1824)

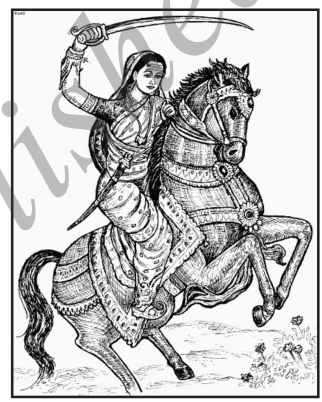
चेन्नम्मा

अंग्रेजों ने अपने प्रशासन के विरुद्ध रहे हैदरअली टीपू और मराठों के बलशाली प्रतिरोधकों को हिलाकर अपने अधिकार का समेंकन करने के लिए कुछ कानून लागू किए। उनमें गोद लिए बच्चों का अधिकार न होना भी एक था इस कानून के विरुद्ध संघटित सशस्त्र विद्रोहों में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का संघर्ष ख्याति पाया।

कित्तूर बेलगाँव तथा धारवाड जिलों के बीच स्थित शहर कित्तूरु संस्थान के मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद चेन्नम्मा कित्तूर के प्रशासन व्यवहार में अधिक रूचि लेने लगी। उसकी मृत्यु के बाद इसके बडे पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज ने कित्तूर का प्रशासन अपने हाथ में लिया। किंतु उसकी शारीरिक परिस्थितियों के कारण वास्तविक प्रशासन अधिकारी के रूप में चेन्नम्मा को जिम्मेदारी उठानी पडी। शिवलिंगरुद्रसर्ज ने मराठों से युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। इससे अंग्रेज ने वह संस्थान वंशपरंपरागत रूप से देकर बदले ये वार्षिक लगान (कर) लेना शुरु किया। यह समझौता थॉयस मनरो के काल में हुआ।

शिवलिंगरुद्रसर्ज की मृत्यु के बाद शिवलिंगप्पा नामक लडके को गोद लेकर चेन्नम्मा ने प्रशासन चलाना प्रारंभ किया। उस समय थ्याकरे धारवाड कलेक्टर और राजनैतिक एजेंट था। उसने बाम्बे के गवर्नर को गोद लेने के बारे में रिपोर्ट देकर गोद लेने के अधिकार को वंचित कर कित्तूर के प्रशासन को अपने वश में करने का प्रयास किया। कित्तूर का खजाना, किला (दुर्ग) आदि अपने वश में कर लिया। चेन्नम्मा ने थ्याकरे के इस प्रयास को विफल करने के लिए युद्ध की अनिवार्यता जाहिर की। अंग्रेजों ने अपनी सेना को सज्जित किया। कित्तूर की सेना ने अंग्रेजी सेना पर हमला किया। इस हमले में थ्याकरे बंदूक की गोली का शिकार हुआ। अनेक अंग्रेजी सैनिकों को कारागृह में डाला गया।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कित्तूर को अपने वश में करने के दृढ निश्चय से अंग्रेजों ने और तैयारी के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल डीक के नेतृत्व में अपनी सेना लेकर पुनः कित्तूर का हमला किया। सैनिकों ने वीरता पूर्ण युद्ध किया। अंग्रेजी सेना से बचकर भागी चेन्नम्मा को बंदी बनाया गया। कित्तूर अंग्रेजों के वश में आ गया। चेन्नम्मा तथा अन्य साथियों को बैलहोंगला दुर्ग के कारागृह में डाल दिया गया। चेन्नम्मा की मृत्यु हो गयी। आज भी वह राज्य के लिए आदर्श महिला है।

संगोल्ली रायण्णा (1829-30)

संगोल्ली रायण्णा

कित्तूर की चेन्नम्मा के साथ संगोल्ली के रायण्णा का नाम अजर अमर और आदर्श रूप है। रायण्णा वीर योद्धा था। इसने कित्तूर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना अपना कर्तव्य समझा। उसके खानदान में परंपरा से ही सैनिक रूप में सेवा की गई थी। रायण्णा कित्तूर के युद्ध में चेन्नम्मा के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष रत रहा। युद्ध में बंदी हुआ और बाद में कारागृह से मुक्त हुआ।

इसके बारे में मौखिक आकर भी उपलब्ध है। इसने सैनिकों को संघटित करते हुए उनमें स्वतंत्रता संबंधी गौरव पनपाया। भौगोलिक रूप से सीमित भागों में गुप्त सभा बुलाकर अपनी अगली योजनाएँ निरुपित कीं। तात्कालिक उद्देश्य अंग्रेजी प्रशासन के प्रमुख अंग तालुक, कार्यालय और कोष को लूटना था। पहले नंदगढ और खानापुर तत्पश्चात् संपगावी उसके कार्यकलाप का प्रमुख स्थल बना। उसकी सेना लगभग 500 थी। अंग्रेजी सेना की सहायता कर रहे गाँव के लोग उसके क्रोध का ग्रास बने। अंग्रेज समझ रहे थे कि रायण्णा रानी चेन्नम्मा के उकसाने पर सैनिक कार्यवाही कर रहा है। इस प्रकार चेन्नम्मा को उन्होंने बेंलहोंगल से कुसुगल्ली के कारागृह में स्थानांतरित किया।

रायण्णा को बंदी बनाने के लिए अंग्रेजों ने एक योजना बनायी। कित्तूर की चेन्नम्मा की विरोध करने वाले देसायी लोगों को उक्साया। हवलदार कृष्णराय ने इस योजना में अपना हाथ बँटाया। इस योजना के शिकार हुए रायण्णा को अंग्रेजी सेना बंदी बनाकर धारवाड ले आयी। उसके बंदी होने के बाद उसकी सेना भी शरणागत हो गयी। सन् 1813 में उसे मुख्य अपराधी घोषित कर फाँसी पर चढा दिया गया। उसके अनेक अनुयायी आजीवन सजा भुगतकर सीमा पार कर दिए गए। संग्गोल्ली रायण्णा के जीवन और देशप्रेम को उस प्रदेश के लावणी लोगों ने आज भी सजीव रखा है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अमर सूल्या विद्रोह

यह मूलतः कृषकों का विद्रोह था। इसकी पृष्ठभूमि सन् 1835-37 में तटीय प्रदेश तथा कोडगु प्रांत में प्रारंभ विद्रोह के समय से ही देखी जा सकती है। कोडगु में प्रशासन चला रहे हालेरी राजवंश के चिक्कवीरराजेंद्र को अंग्रेजों ने सन् 1834 में पदच्युत कर दिया और बेंगलूर से काशी को भेज दिया उनकी पदच्चुति से कोडगु में राजनैतिक असमाधान की सृष्टि हुयी। इसलिये में कोडगु में स्वामी अपरंपरा, कल्याण स्वामी तथा पुट्टबसप्पा ने सशस्त्र विद्रोह का संघटन किया। इन तीनों ने स्वयं को पदच्युत राजा की वंश परम्परा का सदस्य कहा। स्वामी अपरांपरा विद्रोह के नेता रहे। सन् 1835 में अंग्रेजों ने इसे बंदी बना कर बेंगलूरु भेज दिया। कल्याण स्वामी को सन् 1837 में बंदी बनाया गया। उसे मैसूरु के कारागृह में रखा गया।

पुट्टबसप्पा : निम्नकोडगू के लोग कल्याण स्वामी के निधन के बाद के विद्रोह को जारी रखा। केनरा प्रांत के सूल्या, बेल्लारे तथा पुत्तूरु आदि स्थान 'अमर सूल्या' विद्रोह के केंद्रीय स्थान रहे। सूल्या के एक किसान ने कोडगू के शनिवार संते के पुट्टबसप्पा नामक किसान को कल्याणस्वामी के रूप में चुना इसने स्वयं को 'स्वामी अपरांपरा' कहा जो अपने आप में रोचक ही नहीं था। इसने विद्रोह की तीव्रता को गति दी। शीघ्र ही इसने विद्रोह का नेतृत्व किया।

यह विद्रोह घाट के प्रदेशों में प्रारंभ हुआ। पुट्टबसप्पा ने विद्रोहियों से संघटित कर उन्हें खुश किया। विद्रोहियों की सरकार की स्थापना के बाद तंबाकू और नमक पर लगा कर रद्द करने की घोषण हुयी। अमीर कृषकों, व्यवस्थापकों, जमीनदारों को आश्वासान दिया गया। बेल्लारे में स्थित सरकारी कार्यालय को वश में कर सरकारी अधिकारियों को बंदी बनाना ही विद्रोहियों का पहला कदम था। सूल्या और आसपास सामान्य जनता को तंगकर रहे एक हवलदार की हत्याकर पुट्ट बसप्पा की जनप्रियता और बढ गयी। इससे विद्रोह का व्यापक प्रचार और प्रोत्साहन मिला।

संघर्षकारियों ने पुत्तूरू में अंग्रेजी सेना का सामना किया। इनका उद्देश्य मंगलूरु को वश में करना होने के कारण अंग्रेजों ने मंगलूरु को सुरक्षित करने का भरसक प्रयास किया। पुत्तूरु से मंगलूरु की ओर बढकर उन्होंने पाणिमंगलूरु और बंटवाल में कार्यवाही प्रारंभ की। बंटवाल के जेल (कारागृह) तथा खजाने को लूटा।

इसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने कण्णानूरु, तल्लेचेरी और बाँम्बे की सेना की अपेक्षा की। इसे समझकर पुट्टबसप्पा और उसके मित्र सूल्या को पलायन कर गए। अंग्रेजी सेन कोडगु में स्थानीय सहायता से उसे और उसके सहचरों को पकड लिया। पकडे गए पुट्बसप्पा, लक्ष्मप्पा, बंगरस, केंदबाडी, रामय्यगौडा तथा गुड्डेमने अप्पय्या को फाँसी दी गयी। विद्रोह विफल रहा, किंतु समकालीन रूप से प्रमुख रहा ओर उसे अंग्रेज विरोधी माना जा सकता है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सुरपुर तथा कोप्पल का विद्रोह -

सुरपुर

सुरपुर वर्तमान यादगिरि जिले के केंद्र से लगभग 50 कि.मी. दूरी पर है। मुगल साम्राट औरंगजेब के काल से यह प्रमुखता प्राप्त स्थान है। निजाम और मराठों के पेशवा काल में यह एक सामान्त राज्य के रूप में उभरा। कालांतर में भौगोलिक प्रदेशो पर अधिकार कम हुआ और केवल सीमित भौगोलिक प्रदेश पर अपने राजनैतिक साम्यता प्राप्त कर सका। वेंकटप्पा नायक के काल में सुरपुर में अंग्रेज विरोधी विद्रोह की आग भडकी।

वेंकटप्पा नायक : अपने पिता कृष्णप्पानायक की मृत्यु के बाद इसे शासन मिला। सन् 1834 में जन्म लेकर छोटी आयु में प्रशासन सँभाला। किंतु कृष्णप्पानायक के भाई पेद्दनायक के माँग (तकाजा) करने पर सुरपुर के आंतरिक राजनैतिक क्रिया कलाप ठंडा पड गया। अंग्रेजों में इसयें रुचि दिखाई। सन् 1842 में अंग्रेजों ने मेंडोस टेलर नामक राजनैतिक एजेंट का नियुम्त कर संरचान पर अपना परोक्ष अधिकार स्थापित किया।

टेलर सुधार वादी भी था। सुरपुर संस्थान का विकास किया। पेद्दनायक को संस्थान का दीवान निगुकन किया। पूरे संस्थान की भू-समीक्षा करवाई। संस्थान की आय बढाने के लिए इसकी अपनाई गई नीतियां ही कारण थी। वेंकटप्पा नायक को अथित शिक्षा दिलाने को व्यवस्था की। सन् 1853में वेंकटप्पा नायक अधिकार में आया।

सुरपुर विद्रोह : अंग्रेजी सरकार सुरपुर के विकास का सूक्ष्मता से अवलोकन कर रही थी। सन् 1857 में प्रारंभिक संघर्ष में नाना साहेब के प्रतिनिधियों का सुरपुर में होने की हवा चली। इससे अंग्रेजों ने राजा को शंका से देखा। राजा के काल में प्रशासन संबंधी रिपोर्ट देने के लिए अंग्रेज सरकार ने कैंपबेल नामक अधिकारी को नियुक्त किया था। इसने राजा के प्रशासन में दुर्व्यवहार में निरत होने को रिपोर्ट हैदराबाद के रेसिडेंट को दे दी।

वेंकटप्पा नायक सामान्यत: कर्नाटक के इतिहास में सन् 1857 की क्रांति के नायक के रूप में इतिहासकारों द्वारा वर्णित है। सन् 1858में अंग्रेजी सेना ने सुरपुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध चालू रहा। अंग्रेजों ने सुरपुर के दुर्ग को अपने वश में कर लिया। हैदराबाद को पलायित राजा ने निजाम और रेसिडेंट से क्षमायाचना की। इस प्रकार उसके अपराधी होने का निर्णय लेकर अंग्रेजों ने उसे सिकंदराबाद के काराग्रह में डाल दिया।

कोप्पल के वीरप्पा : अंग्रेज विरोधी आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह तथा दंगों में कोप्पल का दंगा (विद्रोह) प्रमुख था। कोप्पल तथा निकट भौगोलिक प्रदेश में हैदराबाद के निजाम के प्रशासन के नियंत्रण में होने पर भी उदंडता दिखाई दे रही थी। इस प्रकार कोप्पल के कुछ जमीनदार अनिवार्य रूप से विद्रोही हो गए। इस प्रकार विरोध करने वालों ने वीरप्पा का नाम प्रमुख है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

वीरप्पा जमीनदार था। विद्रोह कर कोप्पल तथा निकट के किले को अपने वश में कर लिया। वीरप्पा ने इस रहस्य को समझकर अनेक कृषकों और जमीनदारों को अपने साथ लिया। निजाम से संपर्क कर अंग्रेजों ने वीरप्पा के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को नियोजित किया। कम सैनिकों की सेना सहित वीरप्पा ने निरंतर संघर्ष किया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अंग्रेजों ने कोप्पल के दुर्ग को अपने वश में कर लिया। इस विद्रोह का प्रभाव कम समय तक था फिर भी उसका नेतृत्व करने वाला नायक वीरप्पा एक समर्थ सशस्त्र संघर्ष कर्ता था।

हलगली के आखेटकों का विद्रोह

बागलकोटे जिले के मुदोल तालुक में हलगली नामक एक छोटा गाँव हैं। पहले यह मुदोल संस्थान के शासन में आता था। सन् 1857 के विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेजों ने अपने प्रशासन प्रदेश में शास्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाकर कानून लागू किया। यह हलगली पर भी लागू था । हलगली के आखेटक पूर्वजों के काल से शिकार (आखेट) के उद्देश्य से मुक्त् रूप से उपयोग कर रहे बंदूकों को अंग्रेजों को देने के लिए तैयार न थे। आखेटक अपने परंपरागत अधिकार को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खडे हुए। उस संघर्ष में हलगली के आसपास के प्रदेश मँटूरु, बोदानी, आलगुडी के आखेटक हलगली के अखेटकों के साथ हो लिये। इनके विद्रोह को दबाने के लिए नवंबर में अंग्रेजों की सेना हलगली गाँव पहुँची। विद्रोही आखेटकों को अंग्रेजों ने बेरहमी से दबाया। विद्रोहियों को फांसी देकर इस विद्रोह का अंत किया।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. निम्नांकित वाक्यों में रिक्त स्थान पर उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए :-

1. प्रथम आंग्लो - मैसूर युद्ध ________ और _______ के मध्य हुआ।
2. द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध _______ समझौते के साथ समाप्त हुआ।
3. कित्तूरु चेन्नम्मा ने _______ नामक लडके को गोद लिया था।
4. कित्तूरु चेन्नम्मा के संस्थान के रायण्णा का शहर _______ था।
5. सुरपुर वर्तमान के _______ जिले में है।
6. वर्तमान बागलकोटे जिले को _______ आखेटकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरु कर दिया।
7. अमर सूल्या विद्रोह मूलतः _______ विद्रोह था।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

II. निम्नलिखि प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा करने दीजिए।

1. हैदर अली किस प्रकार अधिकार क्षेत्र में आया?
2. द्वितीय आंग्लो मैसूरु युद्ध के परिणाम क्या थे?
3. श्रीरंगपट्टण समझौते की शर्तें क्या थीं?
4. चतुर्थ आंग्लो मैसूरु युद्ध ने अंग्रेजों को मैसूरु प्रांत में सुदृढ बनाया। विवरण दीजिए।
5. दोंडिया वाघ के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष क्रम का विश्लेषण कीजिए।
6. संगोल्ली रायण्णा के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष का क्रम विश्लेषित कीजिए।
7. स्वंतत्रता संग्राम में कोडगु प्रांत से पुट्टबसप्पा के प्रताप का विवरण दीजिए।
8. सुरपुर के विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

III. क्रिया कलाप :-

1. संगोल्ली रायण्णा सबंधी पुस्तकें पढिए ।
2. कित्तूर चेन्नम्मा संबंधी और अधिक जानकारी संग्रह कीजिए।

III. परियोजना :-

1. शैक्षिक प्रवास पर जाकर सुरपुर के किले को देखें और वहाँ के अंग्रेजों के काल के अतिथि गृह की विशेषता पर ध्यान दे।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 5

सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन

इस अध्याय में निम्नाँकित अंशो की जानकारी होगी।

- ब्रह्म समाज की स्थापना और सुधार
- आर्य समाज की स्थापना और सुधार
- सत्यशोधक समाज का प्रतिपादन
- रामकृष्ण मिशन वन प्रतिपादन
- नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम्
- युवा बंगाली आंदोलन
- प्रार्थना समाज के सुधार
- अलीगढ आंदोलन
- थियोसोफिकल सोसाइटी
- पेरियार

©KTBS Not to be republished

मानवीय मूल्यों से दूर होकर ऊँच-नीच के भेद-भाव से युक्त सामाजिक व्यवस्था को बदल कर मूढता पूर्ण सम समाज की ओर जाने का प्रयास ही समाज सुधार है। प्रति व्यक्ति की मर्यादा पूर्ण उन्नत्ति का प्रसार ही समाज सुधार का मूलभूत तत्व है।

19वी शताब्दी को भारत के इतिहास में सामाजिक सुधार का काल तथा भारतीय नवोदय काल कहा गया है। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के बाद भारतीय अंग्रेजी विद्वानों का एक वर्ग उदित हुआ। प्रजाप्रभुत्व, राष्ट्रीयता, समानता आदि यूरोपीय परिकल्पनाएँ भारतीय समाज को परिचित होने लगी। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त अनेक भारतीय अपने समाज का विश्लेषण करने लगे। साथही अंग्रेजो ने भी समाज सुधार में अपनी रुचि प्रदार्शित की। स्वयं को नागरिक कह कर स्वयं को यहाँ भारतीयों को नागरिक बनाने में श्वेतों पर भार सिद्धांत को प्रचुर किया। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि में अंग्रेजों में अपनी अर्थिक और राजनैतिक हितों को बचाने की योजना थी। अनेक भारतीयों ने अपनी परंपरा को नए दृष्टिकोण से देखना शुरु किया। भारतीयता नामक नयी अस्मिता पनपी।

भारतीय समाज में महिला और शूद्र, शूद्राती समुदाय अनेक अधिकारों से वंचित थे। इसके विरुद्ध विविध कालों में अनेक आंदोलन हुए। प्राचीन और मध्यकालीन आंदोलनों से भिन्न सुधार आंदोलन अंग्रेजी उपनिवेशशाही काल में उत्पन्न हुए। जाति पद्धति, लिंग असमानता, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निर्वंध पद्धति, शूद्र और शूद्रों में शूद्र शिक्षा से जो वंचित थे, इन समस्याओं को लेकर इसके सुधार संघर्ष की रचना की। राजा राममोहनराय, दयानंद सरस्वती, रानाडे, ज्योतिवाफुले, स्वामी विवेकानंद, एनिबेसेंट, सर सय्यद अहयद खान, पेरियार, नारायण गुरु आदि महान लोगों ने सुधार सँघर्ष में स्वयं को लगाया। इस समय के सुधार की प्रमुख विशेषताएँ समाज की हानिकारक पद्धतियों को कानून की सहायता से निषिद्ध करने का प्रयास था।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ब्रह्म समाज

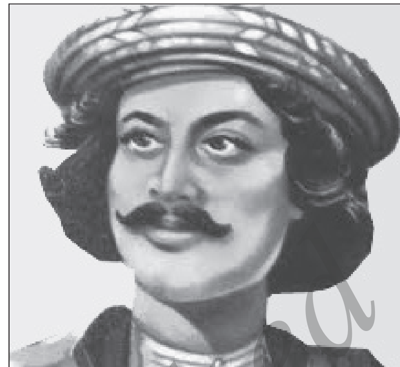

राजा राम मोहन राय

आधुनिक काल में भारतीय समाज सुधार का प्रारंभ करने वाले राजा राममोहन राय (1774-1833) थे। इन्होंने संस्कृत साहित्य, हिंदू तत्व मीमांसा, कुरान, फारसी और अरेबिक साहित्य प्रकारों में पांडित्य पा लिया था। इसके अतिरिक्त भारत के अन्य धर्मों की तात्विक जिज्ञासा का अध्ययन किया। अपने ज्ञान तथा सुधार की व्यास का प्रमाण बाइबल को पूर्णतः समझने के लिए हिब्रू और ग्रीक भाषा सीखी।

इन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में 'आत्मीय सभा' प्रारंभ की। इस सभा का प्रमुख आशय धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को बँगाल के समाज से मिटाना था। सन् 1828 में 'ब्रह्म समाज' का प्रारंभ किया। जाति पद्धति और अंधविश्वासों से हिंदू धर्म को शुद्ध करना इनका प्रमुख ध्येय रहा। राजा राममोहनराय और अन्य ब्रह्मसमाज वादियों ने उपनिषदों में दिएगए तात्विक नींव (आधार) पर हिंदू समाज के पुनर्निमाण का प्रयास किया। इनके प्रयास के फलस्वरूप तथा उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंक की सहायता से सन् 1829 में सती प्रथा के चलन का कानूनतः निषेध किया गया। पत्रकारिता उद्योग द्वारा लोगों में वैचारिकता का विकास करने का प्रयास किया। बंगाली भाषा में 'संवाद कौमुदी' नामक पत्रिका का प्रारंभ किया।

©KTBS Not to be republished

ब्रह्म समाज के प्रमुख अंश थे -

1. एक देवता की आराधना का प्रतिपादन किया।
2. अर्थहीन आचरण का विरोध किया।
3. प्रत्येक व्यक्ति को मर्यादापूर्ण जीना चाहिए और किसी भी नियम और आचरण से इसे नुकसान न पहुँचे, यही इनका दृढन्श्चिय था।
4. बहुपत्नीत्व पद्धति का विरोध करतेहुए स्त्रियों को समानता का अधिकार दिलाना ही ब्रह्मसमाज का आशय था। विशेष कर विधवाओं की खराब स्थिति को दूर करने के लिए उन्हें सम्पत्ति (जायदाद) में हिस्सा होने का प्रतिपादन किया। ब्रह्मसमाज ने बाल विवाह का विरोध किया।
5. ''अच्छाई जहाँ कही भी है। उसे स्वीकार किया जा सकता है'' यह ब्रह्मसमाज द्वारा प्रसारित हुआ। वेदांत और उपनिषद इन अंशों का बोध कराते हैं, यह प्रसारित किया। पश्चिमी नागरिकता में अच्छाई है तो उसे स्वीकारने की बात इनका आधार थी। इस प्रकार इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बल दिया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने प्रगति वादी पाश्चात्य आलोचनात्मक गतिविधियों को भारतीयों द्वारा स्वागत किए जाने पर बल दिया। इस पृष्ठभूमि में अनेक विद्यालय और कलकत्ता में वे दांत महाविद्यालय की स्थापना में सहायता की। रवींद्रनाथ ठाकुर ने राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का दूत, भारत के पुनरूत्थान का जनक तथा भारतीय राष्ट्रीयता का भविष्यकर्ता कह कर ब्रह्म समाज द्वारा की गयी सेवाओं का विश्लेषण किया।

युवा बंगाल आंदोलन

उत्तरी भारत में आधुनिकता की हवा 19 वीं शताब्दी में चल रही थी। कलकत्ता नगर नवीन आलोचना का केंद्र बिंदु था। सन् 1820 और सन् 1830 के दशक में नये आंदोलन जन्म ले रहे थे। पूर्व ही ब्रह्मसमाज को हम देख चुके हैं। इसी काल में एक और आंदोलन 'युवा बंगाली आंदोलन' का प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने वाले हेनरी विवियन डिरेजियो (1809-1831) थे। इनके पिता पुर्तगाली औरर माता भारतीय थे। इस प्रकार डिरेजियो को एंग्लो-इंडियन कहा जाता है।

सन् 1826 को 1831 तक कलकत्ता के हिन्दू कॉलेज में इन्होंने अध्यापक के रूप में सेवा की। इनके अध्यापन की मांत्रिक शक्ति से मंत्रमुग्ध हुए अनेक विद्यार्थी उनके निष्ठावान अनुयायी बने। यूरोप के पुनरुज्ञीवन (पुनरूत्थान) आंदोलन के आशय से प्रभावित होकर इन्होंने अपने विद्यार्थियों और सहवर्तियों में वैज्ञानिक आलोचना भरने का प्रयास किया। नवीन शिक्षा क्रम लागू करने के लिए आवश्यक पाठ्पपुस्तकों की रचना में विशेष परिश्रम किया। प्रश्न करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने वाले पाठ्य पुस्तक ले आए। जो उन दिनों के परंपरागत आक्रोश का कारण बने। फिर भी बिना रुके 'अकेडमिक असोसिएशन'(1828) नामक बाद विवाद मंच निर्माण द्वारा नवीन संवेदना को जन्म दिया।

युवा बंगाल आंदोलन प्रकृति, मानवीयता, ईश्वर आदि विषयों के संबंधमें चर्चा और संवाद करता था। अंधविश्वास से भरे, सामाजिक मूढ आचरण में ही डूबे समाज का परिहार करने, सबकुछ सभी को वैज्ञानिक रूप से देखने का दृष्टिकोण विकसित करने पर मात्र संभव, कह कर डिरेजियो ने प्रचार करने का प्रयास किया। ये महिलाओं के अधिकार के प्रतिपादक थे और जातिप्रेरित शोषण के तीव्रविरोधी थे। परंपरागत पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए अनेक विद्यार्थी इसे प्रभावित होकर आन्दोलन को बढाने में अपना हाथ बढाया। इस प्रकार यह एक नवीन आंदोलन के रूप में विकासित हुआ। किंतु इसका प्रभाव कलकत्ता और बंगाल के कुछ प्रदेशों तक मात्र सीमित था। नयीपीढी इनके प्रभाव से नैतिक रूप से कुंठित हो रही है, ऐसा कहने वाले इनके सहद्योगी तथा इनके सहायकों के दबाब से दुःखी हो कर अपने उद्योग से इस्तीफा दे दिया। डिरोजिया केवल 22 वर्ष की आयु में सन् 1831 में कॉलरा (हैजा) रोग के ग्रास बन गए और इनका देहांत हो गया।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

आर्य समाज :

सन् 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज प्रारंभ किया। यह काठियावाड में प्रारंभ हुआ। 19वी शताब्दी के अंतिम दो दशकों में यह अत्यंत प्रभावशाली रहा।

दयानंद सरस्वती

दयानंद सरस्वती का जन्म सन् 1824 में काठियावाड में हुआ। इनका प्रारंभिक नाम मूलशंकर था। इनके पिता अंबाशंकर तिवारी और माता अमृतावाई थे। अंग्रेजी सीखने की ओर रुचि न दिखाकर दयानंद ने संस्कृत की शिक्षा पाई। 21 वर्ष को आयु में गृहत्याग कर लगभग 15 वर्षों तक यह देशाटन करते रहे। दयानंद सरस्वती ने अपनी आलोचना को 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रंथ में भक्त किया है। उन्होंने वेदों के अध्ययन से ज्ञात किया कि आधुनिक भारत की समस्याओं का समाधान बेदों में ही है। इस पृष्ठभूमि में उन्होंने घोषण की कि ''वेदों की ओर लौटो''। इससे उन्हें सुधारवादी की बजाय पुनरुत्थान वादी कहा गया। सन् 1877 में आर्य समाज का कार्यालय लाहौर में प्रारंभ हुआ। उन्होंने प्रचार किया कि मात्र वेद ही प्रमाणीकृत है।

आर्य समाज के उद्देश्य

1. सभी हिंदू स्वरूप रहित एक ही ईश्वर में विश्वास रखें।
2. जन्म से कोई भी शूद्रया ब्राह्मण नहीं होता, ऐसा कहकर इन्होंने जाति आधार का खंडन किया।
3. अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया।
4. बहुपत्नीत्व तथा बालविवाह पद्धति का खंडन किया।
5. स्त्री और पुरुष को समान माना।
6. वेदों को मात्र श्रेष्ठ माना। प्राचीन पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने तथा अध्यापन करने को कहा।

आर्य समाज की एक अन्य प्रमुख कार्यसूची 'शुद्धि' आंदोलन था हिंदू धर्म से इस्लामऔर ईसाई धर्म को मतांतरित हुए लोगों को पुनः हिन्दू धर्म से जोडा। गायों की रक्षा के लिए 'गो रक्षा संघ' प्रारंभ किया।

आर्य समाज में सन् 1921 तक लगभग 5 लाख अनुयायी थे। दयानंद सरस्वती की मुत्यु के बाद प्रसिद्ध 'दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज' को सन् 1886 में प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार हरिद्वार में 'गुरुकुल विश्वविद्यालय' का प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में गर्मदल के नेता लाला लाजपतराय ने आर्य समाज के तत्वों से प्रेरणा पायी।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

शुद्धि आंदोलन : *हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और वर्ग ने लोगों को अन्य धर्म की ओर धकेला। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज में एकता लाने की दिशा में वेदों का पुन: व्याख्यान कर, लिंग औ जाति समानता को दयानंद ने प्रतिपादित किया। हिंदू धर्म से बाहर मान जाने का अवसर था उसमें वापस आने का अवसर न था। इस पृष्ठ भूमि में मतांतरित हुए लोग तथा हिंदू धर्म में वापस लौटने के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया।*

प्रार्थना समाज

ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन बंगाल प्रदेश से बाहर भी अन्य प्रदेशों में फैलने लगा। ब्रह्मसमाज से तात्विक प्रभाव के कारज इस समाज ने समाज सुधार आन्दोलन का निर्माण किया। पस्चिम भारत में विशेषत: बॉम्बे प्रेसिडेंसी भाग में सुधार आंदोलन विकासित हुआ।

महिलाओं की समस्याएँ ही नही शूद्रों के समुदाय की समस्या का समाधान पाने की दिशा में डॉ आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में मुंबई में सन् 1869 में प्रार्थनासमाज नामक संघटन प्रारंभ हुआ। पाशचात्य आधुनिक आलोचनात्मक पृष्ठभूमि में हिंदू धर्म की पुर्नविमर्शा आवश्यक है, ऐसा संघटन ने प्रतिपादन किया। समाज सुधार केवल विश्वास रूपमें न रहकर वास्तव में यह अनुष्ठानित होना चाहिए। इस पर दबाव डाला। इस संस्था के नेतृत्व में स्त्रीशिक्षा, जीने का अधिकार, आकांक्षा आदि उपलब्ध कराने के कार्यक्रम जारी किए गए।

प्रार्थना समाज के अन्य नेताओं में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, आर जी भंडारकर ओर एन.जी. चंदाबरकर प्रमुख थे। रोनोड के नेतृत्व में प्रार्थना समाज सुधार का विस्तार और बढा। रानाडे ने बालविवाह, विधवाओं को अपमानित जीवन में बाहर निकालना, उच्चजातियों में विघवा पुनर्विबाह निषेध ये सुघपर देतु कानूनी कार्रवाही को अत्यत आवश्यक माना गया। इस पृष्ठभूमि में अंग्रेजी सरकार की सहायता लेना सही कदम माना गया।

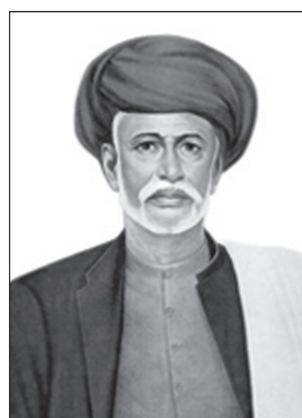
ज्योतिबा फूले

सत्य शोधक समाज : भारत के शेष भागों में महाराष्ट्र में भी जाति और लिंग संबंधी शोषण व्यापक रूप से था। अंग्रेजी उपनिवेश शाही समय में ऐसे शोषण के विरुद्ध अनेक आन्दोलन प्रारंभ हुए। इस पृष्ठभूमि में सन् 1873 में उत्पन्न था प्रारंभ सत्यशोधक समाज ब्राह्मणेतर वर्गों के लिए तथा स्त्रियों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए प्रारंभ किया गया आंदोलन था।

इस समाज को महात्मा ज्योति बाफुले ने स्थापित किया। सैद्दांतिक संघर्ष स्थापित करने में 'गुलामगिरि' शेट्कार्यचा असूद नामक ग्रंथ की रचना की। विद्यालयो को प्रारंभ कर शूद्रों तथा बालिकाओं को विद्या प्रदान की। माली समुदाय के फुले ने अपने

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कुएँ से अस्पृश्य तथा सभी जाति के लोगों को पानी खींचने (लेने) का अवसर दिया। फुले के इस प्रयास में उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने भी सहायता की। इनके प्रयास से बालिकाओं के लिए छात्रावास भी स्थापित किए गए। समानता के आशय की नींव पर नवीन समाज निर्मित करने कार्य आधुनिक समय के प्रयासों में फुले दंपति का प्रयास प्रमुख था। इनके आशयों से प्रेरित होने वालों में बाबा साहेब अंबेडकर प्रमुख थे।

अलीगढ सुधार आंदोलन

19वी शताब्दी के अंतिम भाग में मुस्लिम समाज में नवीन धार्मिक और सामाजिक सुधार की लहर बहने लगी। अंग्रेज विरोधी भावनाएँ सन् 1857 की घरना के बाद मुस्लिम समुदाय में व्यापक रूप से बढने लगी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा से दूर होकर शिक्षा से दो दूर होकर उससे प्राप्त होने वाले अवसरों को लोगो ने खो दिया।

ऐसी स्थिति में सर सय्यद अहमद खान ने नये आंदोलन की रचना का प्रयास किया। सन् 1865 में प्रारंभ हुयी मोहमदन लिबर्टी सोसाइटी ने धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विषयों से संबंधित चर्चा करना शुरु किया। इस चर्चा में उच्च तथा मध्यम वर्ग के मुसलमानों ने भाग लेकर अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को समझना प्रारंभ किया। सर सय्यद अहमद खान द्वारा नवीन विचारों को ढूंढने के प्रयास से अलिगढ आंदोलन प्रारंभ हुआ।

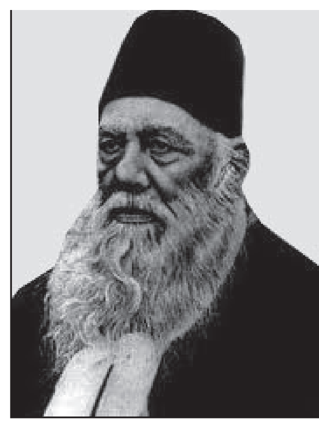
सर सय्यद अहमद खान

सर सय्यद अहमद खान का जीवन काल सन् 1817-1898 था। इन्होने घोषित किया कि कुरान ग्रंथ मात्र प्रमाणीकृत है। इस्लाम संबंधी अन्य लेखों के केवल आनुशांगिक कहा। काल परिवर्तन के साथ साथ धर्म को समझने और परिभाषित करने का तरीका भी बदलना चाहिए। अन्यथा धर्म एक जड रुप हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था। अहमद खान ने आजीवन परम्परा, अंधविश्वास, अज्ञानता और अवैज्ञानिक भावना के विरुद्ध अपनी आवाज उठायी। उन्होंने कहा मुख्य भावना के न होने पर कोई भी सामाजिक और बौद्धिक प्रगति सम्भव नहीं है। मुस्लिम समुदाय की परदा प्रथा को इन्होंने नही माना। मुस्लिम बालिकाएँ शिक्षित होनी चाहिए, ऐसा प्रचार किया। बहुपत्नीत्व पद्धति से यह सहमत न थे। ये सभी अंश उनके संघर्ष का हिस्सा थे। अपनी आलोचना या सोच को कार्यान्वित करने के लिए सन् 1875 में मोहमदन आंग्लो-ओरियेंटल कालेज की स्थापना अलीगढ में की। पाश्चात्य विज्ञापन और संस्कृति सँबधी चिंतन को फैलाने के लिए इस संस्था का उपयोग हुआ बाद में यह संस्था अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनगई।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सय्यद अहमद खान ने धार्मिक सहिष्णुत्त का उपदेश दिया। आरंभ में हिंदू और मुस्लिम समुदाय की एकता की अपेक्षा की। हिंदू, पारसी, इसाइयों ने अलीगर कॉलेज की स्थापना के लिए उदार भावना से धन सहायता की। इस कॉलेज में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश मिलता था। अलीगढ को केंद्र बना कर सर सय्यद अहमद खान द्वारा निर्मित आदोलन ही अलीगढ आन्दोलन कहलाया।

रामकृष्ण मिशन (रामकृष्ण मत)

आधुनिक भारत के आध्यात्मिक उद्धार, राष्ट्रीय जागृति और सांस्कृतिक विकास के लिए रामकृष्ण मिशन की विशेष देन है। स्वामी विवेकानंद ने सन् 1897 में कलकत्ता के निकट बेलूर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की। साथही उत्तरांचल में अल्मोडा के निकट मायावती में रामकृष्ण मठ की स्थापना की।

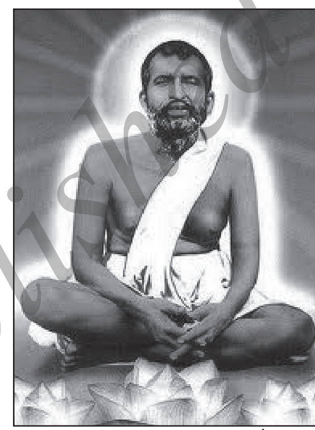
रामकृष्ण परमहंस

रामकृष्ण मठ की स्थापना का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के दार्शनिक तत्वों तथा आशयों को जारी करना था। रामकृष्ण परमहंस (1834-1886) कालीमाता के आराधक थे और कलकत्ता के काली मंदिर के पुजारी थे। सन्यास, ध्यान तथा भक्ति द्वारा आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को उदाहरण रूप में रख दिखाया। सभी धर्मों का आशाय यही माना। ईश्वर और मुक्ति की प्राप्ति के अनेक मार्ग है ऐसा माना। साथही मूर्ति पूजा को आवश्यक माना।

स्वामी विवेकानंद

रामकृष्ण परमहंस के तत्वों और अनेक संस्कृतिक और सामाजिक आशयों को लोगों तक पहुँचाने के लिए स्वामी विवेकानंद ने संघ की स्थापना की। विवेकानंद वे (1863-1922) कलकत्ता के कायस्थ परिवार में जन्म लिया। भारत और पाश्चात्म चिंतनधाराओं का अध्ययन किया। भारत की दार्शनिकता के विविध दृष्टिकोणों का गहराई से अध्ययन कर उसके बाद उसके महत्व को भारतीयो और पाश्चात्य लोगों को बताने का कार्य आरंभ किया। उनके गुरु के निधन के बाद लगभग 5 वर्षों तक उन्होंने भारत का देशाटन किया। इससे भारत की सामाजिक वास्तविकता को उन्हें स्वयं अपनी आँखों से देखने का अवसर मिला। जाति व्यवस्था और उसके शोषण, गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता आदि कुरीतियों में युक्त भारत के समाज को नवीन शोषण मुक्त स्वरूप देने के लिए

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

इन्होंने जीवनभर अविरत प्रयास किया। समाज सुधार से संबधित विवेकानंद का आशय था - पहले लोगों को शिक्षित करना होगा और उसके द्वारा स्वयं सुधार चाहेंगे। प्रशासन रचना संस्था का निर्माण होना चाहिए और उनके द्वारा समाज सुधारक कानून लगूहोने चाहिए। पश्चिमी अंधानुकरण का भाग करने को कहा। धर्मका कर्तव्य है। अंधकार में रहने वालों पर प्रकाश डालना। अन्यथा वह धर्म ही नही हैं। जिसकी आत्मा गरीबों के लिए तडपती है वही महात्मा है। अन्यथा वह दुरात्मा है। अपने सम्पूण जीवन में उन्होने 'जातीयता' को अस्पृश्यता ने जाति पूल से प्रेरण लेकर श्रेष्ठता के व्यवस्ता तथा धर्म के नाम पर हो रहे धोषण का विरोध किया।

> *" हमें मानव वर्ग को वहाँ ले जाना है जहाँ वेद, कुरान, बाइबल न हो। फिर भी वेद, बाइबल, कुरान की एकता से इसे प्राप्त करना है.....। हमारी मातृभूमि में हिंदू और मुसलमान धर्म दोनों का मिलन होना चाहिए। वेदांत का दिमाग, इस्लाम की देह यह हमारे पुरोगमन का मार्ग" होगा।*
>
> *(स्वामी विवेकानंद की कृति 7 - भाग - 238)*

विवेकानंद ने सन् 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में हुए विश्व धर्म सम्मेंलन में अपने भाषण द्वारा पाश्चात्य देश में भारतीय संस्कृति के गौरव का परिचय दिया। इसी प्रकास सन् 1900 में पेरिस में हुए मकाँग्रेस आँफ रिलिजियंसफ सम्मेंलन में भी अमेरिका में दिए भाषण की तरह लोगों को सम्मोहित कर दिया। उनके भाषण उनकी राष्ट्रीयता के विचारों का आइना हैं। रोचक बात यह है कि ये अमेरिका के सम्मेंलन में जाने से पूर्व दशय चामराज वडेयर महाराज के अतिथि बन कर मैसूर आए थे। इनकी सलाह के अनुसार अस्पृश्य बच्चों के लिए महाराज ने विद्यालय खोला। इन्होंने ज्ञानयोग, राजयोग, कर्मयोग और भक्तियोग पर रचनाएँ लिखी हो स्वतंत्रता संग्राम के लिए इनके विचार स्फूर्ति दायक थे। स्वतंत्रता का अर्थ समानिक समेंता की बात इनके विचारों से प्रसारित हुयी।

थियोसोफिकल सोसायटी : मुख्यरूप से इस संस्था को मेंडम ब्लवाट्स्के और अमरीकी कर्नल एच.एम. अल्याट ने प्रारंभ किया। तत्वश्चात ये भारत आए और यहाँ मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान पर अपना केंद्रीय कार्यालय सन् 1886 में प्रारंभ किया। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य थे - विविध धर्मों, दर्शनों, तथा विज्ञानों का तुलनात्मक अध्ययन करना। मानव के अंदर स्थित अदम्य चेतन शक्ति का अवलोकन करने का प्रयास एक अन्य उद्देश्य था। मानव को मविश्वभ्रातृत्वफ का ज्ञान होना प्रमुख है, घोषित किया। थियोसोफिकल सोसायटी ने हिंदू धर्म संबंधी ग्रंथों - वेद, उपनिषद, सांख्ययोग तथा वेदांत

एनिबेसेंट

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

के तात्विक चिंतन से अपने मूलतत्वों को प्राप्त कर प्रचार किया। यह सोसायटी भारत के धार्मिक, तात्विक तथा दार्शनिक परम्पराओं का अध्ययन कर समकालीन समस्याओं का हल पाने का प्रयास कर रही थी। इसलिए सोसायटी के प्रयासों को हिंदू धर्म का पुनरूत्थान आंदोलन कहा गया। विदेशियों की इस आंदोलन में अधिक रुचि देखीगयी।

आइरिश महिला एनिबेसेंट सन् 1893 में भारत आयी और उसके बाद थियोसोफिकल सोसायटी आंदोलन और विकसित हुआ ये। थियोसोफिकल सोसायटी के अनुयायी के रूप में रहीं। इन्होंने सन् 1847 में लंदन में जन्म लिया। सन् 1889 में अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया। इनके पति आंग्लिकन चर्च में पादरी थे। एनिबेसेंट उसके बाद इस संस्था की सक्रिय सदस्याबनीं। ये वेदांत शास्त्र का विशेष ज्ञान रखती थी। इन्होंने सांसारिक सम्पत्ति पर टिकी पश्चिमी संस्कृति से आध्याप्यिक शक्ति पर टिकी भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ होने को प्रतिपादित किया। इस अर्थ में इनका आंदोलन हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का आंदोलन था। इन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म का तुलनात्मक अध्ययन किया।

इनकी प्रमुख उपलब्धियों में भगवद्गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। इससे ये 'श्वेत सरस्वती' कहलायी। इनका आशय था कि सभी वर्गों को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए विद्यालय खोले। सन् 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस में प्रारंभ किया। आगे यही संस्था मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से सन् 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) के रूप में परिवर्तित हुयी। समकालीन संस्थाओं को चर्चा और संवाद के उद्देश्य से 'न्यू इंडिया' और 'कामन वेल्थ' नामक पत्रिकाएँ प्रारंभ की। सन् 1916 में 'होम रूल लीग' को प्रारंभ कर मद्रास प्रांत में 'होमरूल आंदोलन' प्रारंभ किया। इसी प्रकार थियोसोफिकल सोसायटी तथा उसकी अभिन्न अंग एनिबेसेंट को 20 वी शताब्दी के प्रारांभिक समय में भारत में नये धर्म और समाजिक संवेदना की रचना करने वाली के रूप में कीर्ति मिलनी चाहिए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से कार्य करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की सर्व प्रथम महिला अध्यक्षा भी रहीं।

आपको ज्ञात रहे :

होमरूल *: ब्रिटेन के नियंत्रण में स्थित आयरलैंड और वहाँ के लोगों ने अपना प्रशासन स्वयं चलाने का अधिकार पाने के लिए होमरूल आन्दोलन चलाया। इससे प्रभावित एनिबेसेंट ने भारत में भी होमरूल आंदोलन प्रारंभ किया। सन् 1916 में दो होमरूल लीग अस्तित्व में आया। एक तिलक के नेतृत्व में पूना केंद्र बना। जिसकी महाराष्ट्र उत्तर कर्नाटक, केंद्रीय प्रांतों तथा बिरार प्रदेशों में अपनी शाखाएँ खुली और एकहोम रूल लीग एनीबेसेंट के नेतृत्व में मद्रास केंद्र रहा। तिलक ने 'मराठा' और'केसरी' पत्रिकाएँ चलायी। बेसेंट ने 'न्यू इंडिया', 'कामनवेल्थ' क्तथा 'यंगइंडिया' पत्रिकाओं द्वारा प्रचार कार्य किया।*

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

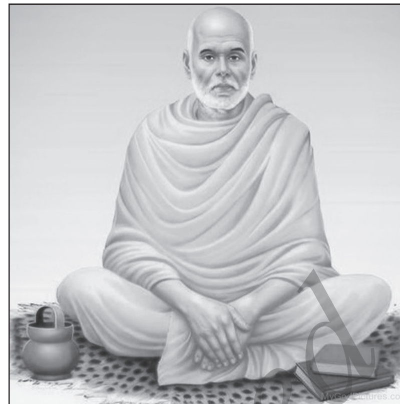
श्री नारायण गुरु

श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना योगम्

श्री नारायण गुरु ने सन् 1903 में इस सुधासंघटन को प्रारंभ किया। इनका जन्म केरल के ईलवु में हुआ। इस संघटन का प्रमुख उद्देश्य पिछडे तथा शोषित समुदाय का सबलीकरण करना था। नारायण गुरु और उनयें (1854-1928) सहयोगी डॉ पल्पु तथा कुमारन आसन ने इस आंदोलन को चलाया।

केरल के समाज में अति जाति भिन्नता की समस्याएँ व्यापक रूप से थीं। अनेक पिछडे तथा दलित समुदायों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए (लादे) गए थे। उस समय इस समुदाय को सभी के द्वारा उपयोग किये जाने वाले तालाब कुएँ से पानी लेने की मनाही थी। सडक पर चलने नहीं दिया जाता था। चप्पल पहनने की मनाही थी। मंदिरों में प्रवेश निषेध था। महिलाओं की पोशाक (वस्त्र) पर भी निषेध था। इतना ही नहीं विद्यालयों में भी इन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। न्यूनतम मात्रा के मानवीय अधिकार भी न पाने वाला यह समुदाय दम घुटने की परिस्थिति में जी रहा था। इन विषयों को ध्यान में रखकर श्री नारायण गुरु में अपने धर्म परिपालन योगम् द्वारा सामाजिक प्रतिरोध आंदोलन प्रारंभ किया। मनुष्य के सम्मानपूर्वक जीने के समाज का निर्माण करना ही इस संघटन का उद्देश्य था। नारायण गुरु का प्रमुख आशय मानव कुल के लिए एक जाति, एक धर्म तथा एक ही ईश्वर के होने का था। इसे मानने का मार्ग शिक्षा ही माना। न्यूनतम समुदाय का प्रवेश मंदिरों में निषिद्ध था इसलिए पर्याय रूप में मंदिर बनवाया।

नारायणगुरू और उनके अनुयायी सन् 1924में वैक्म् सत्याग्रह नामक मंदिर प्रवेश आन्दोलन चलाया। इसमें गाँधीजी और आत्मगौरव आंदोलन के प्रमुख पेरियार ने भाग लिया। गुरुवायूरु मंदिर प्रवेश आंदोलन भी एक अन्य महत्वपूर्ण घटना हैं।

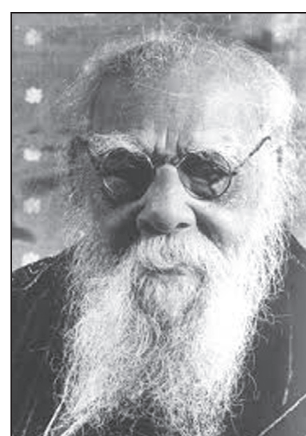
पेरियार

पेरियार

20वी शताब्दी के आरंभ में ब्राह्मणेतर आन्दोलन नामक नवीन आंदोलन दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ। बहुसंख्यक ब्राह्मणेतर लोगों ने सरकारी क्षेत्र के अवसरों में अपनी जनसंख्या के अनुसार उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने के लिए संघर्ष आरंभ किया। कर्नाटक सहित विविध राज्यों में यह एक प्रमुख आंदोलन था। ब्राह्मणेतर समुदाय स्वयंपर लादे गए सामाजिक प्रतिबंधों का विरोध करने लगा। इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजी

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

शिक्षा का विस्तार । इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा सन् 1870 के बाद लायी गयी जनगणना रिपोर्ट, ब्राह्मणेतर लोगों को अपनी जनसंख्या की समझ आयी। तमिलनाड् में सन् 1916में प्रारंभ हुयी जस्टिस पार्टी ने इस आंदोलन को आगे बढाया।

जस्टिस पार्टी द्वारा ब्राह्मणेतर आंदोलन नवीन स्वरूप पाया। यह अत्यधिक क्रांतिकारी कदम था। यह नवीन रूप ही. इ.वी. रामस्वामी नाय्यर के नेतृत्व में आरंभ हुआ आत्मगौरव आंदोलन था। सन् 1926 में सेल्फ रेस्पेक्ट लीग प्रारंभ किया। इन्हें लोग प्रेम से पेरियार (श्रेष्ठ/बुजुर्ग) कहते थे। पेरियार ने तमिलनाडु के ईरोड के समृद्ध परिवार में जन्म लिया। इन्होंने जाना कि वर्णाश्रम धर्म के पक्ष में कांग्रेस है इसलिए उसके पर्याय में द्रविड आंदोलन नामक जनांगीय परिकल्पना केंद्रित आंदोलन की रचना प्रारंभ की। आर्य, ब्राह्मण नामक जनांगीय श्रेष्ठता को फै लाने वाली सोच को पूर्ण रूप से नकारा। तमिल भाषा को द्राविडों की भाषा कहा। संस्कृत भाषा और साहित्य का विरोध किया। एक अन्य प्रमुख अंग रामायण महाकाव्य में आने वाले रावण को द्राविडों का नेता कहा। राम को वैदिक वर्ग का भगवान कहकर तिरस्कार किया। बनारस में हुए कटु अनुभवों से और भी व्यग्र हुए पेरियार ने संस्कृत भाषा और रामायण के राम और रावण को सांस्कृतिक संकेत के रूप में परिवर्तित कर, रावण की परंपरा को वैभवीकृत किया। जाति और लिंग के असंतुलन/भेद का विरोध कर समानता के आशय को प्रमुख बनाया। सन् 1924 के केरल के वैकम् में अस्पृश्यों के लिए मंदिर में प्रवेश के अधिकार संबंधी संघर्ष में भाग लिया। सन् 1939 में जस्टिस पक्ष के अध्यक्ष रहे। 'द्राविड कलगम्' नामक संघटन का उदय किया। 'जस्टिस' पत्रिका का प्रारंभ किया।

आज भी तमिलनाडु के राजनैतिक क्षेत्र में पेरियार सैद्धांतिक संकेत के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ के राजनैतिक पक्ष 'द्राविड' नाम से अपने पक्ष के नाम को आज भी बनाए रखना ही इसका प्रमाण हैं। अयोथीदास, टी.एम. नायर आदि ने सैद्धांतिक रूप से प्रारंभ किए ब्राह्मणेतर आंदोलन को पेरियार ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। सभी प्रकार के शोषण से मुक्त होकर, जाति, लिंग असमानता से बाहर निकलकर 'सर्वधर्मसहिष्णुता' के समाज का निर्माण करने का विचार ही उनके जीवन का लक्ष्य था।

© KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :-

1. 19 वीं शताब्दी को ________ काल कहा जाता है।
2. राजा राममोहन राय ने ________ पत्रिका का संपादन किया।
3. प्रार्थना समाज के स्थापक ________ थे।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

4. युवा बंगाल आंदोलन को प्रारंभ करने वाले _______ थे।
5. स्वामी विवेकानंद के गुरू _______ थे।
6. आंग्लों ओरियेंटल कॉलेज को _______ नामक स्थान पर स्थापित किया गया।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा द्वारा दीजिए :-

1. ब्रह्म समाज के उपदेश क्या थे?
2. दयानंद सरस्वती के नारे 'वेदों की ओर लौटो' का विश्लेषण कीजिए।
3. सत्यशोधक समाज द्वारा प्रतिपादित सुधारों का विवरण दीजिए।
4. अलीगढ आंदोलन के उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए।
5. रामकृष्ण मिशन के दृष्टिकोण का विवरण दीजिए।
6. स्वामी विवेकानंद युवाशक्ति के प्रेरणास्त्रोत थे। इस कथन का समर्थन कीजिए।
7. एनिबेसेंट के सुधार कार्यों का विवरण दीजिए।
8. नारायण गुरू धर्मपरिपालन योगम् संघटन की देन क्या है?
9. पेरियार आंदोलन के मुख्य अंगों की सूची बनाइए।

III. क्रिया कलाप :-

1. निकट के रामकृष्ण आश्रम जाकर विवेकानंद के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए।

IV. परियोजना :-

1. ग्रंथालय जाकर समाज सुधारक पुस्तकें पढिए। शिक्षकों की सहायता से अंतर्जाल द्वारा सूचनाएँ संग्रह कीजिए।
2. समाज सुधार के लिए आज कार्यरत संस्थाओं के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए।

* * * *

Not to be republished ©KTBS

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 6

भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857)

इस अध्याय में निम्न लिखित अंशों की जानकारी होगी।

- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण
- विद्रोह का तात्कालिक कारण
- विद्रोह का विस्तार और स्वरूप
- विद्रोह की विफलता और परिणाम

भारत में अपने अधिकार के विस्तार के उद्देश्य से अंग्रेजों ने सहायक सैन्य पद्धति और गोद लेने का अधिकार न होना जैसी नीतियों को लागू किया था। इन नीतियों से कई संस्थान अंग्रेजों के वश में आ गए थे। इससे भारतीय असंतुष्ट हो गए। इनके प्रशासन के संबंध में भी लोगों में असंतुष्टि थी। यह असंतुष्टि सन् 1857 में महाविरोध के रूप में फट पडी। इसे कुछ भारतीय इतिहासकारों ने 'भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' कहा तो अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे 'सिपाही दंगा' मात्र कहा।

©KTBS Not to be republished

प्रथम स्वतंतत्रता संग्राम का कारण :

राजनैतिक कारण : अंग्रेजों द्वारा लागू 'गोद लेने का अधिकार न होना' नामक नीति से कई देशी राजा अपना राज्य खो चुके थे। इस नीति से सतारा, जयपुर, झांसी, उदयपुर आदि संस्थान अंग्रेजों के वश में आ गए। डलहौजी ने तंजावूर और कर्नाटक नवाबों की राज पदवी को रद्द कर दिया। मुगल सम्राट, औद के नवाब आदि राजाओं को अंग्रेजो ने अधिकार से पदच्युत कर दिया। परिणामतः इन पर निर्भर लाखों सैनिक बेरोजगार हो गए। यह अंग्रेजों के विरुद्ध सन् 1857 के विद्रोह का प्रेरक तत्व था।

> ***आपको ज्ञात रहे:***
>
> ***गोद लेने का अधिकार न होना ।*** इस नीति को अंग्रेजों के काल में लाई डलहौजी ने लागू किया। किसी भी देशी संस्थान के राजा को अपनी सँगन न होने पर राज्य को गोद की गई संता न को यह अधिकार नहीं रहा। इससे वह संस्थान सहज ही अंग्रेजों के अधिपत्य में आ जाता था।

आर्थिक कारण : इंग्लैण्ड में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत का हधकरधा और देशी उद्योग कम हुआ। इंग्लैण्ड केवल व्यापारिक राष्ट्र ही नहीं औद्योगिक कार्यगार भी रहा। भारत के हस्तकुशल कारीगर बेरोजगार हो गए। विशेषतः वस्त्र तथा ऊनी

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

वस्त्र उद्योग धंधे अवनति पर थे और बुनकरों ने वृत्ति खो दी थी। गृहोद्योग इसी प्रकार तीव्र आर्थिक हानि का अनुभव कर शिथिल हो गया। भारत की वस्तुओं को इंलैण्ड में बेचने के लिए अंग्रेजों ने बडा महँगा कर (लगान) लगाया। जमीनदारी पद्धति से सरकार और किसानों के मध्य के बिचौलिये जमीनदार कृषकों का शोषण कर रहे थे। कर वसूल करने के लिए तालुक दारों को दिए गए अधिकार वापस ले लिए गए। इनाम आयोग स्थापित कर इनाम की भूमि वापस ले ली गयी। इससे कृषकों का तीव्र अपमान और आर्थिक संकट का अनुभव हुआ। यह भी कृषकों के विद्रोह का कारण बना।

प्रशासनिक कारण : अंग्रेजों ने नए नागरिक और अपराध नियम लागू किये। कानून में पक्षपात और भारतीयों के लिए अलग नियम लागू होता था। अंग्रेजी भाषा न्यायालय की भाषा हुयी। अंग्रेज न्यायधीश आधिकतर अंग्रेजों के पक्ष में न्याय दिया करते थे। नये कानून का आशय लोगों को पसंद नहीं आया।

सैनिक कारण : अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों की स्थिति गंभीर थी। अंग्रेज सैनिकों को प्राप्त स्थान, मर्यादा, वेतन, पदोन्नति (तरक्की) का अवसर भारतीय सिपाहियों को नही था। भारतीय सैनिकों को सागरोत्तर सेवा के लिए जबरदस्ती भेजा जाना नो धार्मिक रूप से सेना की प्रेरण बनी।

दंगे का विस्फोट और फैलाव (विस्तार) -

अंग्रेजी सेना में अधिक मात्रा में भारतीय सिपाही थे। जिनमें यह आत्म विश्वास था कि वे सब एकजुट होकर ही अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। इस संदर्भ में सैनिकों को 'रायल एनफील्ड' नामक नवीन बंदूक दी जाती थी। इन बंदूकों के लिए उपयोग किए जाने वाले कारतूस के आग्रभाग पर सुअर और गाय की चर्बी का लेप होता था, ऐसा प्रचार था। हिंदुओं में गाय पवित्र है तो मुसलमानों के लिए सुअर निषिद्ध था। यह किवंदती भी दंगे का तात्कालिक कारण बनी।

बैरकपुर में स्थित सैनिक दल में प्रचारित इस बात को लेकर तीव्र असंतोष फैल गया। सैनिकों को कारतूस के अग्रभाग को दांत से काट कर निकालने का आदेश अंग्रेजों का था। इसका विरोध कर उच्च अधिकारी के विरुद्ध बैरकपुर के सैनिक विद्रोही हो गए इसी समय मंगलपांडे नामक सैनिक ने अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी। परिणामतः मंगलपांडे को बंदी बनाकर कार्रवाही की गई और फाँसी दी गई।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

तात्या टोपे

दंगे का विस्तार प्रचार : मेंरठ अंग्रेजों का प्रबल सेना स्थल था। यहाँ भी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से कारतूस का उपयोग करने का आदेश दिया। जिसे भारतीय सेनिकों ने अस्वीकार कर दिया। तब सिपाहियों को बंदी बनाया गया। इससे मेरठ में दंगा हुआ। परिणाम स्वरूप सैनिक कारागृह में घुस कर पूर्व ही बंदी भारतीय सिपाहियों को छुडा लाए। यह स्वतंत्रता संग्राम का बीजारोपण था। तत्पश्चात् सैनिकों का समूह मेरठ से दिल्ली पहुँचा। उनके लाल किले में घुसकर मुगल सम्राट द्वितीय बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया। कई भागों से विद्रोह के लगे। सिपाही दिल्ली पहुँचे। इससे विद्रोह तीव्र स्वरूप ले चुका था। दावाग्नि की तरह यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर तथा झाँसी तक फैला।

कानपुर में नाना साहेब ने विरोध प्रकट किया। ये तात्या टोपे के सहायक थे। झाँसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह प्रांरभ हुआ। कानपुर के अंग्रेजों के वश में आने के बाद तात्यापोपे भी झाँसीरानी की सहायता के लिए आगे आए।

झाँसी रानी लक्ष्मीबाई

विद्रोह की आग लखनऊ में भी भडकी। किंतु अंतत:, लखनऊ अंग्रेजों के वश में आ गया । यहाँ से संग्राम यमुना नदी के दक्षिण की ओर फैला। इससे झाँसी के सिपाही प्रभावित हुए। गोद लिए पुत्र का अधिकार न होने की नीति से कुपित झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध कर ग्वालियर को अपने वश में किया। पुन: अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर संघर्ष रत रह कर रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गयी। आज भी रानी लक्ष्मीबाई को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गौरव का स्थान प्राप्त है।

विद्रोह की विफलता के कारण :

सन् 1857 में हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कई कारणों से विफल हुआ। यह पूरे भारत में व्याप्त विद्रोह न था। यह देश छोडने के लिए किए गए विद्रोह से अधिक राजा/रानी के अपने हित और अधिकार के लिए हुआ। यह योजना बडा विद्रोह न होकर अनपेक्षित कारणों से प्रोत्साहित थी। अंग्रेज सैनिको की एकता और भारतीय सैनिकों का मतभेद विद्रोह की विफलता का कारण था। विद्रोह के उचित मार्गदर्शन और व्यवस्थित संघटन की कमी थी। इसी प्रकार भारतीयो में युद्ध तकनीकी, सैनिक दक्षता, उचित सेनानायकत्व और अनुशासन

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

आदि की कमी थी। संघर्ष कर्ताओं में निश्चित लक्ष्य की कमी थी। कई देशीय संस्थानों के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा प्रदर्शित की और सिपाहियों की मदद नहीं की। उन्हें समर्थन नहीं दिया। सिपाहियों द्वारा की गई लूट, डकैती आदि जैसे गंभीर अपराधों से उन्होंने लोगों का विश्वास खो दिया था।

विद्रोह का परिणाम :

ईस्ट इंडिया कंप्पनी का प्रशासन समाप्त हुआ और ब्रिटेन की साम्राज्ञी को प्रशासन हस्तांतरित हुआ। भारत के व्यवहार को अंग्रेजी पार्लियामेंट ने भारत के व्यवहार कार्यदर्शी को सौंप दिया। सन् 1858 में ब्रिटेन की रानी ने एक घोषणा जारी की। जिसमें निम्नांकित अंशों का प्रस्ताव लागू था -

1. कंपनी ने देशी राजाओं के बनाए समझौते अंगीकृत किए।
2. प्रादेशिक विस्तार की अपेक्षा छोड दें।
3. भारतीयों को सुरक्षित सरकार देना।
4. कानून के समक्ष समानता।
5. धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ भारतीयों के धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करना।

भारतीयों का प्रेम, सहयोग, विश्वास न होने पर हमारा शांतिपूर्ण प्रशासन असंभव है, यह अंग्रेजो की समझ में आ गया। अंग्रेजों के प्रति भारतीय अभिप्राय जानने के लिए मार्ग-उपाय न बनाना इसका कारण था, ऐसा अंग्रेजों ने माना। इस प्रकार इस घटना के बाद 'शासन रचना प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने' (Policy of assotiation) की नीति लागू की गयी। इन भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए नई दिशा मिली। भारतीयों ने आगें चलकर संघर्ष का अन्य मार्ग ढूंढने की अनिवार्यता को समझा।

Not to be republished ©KTBS

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :-

1. 1857 के विद्रोह को अंग्रेज इतिहास कारों ने ________ कहकर पुकारा।
2. डलहौजी द्वारा लागू नीति _______ थी।
3. 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज अधिकारी की हत्या ________ ने की।
4. झाँसी की रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में ________ को अपने वश में कर लिया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा द्वारा दीजिए :-

1. 'गोद लिए पुत्र को अधिकार न होना' इस नीति के परिणाम क्या थे? विश्लेषण कीजिए।
2. 1857 के विद्रोह के लिए आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार कारण बना? विवरण दीजिए।
3. 1857 के विद्रोह में सैनिकों की धार्मिक मनोभावना को ठेस पहुँचाने वाले अंश कौन - कौन से थे?
4. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण क्या थे?
5. विद्रोह की विफलता के कारणों की सूची बनाइए।
6. 1858 में ब्रिटेन की रानी की घोषणा के अंश क्या थे?

III. क्रिया कलाप :-

1. भारत के मानचित्र में गोद लेने का अधिकार न होने की नीति द्वारा अंग्रेजो के वश में आए संस्थानों को पहचानिए।
2. 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस विषय पर जानकारों से व्याख्या पाने का आयोजन कीजिए।

* * * *

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

राजनीति शास्त्र

अध्याय-1

भारत की समस्याएँ तथा उनका हल करने के उपाय:

इस अध्याय से निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत हो सकेंगे।

- बेरोज़गारी
- असमानता (लिंग, जाति प्रादेशिक असमानता)
- आतंकवाद
- भ्रष्टाचार
- जातिवाद
- कार्पोरेट उपाय

©KTBS Not to be republished

हम सन् 1947 से विविध प्रकार की आंतरिक और बाह्य समस्याओं से जूझते रहे हैं। उनका हल उचित योजनाओं तथा उपयुक्त प्रशासन द्वारा करना है। हमारी गणतंत्र व्यवस्था में केंद्र, राज्य तथा प्रादेशिक सरकारें हैं। इन समस्याओं का हल करने के लिए लोगों का सहयोग भी अनिवार्य है।

हमारा देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है। उनके बारे में समझना हमारी जिम्मेदारी है न? हाँ, हमें इन राष्ट्रीय विषयों के बारे में समझना चाहिए तथा उनका हल करनेवाले उपायों की भी तलाश करनी चाहिए। इनमें से मानव निर्मित समस्याएँ अधिक हैं तथा राष्ट्रीय समस्याएँ हैं। इसलिए हमें उनका उचित मानवीय उपायों को पहचानना चाहिए। उत्तम प्रशासन, सामाजिक सुधार, दक्ष प्रशासन, शीघ्र पक्षरहित न्याय की व्यवस्था तथा जनता के सहयोग से समस्याओं को रोकने का प्रयास आवश्यक है। समस्याओं के बारे में ऐसे समझेंगे।

बेरोज़गारी:

बेरोज़गारी का मतलब है कि काम करनेवाले सशक्त व्यक्ति को काम न मिलने की हालत है। आज भारत बहुत जनसंख्या से भरपूर है। बेरोज़गारी की समस्या एक बड़ा सवाल है। सामान्य तौर पर अधिक जनसंख्या और बढ़ी तकनीकी ही बेरोज़गारी के प्रमुख कारण है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, कृषि पर ही अधिक निर्भरता, कुटीर उद्योगों का नाश, कौशलाधारित शिक्षा का अभाव। इन कारणों से भी बेरोज़गारी की समस्या बढ़ा रही हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 21.9 प्रतिशत है। बेरोज़गारी समस्या दिन ब दिन बढ़ने की सूचना देती है। इस तरह की गरीबी की समस्या को कम करने के लिए, भारत सरकार और अन्य राज्य सरकार ने विविध तरह के उद्योग सृजन करनेवाले कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इनमें से जनता को काम देने के लिए उपयुक्त

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कौशलाधारित, गुणवत्ता शिक्षण देना,स्व-उद्‌योग करने के लिए उधार देना, स्व-उद्‌योग करने वालों को धन देने के द्‌वारा प्रेरणा दी जा रही है। वास्तव में कुटीर उद्‌योग तथा अन्य स्व-उद्‌योग वैश्वीकरण के युग में औद्‌योगीकरण से उत्पादित होनेवाली चाज़ों को बाज़ार में सह-स्पर्धा देने में असफल होने के कारण भारत में बेरोज़गारी समस्या और कुछ बढ़ रही है। अतः भारत की बेरोज़गारी को आधुनिक उद्‌योग, बाज़ार में स्पर्धा देनेवाले रोज़गार करने की क्षमता बढ़ानेवाला उपयुक्त तकनीकी शिक्षण आवश्यक है। दूसरी ओर देश का हर व्यक्ति एक न एक उद्‌योग में लग जाने के लिए प्रेरणा देनेवाले तथा सामाजिक परिवर्तन लानेवाला कौशल व्यावसायिक शिक्षण देने के द्‌वारा बेरोज़गारी की समस्या हटा सकते हैं।

भ्रष्टाचारः

भारत के सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार भी एक समस्या है। वास्तव में यह समाज के समस्त आयामों में व्याप्त है। भ्रष्टाचार का मतलब है - "रिश्वत अथवा कानून के विरुद्‌ध में प्रचोदन देनेवाली प्रक्रिया है।" यह कानून से दूर जाने की सूचना देती है। सार्वजनिक जीवन के अधिकार तथा व्यवहार को, स्वार्थ के लिए बुरे ढंग से उपयोग करना भी कह सकते हैं। समस्त कानून नियमों को उल्लंघन करके स्वार्थ हित के लिए अधिकार दुरुपयोग करने को भ्रष्टाचार कह सकते हैं। यह सार्वजनिक जीवन में एक रोग सा फैलता रहा है।

भ्रष्टाचार विविध तरह के नकारात्मक परिणाम, सार्वजनिक जीवन तथा व्यक्ति पर डालता है। वह देश के सामाजिक. आर्थिक और राजनीतिक दुष्परिणाम है। वह एक ढंग से, समाज तथा आर्थिक सुव्यवस्था के विरोध मात्र नहीं, राजनीति की अव्यवस्था, नैतिक गलत का आभास भी देता है। मूल्यों के बारे में व्यक्तिगत चिंतन, समाज स्वीकृत मूल्यों तथा प्रशासन में रिश्वत लेना, स्वजन पक्षपात,जाति - द्रोह-ये सभी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। चुनाव के अवसर पर अहितकर घटनाएँ सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती हैं।

राजनितिक भ्रष्टाचार व्यवस्थित अपराधों के लिए अवसर देता है। वह सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में अधिकारियों के स्वभाव में होनेवाले दोषों और भ्रष्टाचारों के लिए अवसर देता है। कर चोरी, चोरी से माल निर्यात,आर्थिक भ्रष्टाचार, धोखा-धड़ी विदेशी विनिमय के नियमों का उल्लंघन, उद्‌योग भ्रष्टाचार - ये सारे भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं।

भ्रष्टाचार पर केवल टीका टिप्पणी कर, उससे समझौता कर जीने से उसे दूर करना असंभव है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक, नैतिक-नींव उसके द्‌वारा भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। कभी-कभी मानव सहज-स्वार्थ, विपति से बचने का उपाय, व्यक्तिगत लाभ- ये सारे भ्रष्टाचार की प्रेरणा देते हैं। सदृढ़ निरीक्षण का अभाव तथा दुर्बल कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को अवसर देते हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रबल राजनीति का संकल्प तथा सार्वजनिक

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सहयोग भी आवश्यक है। दूसरे ढंग से व्याख्या कर सकते हैं, राजनीति के कुशल नेता, अच्छे अधिकारी गण, राजनीति के ज्ञाता तथा नागरिक ज्ञानी प्राप्त लोग मिलकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ सकते हैं। लोकपाल, लोकायुक्त जैसी संस्थाएँ भ्रष्टाचार रोकने में उपयुक्त बल दे सकती हैं। शैक्षिक संस्थाएँ और सामाजिक नेता गण भी इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। सरकारी दपत्तरों में सी.सी कैमरा की व्यवस्था तथा दपत्तर कार्य निर्वहण को तेज करना, भ्रष्टाचार भागिदारियों को कठिन सज़ा देना न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के द्वारा जल्दी-जल्दी न्याय निर्णय देना-आदि के द्वारा, भ्रष्टाचार निर्मूलन करने के लिए समस्त आयामों में उपयुक्त निर्णय लेना आवश्यक है।

असमानाता :

भारतीय समाज के लिए लिंग जाति तथा प्रादेशिक असमानताएँ प्रबल सवाल हैं। भारतीय सांप्रदायिक समाज लिंग असमानता के करण पुरुष प्रधान समाज से निर्माण हुआ है। पुरुष और स्त्री के बीच सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीति सदृढ़ता में असमानताएँ हैं। भारत सरकार लिंग असमानता को दूर करने के उद्देश्य से स्त्री-शिक्षा और उन्हें नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया है। राजनीति में भी स्थानीय संस्थाओं में मुख्य रुप से 1/3से कम न होने तक आरक्षण दिया गया है। कर्नाटक की स्थानीय संस्थाओं में अनुसूचित जति तथा अनुसूचित जनजाति को अरक्षित और न अरक्षित कुल स्थानों में 50%से कम न रहने के स्थानों का आरक्षण है। इसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री के बीच के अंतर कम करने का प्रयत्न किया गया है।

लिंग की असमानता की तरह जाति आधारित असामनता भी प्राचीन समाज की देन है। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मूल भूत कर्तव्यों की सूची में समानता और स्वतंत्रता के कर्तव्यों को देने के द्वारा जाति असामनता को कम करने के लिए विविध क्रमों को जोड़ा गया है। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था का आचरण लगातार से चल रहा है। इस व्यवस्था करने के लिए कानून द्वारा मात्रअसाध्य है। उसके पूरक रुप के निर्मूलन में समाज में मुक्त मन से युक्त समाज निर्माण करने की इच्छा को नागरिक समाज अपनाने से मात्र जाति व्यवस्था निर्मूलन संभव है।

लिंग असमानता तथा जाति असमानता की तरह प्रादेशिक असमानता भारतीय समाज के लिए भी एक सवाल है। अभिवृद्धि के नाम से राष्ट्र के कुछ प्रदेश सहज रूप से प्रगति करने पर पिछडे हैं। इस प्रकार की प्रादेशिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 A से J तक सुधार किया गया है। इसके दवारा अनभिवृद्धि प्रदेशों को विशेष स्थान देने का अवसर दिया गया है। फिर भी प्रादेशिक असमानता एक बहुत बड़े सवाल के रूप में बढ़ा है। कुछ राज्यों प्रत्येक राज्य की आसक्ति को देखने से प्रादेशिक

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

असमानता को समग्र रूप से कम करना पड़ता है। इसलिए कर्नाटक में प्रादेशिक असमानता दूर करने के उद्देश्य से सन् 2001 में डी एम नंजुंडप्पा समिति ने कर्नाटक में प्रादेशिक असमानता के बारे में अपने रिपोर्ट दी है। इसके पूरक के रुप में संविधान के अनुच्छेद 371 (जे) जोड़ने के द्वारा कर्नाटक के अनभिवृद्धि प्रदेशों को विशेष स्थान दिया गया है।

जातिवाद:

जातिवाद, मतीयवाद हमारे भारतीय समाज की प्रमुख समस्या है। धर्म के आधार पर समाज का विभाजन तथा उसमें ही पहचानकर आपस में विरुद्ध रुचियों को अपनाना ही जातिवाद या मतीयवाद कहते हैं। यह सामाजिक भिन्नता, परस्पर-अविश्वास तथा भय का वातावरण निर्माण करता है। जातिवाद समाज में, समूहवाद, आर्थिक असमानता तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में प्रकटित होता है। भारत के लिए यह जातिवाद राष्ट्रीय एकता तथा समग्रता के लिए बाधा उत्पन्न करने वाला या खतरनाक शक्ति है। यह शांत समाज की शांति को बिगड़ने के अलावा, व्यक्ति की जान तथा संपत्ति नाश का भी कारण बनता है। यह भावना दो समूहों के बीच परस्पर दोष-आरोप, शारीरिक चोट, आदि अनावश्यक बाधाओं के लिए कारण बनती है।

जातिवाद जाति-समूहों का भलापन, राष्ट्रीय भलापन से बढ़िया समझा है। देश में जातियता के लिए उपयुक्त अपनी-अपनी भलाईकी वृद्धि का प्रयत्न जाति शक्तियाँ करती हैं। अपने-अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करनेवाला, दूसरे धर्म को अन्य ढंग से देखने का संदर्भ भी आते हैं। अत: देश की एकता के लिए बाधा आनेवाले संदर्भ भी आते हैं। देश की आंतरिक समस्या को दूर करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है।

जातिवाद रोकने के लिए काफी पूर्व तैयारी अवश्य है। "समान नागरिक नीति, सबको समान दृष्टि से देखना, जातिरहित मनोभावना के लिए सामाजिक जीवन के समस्त आयामों में प्रधानता, संकुचित विभागीय चिंतन से राष्ट्रीय चिंतन के लिए अधिक अवसर" -ये सारे जातिवाद को दूर करने के उपाय हैं। समाज को धर्म की नीवं पर विभाजित करना तथा सामाजिक तथा आर्थिक असमानता धर्म सामंजस्य में अंतर कर सकता है। इसके बदले हमारे भारत का समग्र संप्रदाय, लोगों में सामान्य तथा स्वास्थ्य राष्ट्रीय चिंतनों को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जाति बुनियादी बहुत्व की समग्रता, समानता, भाई-चारा तथा सांस्कृतिक बहुरूपता के लिए खतरा न होने से रोकना चाहिए। जातिरहित तथ्य के अनुसार रहने का मनोधर्म चाहिए।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

स्त्रियों के स्थानमान :

स्वतंत्रता के पूर्व में महिलाओं की उपलब्धियों को पहचान सकती हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई,कित्तूररानी चेन्नम्मा,अनिबेसेंट, कस्तूर बा गांधी,सावित्री बाफुले, सरोजिनी नायडू-आदि को याद कर सकते हैं। आजकल की महिलाएँ चिकित्सा,अध्यापक, ईंजिनीयर, पैलट, गगनयात्री, पूलिस, राजनीति, रक्षादल-इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इतना होने पर भी उनकी योग्यता और भी सुधरना चाहिए । सामाजिक पद्धतियाँ, गरीबी और अशिक्षा आदि के कारण स्त्रियों का स्थानमान प्रगति पथ से पीछे हैं। यह देश की प्रगति को समस्या के रूप में मौजूद है।

सरकार ने महिलाओं की शिक्षा तथा अभिवृद्धि बढ़ाने के लिए, महिला और बच्चों के कल्याण विभाग आरंभ किया है। इसके द्वारा महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के स्थानमान को उत्तम करने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए महिला शिक्षण,बाल्यविवाह निषिद्ध कानून-आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कर्नाटक सरकार ने 'स्त्रीशक्ति' जैसा कार्यक्रम का आयोजन करके गाँव की महिलओं के विकास का प्रयत्न किया है। महिलाओं के स्व-उद्योग आर्थिक सहायता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। महिलादल, युवतिदल, स्त्रीशक्ति संघ, स्व-सहायक संघ-ये महिलाओं की समग्र अभिवृद्धि हेतु पूरक कार्यक्रम चला रहा है। राज्य और राष्ट्र स्तर पर महिला आयोग निर्माण करके, महिलाओं की शिकायतें स्वीकार करके न्याय दिलाने का प्रयास करती है। प्रशासन और संसद की राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण देने का प्रयत्न हो रहा है। अभी तो स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। सरकारी नौकरी में भी निश्चित प्रमाण में आरक्षण प्रावधान दिया जा रहा है।

इंदिरागांधी
प्रथम महिला प्रधान मंत्री

प्रतिभासिंह पाटील
प्रथम महिला राष्ट्रपति

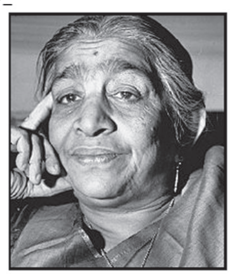

सरोजिनी नायडू
प्रथम महिला राज्यपाल

सुचेता कृपलानी
प्रथम महिला मुख्यमंत्री

भारत में इंदिरागांधी प्रधानमंत्री के रूप में, प्रतिभासिंह पाटील राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। अनेक महिलाओं ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री,विदेशी राज दूत के रूप में तथा अन्य उन्नत में पदों अलंकृत होकर परिणामात्मक ढंग से अपनी जिम्मेदारी निभायी हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

आतंकवाद :

अंतकवाद को भीतिवाद अथवा उग्रवाद भी कह सकते हैं। अब यह एक बलप्रयोग के रूप में तनाव तकनीकी, राजनीति, धार्मिक अथवा सैद्धांतिक बुनियाद में लक्ष्य रखनेवाला आतंकवाद व्यक्ति और संपत्ति को विभिन्न प्रकार की हानि पहुँचा रहा है। उससे भी बढ़कर उग्रवाद मानसिक अशांति देता है। सामाजिक संस्कृति को, उसी तरह से सरकार को भी नकारात्मक असर डालता है। उग्रगामियों का संगठन अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए तथा भय का वातावरण निर्माण करने का उद्देश्य रहनेवाली राजनीति संबंधित कूटनीति को आतंकवाद कह सकते हैं। इस प्रकार की हिंसा कृत्य कानून रहित है तथा समाजद्रोह के बराबर है। सन् 2001 में अमरिका के वैश्विक व्यापार केंद्र का ध्वंस, उसी तरह ब्रिटन, ईरान, भारत, अपघानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि कई देशों में क्रमानुसार बांब विस्फोटें वैश्विक स्तर पर बहुत दुख की बात है। इस तरह की उग्रगामी भावना धार्मिक बुनियाद का चिंतन है । प्रत्येकवाद से तीव्र तर पामपंथ के विचार से, प्रदेश बिछुड़ने की हठ से, जातिद्वेष नीति-आदि विचार धाराओं से प्रेरित है।

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अंतर्गत के अंतकवाद के लिए आर्थिक तथा अन्य सहयोग देने की व्यवस्था भी है। यह उग्रगामी भावना राष्ट्र के नागरिकों के पर, सेना दलों के पर,उसी तरह निश्चित भाषा, धर्म, जन अथवा जाति के ऊपर आक्रमण अनेक प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं। अंतकवाद भय बढ़ाने के अलावा प्रचार-प्रसार पाने के उद्देश्य से होता है। इतना मात्र नहीं सबसे अधिक दुख दर्द देनेवाली विस्फोटक चीज़ें, विषानिल प्रयोग के लिए मार्ग दिखाता है। इस प्रकार आघात पहुँचानेवाली घटनाएँ काफी पूर्वयोजित है। उग्रगामी अपने ही गुप्तचरों को तैनात करेत हैं। इनके द्वारा धन संग्रह करते हैं। आधुनिक यातायात के साधनों, समूह माध्यमों का भी उपयोग करते हैं। ये अपने निश्चित लक्ष्य तथा संगठन के लिए काफी प्रचार करते हैं। यातायात, रेल,हवाई जहाज़, भीड़भाड़, बाज़ार का परिवेश आदि भयात्पादकों के लिए मिलनेवाले आम स्थान है। प्रचार-प्रसार भी इस के साथ-साथ बढ़ता है। इसे परंपरारहित युद्ध भी कह सकते हैं। आत्महत्या, आक्रमण,हवाई जहाज की चोरी,गोलीमार,बंबमार, अबोध लोगों की चोरी ये सारे उग्रगामियों के कृत्य हैं।

भारत इस प्रकार के उग्रगामी व्यवहार के लिए काफी म्रास बना राष्ट्र है। कश्मीर, नागलैंड,मिजोराम, असम-आदि विविध राज्यों में अतंकवाद सिर उठाता रहता है। 26 नवंबर 2007 को मुंबई के ताजमहल होटल और रेल अड्डे पर आक्रमण, दिल्ली के संसद भवन पर, उसी तरह हैदराबाद, चन्नै बेंगलूर, बुद्धगया-आदि स्थानों पर विध्वंसक कृत्य हुए हैं। हमारे पडोसी पाकिस्तान तथा चीन इसकी टीका करते हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

भारत अन्यों की भूमि भी आतंकवाद को विरोध करता है। हमारा केंद्र तथा राज्य सरकार विप्लवकारी को रोकने के लिए अनेक प्रयत्न कर रही है। अपने द्वारा जनता के प्राण तथा संपत्ति बचाने का प्रयास कर रहा है। उग्रगामियों को रोकने के लिए प्रशिक्षित दल का निर्माण कर रहा है। कभी-कभी रक्षा दलों को इस प्रकार उग्रगामियों के विरुद्ध लड़ने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। शांतिप्रिय राष्ट्र हम उग्रगामी व्यवस्था को विरोध करते हैं।

मनुकुल के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो एक सत्य का आभास होता है। हिंसा, अतंकवाद से उपलब्धि कम है तथा सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग से उपलब्धि अधिक है। हमें पता चलता है कि महात्मा गांधीजी, इंदिरागांधी, राजीवगांधी की हत्या होने पर भी नया इतिहास का निर्माण तो नहीं हुआ है, लेकिन बुद्ध, महावीर, जीसस, महम्मद पैगंबर, बसव, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला-आदियों से मनुकुल को नयी चेतना, नया प्रकाश शांति प्राप्त हुई है। हिंसा-द्वेष से शांति - प्रेम ही बढ़ोत्तरी है।

कार्पोरेट तकनीकी:

21 सदी में कार्पोरेट तकनीकी भारतीय नागरिक समाज के लिए एक बड़ा सवाल है। एक निश्चित उद्देश्य के साथ पूर्व निर्धारित लक्ष्य पहुँचने के लिए संगठन करनेवाले विविध प्रशासनिक प्रयत्नों को कार्पोरेट तकनीकी कहा जाता हैं। आजकल का कार्पोरेट तकनीकी वैश्वीकरण तथा आधुनिकीकरण तकनीकी ज्ञान के साथ बढ़ रहा है। तकनीकी के प्रमुख उद्देश्य है कि लाभ पाना है। इससे नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति-जीवन, समाज तथा राष्ट्र के ऊपर होता है। प्रमुख निर्धारों को लेने पर भी कार्पोरेट तकनीकी अपने प्रभावों को नागरिक समाज पर अभिवृद्धि निर्माण करने में कार्पोरेट सामाजिक दृढ़ता के अधीन में गरीबी हटाओ, गुणवत्ता स्वास्थ्य, शिक्षा,आवास, आहार-आदि मूल सेवाओं को परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त अभिवृद्धि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, लेकिन इस प्रकार के कार्पो रेट सामाजिक सदृढ़ता की योजना से लाभ पाने के लिए उपयुक्त भारतीय समाज उपयुक्त स्थाई जागृत करने से मात्र कार्पोरेट तकनीकी अधिक समाजिक कार्य के लिए साध्य है।

अभ्यास:-

I. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये:-

1. अपने आवास स्थान के बारे में अत्यंत अभिमान को ____________ कहते हैं।
2. भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण ____________ साल में हुआ।
3. कर्नाटक में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ____________ संस्था हैं।
4. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ____________ करोड़ पार किया है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

II. निम्नलिखित प्रश्नों के समूहों में चर्चा करके उत्तर लिखिये:-

1. जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है, कैसे ?
2. क्षेत्रीयवाद देश की अभिवृद्धि के लिए खतरनाक है. चर्चा कीजिये।
3. महिलाओं के स्तर की गुणवत्ता के लिए आपके सुझाव समझाइये।
4. बेरोज़गारी दूर करने के लिए निर्धारित क्रम कौन-कौन से हैं?
5. कर्नाटक में प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिए निर्धारित क्रम कौन-कौन से हैं ?
6. अतंकवाद होनेवाले परिणाम कौन-कौन से हैं?
7. भारत अतंकवाद रोकने के लिए कौन-कौन से क्रम अपनाये हैं?
8. कार्पोरेट तकनीकी का मतलब क्या है? और उसका वर्तमान विकास के बारे में विवरण दीजिये।

III. गतिविधि:-

1. संविधान के उनुच्छेद 371 के अनुसार आरक्षण प्राप्त राज्यों की सूची बनाइये।
2. क्षेत्रीयवाद देश की भिन्नता सृष्टि करके के उसके बारे में चर्चा करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन कीजिये।
3. आपके स्थानीय संस्था के महिला सदस्यों के साथ महिलाओं के स्थानमान के बारे में साक्षात्कार कीजिये।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय-2

भारत की विदेशी नीति

इस अध्याय में निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत हो सकेंगे।

- भारत की विदेशी नीति के स्वरूप
- पंचशील तत्व
- अलिप्त नीति
- निशस्त्रीकरण
- वर्णभेद नीति का विरोध

संसार के विविध राष्ट्र अंतराष्ट्रीय स्तर में कैसे व्यवहार करते रहे हैं, आपसी संबंधों को किस ढंग से निभाते रहे हैं, इसके संबंध में अध्ययन करना आवश्यक है। जिस तरह व्यक्ति अकेला रहना असाध्य है, उसी भाँति हर राष्ट्र, अन्य राष्ट्रों से साथ बिना संबंध के रहना असाध्य है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार करने की नीति को विदेशी नीति कही जाती है। आजकल हर राष्ट्र को अपना ही विदेशी नीति आवश्यक है। विश्व में 200 राष्ट्र हैं। कुछ राष्ट्र सबल है तो कुछ राष्ट्र निर्बल हैं, फिर भी एक न एक विदेशी नीति का अनुसरण करता है। अत: विद्वान कहते हैं - ''संसार में सार्वभौम अधिकार युक्त राष्ट्र रहने तक एक न एक प्रकार की विदेशी नीति रहती है । सार्वभौम का अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अधीन में न रहना। स्वतंत्रता से रहनेवाले राष्ट्र को सार्वभौम सर्वोच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्र कहा जाता है।

आपकी जानकारी के लिए :

'किसी भी नीति निर्माण होने पर भी विदेशी व्यवहार की कुशलता रहना उस देश को अत्यंत तथा हित पहचान ने में है। हम अंतराष्ट्रीय उपयोगिता के बारे में चिंतन कर सकते हैं। हम शांति और स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। प्रामाणिक रूप से उसे समझ सकते हैं। लेकिन हर सरकार अपनी प्रशांसा देश की सफलताओं के लिए काम करती है। सरकार भविष्य में राष्ट्र का हित के लिए बाधा पहुँचानेवाली कोई भी कार्य करने के लिए तैयार नहीं है।

- जवाहरलाल नेहरु

ध्यान देने की बात है कि भारत भी आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी अपने ही ढंग की विदेशी नीति अपनाया है। भारत अधिक जनसंख्या, अधिक प्राकृतिक संसाधन, कुशल बौद्धिकता तथा औद्योगिक सामर्थ्य, शक्तियुक्त सेना, आदि प्राप्त, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्वस्तर का स्थान पाया है। वर्तमान संसार के कुछ राष्ट्र अपने ही निर्दिष्ट तथा विदेशी नीति अनुसरण करनेवाले देशों में भारत भी एक है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

भारत देश सन् 1947 में आजादी प्राप्त सार्वभौम राष्ट्र है। यह अपनी विदेशी नीति के द्वारा संसार के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापना के लिए अपेक्षा करता है। भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख उद्द्देश्य है।

1. राष्ट्ररक्षा
2. राष्ट्र के आर्थिक संवर्धन
3. हमारे देश की सांस्कृतिक मूल्यों को दूसरे देश में प्रचार-प्रसार।
4. मित्र राष्ट्रों के साथ संबंध बढ़ाने के अलावा दुश्मन राष्ट्रों को रोकना।
5. विश्वशांति तथा समायोजना को स्थापित करना।

चर्चा की जिये :

"यह राष्ट्र क्रूर है। हम ने शांति प्रचार-प्रसार का ध्वज फहराने के लिए अपेक्षित किया," लेकिन हम भोलेपन से धोखाधड़ी से ग्रास हो गये । चीन अक्रमण के उपरांत संसद सभा में प्रधानमंत्री नेहरू जी उक्ति हैं।

7 सितंबर 1946 को जवाहर लाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया उसमें विदेशी नीति की रूपरेखा का परिचय था।उनका यह भाषण अमरिका, रूस तथा चीन आदि देशों के साथ संबंध स्थापना करनेवाले नियमों की सूचना भी दिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के पद निभाने के साथ-साथ विदेशी नीति पद को भी कुशलता के साथ निभाया; अत: भारत की विदेशी नीति को नेहरू की विदेशी निति से जाना जाता है। भारत की विदेशी नीति विविध अंशों के प्रभावों से निर्मित है। राष्ट्र के हित, भौतिक परिसर, राजनीति की हालत, आर्थिक व्यवस्था, रक्षा की क्षमता, लोगों की विचारधारा, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण-आदि विविध बिंदुओं, हमारे देश की विदेशी नीति में संलग्न हैं।

भारत की विदेशी नीति के मूलभूत अंश :

1. पंचशील तत्व:

विश्व के राष्ट्र विभिन्न सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं से युक्त हैं तो भी आपस में सहकार, सहयोग की भावना से है। इसके आधार पर भारत और चीन सन् 1954 जून में विश्वशांति की दृष्टि से चीन प्रधानमंत्री (चौ.एन लाय तथा भारत का प्रधानमंत्री जवहरलाल नेहरु) आपसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध संवद्र्धन के लिए पाँच तत्वों को अपनाया। वे ही पंचशील तत्व हैं।

1. आपसी राष्ट्र स्थानीय तथा सार्वभौम का आदर करना।
2. आपस में आक्रमण न करना।
3. आंतरिक व्यवहारों में आपसी बाधा न देना।
4. आपसी सहयोग तथा समानता।
5. शांतियुक्त सहयोग ये हमारे देश की विदेशी नीति के नींव कह सकते हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

2. अलिप्त नीतिः

> **समझिये** :
>
> *SAARC - सार्क South Asian Association for Regional Co-operation.*
>
> *सार्क दक्षिण एशिया के राष्ट्रों का संगठन है। 8, 1958 को यह लागू हुआ भारत, श्रीलंका. भूतान माल्डीव्स, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान तथा अफगानिस्थान राष्ट्र इसने सदस्य राष्ट्र हैं, सन् 1986 को सार्क सम्मेलन हमारे देश में हुआ है।*

द्वितीय महायुद्ध के उपरांत विश्व दो भागों में विभाजित हो गया था। अमेरिका संयुक्त संस्थान के नेतृत्व में गणतंत्र के राष्ट्र तथा सोवियत रूस के बुजुर्ग साम्यवाद राष्ट्र-इन दोनों दलों में शीतयुद्ध आरंभ हो गया। तत्संदर्भ भारत किसी भी दल में नहींन मिलने के बदले अलिप्त नीति अपनाकर शांत हो गया। साथ दोनों दलों से विश्वास पाने के द्वारा अमरिका से आर्थिक सहकार तथा सोवियत रूस से सुरक्षा पाने में सफल हुआ। इतना मात्र नहीं संसार के समस्त समाचार उनका गुण-दोषों के आधार पर स्वागत करना अथवा विरोध करना स्वतंत्र कार्य स्वरूप भारत अपनाया । इस प्रकार अलिप्त नीति का निर्माण विदेशी नीति में अनुसरण करने की कीर्ति भारत को मिलती है। नेहरू के उपरांत, लालबहादुरशास्त्री तथा इंदरागांधी सवाल के लिए सवाल की विदेशी नीति अपनाये । सन् 1965 में तथा सन् 1971 में घटित पाकिस्तान विरुद्ध के युद्ध इस नीति को अपनाया । इसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश की विदेशी नीति सुधार करके, पाकिस्तान के साथ भाईचारा संबंध के लिए प्रयास किया।

3. उपनिवेशन की पद्धति का विरोधः

भारत की विदेशी नीति उपनिवेशन पद्धति का विरोध करता है। एक राष्ट्र,दूसरे राष्ट्र को अपने वश में लेकर, उसके सार्वभौम को नाश करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को उपनिवेशन कहते हैं। उपनिवेशन पद्धति विरोध करके आजादी प्राप्त भारत सहज रूप से उसे विरोध करके, संसार के किसी भी कोने में उपनिवेशन पद्धति न रहने के लिए दिल्ली तथा बांडूंग में घटित एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन में (1949 और 1955) अपने विचार प्रतिपादित किया।

4. वर्णभेद नीति को विरोधः

एक जाति अथवा वर्ण जन समुदाय दूसरे जाति अथवा वर्ण जन समुदाय को अपने से निम्न समझकर उनको विरोध करनेवाली नीति को जातिभेद नीति कही जाती है। यह नीति अमानवीय तथा मानव कर्तव्यों को उल्लंगन कराना विश्वशांति तथा सहयोग के लिए

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

बाधक है। इस प्रकार के वर्णभेद नीति को संसार में कोई भी राष्ट्र न अपनाने वाली विदेशी नीति भारत में है। आज तक दक्षिण अफ्रिका के अल्प संख्यावाले गोरे अधिक संख्यावाले अफ्रिका के देशवासियों को अपने वश में रखे थे। इस जातिभेद नीति को अफ्रिका गांधी नाम से प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला जी के सहयोग में, अफ्रिका नैशनल कांग्रेस खूब विरोध करके आयोजित आंदोलन में भारत भी सहयोग दिया और लक्ष्य पहुँचा।

5. निशस्त्रीकरण:

गतिविधि :

आजकल के दिनों में भारत, विदेशी-नीति निर्माण करके अपनाने के लिए करनेवाली प्रक्रियाओं से संबंधित अंतर्जाल के सहयोग से सूचनाओं का संग्रह कीजिये।

कुछ निश्चित अस्त्रों को अनुक्रम से न रहने की ओर क्रमानुसार ध्यान देना निशस्त्रीकरण है। संसार में शस्त्रास्त्रों का उत्पादन, व्यापार, संग्रह करने में बड़ी स्पर्धा ही हुई है। इस प्रकार शस्त्रात्र की स्पर्धा में तीसरे महायुद्ध साध्य है। यह अंदाज ने भी कुछ राष्ट्रों में आतंक निर्माण किया है। शस्त्रास्त्रों की स्पर्धा में आये हुए राष्ट्र, अप्रत्याशित से, बेसमझ से उद्देश्य के अनुसार एक-दूसरे पर युद्ध के लिए उपयुक्त शस्त्रास्त्रों का उसमें भी परमाणु अस्त्रों की तैयारी करके प्रयोग करने का संभव है। अतः भारत शांतिप्रिय राष्ट्र है। गुणवत्ता तथा आकार की सीमा में निशस्त्रीकरण की प्रेरणा देती है। शांति तथा सौहार्द के लिए बल दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नेहरूजी की अवधि में सहज रूप से निशस्त्रीकरण के लिए बल दिया । पूर्ण ढंग से निशस्त्रीकरण असाध्य की बात है। ताकि हर राष्ट्र के लिए अपने ढंग से रक्षा रक्षणाव्यूह आवश्यक था। फिर भी भारत विश्वशांति तथा सहकार के लिए उपयुक्त विदेशी नीति के लिए विशेष बल दिया है।

भारत का संविधान अपने 51वीं विधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकार तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए आदर करनेवाली विदेशी नीति की सूचित करता है। केंद्र सरकार के विदेशी विभाग हमारे देश के विदेशी नीति निर्माण के अवसर पर राष्ट्र के हित तथा सार्वजनिक विचारधारा को अपनाता है। हमारी विदेशी नीति विश्वसंस्था के शक्ति संवर्द्धन करने की तरह निर्माण की गयी है। भारत,कामनवेल्थ ऑफ नैशनिल तथा सार्क (सौत एशियाई एशोशियेशन फार रीजिनल को-ऑफरेशन)इन दोनों संस्थाओं के द्वारा अऩेक देशों के साथ संबंध स्थापित करने की आशा की जाती है। विशेष रूप से विश्वसंस्था के प्रमुख सदस्य राष्ट्र के रूप में भारत का प्रमुख पात्र है।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अभ्यास

I. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये:

1. भारत की विदेशी नीति के विशेष ढंग से निर्माण करनेवाले ____________ थे ।
2. विश्व के किसी भी दल में न मिलनेवाली नीति को ____________ कहते हैं।
3. भारत आजादी से पूर्व में ____________ का उपनिवेशन के अंतर्गत था।

II. निम्नलिखत प्रश्नों के लिए समूह में चर्चा करके उत्तर दीजिये:

1. विदेशी नीति का मतलब क्या है?
2. विदेशी नीति राष्ट्र संवद्र्धन के लिए सहकारी है कैसे ?
3. भारतीय विदेशी नीति के लक्ष्य क्या-क्या है ?
4. भारत उपनिवेशन को विरोध करने के कारण क्या-क्या है बताइये।
5. पंचशील तत्व कौन-कौन से हैं ?
6. प्रस्तुत विश्व को निशस्त्रीकरण अनिवार्य है। इसे भारत क्यों प्रतिपादित करता है? विवरण दीजिये।

III. गतिविधि:-

1. समाचार पत्रों में प्रकाशित विदेशी नीति के समाचारों को संग्रह करके अल्बम तैयारी कीजिये।
2. अंतराष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में भारत की भूमिका के बारे में संग्रह कीजिए उदा: सिरियाई समस्या, श्रीलंका की समस्या-आदि।

IV. परियोजना:-

1. 'भारत अलिप्त नीति का अपनाने के कारण देश संवद्र्धन के लिए सहकारी है।' इस कथन पर चर्चा स्पर्धा का आयोजन कीजिये।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय-3

अन्य देशों के साथ भारत का संबंध

इस अध्याय में निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत होंगे।

- भारत और चीन का संबंध
- भारत और पाकिस्तान का संबंध
- भारत और रूस का संबंध
- भारत और अमेरिका का संबंध

एक परिवार दूसरे परिवार के साथ बिना व्यवहार से अभिवृद्धि साध्य नहीं है। उसी भाँति एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ बिना व्यवहार किये, अभिवृद्धि असाध्य है। वर्तमान वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के युग में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ उत्तम संबंध अनिवार्य है। हमारे संविधान के चौथे भाग में राजनीति निर्देशिका तत्वों के अधीन में 51 वाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग के बारे में कहा गया है। इसके आधार पर भारत अन्य राष्ट्रों के साथ उत्तम संबंध पाया है।

प्रमुख पड़ोसी देशों का संबंध:

भारत और चीन : चीन भारत के भूप्रदेश के साथ युक्त पड़ोसी बड़ा राष्ट्र है। भारत तथा चीन के सबंधों को सिंधु नदी मैदान की शिष्टता तथा मेसपटोमिया की शिष्टता के साथ पहचानती है। भारत में जन्म प्राप्त बौद्ध धर्म वर्तमान चीन में प्रचार, भारत और चीन के संबंध को प्रतिबिंबित करता है। भारत के राजागण चीन के कई राजा गण के साथ उत्तम व्यापार के उल्लेख मिलते हैं। भारत-चीन के व्यापार का संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीन के रेशम के बारे में उल्लेख है। इस प्रकार ऐतिहासिक संबंध प्राप्त भारत तथा चीन सार्वभौम राष्ट्रों के रूप में जन्म लेने के बाद पंचशील तत्वों के द्वारा दोनों राष्ट्रों के संवद्र्धन के लिए प्रयत्न किया गया। सन् 1962 में टिबेट विवाद के कारण दोनों राष्ट्रों के बीच के युद्ध के उपरांत सीमा की समस्या आरंभ हुई। यह सीमा समस्या आज भी लागू है। चीन देश भारत का अंग अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है। यह विचार प्रस्तुत करने के कारण यह समस्या दोनों देश के संबंध को और भी कठिन बना दिया है।

भारत और चीन के बीच, सीमा विवाद रहने पर भी दोनों राष्ट्रों के बीच का संबंध लगातार से प्रगति पर है। भारत और चीन दोनों देश संसार में अधिक जनसंख्या प्राप्त देशों के अलावा विश्व की अभिवृादेध में दोनों को प्रमुख राष्ट्रों के रूप में पहचान है। सन् 1980

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

के उपरांत चीन देश भारत के साथ बड़े ढंग से व्यापार तथा वाणिज्य संपर्क राष्ट्र के रूप में बढ़े दोनों राष्ट्रों का संबंध मजबूत बना दिया है। इतना मात्र नहीं सन् 2015 के उपरांत भारत चीन के फलस्वरूप (Brics)राष्ट्रों का दल आरंभ हुआ है। यह दोनों राष्ट्रों के बीच का संबंध और भी उत्तम बना दिया है।

भारत और पाकिस्तान : भारत और पाकिस्तान दोनों पडोसी राष्ट्र हैं। पाकिस्तान भारत के लिए केवल राष्ट्र मात्र नहीं स्वतंत्रता से पूर्व भारत का अभिन्न अंग था। लेकिन सन् 1947 के भारत आजादी कानून के अनुसार दोनों प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्रों के रूप में निर्माण हुए। आजादी के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच विदेशी व्यवहार आरंभ हुआ लेकिन इन दोनों राष्ट्रों के बीच जम्मू-कश्मीर के भयोत्पादन, पानी बँटन आदि समस्याएँ हैं। इस तरह अब तक दोनों राष्ट्रों के बीच तीन बार युद्ध हुआ है। दोनों राष्ट्रों के बीच उत्तम सहयोग के लिए ताष्केंट करार, सिम्ला करार, लाहौर बस यात्रा, आगरा श्रृंगसभा, आदि में दोनों राष्ट्रों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन इस तरह के करार अपेक्षित सफलता पाने में असफल हुआ है। ताकि दोनों राष्ट्र लगातार से दो छोर की बातचीत में लग जाने पर भी 2001 में संसद पर आक्रमण, 2008 में मुंबई आक्रमण, 2016 में पठान किले पर आक्रमण आपसी संबंधों का संवर्द्धन के लिए बाधा हुई है।

> **गतिविधि :**
> *भारत-पाकिस्तान से आजकल के संबंधों से संबंधित दैनंदिन पत्रिकोंओं में आनेवाली सूचनाओं को संग्रह करके पढ़िये।*

भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर समस्या के लिए लगातार से युद्ध होने पर भी कुछ विषयों में दोनों देशों में समान भावना देख सकते हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच संस्कृति तथा आर्थिक विषयों में आपसी विनिमय कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, ताकि स्वतंत्रता से आजतक व्यापार, वाणिज्य संबंध लगातार से आगे बढ़े हैं। उसी ढंग से खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम , व्यवहार, प्राकृतिक विकोप से घटित संदर्भों में दोनों राष्ट्र सहयोग दिये हैं।

शक्तियुत राष्ट्रों के साथ संबंध

भारत और रूस : भारत और रूस के बीच उत्तम संबंध है। उससे पहले सोवियत एशियाई संघ के साथ भी उत्तम संबंध था। भारत में अलिप्त नीति रहने पर भी भारत-सोवियत करार, राजनीति, आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में उत्तम प्रगति की है। (सन् 1962 में चीन आक्रमण को सोवियत खंडन किया सन् 1961में गोवा आजादी के संदर्भ में सोवियत रूस भारत को विश्वसंस्था में सहयोग दिया।) सन् 1966 में ताष्केंट में भारत-पाकिस्तान के बीच का करार को रूस सहयोग दिया। सन् 1971 में भारत तथा रूस ने 20 साल की शांति, मित्रता-सहकार करार के लिए हस्ताक्षर किया। भारत का भिलाई तथा भोकारों इस्पात

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कारखानों को सोवियत ने सहयोग दिया था। हमारे देश के कारखानों तथा वाणिज्य क्षेत्रों के विकास के लिए रूस से अधिक सहयोग मिला है। विश्वसंस्था की रक्षा समिति में भारत के लिए स्थायी सदस्य मिलना चाहिए ऐसा रूस प्रतिपादित करता है।

भारत और अमेरिका: भारत और अमेरिका संयुक्त संस्थान दोनों बृहत राष्ट्र तथा गणतंत्र प्राप्त देश है। वर्तमान वैश्विक विचारधारा में इन दोनों राष्ट्रों की आपसी दोस्ती बहुत प्रमुख है। सन् 1947 के उपरांत ये दोनों राष्ट्रों के संबंध में राष्ट्रीय लाभों के आधार पर अनेक स्थितियों में अंतर देखा हैं। संसार राजनीति आंदोलन के अवसर पर भारत ने असहयोग नीति अपनायी तथा अमेरिका नायक प्रजातंत्र के दल से उसी भाँति सोवियत रूस के वरिष्ठ साम्यवाद दल से समान अंतर की नीति अपनायी । भारत की पंचवार्षिक योजना को अमरिका अधिक सहयोग दिया। सन् 1962 के चीन आक्रमण के संदर्भ में अमेरिका के अधिक सहयोग मिला लेकिन उसके उपरांत वहाँ के नेतागण भारत-पाकिस्तान युद्ध के अवसर पाकिस्तान को सहयोग दिया। कई बार अमेरिका की विदेशी नीति भारत के खिलाफ था पाकिस्तान की ओर थी। भयोत्पादन का सर्वनाश करने में हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच समान सहयोग है। भारत के विदेशी व्यापार, विज्ञान तथा तकनीकी बाह्याकाश, शिक्षा-आदि क्षेत्रों में अमेरिका के साथ उत्तम संबंध है। विश्वसंस्था संवद्र्धन के लिए तथा विश्वशांति बचाने के उद्देश्य से दोनों राष्ट्र समान विचारों से ओतप्रोत है । अमेरिका गणतंत्र तथा प्रजातंत्र पक्षों से जुड़े राष्ट्राध्यक्ष की विचार धाराओं को भारत सूक्ष्म ढंग से देखकर तथा उसके अनुसार भारत अपनी विदेशी नीति का निर्माण किया है।

भारत अपने पड़ोसी देश भूतान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, इंडोनेशिया तथा विश्व के विविध खंडों के राष्ट्रों के साथ अपना निकट संबंध पाया है।

© KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की कीजिये:

1. पंचशील तत्वों के द्वारा ____________ राष्ट्रों के साथ संबंध वृद्धि की गयी है।
2. अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग के बारे में हमारे संविधान के ____________ अनुच्छेद में बताया गया है।
3. सन 1962 में ____________ देश ने भारत पर आक्रमण किया।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

II. निम्नलिखित प्रश्नों के समूह में चर्चा करके उत्तर लिखिये:-

1. अन्य राष्ट्रों के साथ उत्तम सहयोग क्यों चाहिए?
2. भारत और पाकिस्तान के बीच क्रांति के कारण क्या-क्या हैं?
3. आजकल चीन के साथ हमारा संबंध बिगड़ने के कारण क्या है?
4. भारत और अमरिका प्रजातंत्र देश है, इनका आपसी संबंध कैसा है ? विवरण दीजिये।
5. रूस के साथ भारत के संबंध का विवरण कीजिये।

III. गतिविधि:

1. भारत का पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों के बारे में विचार संग्रह कीजिये।
2. भारत का मानचित्र लिखकर पड़ोसी राष्ट्रों को पहचानिये।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

समाज शास्त्र

अध्याय - 1

सामाजिक स्तरीकरण

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों को जानते हैं।

- सामाजिक असमानता (शिक्षा, लिंग, व्यवसाय, आय, अवसर आदि)
- सामाजिक स्तर
- छूआ-छूत-एक सामाजिक समस्या
- छूआ-छूत निराकरण के लिए कानून

सामाजिक असमानता

सामाजिक असमानता सूचित करती है कि व्यक्ति समाज में विविध प्रकार की विशेषतओं जैसे लिंग, जाति व्यवसाय, वर्ग, जनांग के आधार पर श्रेणीकृत होते हैं जैसे आय के स्त्रोत, शिक्षा, व्यवासायिक अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएँ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व और भागित्व । अर्थात् असमान सामाजिक अवसरों का परिणाम ही सामाजिक असमानता है। सामाजिक रचना में वस्तुओं, आयों, अवसरों, पुरस्कारों स्थानों को असमान रीति से होने के कारण असमानता आगे बढ़ती रहती है। उदाहरणार्थ। सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे समाजिक सेवा क्षेत्रों से दूर रखने से गरीबों के जीने का हक छीना जाता है। और इसके द्वारा राष्ट्र तथा जगत के कुछ ही अमीरों के पास ही संपत्ति समेकित होती है। पिछले एक दशक में पचास से अधिक बिलियनेरों और एक लाख से अधिक मिलियनेरों का निर्माण आर्थिक विकासाधरित अभिवृद्धि के परिणाम से हुआ है। लेकिन अवसर, जातीय, लिंगत्वमूल जैसी समाजिक सुरक्षाओं की उपेक्षाओं को देखने से सामाजिक असमानता का स्वरूप दिखाई देता है।

शिक्षा और असमानता : शिक्षा में समानता, भागित्व, समान अवसर और सामाजिक न्याय में बदलाव लाने की शक्ति होती है। इस दृष्टिकोण से सार्वजनिको की अच्छाई के लिए सरकार द्वारा सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को हमारे संविधान के प्रास्ताविक तथा राज्यनैतिक निर्देशक तत्वों में देखा जा सकता है। संविधन की 39 वीं विधि में सामाजिक न्याय और लोगों के विकास के अवसरों के बारे में कहा गया है। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने के लिए 45 वीं विधि में कहा गया है। संविधान के 86वें सुधार के बाद 6से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालाधिकार कहकर इसे '21ए'

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

विधि के अंतर्गत लाया गया है। इसके अनुसार 45वीं विधि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की शैशवावस्था की रक्षा और क्षौक्षिक अवसरों को सूचित करती है। विधि 19 में यह घोषणा की गयी है कि वाक् स्वतंत्रता और अपने विचार मंडन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। अवसरों से वंचित अल्प संख्यकों के हित की रक्षा करना संविधानात्मक कार्य कहा है। इसके अनुसार 29वीं विधि अल्प संख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों के लिए सुरक्षा देती है। ऐसे ही 30वीं विधि ने अवसरों से वंचित और अल्प संख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने की अवसर दिया है। संविधान की 46 वीं विधि में पिछडे हुए विशेष रूप से अनुसूचित जाति/वर्ग के लोगों की शैक्षिक रुचियों के लिए पुष्टि देकर विकास करना सरकार का दायित्व कहा गया है।

उच्चतम न्यायालय ने संविधान की 21 वीं विधि में जीने के हक को शिक्षा की पृष्ठभूमि में स्पष्टीकृत कियागया है। यह बहुत महत्व रखता है। उच्चतम न्यायालय ने विद्यालयीय शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप में घोषणा कर इन सभी प्रयत्नों के लिए एक नया मोड़ दिया। इसके द्वारा शिक्षा से वंचित बच्चों की ज़िंदगी में एक नयी दिशा दिलायी। उच्चतम न्यायालय ने 1993 में उन्निकृष्णन् v/s आंध्रप्रदेश सरकार के मुकद्दमे के फैसले ने 21ए विधि के अनुरुप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मूलभूत अधिकार कहा है।

इस फैसले में न्यायालय ने कहा है कि बालवाडी से उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा को भी मिलाकर सभी को समग्र और समेकित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस फैसले के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार है। यह जीने के अधिकार का भाग है।

आजकल शिक्षा क्षेत्र में असमानता की वृद्धि करनेवाले कानूनी अवसर अधिक हो रहे हैं। शैक्षिक अवसरों का उपयोग करने में भी आर्थिक वर्गों के बीच असमानता दिखाई दे रही है। स्वातंत्रोतर भारत में संविधानात्मक अधिकार और अवसरों का उचित रीति से उपयोग करने के द्वारा शैक्षिक असमानता का निराकरण करने का प्रयास निरंतर रूप से चल रहा है।

लिंगभेद की असमानता : वास्तव में हमारे मनोभाव परस्पर निर्भर होते हैं। उदाहरणार्थ शिक्षा-मूल्य से संबंधित एक व्यक्ति में रहने वाले विचार दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से आये होंगे। एक ही परिवार में निवास करनेवाले लोगों पर इस प्रकार के प्रभाव समुदाय से अथवा पड़ोसों के प्रभाव से होंगे। इस दृष्टि से बालक और बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रेरणा शक्ति प्रमुख रूप से सामाजिक आयाम से युक्त है। इससे विद्यालय में भाग लेने में, खाद्य और स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने में लिंग भेद की असमानता हम देख सकते हैं।

Not to be republished ©KTBS

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 4 (एच.एफ.एच.एस-4) के अनुसार कर्नाटक के ग्रामीणभाग के 24.3 और नगर प्रदेश 16.2 प्रतिशत महिलाएँ बाडी मास सूची (बी.एम.ऐ) के निम्नतर से कम वजन की हैं। 06 महीने से 56 महीने के बच्चों में 60.9 प्रतिशत बच्चे खून की कमी से पीड़ित हैं। गर्भवतियों में 45.2 प्रतिशत महिलाएँ खून की कमी से पीडित हैं। महिलाओं और बच्चों की स्थिति ऐसी होने के कारण इन्हें खाद्य, स्वास्थ्य और पौष्टिकता की सुरक्षा, अधिगम के लिए शिक्षा का सहारा देकर महिलाओं को विकास के पथ पर लाकर लिंग भेद की असमानता का निराकारण करने का प्रयत्न करना चाहिए।

सामाजिक स्तरीकरण

समाज के सदस्यों को ऊँच-नीच के रूप में वर्ग करके उन्हें अलग-अलग सामाजिक स्थान और भूमिका देने का क्रम मानव - समाज की विशेषता होकर आगे बढ रहा है। समाज में रहनेवालेच ''लोगों को विभिन्न स्तरों के रूप में वर्गीकरण करने की व्यवस्था अथवा श्रेणी में विभिन्न स्थानों के रूप में विभक्त करने का क्रम ही सामाजिक स्तरीकरण है।''

सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ -

1. सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक है : स्तरीकरण को व्यक्तियों के शारिरिक गुणों पर निर्धारित न करके सामाजिक स्थान-मान और प्रमुखता पर निर्धारित किया जाता है। उदाहरणार्थ व्यक्ति के शारीरिक रूप से लंबे, सुंदर और बलवान होने के मात्र से उसका सामाजिक स्थान निर्धारित न होकर उसकी, शिक्षा, बुद्धिमता, आय, व्यवसाय, कौशल आदि अंशों के आधार पर निर्धारित होता है।

2. सामाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापक हैं: सामाजिक स्तरीकरण विश्वव्यापी हैं। जहाँ मानव समाज होता है वहाँ यह होता ही है। श्रम-विभाजन, व्यवसाय, आय इत्यादि सामाजिक अंशों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण सभी मानव-समाज में दिखाई देता है।

3. स्तर व्यवस्था प्राचीन है : मानव के सामुदायिक जीवन क्रम के आरंभ से ही सामाजिक स्तरीकरण है। मानव की भटकनेवाली जीवन पद्धति से लेकर आजकल के सामाजिक जीवन तक सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था के विविध रूप जारी है।

4. स्तरीकरण विविध रूपों में होता है : सामाजिक स्तरीकरण सभी समाजों में एक ही रूप में न होकर विभिन्न रूपों में विद्यमान है। उदाहरण के लिए प्राचीन रोम के पेट्रेसियन और प्लेवियन्नों के बीच में अंतर है। भारत में कर्म सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में चार सामाजिक विभाग हैं।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख रूप

सामाजिक स्तरीकरण पूरे जगत् में दिखाई देने पर भी वह एक रूप में नहीं होता है। इसमें कई भिन्नताएँ हैं। प्राचीन समाज से लेकर आज कल के डिजिटल समाज तक सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था के प्रमुख रुपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे हैं - 1 आदिवासी समाज 2. दासत्व 3. एस्टैट पद्धति 4. वर्णव्यवस्था और जाति व्यवस्था।

अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई

भारत में पहले वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। ऐसा समझा जाता कि इसका आरंभ वेदों के समय से हुआ है। चार वर्ण एक सामाजिक विभाजन की एक व्यवस्था है। कहा जाता है, यह कर्म सिध्दांत के आधार पर बनी है। इस सिध्दांत का आशय है कि ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ-याग आदि में, क्षत्रिय राज्य के शासन, वैश्य-व्यापार और व्यवहार में तथा शूद्र कृषि-श्रमिक होकर सेवा कार्य का निर्वहण करता है।

शूद्र से निम्न पाँचवे वर्ग में अस्पृश्य थे जिनकी स्थिति मनुष्यों के समान न होकर शोचनीय थी। अस्पृश्यता का आचरण वर्ण व्यवस्था के साथ ही अस्तित्व में आया है। स्पृश्य तथा अस्पृश्य की भावना मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक असमानता के मूल से बनी है। अस्पृश्य शब्द छूने योग्य नही - के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

अंग्रेज सरकार ने 1935 में केंद्र अधिनियम (सेंट्रल आक्ट) द्वारा भारत के अस्पृश्य वर्ग और पहाडी लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित वर्ग का नाम दिया गया।

भारतरत्न डॉ.बी.आर.अंबेडकर का कहना है - क्या बाहर के लोग आकर गाँव के बाहर निवास करने लगे अथवा गाँव में रहनेवाले लोगों को किस कारण से बाहर कर दिया गया - इसका विश्लेषण करने से हमें अस्पृश्यता का उगम और अस्पृश्य कौन है? इसकी जानकारी मिलती है। महात्मा गाँधीजी के अनुसार `अस्पृश्यता अत्यंत तिरस्कार योग्य अभिव्यक्ति है, यह हिंदू समाज के शरीर को कोढ़ रोग के समान पीडा दे रही है।' अस्पृश्यता के निराकरण के लिए डॉ अंबेडकर का संघर्ष यहाँ स्मरणीय है।

अस्पृश्यता की समस्याएँ :

सामाजिक व्यवस्था में अत्यंत निम्न स्थान : अस्पृश्यों के लिए सामाजिक व्यवस्था में अत्यंत निम्न स्थान दिया गया है। मनुस्मृति के अनुसार चांडालों को छूनेवाले कई प्रायश्चित करने पड़ते थे। व्याघ्रपाद स्मृति के अनुसार गाय की पूँछ की लंबाई के अंतर में यदि सवर्णीय, अस्पृश्यों के संपर्क में आये तो सवर्णीय को स्नान करके पवित्र होना पड़ता था।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

मलबार में अस्पृश्यों को स्वयम् तैयार करनेवाले चप्पलों को नहीं पहनना था। सवर्णीयों के तालाब, बावडी, कुँए, स्मशान-आदि को उन्हें उपयोग नहीं करना था। बी.कुप्पुस्वामी के अनुसार अस्पृश्यों को मल ले जानेवाली, मृत प्राणियों को ले जानेवाली, रास्ते, मोरी (निकास) स्वच्छ करनेवाली निम्न वृत्तियों को करना था। इस प्रकार उन्हें अत्यंत निम्न स्थान देकर उनके जन्म के कारण से उनकी सामाजिक जाति का नियंत्रण किया गया था।

शैक्षणिक अवसरों से दूर रखा गया था : शताब्दियों से अस्पृश्यों को शैक्षणिक क्रियाकलापों से दूर रखा गया था। वेदों को सुन और नहीं पढ सकते थे। संस्कृत भाषा को नहीं सीखना था। धर्म ग्रंथों की जानकारी नहीं लेनी थी। मध्य युग में भी यही स्थिति थी। अंग्रेजों के आने से पहले अस्पृश्य विद्यार्थियों को सवर्णीय विद्यार्थियों के साथ नहीं मिलना था। वे एक साथ बैठकर विद्यार्जन नहीं कर सकते थे। उन्हें सवर्णीय विद्यार्थियों से दूर बिठाया जाता था। अस्पृश्यता के कारण से ही निम्न जाति के लोगों को शैक्षणिक सुविधाओं से दूर रखा गया था।

अंबेडकर को शिक्षा ही सामाजिक न्याय प्राप्त करने के संघर्ष में प्रवेश देती है। यह भारत के सामाजिक संदर्भ में महत्तर भूमिका निभाती है। लोकतंत्र में लोगो के फैसले लेने प्रक्रिया की चर्चा में भाग लेने वाले सामर्थ्य हर एक को होना चाहिए। दूसरी ओर तार्किक रूप से विचार करने की शक्ति हर एक में होनी चाहिए यह शिक्षा प्राप्त करने से ही साध्य है। इसलिए अंबेडकर ने शिक्षा के महत्व की जानकारी देने के आंदोलन के लिए प्राथमिक स्थान दिया।

अंबेडकर का प्रतिपादन है कि शिक्षा सभी की संपत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार के क्रांतिकारी विचारों से ही अंबेडकर ने संविधान रचना समिति में महत्तर भूमिका निभाकर संविधान शिल्पि के रूप में गौरव प्राप्त किया है।

संपत्ति-स्वामित्वाधिकार का निराकरण : संप्रदाय के अनुसार अस्पृश्यों को प्रमुख आर्थिक क्रियाकलापों और संपत्ति पर स्वामित्वाधिकार न होकर उन्नत जाति की सेवा करनी थी। धर्म ग्रंथों का उल्लेख करके इन्हें संपत्ति पर अधिकार नहीं देते थे। यह मानव जीव विरोधी और मानवाधिकार का उल्लंघन है।

राजनीति में भाग न लेना : सांप्रदायिक शासन व्यवस्था में अस्पृश्यों को अवसर नहीं था। अंग्रेजों के शासन समय में अस्पृश्यों को राजनीति में भाग लेने के लिए कुछ हद तक अवसर था। डॉ बी.आर. अंबेडकर के संघर्ष के फल स्वरूप अछूतों के लिए राजनीति और शासन कार्य में अवसर मिल गये स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से अस्पृश्य समाज के अनुसूचित जाति एवं वर्ग के लिए चुनावों में आरक्षण क्षेत्र की व्यवस्था की गयी।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अस्पृश्यता नामक सामाजिक बुराई को हटाने के लिए भारत के संविधान में सारे विश्व में विशिष्ट रूप का न्याय और समानता देने की दिशा में वाग्दान किया जाता हैं। सभी लोगों के लिए प्रतिष्ठा, गौरव, स्वतंत्र, समानता और समान अवसरों को प्राप्त करने के लिए मौका देनेवाला हमारा संविधान अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी कारण अस्पृश्यता निराकरण के लिए कानूनों को लागू किया गया है।

अस्पृश्यता निराकरण के लिए कानून :

अस्पृश्यता नामक बुराई को हटाने के लिए ज्योतिभा पुले, डॉ.बी.आर. अंबेडकर आदि ने प्रयास करने पर भी इसे पूर्ण रूप से हटाने के लिए अभी तक नहीं हो सका है। इसे रोकने के लिए कानूनों को लागू किया गया है।

संविधान के 17वीं विधि अस्पृश्यता आचरण प्रतिबंध लगाया है। 1955 में भारत सरकार ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जारी किया है। इसमें दिखाई देनेवाले लोप-दोषों को सही करके नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम के रूप में 1976 में परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार अस्पृश्यता आचरण दंडाई अपराध है। बल्कि संविधानात्मक रूप में मतदान और समानता के अधिकारों को देश के सभी नागरिकों को दिया गया है। विशेष रूप से अनुसूचित लोगों के साथ पिछड़े हुए लोगों को शैक्षिक और व्यवसायिक अवसरों में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। 1989 के अधिनियम ने अस्पृश्यता निराकरण से संबंधित विशेष जिम्मेदारियों को राज्य सरकारों के लिए सौंपा गया है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत अस्पृश्यता निराकरण के लिए विशेष रुचि लेकर सभी नागरिकों के लिए समान अवसरों को प्रदान करने के लिए बल देते आया है।

यह आप जानिए :

- *संविधान की 15,16,17,38 और 46 वीं विधियाँ कहती है कि भारतीय नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार के अंतर नहीं दिखाना है।*
- *16(4) 320(4), वीं विधियों ने व्यावसाय क्षेत्र में अनुसूचित जाति और वर्गों के लिए आरक्षण की घोषणा की है।*
- *330, 332,334 वी विधियाँ राजनीतिक क्षेत्र में अनुसूचितों को आरक्षण की घोषणा की है ।*
- *29 वीं विधि ने शैक्षिक सुविधाओं की घोषणा की है।*
- *25 वीं. निधि ने सार्वजनिकों को धर्मिक केंद्रों में प्रवेश करने के अवसर की घोषणा की है।*

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अभ्यास

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. संविधान की __________ विधि ने अल्प संख्यकों के लिए शिक्षा संस्थाओं को स्थापना करने का अवसर दिया है।
2. अस्पृश्यता आचरण को संविधान की __________ विधि में प्रतिबंधित किया है।
3. अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ई. __________ में लागू किया गया।

II. टोली में चर्चा करके निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उत्तर दीजिए :-

1. सामाजिक असमानता के कारण कौन कौन से हैं?
2. लिंग भेद असमानता किस प्रकार होती है?
3. सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं?
4. अस्पृश्यता एक सामाजिक बुराई है? चर्चा कीजिए?

III. क्रियाकलाप :-

1. आपके गाँव की सामाजिक असमानता की समस्याओं की सूची बनाइए ।

IV. परियोजना :-

1. आपके विद्यालय में कानून सलाहकारों को बुलाकर अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता के बारे में विचार गोष्ठी और संवाद का आयोजन कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 2

उद्‌यम

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करते हैं :

- श्रम विभाजन
- उद्यम में असमानता और भेद-भाव
- पारिश्रमिक उद्यम सहित और पारिश्रमिक रहित उद्यम
- संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर
- असंगठित श्रमिकों की चुनौतियाँ

श्रम विभाजन : श्रम विभाजन (डिविजन ऑफ लेबर) के संबंध में प्लेटो ने अपने 'दि रिपब्लिक' नामक पुस्तक में लिखा है कि 'मानव समाज स्वाभाविक असमनताओं से बनता है। इस स्वाभाविक असमानता श्रम विभाजन से बनता हैं।' एक समाज के लिए आवश्यक सुविधाओं और वस्तुओं को भिन्न-भिन्न वर्ग के श्रमिक लोग पूरा करते हैं उदाहरणार्थ हमारे सजाज के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए किसान लोग चाहिए। कपड़े बुनने के लिए जुलाहे चाहिए। उसे सीने के लिए दर्जी चाहिए। श्रम विभाजन इन सभी उद्यम वर्गों को एक साथ होने के लिए मजबूर करता है। श्रम विभाजन समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। पर श्रम विभाजन में शोषण नहीं होना चाहिए।

कार्लमार्क्स ने श्रमविभाजन के बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि श्रम विभाजन कम कौशलवाले श्रमिकों को बनाता है। उन्होंने श्रम विभाजन को आर्थिक श्रम विभाजन और सामाजिक श्रम विभाजन के रूप में अलग किया है। आर्थिक श्रम विभाजन तकनीक अंशों के साथ श्रमिकों के सहकार से चलता है। समाजिक श्रम विभाजन वर्ग, स्थान और श्रेणी के द्‌वारा सामाजिक नियंत्रण करता है।

औद्योगिक समाज से भिन्न श्रम विभाजन को औद्योगिक के बाद के समाज में हम देख सकते हैं। आज के सूचना - समाज या डिजिटल समाज में श्रम विभाजन के प्रकार संगणक यंत्रों के द्‌वारा परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए सूचना तकनीक आधारित अंतर्जाल सोसइटी के सदस्य श्रम विभाजन आधार के द्‌वारा विशेष रूप से कौशल प्राप्त कर काम करनेवाले लोगों को हम देख रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारे शरीर बीमार से पीडित होने से हमारे शरीर के अंगों को जाँच करने, शारीरिक कमियों को समझने के लिए आज हम अनेक डॉक्टरों को संपर्क करते हैं। इसी प्रकार विविध क्षेत्रों में विशेष कौशल विचित्र स्वरूप पाकर आय प्राप्त करना विशेष कौशलों की प्राथमिकता बनती है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

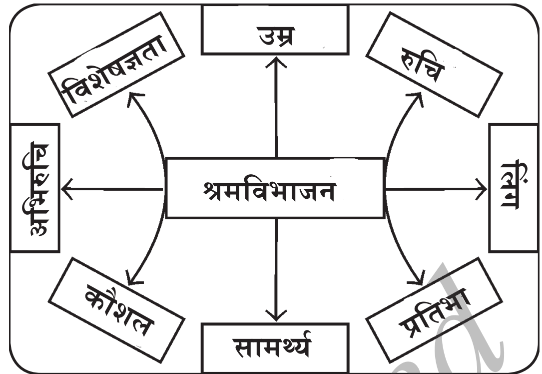

इस प्रकार श्रम विभाजन विशेष कौशलों के लिए कारण बनता है। विशेष कौशल का अर्थ होता है कि किसी एक क्षेत्र में पर्याप्त कौशल, प्रशिक्षण, प्राप्त करना। श्रम विभाजन आज लोगों को विविध क्षेत्रों में परिश्रम करके आर्थिक लाभ पाने के लिए सहायक होता है। आर्थिक लाभ और श्रम विभाजन से वर्ग व्यवस्था की शुरुवात होती है। श्रमविभाजन का स्वरूप विस्तार होने के कारण से सभी क्षेत्रों में व्यापार वाणिज्योद्‌यम भी विस्तार हुए हैं। इसके फलस्वरूप कुछ लोग पूँजी लगाकर लाभ प्राप्त करने लगे हैं।

उद्योग में असमानता और भेद भाव :

उद्यम का अर्थ होता है एक व्यक्ति अपने शारिरिक अथवा बौद्धिक श्रम से आय अथवा वस्तु के रूप में प्रतिफल को प्राप्त करना। मानव समाज के प्रमुख भागों में उद्यम अत्यंत मुख्य होता है एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करनेवाले कार्य ही उद्यम है। एक व्यक्ति की शक्ति के व्यय से अथवा परिश्राम से उसे आर्थिक अथवा वस्तु के रूप में यदि प्रतिफल मिलता है तो वह उद्यम होता है।

श्रेणी के आधार पर विभाजन के बाद समाज के उद्यमों में असमानता आरंभ होती है। इस रूप में उद्यम भारत के संदर्भ में केवल आर्थिक विषय न बनकर वह सामाजिक संरचना के अंतर्गत की असमानताओं से भरा है। भारत में उद्यम के आय के साथ जाति, प्रदेश, लिंग और धर्म एक साथ होकर उद्यमों में अनेक असमानताओं को सृष्टि की है। भारत के सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति निम्न स्तर से अग्रमुखी होकर अधिकार, उन्नत स्तर प्राप्त करने की दिशा की ओर यदि चलता है तो उसके आय और अधिकार दोनों का बढ़ाव होता है।

समान कार्य के लिए समान वेतन के नियम के विरुद्ध चलने वाले उद्यम को उद्यम में असमानता कहा जा सकता है। यदि दो व्यक्ति एक ही कार्य को एक ही समय में करे तो एक व्यक्ति को अधिक उद्यम कम कमाई देना अथवा एक व्यक्ति को कम उद्यम अधिक वेतन देनेवाली प्रक्रिया को उद्यम असमानता कह सकते हैं। स्त्री और पुरुष यदि एक ही उद्यम में लग जाने पर भी मिलनेवाले वेतन समान नहीं होता है। भारत में पुरुषों के लिए उत्तम स्वरूप के उद्‌योगों को दिया जाता है। वैसे ही अधिक वेतन भी दिया जाता है। लेकिन स्त्रियों के लिए कम वेतन दिया जाता है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार की असमानता कम होने पर भी वहाँ भी श्रेणीकृत उद्यमों में असमानता हम देख सकते है। गैर सरकारी कंपनियों और कार्पोरेट क्षेत्रों में एक नौकर के वेतन के बारे में दूसरों को मालूम नहीं होता है। उद्यम के क्षेत्र की असमानता असंगठित क्षेत्रों में दिखाई देती है। कृषि क्षेत्र के उद्यम लिंग आयु सामर्थ्याधारित काम धंधों को असमान रीति से विभाजन करता है। यहाँ स्त्रियों के लिए मिलनेवाला समान वेतन के प्रश्न गौण होते हैं। उदाहरण के लिए कृषक परिवारों में कृषि के क्रियाकलाप अधिक चलते रहने के संदर्भ में उस परिवार में सुबह जल्दी उठकर कृषि उद्यम में लग जानेवाले लोगों को खान-पान तैयार करके कृषि के सभी क्रियाकलापों में स्त्रियाँ भी संपूर्ण रूप से लग जाती हैं। लेकिन उन्हें वेतन देना और निर्धार लेते समय पुरुषों से उन्हें कम स्तर में देते समय जाता है। सभी समाजों में महिलाओं की कमाई को महत्वपूर्ण न समझना उद्यम में असमानता के स्वरूप को सूचित करता है। उद्यम की असमानता के स्वरूप हमारे गाँवों में दिखाई देते हैं। पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोगों के बीच अत्यंत आसमानता है।

> ***क्रियाकलाप :*** *उद्यमों के असमानता के बारे में समान समाज निर्माण करनेवाले आशय की दिशा में हमारे संविधान का आशय समान उद्यम के लिए समान वेतन 1976 के अधिनियम के आशायों को चर्चा कराना छात्रों के बीच*

हमारी गलियों (ग्रामीण और नगर प्रदेशों में) झाडू करनेवाले, मोरी साफ करनेवाले कर्मचारियों के लिए कनिष्ठ वेतन से कम वेतन दिया जाता है। हमारे समाज को स्वच्छ करने के लिए व्यय करनेवाला उनका श्रम बहुत है। इस प्रकार उद्‌यमों की असमानता वर्ग, आय, कमाई, लिंग, प्रदेश जाति और धर्म आधारित होती है। उद्‌यम में असमानता वेतन सहित और वेतन रहित के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ असमानता का रूप कैसा होता इसे आगे चर्चा करेंगे।

पारिश्रमिक रहित और पारिश्रमिक सहित उद्‌यमः

पारिश्रमिक रहित उद्‌यम :

एक व्यक्ति के उद्‌यम के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक अथवा वस्तुओं के रूप में किसी भी प्रकार का प्रतिफल न रहनेवाला क्रियाकलाप के लिए पारिश्रमिक रहित उद्‌यम कहा जाता है।

उद्‌यम कभी-कभी आर्थिक लाभ अथवा प्रतिफल के बिना चलता रहता है। उद्‌यम में श्रमिक किसी भी प्रकार की पारिश्रमिक नहीं लेते हैं अथवा उन्हें नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के उद्‌यम परिवार के सदस्यों के बीच सहकार के द्वारा, कभी दबाव के द्वारा, और

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कभी स्वयम् प्रेरणा से, प्रीति से करनेवाला उद्यम होता है। उदाहरण के लिए विद्यालय और कॉलेजों में लाभ अथवा प्रतिफल के बिना स्काऊट आंड गैइड, राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस) आदि श्रमाधारित क्रियाकलापों में भागलेना। कभी एक स्तर के पाठ्यक्रम के बाद छात्रों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से सहायक कार्यों के लिए शैक्षिक संस्थाएँ प्रतिनियुक्त करती हैं। इस अवधि में करनेवाले कार्यो के लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता हैं। आइ.टी.आइ, धाय कोर्स आदि। इसी प्रकार एक चित्रकार अपने आत्म संतोष के लिए चित्र खींचने के कार्य में लगजानेवाली क्रिया को यहाँ उल्लेख कर सकते हैं।

पारिवारिक उद्यम भी पारिश्रमिक रहित उद्यम के रूप में दिखाई देते हैं। पारिवारिक उद्यम में सामान्य रूप से स्त्रियों पर अधिक बोझ पड़ता है। पारिश्रमिक रहित महिला पारिवारिक उद्यम स्त्री वादी अर्थशास्त्र में अत्यंत चर्चा करनेवाला विषय होता है। इस विषय ने सांप्रदायिक पारिवारिक दृष्टिकोण पर प्रभाव डाला है। पारिश्रमिक रहित पारिवारिक उद्यम स्त्रियों को कुटुंब के बाहर के उद्यम अवसरों को ढूँढने पर रोक लगाया जाता है। यह स्त्रियों को परिवार के अंदर श्रमिक बनाया है। महिलाओं के उद्यम में भाग लेने पर भी अथवा परिवार के लिए सहारा देने पर भी उसे अंशकाल उद्यम माना जाता है। परिवार निर्वहण में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाता है। इस के द्वारा स्त्रियों की पारिश्रमिकता को परिवार के अंदर के पारिश्रमिक रहित उद्यम और जिम्मेदारियों के लिए सीमित किया गया है।

©KTBS Not to be republished

पारिश्रमिकता सहित उद्यम :

निर्धारित घंटों के आधार पर, दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर, हफ्ते के आधार पर अथवा महीने के आधार पर व्यक्ति के शारीरिक श्रम अर्ध कौशल कार्यों के लिए अथवा कौशलाधारित कार्यों के लिए दिए जाने वाले निर्धारित वेतन को पारिश्रमिकता सहित उद्यम कहा जाता है। पारिश्रम का अर्थ है उद्यम की कुल अवधि के लिए दीए जानेवाली पारिश्रमिकता । इसे घंटों हफ्तों और माहे के आधार पर दी जाती है।

जीवन निर्वहण के लिए छोटे-मोटे व्यापार के उद्यम रास्ते के बगल के व्यापार से लेकर बड़े स्तर के व्यवहारों के उद्यम तक कृषि उद्यम, औद्योगिक उद्यम, विद्यालयों के शिक्षक उद्यम, इमारत निर्माण, ईट निर्माण उद्यम, वाहनों की मरम्मत उद्यम आदि उद्यम क्रियाकलापों में परिश्रमिकता के लिए अथवा जीवन निर्वहण के लिए उद्यम करने की प्रक्रिया को पारिश्रमिकता सहित उद्यम कहा जाता है। ये उद्यम आज के संकीर्ण समाज में जीवन के लिए अनिवार्य है। इन क्षेत्रों में उद्यम करनेवाले कुछ संदर्भों में अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त करने की संभावना रहती है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

पारिश्रमिक देने की प्रक्रिया कार्य सौंपानेवाले और उद्यम करनेवालों के बीच के समझौते के अनुरूप चलती है। कुछ संदर्भों पर वस्तुओं को पारिश्रमिक के रूप में पाप्त करना उद्यम प्रक्रिया में चलता है। सांप्रदायिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पारंपरिक उद्यम धंधे थे। इस प्रकार एक परिवेश में रहनेवाले लोग आपस में अवलंबित थे। उनमें भी सांप्रदायिक ग्रमीण आर्थिक व्यवस्था में धन का उपयोग अत्यंत कनिष्टतम प्रमाण में चलता था। विविध जाति और वर्गों के बीच परस्पर निर्भरता के लिए अधिक महत्व दिया गया था। ग्रामों के आंतरिक आर्थिक संबंधों में एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को प्राप्त करने के विनिमय व्यवस्था लोकप्रिय थी। अनेक संदर्भों में शारिरिक श्रम के बदले में धन लेने के बजाय वस्तुओं और पदार्थों को उद्‌यम करनेवालों को पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता था। इस पध्दति को वस्तु विनिमय पध्दति कहा जाता है। धन का बहाव अधिक होने से उद्‌यम की पारिश्रमिक को धन के रूप में देनेवाली पद्‌धति का उपयोग अधिक होने प्रक्रिया को सामाजिक वैंज्ञानिकों ने पहचाना है।

संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के उद्‌यमदार

संगठित क्षेत्र के उद्‌यमदार : उद्‌यम के क्षेत्रों को प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण किया गया है। उद्‌यम की परिस्थिति, उनमें मिलनेवाली सुविधाओं के आधार पर संगठित और असंगठित उद्‌यम क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जिस उद्‌यम से - सरकार द्वारा पंजीकृत होकर, कानून के अनुरुप, उद्‌यम करनेवाले लोगों को निर्धारित कार्य, उद्‌योग-सुरक्षा, निर्धारित वेतन आदि जो कानून के अनुरूप निर्धारित होता है उसे संगठित उद्‌यम क्षेत्र कहा जाता है। इसमें उद्‌योग सुरक्षा के साथ, अनेक कानून चौखट रहते हैं। जैसे कनिष्ठतम वेतन अधिनियम, औद्योगिक अधिनियम, विशेष भत्ता अधिनियम, प्राविडेंड फंड (पी.एफ) अधिनियम यहाँ अनिवार्य हैं।

संगठित क्षेत्र के उद्‌यम के अंतर्गत-विद्‌यालय, अस्पताल, उद्‌योग, सरकार की प्रशासनिक सेवाएँ, वाणिज्य बैंक, बीमा कंपनियाँ, सेना-इत्यादि आते हैं। संगठित उद्यम क्षेत्र को प्रारम्भ करते समय कानून और सरकार की अनुमति अनिवार्य है। इस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कर को भुगतान करना अनिवार्य है। इस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यवसाय सुरक्षा के साथ अनेक समेकित सुविधाओं को देना उस संस्थाओं का दायित्व बनता है। निर्धारित उद्‌यम के लिए निर्धारित समय पर वेतन देने के साथ वार्षिक भत्ता और अतिरिक्त अवधि के उद्‌यम के लिए अतिरिक्त वेतन देना भी अनिवार्य है। इस प्रकार इन क्षेत्र के उद्‌यमों में व्यावसयिक नियम निर्धारित होते हैं। इसके अलावा श्रमिक और उद्‌यमदारों के बीच कानूनात्मक रीति से संबंध होता है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

असंगठित क्षेत्र के उद्‌यमदार : असंगठित क्षेत्र के उद्‌यम के लिए किसी भी प्रकार के कानून के चौखट नहीं रहते हैं। अर्थात् इस क्षेत्र के कार्य करनेवाले लोग और कार्य करानेवालों के बीच किसी भी प्रकार का कानूनात्मक संबंध निर्धारित नहीं होते हैं। असंगठित उद्‌यम क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में सरकार के कोई कानून, नीति-नियमों का अनुसरण नहीं होता है। कानून के किसी भी चौखट में असंगठित क्षेत्र नहीं आता है। यहाँ कर की व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अत्यंत छोटे तौर के व्यवहार होते हैं। वाहनों की मरम्मत, तरकारी, मछली आदि वस्तुओं को खींचनेवाली गाड़ी या सिर पर रखकर बेचना, टयर पंचर, साईकिल मरम्मत आदि छोटे-छोटे उद्‌यम असंगठित उद्‌यम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ उद्‌यम के लिए समय का निर्धारण नहीं होता है। ये श्रमिक दिन-रात, छुट्टियों के दिनों में भी काम करते रहते हैं। यहाँ काम करनेवाले नौकर प्रायः अनेक संदर्भों में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर उद्‌यम करते रहते हैं।

असंगठित उद्‌यम क्षेत्र में पारिश्रमिक सरकार से निधीरित पारिश्रमिक से कम रहती है। असंगठित क्षेत्र में उद्‌यम करनेवाले नौकरों को चिकित्सा सुविधाएँ, विशेष भत्ता भी नहीं होते हैं। जीवन निर्वाह के लिए इन्हें प्रतिदिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इन उद्‌यमों में इन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। ईमारत निर्माण करनेवाले श्रमिक, रास्ते के बगल में उद्‌यम करनेवाले, लॉरी और वैगनों में सामग्रियाँ भरनेवाले और उतारने वाले, ईंट कारखानों पर काम करनेवाले, भूमि-रहित कृषि श्रमिक छोटे और अत्यंत छोटे किसान, धान्य बँटवारे के आधार पर कृषि कार्य करनेवाले, मछुआरे लोग, बीडी बनानेवाले श्रमिक, खानोद्‌यम में काम करनेवाले, तेल मिल, भूसामिल आदि स्थानों पर काम करनेवाले लोग इस क्षेत्र के

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अंतर्गत आते हैं। भारत के अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले हैं। लग-भग 90 प्रतिशत लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

असंगठित उद्यम में काम करनेवालों की चुनौतियाँ :

असंगठित उद्यमों में काम करनेवाले लोग अनेक सामाजिक, आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन उद्यमों में काम करनेवालों को निर्धारित कार्य, वेतन, सुविधाएँ नहीं होती हैं। कनिष्ठतम वेतन तक उन्हें नहीं मिलता है।

स्थानांतरण : असंगठित क्षेत्रों में कार्य करनेवाले लोगों के बारे में संशोधन करनेवाली 'पुट लुजर्स' नामक पुस्तक में Circular Migration के संबंध में विश्लेषण किया गया है। अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रतिदिन उद्यम करनेवाले लोग अपने स्थान से कार्य स्थानों तक स्थानांतरण होने में मजबूर होते हैं। स्थानांतरण असंगठित उद्यम क्षेत्र की एक विशेषता भी है। इस प्रकार स्थानांतरण होनेवाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षाएँ नहीं होती हैं।

सामाजिक सुरक्षा : असंगठित क्षेत्र के उद्यमदार सामाजिक अभद्रता का सामना कर रहे हैं। मानव को जीने की आवश्यक मूल सुविधाएँ (आवास, स्वास्थ्य, खाद्य, पीने का पानी, उद्यम करने के अवसर, समानता - आदि) इन्हें सार्वजनिक रूप से अथवा सामुदायिक रूप से दिलाना सामाजिक सुरक्षा कहलाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों को इतना भी नहीं मिल रहा है।

कानून चौखट : असंगठित क्षेत्र में काम करनेवाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कानूनी दायरा नहीं होता है। उदाहरण के लिए निर्धारित समय के उद्यम के लिए निर्धारित कनिष्टतम वेतन तक नहीं मिलता है। पेमेंट ऑफ ग्राच्यूटी एक्ट 1971 के अनुरुप असंगठित

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

क्षेत्र में काम करनेवालों को मज़दूरी नहीं मिल रही है। इसके अलावा प्राविडेंट फंड आदि किसी भी प्रकार का कानूनी आर्थिक सहारा असंगठित क्षेत्र में काम करनेवालों को नहीं मिल रहा है।

बालश्रमिक : असंगठित क्षेत्र में आधा कौशल शारीरिक श्रमाधारित कार्यों में अत्यंत बुरी स्थिति में बच्चे काम करते रहते हैं उदाहरण के लिए पटाखों के कारखानों में उपयोग करनेवाले रासायनिक वस्तुओं के साथ कार्य करनेवालों में आधिकतर बच्चे ही होते हैं। जिनके प्राणों की कोई सुरक्षा नहीं रहती है। पूँजीशाही व्यवस्था में कम पारिश्रमिक के लिए अधिक काम करना होता है। इसके लिए बच्चे ही अपने प्राण दे रहे हैं। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र बालश्रमिक पद्धति का पोषण करता है।

शारिरिक और मानसिक शोषण : असंगठित क्षेत्र में मकान निर्माण कार्यों में कार्य करनेवाले अधिकतर महिलाएँ होती हैं। इन पर शारिरिक और मानसिक शोषण आज बहुत बढ़ गया है। 2014-15 के ग्रामीण अभिवृद्धि रिपोतार्ज के अनुसार भारत के ग्रामीण प्रदेश में 77% महिलाएँ असंगठित क्षेत्र में काम कर रही हैं। जीवन निर्वाह के लिए उद्यम करने वाले मजबूर स्त्रियों और बालिकाओं पर लैंगिक शोषण के साथ अनेक प्रकार के शोषण होनेवाले समाचारों को प्रतिदिन हम देखते ही रहे है। इस प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग सामना करनेवाले कुछ चुनौतियों को यहाँ समझाया गया है।

©KTBS Not to be republished

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. श्रम विभाजन ________ के लिए कारण बनता है।
2. भूमि रहित कृषि श्रमिकों को ________ श्रमिक कहते हैं।
3. वैद्यकीय संस्थाओं के श्रमिकों को ________ श्रमिक कहते हैं।

II. एक वाक्य में उत्तर लिखिए :-

1. श्रम विभाजन किसे कहते हैं?
2. पारिश्रमिक साहित उद्यम किसे कहते हैं?
3. परिश्रमिक रहित उद्यम किसे कहते हैं?
4. संगठित उद्‌यम क्षेत्र किसे कहते हैं?
5. असंगठित उद्‌यम क्षेत्र किसे कहते हैं?

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

6. असंगठित उद्‌यम के लोगों द्वारा सामना करनेवाली चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं?
7. असंगठित उद्‌यम क्षेत्र से होनेवाले परिणाम कौन-कौन से हैं?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए समूह में चर्चा करके उत्तर दीजिए :-

1. संगठित उद्‌यम के प्रकार कौन-कौन से है? स्पष्ट कीजिए ।
2. उद्‌यम के भेदभाव को समझाइए ।
3. असंगठित उद्‌यम के लोगों द्वारा सामना करनेवाली सामाजिक सुरक्षा की चुनौतियों को समझाइए।
4. संगठित और असंगठित उद्‌यमों में काम करनेवाले लोगों के बीच का अंतर सम झाइए।

IV. क्रिया कलाप :-

1. आपके परिवेश में रहनेवाले संगठित और असंगठित कर्मचारियों के नामों की सूची बनाइए।

V. परियोजना :-

1. आपके प्रदेश में रहनेवाले असंगठित श्रमिकों के साथ मिलकर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) छात्रों से तैयार कराइए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

भूगोल

अध्याय - 1

भारत का स्थान और विस्तार

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- विश्व तथा एशिया में भारत का स्थान ।
- भारत का विस्तार तथा सीमाएँ ।
- भारत के पडोसी राष्ट्र ।

1. भारत का स्थान

भौगोलिक दृष्टि से भारत उत्तरी गोलाद्र्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित है। यह दक्षिणपूर्वी एशिया का प्रमुख प्राय:द्वीप है। भारत के प्रमुख भू-भाग $8^{\circ}4'$ से $37^{\circ}6'$ उत्तारी अक्षांश तथा $68^{\circ}7'$ से $97^{\circ}3'$ पूर्वी देशांतर के मध्य फैले हुए हैं। यह अंडमान तथा निकोबार द्वीप के दक्षिण में भी फैला हुआ है। निकोबार द्वीप के $6^{\circ}45'$ दक्षिणी अक्षांश में स्थित इंदिरा पाइंट भारत का दक्षिणी छोर है।

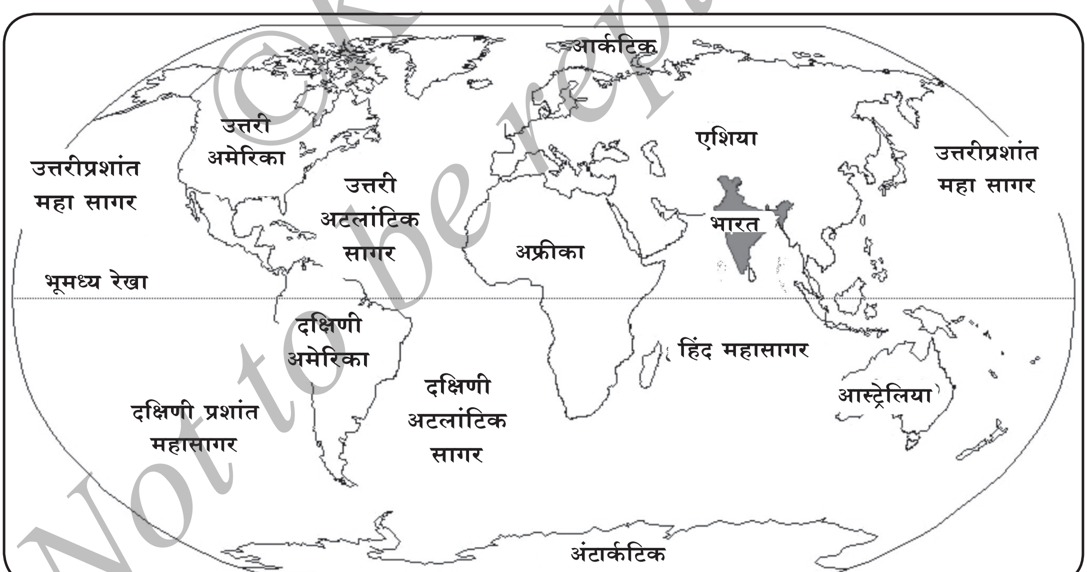

विश्व में भारत का स्थान

भारत के मध्यभाग से कर्क रेखा ($23\frac{1}{2}^{\circ}$ उ) होकर गुजरती है। $82\frac{1}{2}^{\circ}$ पूर्वी देशांतर देखा देश के मध्य से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय (*IST*) इस देशांतर रेखा निर्धारित है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

2. विस्तार - रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र, ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया के बाद भारत विश्व का सातवाँ बड़ा राष्ट्र है। इसका कुल विस्तार 32, 87,263 कि.मी.क्षेत्रफल है। यह विश्व के विस्तृत भाग में 2.42 प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तक 2933 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण 3214 कि.मी. तक विस्तृत है।

सीमाएँ - भारत भूसीमा तथा जाल-सीमा दोनों से युक्त है। भू-सीमा की लंबाई 15,200 कि.मी. है। कुछ स्थानों को छोडकर देश के सभी भागों में प्राकृतिक सीमाएँ है। उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत भारत तथा चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा है।

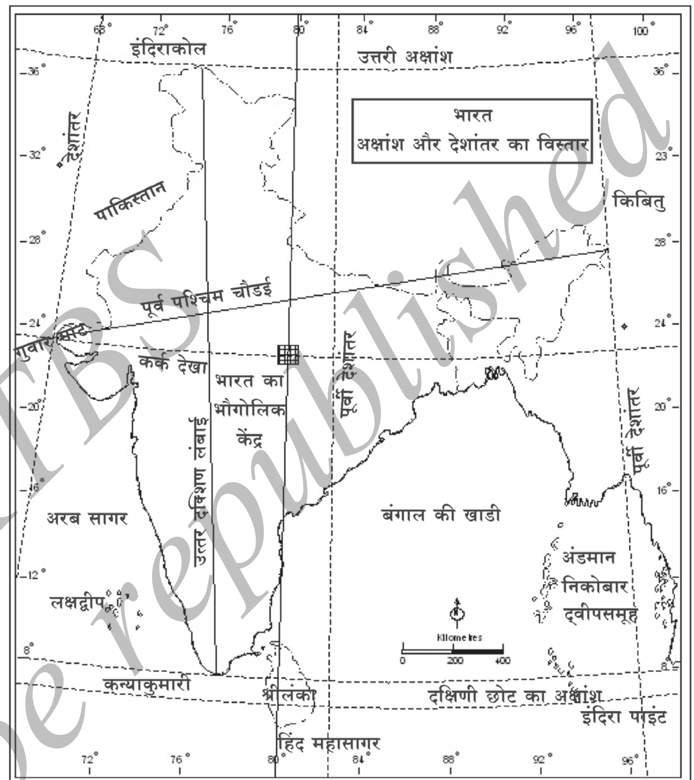

भारत का प्रमुख भू-भाग 6,100 कि.मी. लम्बे समुद्री तट से युक्त है। किंतु अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के तटों (सीमाओं) को मिलाकार कुल तटों की लंबाई 7516.5. कि.मी. है। देश के पश्चिमी भाग में अरब सागर तथापूर्वी भाग में बंगाल की खाडी है। दक्षिण में हिंदमहासागर है। ये सभी देश की प्राकृतिक सीमाएँ हैं।

3. पडोसी राष्ट्र - भारत सात पडोसी राष्ट्रों से युक्त हैं। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में नेपाल, भूटान तथा चीन हैं तथा पूर्वी भाग में बांग्लादेश और मयनमार देश हैं। दक्षिणपूर्व में श्रीलंका है जो भारत से पाक जलडमरु मध्य तथा मन्नार की खाडी द्वारा अलग होता है।

प्रशासन विभाग - भारत प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है। शासन व्यवस्था के उद्देश्य से भारत को 29 राज्यों तथा 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। तेलंगाना नया राज्य है। सभी राज्यों में राजस्थान बडा राज्य है और गोवा अत्यंत छोटा राज्य है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

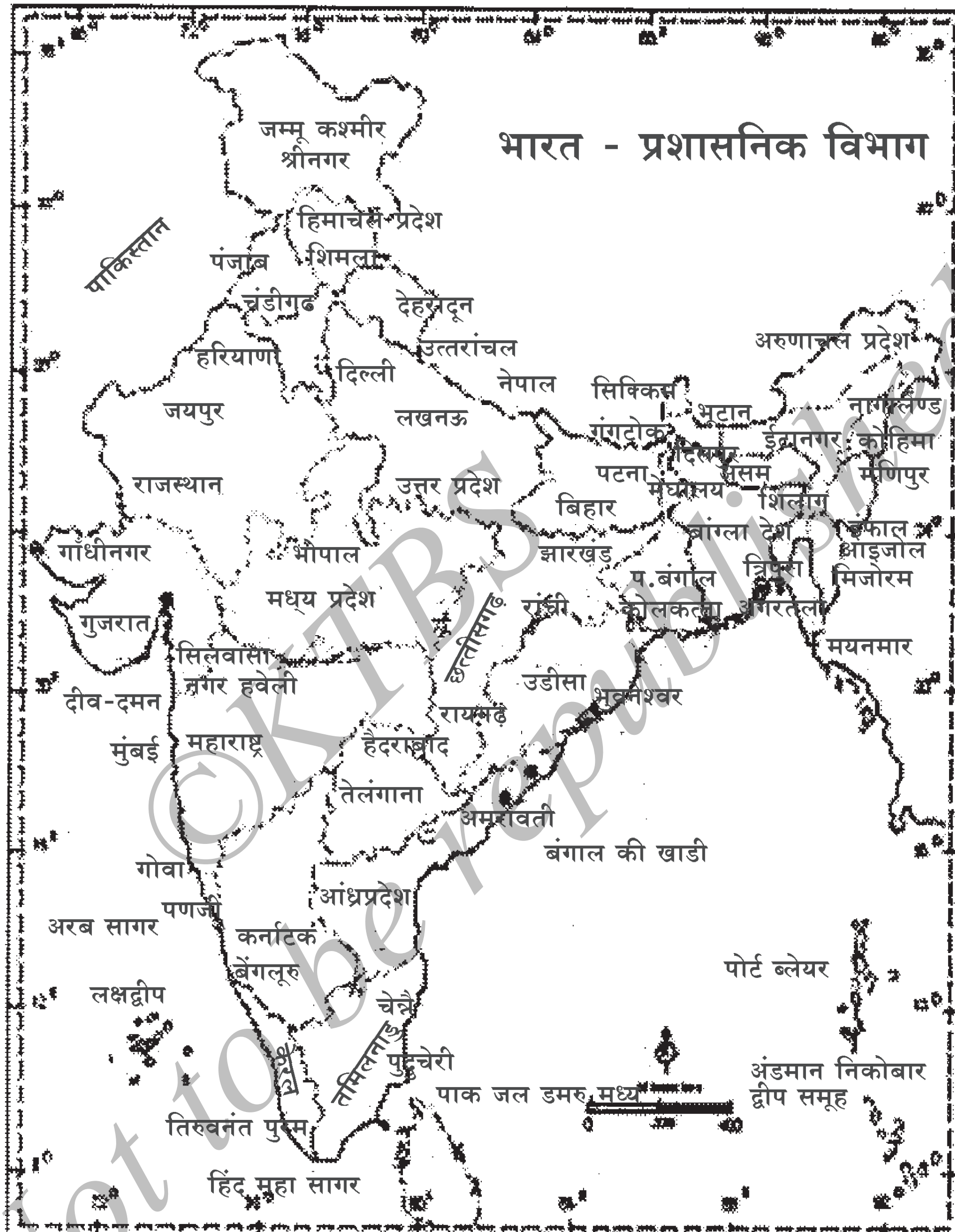

Not to be republished ©KTBS

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

क्या आप जानते हैं? :

- *रेडक्लिफ रेखा : भारत तथा पाकिस्तान की सीमा - रेखा है।*
- *ड्यूरंड रेखा : भारत तथा अफगानिस्तान की सीमा रेखा है।*
- *मैकमोहन रेखा - भारत तथा चीन की सीमा - रेखा है।*

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :-

1. भारत का कुल विस्तार __________ कि. मी. श्रेत्रफल है।
2. भारत के दक्षिण पूर्व में __________ देश हैं।
3. भारत के मध्यभाग से __________ अक्षांश रेखा होकर गुजरती है।
4. __________ भारत का नवीन राज्य है।

II. समूह चर्चा कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. भारत के अक्षांश तथा देशांतर का विस्तार बतइए ।
2. भारत का दक्षिणी छोर क्या है?
3. भारत के उत्तरपश्चिमी पडोसी राष्ट्रों के नाम लिखिए ।
4. भारत की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए ।

III. क्रिया कलाप :-

1. भारत का मानचित्र बनाकर, उसमें राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों तथा उनकी राजधानियों को नामांकित कीजिए ।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. अपने अध्यापक की सहायता से अपने राज्य का मानचित्र (नक्शा) बनाकर, अक्षांश तथा देशांतर को पहचानिए तथा पडोसी राज्यों को नामांकित कीजिए।

©KTBS Not to be republished

* * * *

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 2
भारत की बाह्य विशेषताएँ

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- भारत के भू-स्वरूप की सामान्य विशेषताएँ
- भारत के प्राकृतिक विभाग
- प्राकृतिक विभागों की विशेषताएँ

भारत एक विशाल देश है। यह विविध भू-स्वरुपों से युक्त है। यह पर्वत, पठार, मैदान तथा समुद्री तट के मैदानों से युक्त है। ये देश की नदियों, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, यातायात, जनसंख्या वितरण आदि पर प्रभाव डालते हैं।

2.1 भारत के प्राकृतिक विभाग - बाह्य विशेषताओं के आधार पर भारत को 4 प्रमुख विभागों में बाँटा जा सकता है :-

1. उत्तर के पर्वत
2. उत्तर के मैदान
3. प्राय:द्वीपीय पठार
4. समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप।

1. उत्तर के पर्वत : यह वर्तमान के परतदार पर्वत समूह के हिमालय पर्वत श्रेणियों वाला भाग है। यह भारत को उत्तरी सीमा से जुडी विस्तार से फैली अविच्छिन्न पर्वत श्रेणियाँ है। यह विश्व में सर्वोच्च शिखर वाला, गहरी घाटी तथा कंदराओं (गुफाओं), हिमनदियों, पर्वत घाटियों आदि से युक्त है। भारत में यह पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक 2400 कि.मी. तक फैला हुआ है। इसकी चौडाई 240 से 320 कि.मी. है। यह भाग पश्चिम में चौडा होकर पूर्व की ओर जाते जाते यह छोटा होता जाता है। लगभग 5 लाख कि.मी. श्रेत्रफल में यह भाग विस्तृत है। भारत की ओर (दक्षिण) ढलवाँ भाग है और तिब्बत की ओर (उत्तर) फैले उभरे रूपमें विस्तृत है।

हिमालय पर्वत में 3 समानांतर श्रेणियाँ हैं

i) महा हिमालय

ii) आंतरिक हिमालय

iii) शिवालिक पर्वत

> ***क्या आप जानते हैं?***
>
> *माउण्ट एवरेस्ट : इसे नेपालीलोग सागरमाता कहते है। इसका अर्थ है सागर आकाश की देवी। तिब्बती इसे चोमुलुंग्मा कहते हैं।*

i) महाहिमालय - यह हिमालय की अविरत तथा अत्यधिक ऊँची श्रेणी है। इसकी ऊँचाई 6100 मीटर है। यहाँ कुछ ऊँचे शिखर है। इनमें माउण्ट एवरेस्ट (8848 मी.), विश्व

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

का सर्वोच्च शिखर है। इसके प्रमुख शिखरों में कंचनजंघा (8156 मीटर), मैकाल (8481 मी.) धवलागिरि (8172 मी.) मानल्सु (8156 मी.) नंदादेवी इत्यादि का नाम आता है। ये श्रेणियाँ वर्षपूर्ण हिम से आच्छादित होती हैं। इस कारण इन्हें 'हिमाद्रि' कहा जाता है। यह कई हिमनदियों का उदभव स्थान है। उदाहरण गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनदियों की अनेक पर्वत घाटियाँ हैं। उदा : बुर्जिल, जोजिला, शिप्किला आदि।

हिमाद्रि श्रेणियों के उत्तर में जो पर्वत हैं, उन्हे 'बाह्य हिमालय' कहा जाता है। यह कराकोरम श्रेणियों से युक्त है । यहाँ k_2 या गाड्विन आस्टिन नामक ऊँचा शिखर है। यह भारत का सर्वोच्च शिखर है।

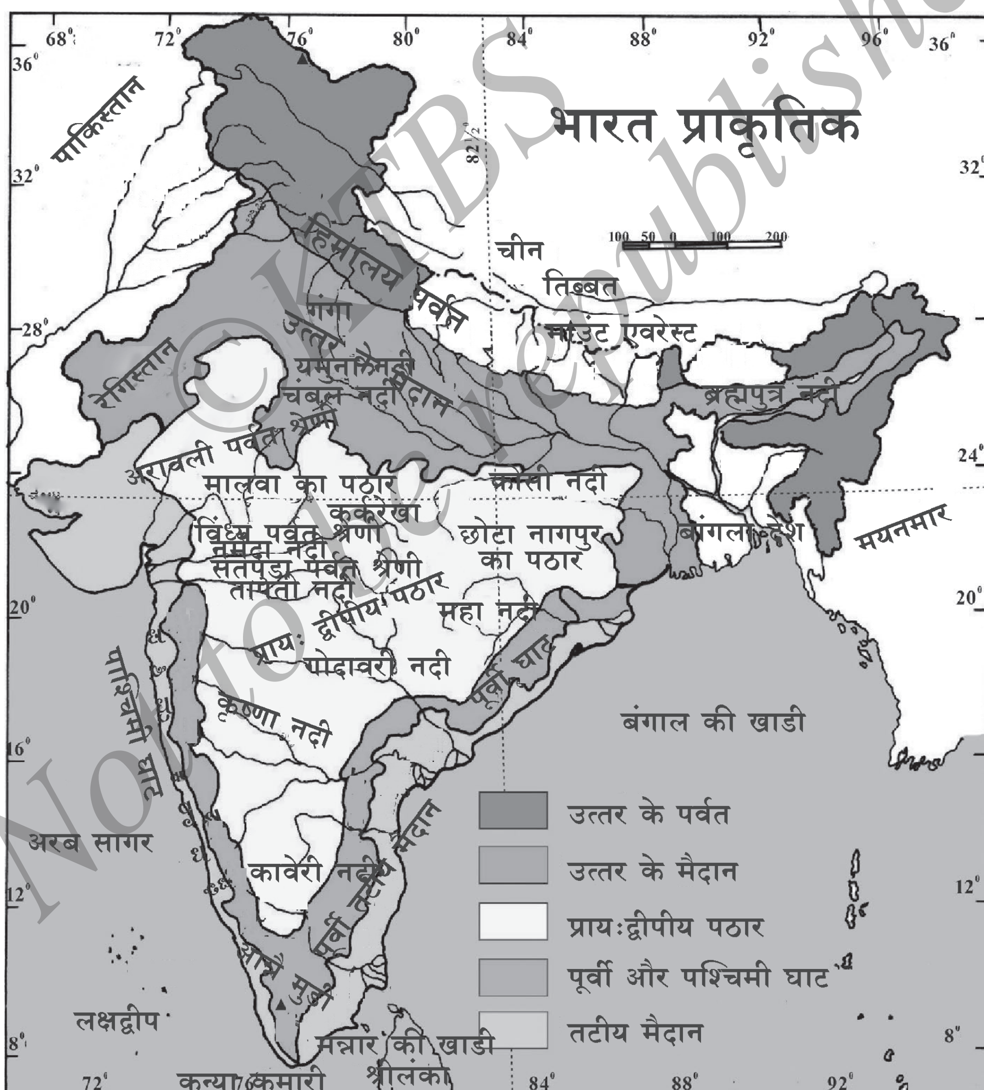

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

ii) आंतरिक हिमालय - यह महा हिमालय के दक्षिण में है। इसे 'हिमाचल' श्रेणी भी कहा जाता है। यह लगभग 60 से 80 कि.मी. चौडा तथा 1500 से 4500 कि.मी. ऊँचा है। इसका पूर्वी भाग बनों से अच्छादित है। अनेक समानांतर श्रेणियाँ भी हैं। उदा. पीरपंजाल, धौल (धबल) धर, नागतिबा, मसूरी, महाभारत तथा दार्जिलिंग श्रेणियाँ। साथ ही अनेक आकर्षक घाटियाँ भी हैं। उदा : कश्मीर की घाटी, कांगडा की घाटी, कुल घाटी आदि। अनेक आकर्षक गिरिधाम देखे जा सकते हैं जैसे - शिमला, (पहाडीस्थल) रानीखेट, मसूरी, नैनीताल तथा दार्जिलिंग।

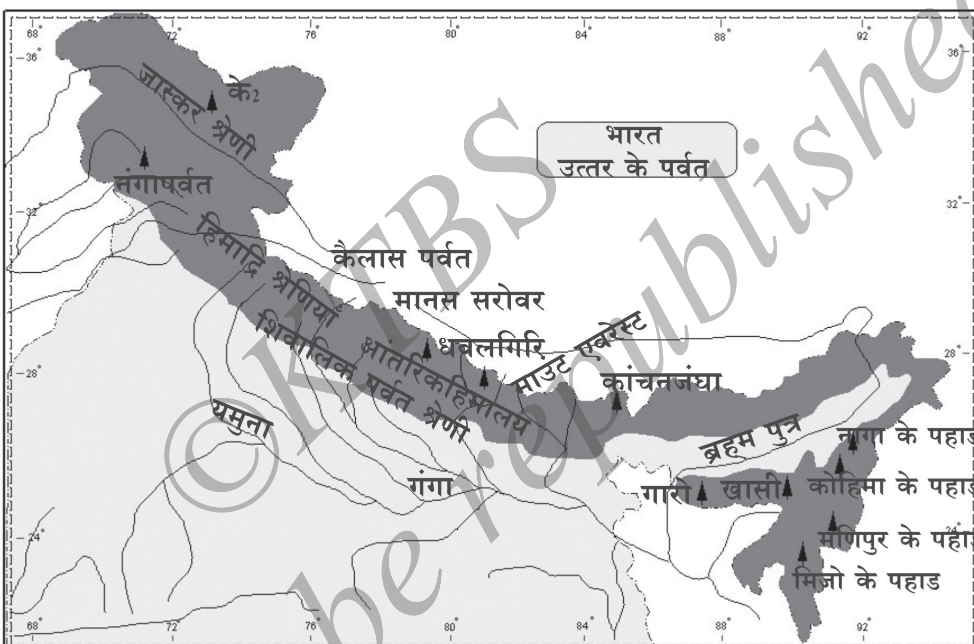

iii) शिवालिक पर्वत - यह हिमालय के बाहत अथवा तलीय भाग की श्रेणियाँ है। जो प्रमुख हिमालय के दक्षिण में है। ये कम ऊचाई के हिमालय के भाग हैं। उलकी ऊँचाई 600 से 1500 मीटर तथा चौडाई 15 से 150 कि.मी. है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक यह पर्वत भाग फैले हैं। यह समतल भागों वाली घाटियों से युक्त हैं। इन्हें दून्स कहा जाता है। उदा : देहरादून।

विशेषता :

1. हिमालय पर्वत प्राकृतिक सीमाएँ बाह्य आक्रमण तथा मध्य एशिया की सर्द हव-ाओं को नियंत्रित करती हैं।
2. मानसूनों को रोक कर अधिक वर्षा देती हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

3. इनके ढलवाँ प्रदेशों में घने जंगल हैं। तथा बाग बगीचों की कृषि के लिए उपयुक्त हैं। उदा : असम के चाय बागान ।
4. खनिजों की खान।
5. कई नदियों का उद्गम स्थान है। यहाँ के जलप्रपात जलविद्युत शक्ति (ऊर्जा) उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं।

2 उत्तर के मैदान

ये हिमालय पर्वत तथा प्रायःद्वीपीय पठार के मध्य विस्तृत है। यह सतलज, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों के संचय कार्य से निर्मित भाग है। विश्व का अत्यंत विशाल दुम्मट मिट्टी का मैदान है। पूर्व से पश्चिम तक यह 2500 कि.मी. तक फैला हुआ है। इसकी चौडाई 240 से 340 कि.मी.है। लगभग 7 लाख कि.मी.क्षेत्रफल भाग में यह विस्तृत है। यह समतल मैदान है। इसके ऊपरी भाग में कहीं भी पत्थर नहीं देखे जा सकते।

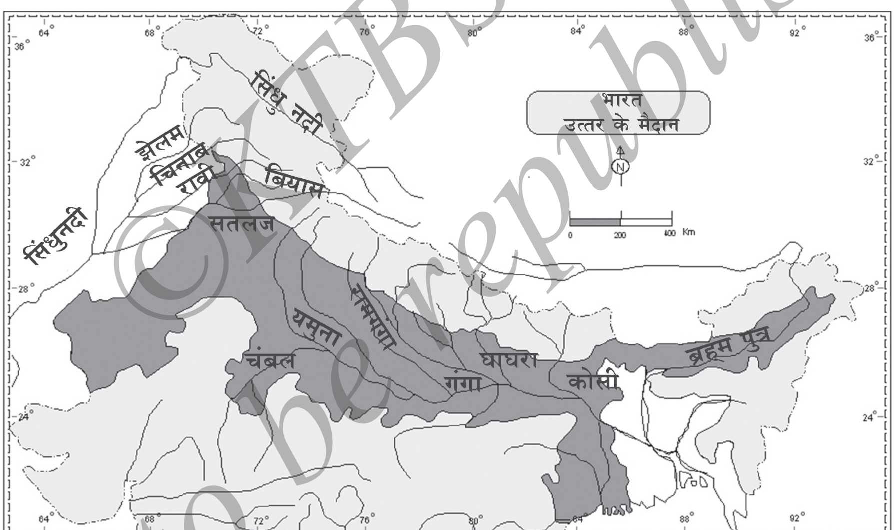

विशेषता : उत्तर का मैदान विशाल मैदान है। यह उपजाऊ मैदान है। तथा यहाँ सर्वकालिक नदियाँ बहती हैं। इस प्रकार यह भाग कृषि के लिए पूर्णतया उपयुक्त है। समतल भूमि, सडकें, रेल मार्ग निर्माण तथा संपर्क माध्यमों केलिए भी यह उपयुक्त है। साथ ही औद्योगिकीकरण (कारीगरी), नगरीकरण तथा व्यापार के लिए सहायक है। यहाँ अनेक यात्रा स्थान भी हैं।

3. प्रायःद्वीपीय पठार

भारत के प्राकृतिक विभागों में अत्यंत विशाल भाग यह है जो गोंडवाना भूभाग का एक हिस्सा है। यह प्राचीन शिलाओं द्वारा निर्मित है। उत्तर के मैदान से दक्षिणी भाग तक

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

फैला है। तथा लगभग 16 लाख कि.मी क्षेत्रफल के क्षेत्रों में विस्तृत है। उदा: अरावली, विन्ध्य, सतपुडा, पश्चिमीघाट, पूर्वीघाट, छोटानागपुर श्रेणी, दक्कन का पठार, मालवा का पठार प्रमुख हैं।

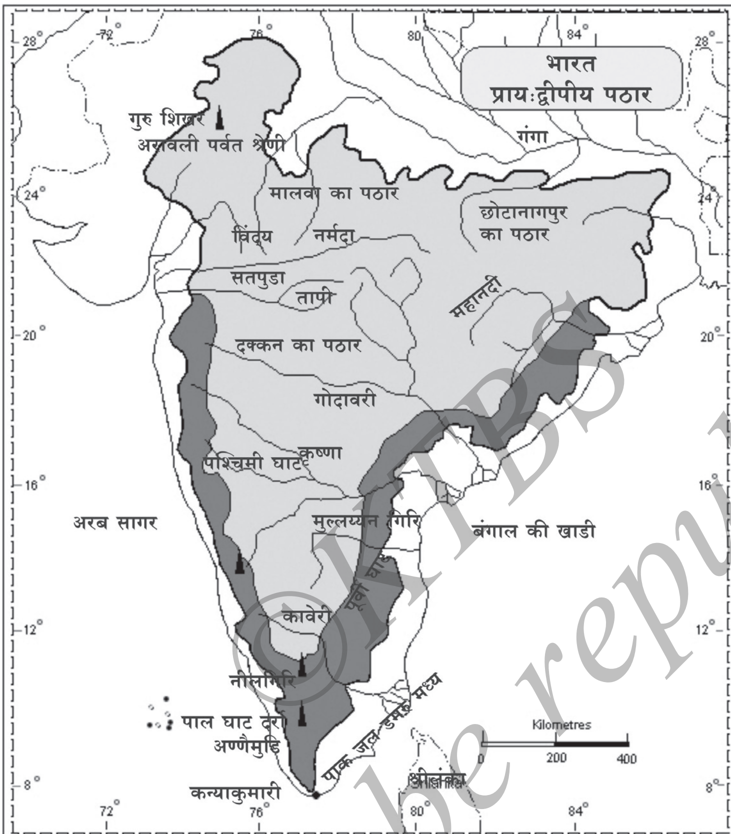

अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीन परतदार पर्वत हैं जो देश के उत्तर पश्चिमी भाग में हैं। यहां के आबू पर्वत का 'गुरु शिखर' (1772 मीटर) सबसे ऊँचा शिखर है। विंध्य पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी घाटी के उत्तरी छोर से जुडा हुआ फैला है। इसके दक्षिण में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच पूर्वपश्चिम को ओर सतपुडा पर्वतावलियाँ हैं।

पश्चिमीघाट - तापी (ताप्ती) नदी घाटी से कन्याकुमारी तक पश्चिम में समुद्रतट तक (अरब सागर तट) समांतर रुप से फैला भाग है। इन्हें 'सह्याद्रि' श्रेणी भी कहा जाता है। यह अविच्छिन्न श्रेणियाँ हैं। इनका पश्चिमी भाग ढलवाँ है। तथा पूर्वी भाग उभरा है।' बोर्गाट, ताल्धाब तथा पालघाट यहाँ की प्रमुख पर्वत घाटियाँ हैं। पश्चिमी घाट पालगढ़घाटी के दक्षिण में अण्णामलै, पलनी, तथा कार्डमम (इल्लैमल्लै) श्रेणी के रूप में है। अण्णामलै पहाडियों में 'अणैमुडि' (2695 मीटर) दक्षिण भारत का अत्यंत ऊँचा शिखर है।

पूर्वी घाट - यह भारत के पूर्वि समुद्री तट से जुडा हुआ फैला है। यह उत्तर में महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरि पर्वत तक विस्तृत हैं। यहाँ पश्चिमी घाटों से जुडता है। पश्चिमी झाटों के समान यह ऊँचा नहीं है। तथा यह विच्छिन्न श्रेणियाँ हैं। पूर्वी घाट का सबसे ऊँचा शिखर "अर्मकोंडा" है।

दखन (दक्षिण) का पठार - यह उत्तर पश्चिमी भाग में सतपुरा तथा विंध्य, पश्चिम में पश्चिमीघाट तथा पूर्वी भाग में पूर्वी घाट कहलाता है। यह उत्तर में महादेव तथा मैकाल

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

पर्वत श्रेणियों के बीच विस्तृत है। छोटानागपुर पर्वत श्रेणी प्राय:द्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में है।

विशेषता :

i. प्राय:द्वीपीय पठार खनिजों से समृद्ध, घने जंगल तथा जैविक विशेषताओं से परिपूर्ण है।
ii. दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं पर प्रभाव डालती हैं।
iii. काली मिट्टी से युक्त, कृषि के लिए उपयुक्त है।
iv. अनेक दक्षिण भारत की नदियों का उद्गम स्थल है। ये जल ऊर्जाशक्ति तैयार करने में सहायक हैं।
v. यहाँ कई पहाडी (पर्वतीय) स्थान हैं - उदा - ऊटी (उदक मंडल)।

क्या आप जानते हैं?

सतपुडा शब्द सात तथा पुर नामक दो संस्कृत पदों के योग से बना है। सात संख्या का सूचक है और पुर पर्वत का।

भाबर - शिवालिक पर्वत के तलीय भाग में पूर्व-पश्चिम की ओर फैला काला भाग है।

थामरुस्थल - भारत का एक मरुस्थल है। यह देश के उत्तर पश्चिमी भाग (राजस्थान) में है।

4. समुद्र तटीय मैदान

भारत के प्राय:द्वीपीय पठार के दोनों किनारे समुद्र तट से युक्त हैं। भारत का समुद्री तट पश्चिम में कच्छ से पूर्वी भाग के गंगानदी द्रोणी (मुखज) भाग तक फैला है। भारत के समुद्र तटीय मैदान को पश्चिमी समुद्रतटीय मैदान तथा पूर्वी समुद्रतटीय मैदान के नाम से विभजित किया जा सकता है।

i. पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान - यह मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य देखा जा सकता है। यह कच्छ से कन्या कुमारी तक विस्तृत है। यह छोटा, ढलवाँ तथा शिलाओं से युक्त है। इसे भी तीन भागों में बाँट सकते हैं।

अ) कोंकण तट - गुजरात मैदान के दक्षिण में दमन से गोवा तक फैला है। आ) कर्नाटक तट - गोवा से मंगलूर तक विस्तृत है। इ) मालाबार तट - यह मंगलूर से कन्याकुमारी तक विस्तूत है।

ii. पूर्वी समुद्रतट - यह मैदान सुवर्ण रेखा नदी के उत्तरी भाग से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह पूर्वी घाट तथ बंगाल की खाडी के मध्य फैला है। पश्चिमी समुद्र तट से यह चौडा है। इस प्रकार दक्षिणी भाग को कोरमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी समुद्र तट पर कई लैगून सरोवर हैं। जैसे - चिल्का, पुलिकट तथा कोल्लेरु सरोवर।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

विशेषता : भारत के समुद्र तटीय मैदान में कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं। इनके द्वारा विदेशों से व्यापार वृद्धि संभव है। उदाहरण : कांदला, मुंबई, मार्मगोवा, कोची, विशाखपट्टण, कोलकत्ता आदि। इसके अतिरिक्त ये समुद्री तट मत्स्य पालन (उद्योग), जहाज निर्माण उद्योग, कृषि तथा नमक उत्पादन के लिए उपयोगी हैं। नौकायान तथा आकर्षक बीच द्वारा प्रवास उद्यम की अभिवृद्धि के लिए भी उपयोगी है।

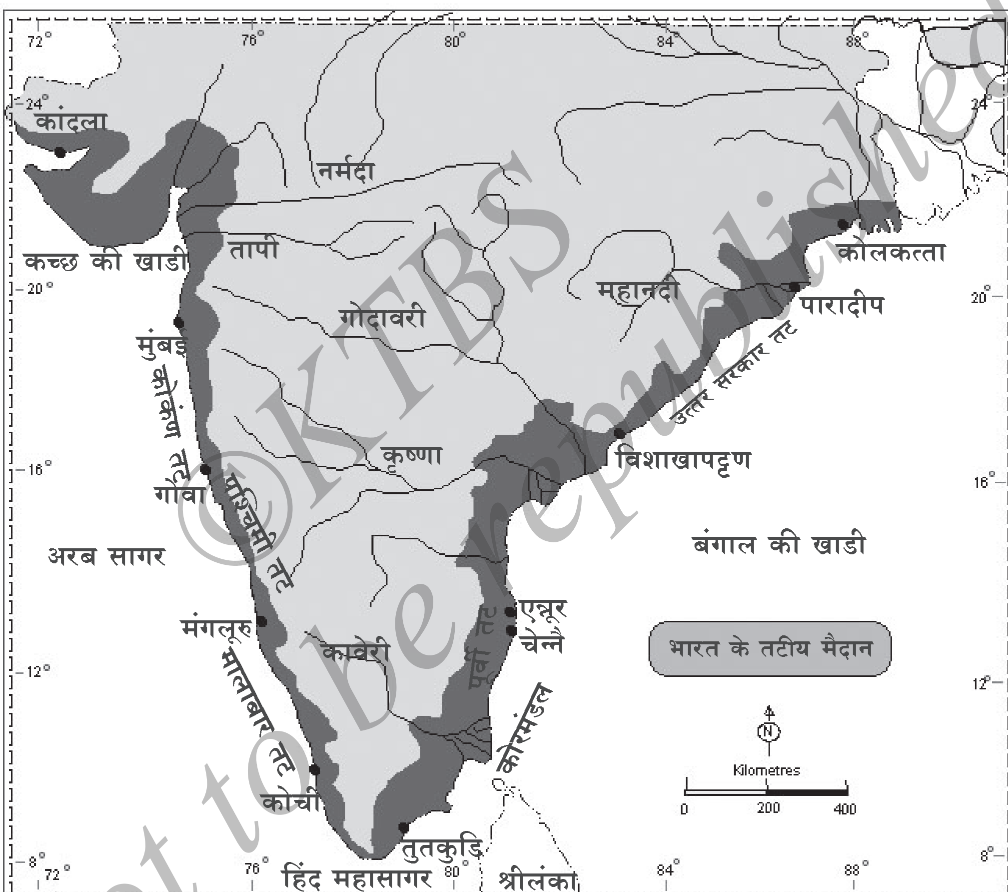

भारत के द्वीप : भारत में कुल 247 द्वीप हैं। इनमें 204 बंगाल की खाडी में तथा 43 अरब सागर में है। अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाडी में है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये मूँगे का द्वीप कहलाता है।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. महा हिमालय श्रेणियों को __________ भी कहा जाता है।
2. __________ हिमालय श्रेणी पहाडी स्थानों के लिए प्रसिद्ध है।
3. दक्षिण भारत में __________ अत्यंत ऊँचा शिखर है।
4. पूर्वीघाट पश्चिमीघाटों से __________ पहाडियों में जुडते हैं।
5. उत्तर के महामैदान __________ मिट्टी से परिपूर्ण (अच्छादित) हैं।

II. समूह चर्चाकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

1. भारत के प्रमुख प्राकृतिक विभाग कौन-कौन से हैं?
2. उत्तर के मैदान कैसे निर्मित हुए हैं?
3. शिवालिक पर्वत के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4. पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में साम्यता तथा विषमताओं को लिखिए।
5. उत्तरी पर्वतों की विशेषताएँ क्या हैं?

III. क्रियाकलाप

1. भारत का मानचित्र बनाकर उसमें प्रमुख प्राकृतिक विभागों को प्रदार्शत कीजिए।
2. भारत का मानचित्र बनाकर उसमे प्रमुख पहाडी स्थानों को नामांकित कीजिए।

IV. प्रदल कार्य

1. भारत के मानचित्र में भारत के समुद्रतटीय राज्यों का नाम लिखिए।
2. प्रसिद्ध बीच का चित्र संग्रह कीजिए।

6 * * * *

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 3
भारत की जलवायु

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगे।
- भारत की जलवायु के प्रकार तथा उसे नियंत्रण करने के कारक ।
- जलवायु के मौसम तथा उनकी विशेषताएँ ।
- भारत में वर्षा वितरण ।

1. जलवायु के प्रकार

ज्ञान रहे - मानसून शब्द अरबी भाषा के (Mousim) मौसम के प्रयोग से आया है।
मौसम का अर्थ है ऋतुएँ ।

भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार एकी हवाएँ चलती हैं। क्योंकि देश के कईभाग ऊष्ण कटिबंध में आते हैं तथा जलवायु भी अधिकतर मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती हैं।

भारत की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं - स्थान, जलराशि, सतही लक्षण तथा मानसूनी हवाएँ। इस प्रकार देश की जलवायु प्रदेश से प्रदेश को तथा काल से काल को बदलती है।

2. जलवायु के मौसम

भारत में एक वर्ष की जलवायु को 4 ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता है -

1) शीत ऋतु (सर्दी) - (दिसंबर - फरवरी)
2) ग्रीष्म ऋतु (गर्मी) - (मार्च - मई)
3) वर्षा ऋतु (जून - सितंबर)
4) निर्गमित मानसूनी हवाओं का काल (मध्य सितंबर)

1. शीत ऋतु : इस ऋतु में सूर्य की लम्बवत् किरणें दक्षिणी गोलार्द्ध पर पडती हैं। भारत पर वक्र किरणें पड़ती हैं। इस प्रकार भारत में कम उष्णता, कम आर्द्रता तथा आकाश बादल रहित होता है। देश के उत्तरी भाग में ठंडी तथा दक्षिणी भाग में गर्मी का आभास होता है। जनवरी अत्यंत ठंडा महीना होता है। कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतों पर अत्यंत कम उष्णता मापी गई है। कारगिल के समीप ड्रास स्थान पर अत्यंत कम तापमान (-4^0 से) मापा गया है। ओस तथा पाला सामान्य बात है। पर्वतीय भागों पर अत्यधिक बर्फ पडती है। इस अवधि में भारत अपनी वार्षिक वर्षा का 2 प्रतिशत भाग मात्र प्राप्त करता है।

2. ग्रीष्म ऋतु : इस समय सूर्य की लम्बवत् किरणें उत्तरी गोलार्द्ध पर पडती हैं। इस प्रकार भारत में उष्णता अधिक होती है। गर्म हवाएँ चलती हैं। ये शुष्कता तथा गर्मी से

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

पूर्ण होती हैं। राजस्थान के गंगानगर में अत्यधिक ताप (गर्मी) मान (49.4^0)से मापा गया है। देश के कुछ भागों में रिमझिम वर्षा भी होती है। जिसे भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उदा - उत्तर प्रदेश में 'आँधी', पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहलाता है। यह आम की उपज के लिए उपयुक्त होने के कारण इसे 'माविन हूइलू' तथा कर्नाटक में कॉफी उगाने के लिए उपयुक्त होने के कारण "काफीय हूमले" कहा जाता है। भारत की वार्षिक वर्षा का 10 प्रतिशत ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है।'

3. वर्षा ऋतु : इसे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा का काल कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत से उष्णता बढ जाने के कारण भारत के मध्य भाग में कम ताप के दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है। इसके विपरीत हिन्द महासागर में अधिक दबाव रहता है। इससे नमी युक्त हवाएँ दक्षिण पश्चिमी भाग से भारत की ओर चलती है। देश के विविध भागों में वर्षा होती है। तथा देश की वार्षिक वर्षा का वितरण 75 प्रतिशत इस ऋतु में हो जाता है।

दश्रिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को अरब सागर की हवाएँ तथा बंगाल की खाडी की हवाएँ, रूप में विभक्त किया जा सकता है। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट की ओर चलती है तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में अत्यधिक वर्षा देती है। वर्षा की मात्रा पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर जाते आते कम होती जाती है। इस प्रकार यह भाग वर्षा को छाता वाले प्रदेश के रूप में सामने आता है।

बंगाल की खाडी की शाखा (धारा) मेघालय तथा असम की पहाडियों द्वारा रोकेजाने के कारण अधिक वर्षा करती है। मेघालय का "मोसिनराम" भारत में अत्याधिक वर्षा वाला प्रदेश मानाजाता है। पश्चिम की ओर जाते जाते इसकी वर्षा की मात्रा कम होती जाती है।'

4. निर्गमित मानसूनी हवाओं का काल : अक्तूबर महीने के आरंभ में उष्णता कम होने के कारण भू-भाग पर कम ताप के दबाव का प्रदेश क्रमशः कम होता जाता है और वहीं अत्यधिक ताप के दबाव का प्रदेश निर्मित होता है। बंगाल की खाडी में कम ताप के दबाव का प्रदेश निर्मित होता है। परिणामतः दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएँ वापस लौट जाती हैं। वे उत्तर पूर्व दक्षिणपश्चिम की ओर चलने लगती हैं। इस प्रकार इस अवधि को 'उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं का काल' कहा जाता है। जलवायु अस्थिर होती है। इस समय देश की कुल वर्षा का 13 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश तथा उडीसा राज्यों के समुद्र तटीय भागों में वर्षा होती है।

इस ऋतु में जब तब उष्णकटिबंध की आवर्ती (साइक्लोन) हवाएँ बंगाल की खाडी से चलती हैं। जिससे कभी-कभी देश के पूर्वी तटीय भाग को हानि भी पहुँचती है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

3.3 वर्षा का वितरण - वर्षा की मात्रा के आधार पर भारत को 3 प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है -

i) कम वर्षा वाले प्रदेश - यह वर्ष में 50 से.मी. से कम वर्षा वाले भाग हैं। इनमें कच्छ का पश्चिमी भाग, राजस्थान का थार मरुस्थल तथा उसके आस-पास के भाग पश्चिमी पंजाब, हरियाणा तथा गुजरात, उत्तरी झारखंड (जास्कक) श्रेणी तथा पश्चिमी घाट के वर्षा निकट वाले प्रदेश आते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित 'रॉयली' अत्यंतकम वर्षा वाला प्रदेश (8.3 से.मी.) तथा भारत का अत्यंत शुष्क प्रदेश है।

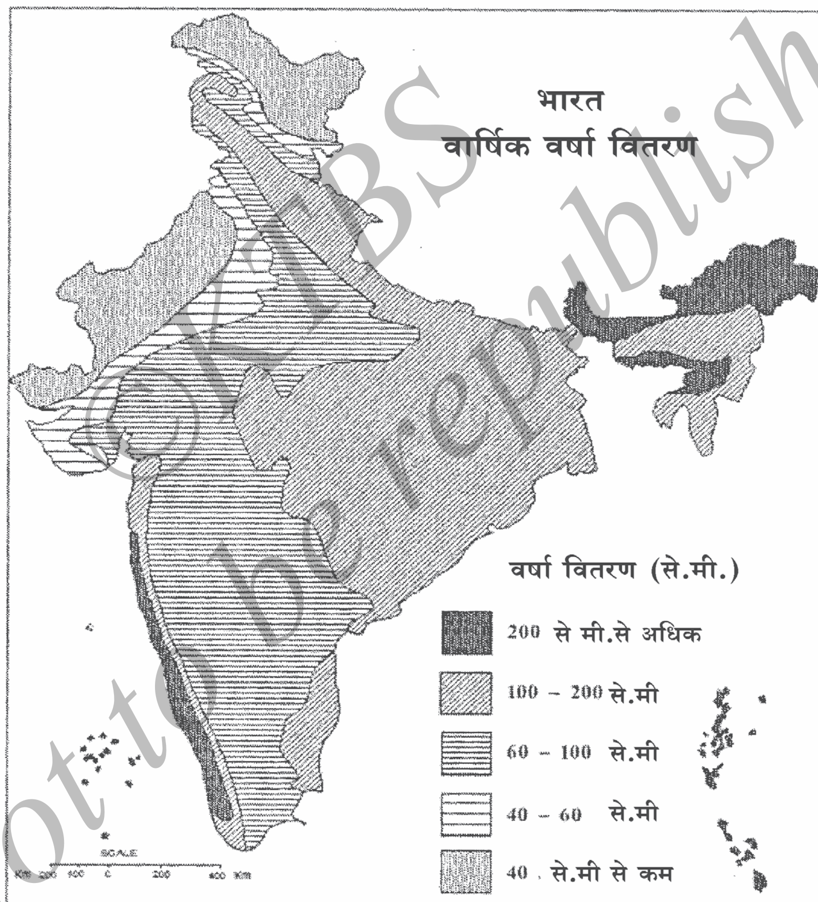

© KTBS Not to be republished

ii) साधारण वर्षा वाले प्रदेश - (50-100 से.मी)

यह विशाल क्षेत्र है, उत्तरी पंजाब से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह उत्तर में चौडे क्षेत्र में फैला है। दक्षिण की ओर आते-आते पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के बीच छोटा (संकीर्ण) हो जाता है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

iii) अधिक वर्षा वाले प्रदेश - (100-250 से.मी)

यह 4 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित है। क) पश्चिमी घाट का सँकरा (छोटा) भाग। ख) जम्मू से प्रारंभ होकर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के उत्तरीभाग, बिहार तथा पश्चिम बंगाल। ग) उत्तर पूर्वी भारत में ही अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मोसिनराम इसी भाग के अंतर्गत आता है। घ) पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेश।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. भारत में ________ प्रकार की जलवायु है।
2. भारत में अत्यधिक वर्षा वाला स्थान ________ है।
3. भारत में कम उष्णता ________ क्षेत्र में मापी गयी है।
4. भारत का अत्यधिक ठंडा मास ________ है।

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. भारत की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले कारक कौन-कौन से है?
2. भारत की प्रमुख जलवायु के मौसम कौन-कौन से हैं?
3. दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की प्रक्रिया का विवरण दीजिए।
4. शीत ऋतु की जलवायु के मौसम के बारे में लिखिए।
5. भारत में कम वर्षा वाले प्रदेशों के बारे में बताइए।

III. क्रियाकलाप :-

1. भारत का नक्शा बनाकर उसमें वर्षा का वितरण प्रदर्शित कीजिए ।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. भारत के दो मानचित्र में दक्षिण पश्चिमी तथा उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं को प्रदर्शित कीजिए ।

* * * *

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 4
भारत की मिट्टियाँ

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

- मिट्टी का अर्थ और भारत में मिट्टी का महत्व।
- मिट्टी के प्रकार तथा उनका वितरण।
- मिट्टी का कटाव, कारण तथा परिणाम तथा मिट्टी का संरक्षण।

© KTBS Not to be republished

अर्थ तथा महत्व -

खनिज तथा जैविक अंशों के संयोग से बनी भूमि की ऊपरी पतली सतह ही ''मिट्टी'' है। कृषि भारतीयों की प्रमुख वृत्ति है और मिट्टी देश का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। कृषि उत्पादन मूलतः मिट्टी की उर्वरकता (उपजाऊपन) पर आधारित है।

भारत के विविध प्रकार की मिट्टियों की उर्प्पत्ति का मूल शिलाएँ, ऊपरी विशेषताएँ, जलवायु तथा स्वाभाविक वनस्पति से संबंधित है। इस प्रकार भारत की मिट्टी में विविधता है।

मिट्टी के प्रकार - भारत की मिट्टियों को प्रमुख रूप से 6 प्रकारों में बाँटाजा सकता है -

1) कछारी मिट्टी
2) काली मिट्टी
3) लाल मिट्टी
4) लेटेराइट (मखरला) मिट्टी
5) बलुई मिट्टी
6) पर्वतीय मिट्टी

1) कछारी मिट्टी - प्रमुख रूप से कछार युक्त (जलोढ) दुम्मट मिट्टी को कछारी या दुम्मट मिट्टी कहते हैं। यह नदियों द्वारा कछार (मिट्टी के छोटे-छोटे कण) का संचय करने से उत्पन्न होती है। उदा : सिंधु-गंगा नदी तट, समुद्र की लहरों द्वारा संचयित होने वाली मिट्टी। भारत में कछारी (दुम्मट) मिट्टी काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली है। साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण भी है। यह देश के कृषि के विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है। लगभग 15 लाख कि.मी. क्षेत्रफल प्रदेश में यह विस्तृत है। इस मिट्टी में उगायी जाने वाली प्रमुख फसलें हैं - गेहूँ, धान, ईख (गन्ना), कपास, जूट, आलू और सब्जियाँ।

भारत में कछारी मिट्टी अधिकतर नदी किनारों (तटों) पर पायी जाती है। उदा. सतलज, गंगा, कृष्ण, ब्रह्मपुत्र, कावेरी नर्मदा, तापी तथा महानदी तट।

क्या आप जानते है?

- *सूक्ष्म कणों से युक्त तथा हाल ही में निर्मित दुम्मट या कछारी मिट्टी को खादर कहते हैं।*
- *हाल ही में उत्पन्न कछारी और भौगर नाम क खुरदरे कणों से युक्त तथा प्राचीन काल कछारी मिट्टी सिंधु, गंगा नदी तट पर देखी जासकती है।*

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

2) काली मिट्टी - इसे 'रेगार' मिट्टी (तेलुगु भाषामें) उपयुक्त मिट्टी है। अतः इसे काली कपास मिट्टी थी कहते है। बेसाल्ट शिलाकणों द्वारा यह मिट्टी उत्पन्न होती है। इसलिए यह राख केरंग की तथा काले रंग की होती है। इसमें चिकनी मिट्टी के अंश अधिक होते हैं। यह धने कणों द्वारा रचित है तथा इसयें दीर्घकाल तक नमी बनाए रखने की क्षमता होती है। कपास, ज्वार, मक्का, द्विदलधान्य, गेहूँतथा मिर्च उगाने के लिए यह उपयुक्त मिट्टी है।

भारत में काली मिट्टी दक्कन के पठार, बेसाल्ट (आग्नेय) चट्टानों में व्यापक रूप से पाथी जाती है। यह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना के कुछभाग, उत्तर कर्नाटक, गुजरात तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में है। लग्भग 5.46 लाख कि.मी. क्षेत्रफल के विस्तार में काली मिट्टी फैली हुयी है।

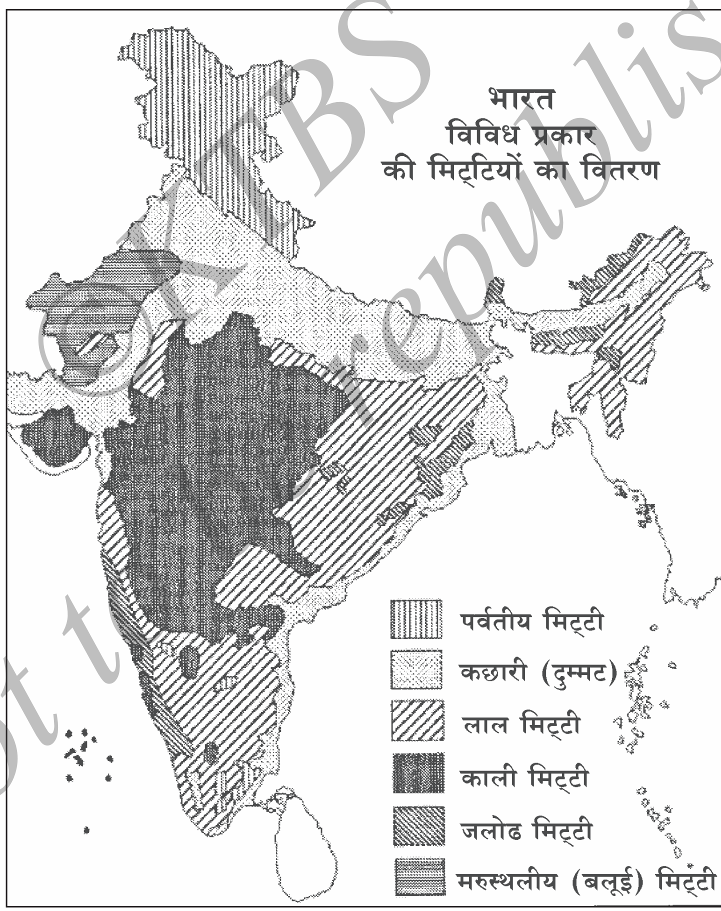

© KTBS Not to be republished

3) लाल मिट्टी - यह ग्रेनाइट, नीस तथा अन्य स्फटिक शिलाओं के विभेदी करण द्वारा उत्पन्न हुयी है। यह सायान्यतः लाल तथा भूरे रंग की होती है। इसमें बालू(रेत) के अंश अधिक होते है तथ। सफेद मिट्टी की मात्रा कम होती है। इस प्रकार इसमें नमी

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सोखने, संग्रह करने की क्षमता कम होती है। इस प्रकार की मिट्टी लगभग 5.2 लाख कि.मी. क्षेत्रफल में फैली हुयी है। तमिलनाडु में लाल मिट्टी विशाल क्षेत्र मं पायी जाती है। साथ ही यह दक्षिण कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उडीसा, केरल, गोवा, विहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में देखी जा सकती है।

लाल मिट्टी रागी, तृणधान्य, तैलीय बीज, मूँगफली, तंबाकू तथा आलू उत्पादन के लिए उपयुक्त है। किंतु सिंचाई की सुविधा वाले प्रदेशों में इस मिट्टी में अन्य विविध फसल भी उगाए जा सकते हैं।

4) मखरला (लेटेराइट) मिट्टी : यह विशेष मिट्टी अधिक उष्णता तथा वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंध प्रदेशों में उत्पन्न होती है। अधिकतर यह पश्चिमी घाटों, पूर्वी घाटों, छोटा नागपुर का पठारी भाग, मेघालय का पठार, राजमहल की पहाडियाँ, विंध्य तथा सतपुडा श्रेणियों में विस्तृत है। लगभग 2.48 लाख कि.मी. क्षेत्रफल में यह मिट्टी फैली हुयी है। यह मिट्टी जल को विलीन करने के कारण अधिक उपजाऊ नहीं है। कृषि के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इस मिट्टी में काजू, रबड, चाय, कॉफी (कहवा) तथा धान उगाया जा सकता है।

5) बलुई मिट्टी - मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थलीय भू-भाग में ऐसी मिट्टी देखी जा सकती है। भारत में यह अधिकतर उत्तर पश्चिमी भाग में देखी जाती है। उदा : राजस्थान के काफी भाग में, दक्षिणी हरियाणा, पंजाब तथा गुजरात के उत्तरी भाग में यह मिट्टी सरलता से बिखर जाती है। इसमें लवणांश अधिक होता है। बालू की मात्रा अधिक होती है। नमी तथा वनस्पति के अंश कम होते हैं। विविध फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंचाई की सुविधा होने पर कुछ फसल उगायी जा सकती है। यह मिट्टी लगभग 1.42 लाख कि.मी. क्षेत्रफल में विस्तृत है।

6) पर्वतीय मिट्टी - ऐसी मिट्टी जंगलों से आच्छा दित पर्वतीय प्रदेशों तथा पहाडों के निचले ढलवाँ प्रदेशों में देखी जा सकती है। जीविक वस्तुओं के सडने से ऐसी मिट्टी का निर्माण होता है। इस तरह इस मिट्टी में वनस्पति के अंश अधिक होने के कारण यह उपजाऊ होती है। आरोपण उपज (फसल) की कृषि के लिए यह उपयुक्त है। उदाः चाय, कहवा, तथा फलों की खेती । जम्मू - कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा पश्चिमीघाटों में पर्वतीय मिट्टी काफी देखी जाती है। यह लगभग 2.85 लाख कि.मी. क्षेत्रफल में फैली है।

मिट्टी का कटाव (अपरदन) - मिट्टी के स्तर के ऊपरी भाग को प्राकृतिक कृत्यों द्वारा बहकर चले जाने को मिट्टी का कटाव कहते हैं। नदी, हिमनदी, हवाएँ, समुद्री लहरें आदि उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी सतह को वहा देती है अर्थात् कटाव का कारण बनती है तथा उर्वरकता को कम करती हैं। भारत में मिट्टी का कटाव भी एक प्रमुख समस्या है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

मिट्टी के कटाव के कारण - मिट्टी के कटाव के प्रमुख कारण में हैं -

क) वनों का नाश
ख) अत्यधिक चराना (जानवरों को)
ग) स्थलांतरित खेती
घ) अवैज्ञानिक खेती पद्धति
ङ) ऊपरी सतह की मिट्टी का ईंट, खपरैल आदि उद्देश्यपूर्ति के लिए उपयोग करना।

मिट्टी के कटाव के परिणाम - मिट्टी के कटाव से होने वाले प्रमुख परिणाम ये हैं -

1. मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है इससे कृषि उत्पादन क्षमता कम होती हैं।
2. नदी मुखज (द्रोणी) गड्ढे भर जाना । (ठोस रूप में), बाढ आना, तथा नदी का अपना बहाव क्षेत्र बदल लेना और जलाशयों में जल संग्रह क्षमता का कम होना।
3. अंतर्जल के स्तर में कमी तथा मिट्टी में नमी का कम होना।
4. वनस्पति का सूखना तथा अकाल की स्थिति आना।
5. समग्र आर्थिक व्यवस्था भी कारण बनती है।

मिट्टी का संरक्षण - मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण तथा उपजाऊपन को बनाए रखने को 'मिट्टी का संरक्षण कहते है। मिट्टी के संरक्षण के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। वे हैं - 1) वनों का संरक्षण' और पुनः वन बढाना। 2) अत्यधिक चराने पर नियंत्रण 3) समोन्नत व्यवसाय 4) आडी-मेडों का निर्माण 5) रोकबाँध का निर्माण तथा 6) सोपानों (सीढीनुमा) में खेती तथा दरार (पानी के बहाब के कारण) नियंत्रण।

भारत में मिट्टी के संरक्षण शोध किया गया है। इस के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में विशेष स्थान दिया गया है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. नदियों के संचय से निर्मित मिट्टी ______________ कहलाती है।
2. काली मिट्टी को ______________तथा______________ भी कहा जाता है।
3. अत्यधिक उष्णता तथा वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न मिट्टी ______________ होती है ।
4. पर्वतीय मिट्टी ______________ फसल के लिए उपयुक्त है ।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. भारत में मिट्टी के प्रमुख प्रकारों को लिखिए ।
2. भारत में काली मिट्टी के वितरण के बारे में लिखिए ।
3. लाल मिट्टी की विशेषताओं को लिखिए ।
4. मिट्टी का कटाव तथा संरक्षण से आप क्या समझते हैं?
5. मिट्टी के कटाव से होने वाले परिणाम कौन कौन से हैं?
6. मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण बताइए।

III. क्रियाकलाप :-

1. भारत के मानाचित्र में विविध प्रकार की मिट्टियों का वितरण प्रदर्शित कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. अपने निकट के कृषि विभाग में जाइए। अपने अध्यापक की सहायता से अपने तालुक के विविध प्रकार की मिट्टियों की तालिका बनाइए ।

©KTBS Not to be republished

* * * *

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 5
भारत की वन सम्पदा

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगे।

- वनों का अर्थ एवं महत्व ।
- वनों के प्रकार एवं वितरण ।
- वनों का संरक्षण ।
- वन्यजीव धाम एवं राष्ट्रीय उद्यानवन ।
- भारत के जैविक संरक्षण क्षेत्र ।

वनों का अर्थ एवं महत्व

वृक्ष तथा अन्य वनस्पति वर्ग से आच्छादित विशाल भू-भाग को वन (अरण्य) कहा जाता है। यह सामान्यतः बहुमूल्य वृक्षों का प्रधान प्रदेश होता है। वन प्राकृतिक अथवा मानव द्वारा पोषित उद्यान भी हो सकते हैं।

वन भारत के प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। ये प्रत्यक्ष रूप से लकडी की वस्तुओं की माँग पूरी करते हैं। ये ईंधन, लकडी तथा उद्योग धन्धों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। वन जानवरों के लिए आवश्यक चारे तथा लोगों के लिए उद्योग का अवसर प्रदान करते हैं।

वन परोक्ष रूप से बाह्य विशेषताओं का संरक्षण करते हैं। जैसे-बहते जल की तेज गति को मंद करते हैं। बाढ तथा मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करते हैं। भूमि को मरूस्थलीय बनने से रोकते हैं। मिट्टी की उर्वरकता बढाने में मदद करते हैं। जलवायु संतुलित करते हैं। तथा पर्यावरण संतुलन में सहायक हैं। ये वन्य जीवियों के आश्रय दाता हैं।

वनों के प्रकार - भारत में वनों के प्रकार जलवायु, मिट्टी तथा बाह्य विशेषताओं पर आधारित हैं। किंतु जलवायु अत्यंत प्रमुख कारक है। विशाल भारत में अनेक प्रकार के वन हैं। इन्हें 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1) उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन।
2) उष्ण कटिबंधीय पतझड (पर्णपाती) वन।
3) छोटी वनस्पतियाँ तथा घास के मैदान।
4) रेगिस्तानी वनस्पति वर्ग
5) पर्वतीय वन
6) (मैंग्रूव) वन - गरान या कच्छ वनस्पति के वन

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

1. उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन : ऐसे वन 250 से.मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाये जाते हैं। ये प्रमुख रूप से पश्चिमी घाटों के पश्चिमी भाग में तथा उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, नागालैंड,मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के पहाडों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाये जाते हैं। ये वन घने होते हैं। तथा यहाँ वृक्ष काफी ऊँचे उगते हैं। ये वृक्ष अपने पेडों से किसी भी समय अपने पत्तों को नहीं झाडते। इस प्रकार ये सदा हरे भरे रहते हैं। सागौन, सीसम आबनूस, महोगनी, गुजरान तथा चंपा के वृक्ष यहाँ प्रमुख रूप से उगते हैं।

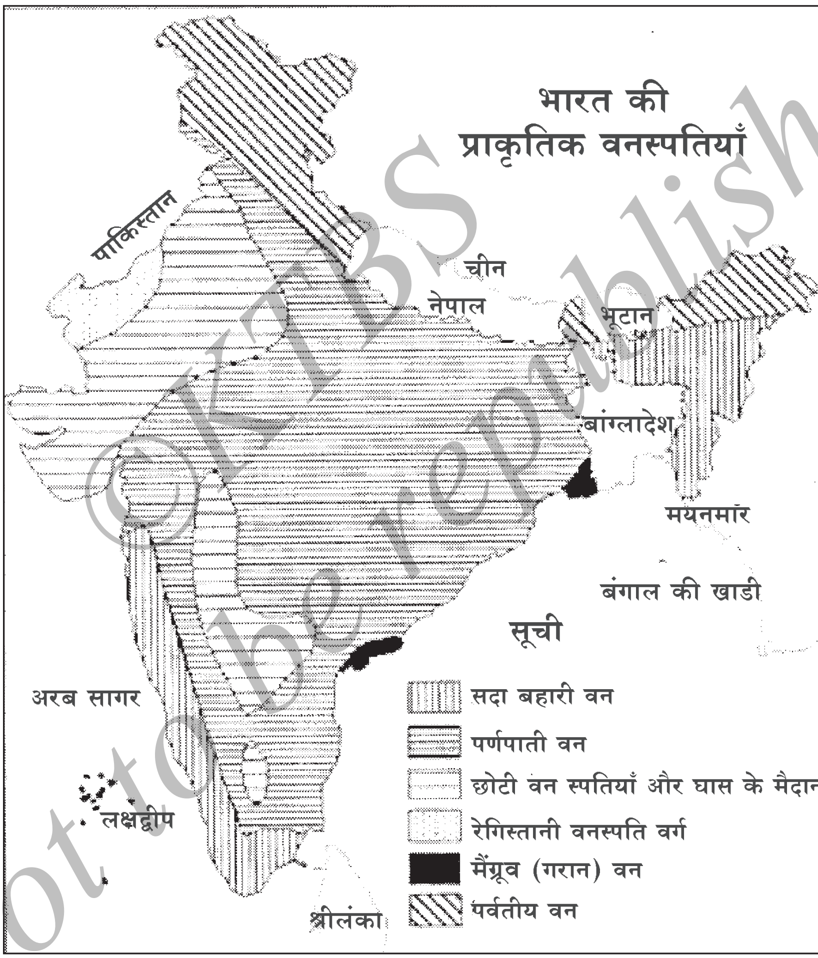

©KTBS Not to be republished

2. उष्ण कटिबंधीय पतझड (पर्णपाती) वन : ये 'पर्णपाती' वन कहलाते हैं। ये वर्ष में 100-200 से.मी. वर्षा वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। देश के विशाल प्रदेश में इनका वितरण है। प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलाऊ भाग में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्य तथा छोटानागपुर के पठार, हिमालय का तराई भाग, उडीसा तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाये जाते हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

इन वनों के वृक्ष वसंत ऋतु तथा गर्मियों के प्रारंभ में अपने पत्ते झाड लेते हैं। इस प्रकार इन्हें "मानसूनी वन" भी कहा जाता है। यहाँ उगने वाले प्रमुख वृक्षों में सागौन, साल, चंदन लाल नारियल, मुनिवृक्ष, मत्ती, आम, नीम, इमली आदि हैं।

3. छोटी वनस्पतियाँ और घास के मैदान - ऐसी वनस्पतियाँ 60-100 से.मी. वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पायी जाती है। यहाँ छोटे-छोटे पौधे, पेड तथा नाटे ऊबड-खाबड घास, काँटेदार पेड-पौधे यहाँ-वहाँ बिखरे रूप में उगते हैं। ये कच्छ तथा थार मरुस्थल के किनारों पर देखे जा सकते हैं। घास के मैदान प्रमुख रूप से राजस्थान के पूर्वी भाग में पंजाब, पश्चिमी घाट के कुछ भागों में तथा कार्डेमम (इलाइची) पहाडियों में देखे जा सकते हैं।

4. रेगिस्तानी वनस्पति वर्ग - ये 10-50 से.मी. वार्षिक वर्षा वाले भागों में देखे जा सकते हैं। इनमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग में तथा दक्कन के पठारी भाग आते हैं। वर्षा की कमी के कारण इन भागों में जहाँ तहाँ बिखरे रूप में वृक्ष, काँटेदार पौधे आदि उगते हैं। काले फीके नीरस वृक्ष, काँटे दार वृक्ष, करील, खजूर, ताड वृक्ष आदि यहाँ देखे जा सकते हैं।

5. पर्वतीय वन : पर्वत के ढलवाँ प्रदेशों में उगने वाली वनस्पति तथा वृक्षों को "पर्वतीय वन" कहा जाता है। ये भारत में हिमालय पर्वत तथा कुछ स्तर पर नीलगिरि पहाडियों पर देखे जा सकते हैं। यहाँ उगने वाले प्रमुख वृक्षों में ओक, स्प्रूस, बैरा, फर तथा अखरोट आदि आते हैं।

6. गरान या कच्छ वनस्पति वन - ऐसे वन अधिक वर्षा वाले प्रदेश, नदी द्रोणी (मुखज) भूमि, तथा ज्वार-भाटा वाले समुद्री तटों में देखे जा सकते हैं। भारत में पूर्वी समुद्री तट के नदी द्रोणी भूमि में ये अधिक पाये जाते हैं। पश्चिमी समुद्री तट में कुछ इधर-उधर (यत्र-तत्र) बिखरे रूप में देखे जा सकते हैं। यहाँ उगने वाले वृक्षों में सुंदरी, बाँस, ताड, लाल नारियल, फिसलने वाले पौधे, केतकी आदि प्रमुख हैं। इसकी विशेषता यह है कि समुद्र की ओर झुके हुए इनकी डालों से बढने (उगने) वाले बरगद के वृक्षों के ये आधार हैं। बरगद के वृक्ष समुद्र के जल में डूबे रहते हैं।

> ***क्या आप जानते है?***
> *- गंगा नदी द्रोणी भूमि के गरान वनों में सुंदरी नाम वृक्ष व्यापक रूप में पाये जाते हैं। इस कारण इस द्रोणी (मुखज) भूमि को सुंदर बन कहा जाता है।*

वनों का वितरण

भारत में वनों का कुल विस्तार 7.74 लाख वर्ग कि.मी है जो देश के कुल भौगोलिक विस्तार का 23.6 प्रतिशत है। यह 1952 के राष्ट्रीय वन नीति नियमों की सीमा 33.3 प्रतिशत से भी कम है। विश्व के कुल 29.5% से भी कम है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

सम्पूर्ण भारत में वनों का समान वितरण नहीं है। देश के कुल वनों का 60 प्रतिशत भाग हिमालय तथा प्राय:द्वीपीय पठार के पहाडों में तथा 20 प्रतिशत भाग उत्तरी मैदान में पाया जाता है। राज्यों में मध्यप्रदेश विशाल वन प्रदेश वाला राज्य है। इसके विपरीत गोवा में बहुत कम वन प्रदेश है।

वनों का संरक्षण -

भारत की राष्ट्रीय आर्थिकता में वनों का बडा महत्व है। खेद की बात यह है कि पिछले वर्षों में वनों का क्षेत्र कम हो गया है। इसका प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र का विस्तार, सड़क और रेलमार्ग, सिंचाई योजना निर्माण, औद्योगिकी करण, नगरीकरण, जानवरों को अत्याधिक चराना, दावानल आदि है। आने वाली पीढी की दृष्टि से वनों का संरक्षण अनिवार्य है। वन विनाश से बचाना, हद से ज्यादा वन संपदा का संग्रह, नियंत्रण तथा वन निर्वाह प्रक्रिया को "वन संरक्षण" कहते है।

भारत में वन संरक्षण

1) वन विनाश पर नियंत्रण ।
2) हद से ज्यादा चराने पर रोक ।
3) दावानल पर नियंत्रण ।
4) वन के अतिक्रमण पर रोक ।
5) वनों के कीट तथा रोग पर नियंत्रण ।
6) वृक्षों की चोरी तथा आरोपण पर रोक ।
7) वैज्ञानिक रूप से वृक्ष काटना ।
8) वन विनाश नियंत्रण अधिनियम जारी करना।
9) वन विकास के लिए प्रोत्साहन देना ।
10) वनों के महत्व के बारे में जनता को जागृत करना, ज्ञान देना।

वन्यजीव धाम - वन्य जीवों की सुरक्षा का स्थान ही वन्य जीव धाम है। तत्संबंधी अधिकारियों की आज्ञा के बिना इस स्थान पर किसी भी जानवर को मारना या कैद करना निषिद्ध है। भारत में लगभग 523 वन्य जीव धाम हैं। प्रमुख वन्य जीव धामों में अन्नामलै तथा मदुमलै (तमिलनाडु), दांडेली, भद्रा, तलकावेरी, बिलिगिरिरंगन बेट्टा (पहाड) (कर्नाटक), पेरियार, (केरल), नागार्जुन सागर (तेलंगाना), भरतपुर तथा रणथंभौर (राजस्थान), मानस (असम), जालदापारा (पश्चिम बंगाल) का नाम आता है।

राष्ट्रीय उद्यान वन : सार्वजनिक विहार तथा वैज्ञानिक हित की दृष्टि से प्राकृतिक सौंदर्य, वनस्पति तथा जीवों के संरक्षण के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करनेवाले विस्तृत प्रदेश

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

को "राष्ट्रीय उद्यान वन" कहते हैं। पेड पौधों को काटने तथा जानवर चराने या कृषि कार्यों का यहाँ निषेध होता है। भारत में कुल 99 राष्ट्रीय उद्यान वन हैं।

भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वन : काजीरंगा (असम), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), कार्बेट (उत्तरांचल), गिर (गुजरात), कान्हा (मध्यप्रदेश), बंडीपुर, बन्नेरघट्टा तथा नागरहोले (कर्नाटक), सरिक्षा (राजस्थान), दुधवा (उत्तर प्रदेश), तोडोबा (महाराष्ट्र) इत्यादि।

आपको ज्ञात रहे -
- *येल्लोस्टोन (पीलाप्रस्तर) उद्यान यू.एस.ए (1872) - विश्व का सर्व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।*
- *जिम कार्बेट - उत्तरांचल (1936) - भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।*

जैविक संरक्षण क्षेत्र

विशेष वर्ग में सुरक्षित भूमि का एक भाग या समुद्री तट के पर्यावरण को 'जैविक संरक्षण क्षेत्र' कहते हैं। यह विशिष्टता पूर्ण जीवसमुदायों से परिपूर्ण है। इस व्यवस्था में जनता सम्पूर्ण रूप से भागीदार है। जीव संरक्षण, संशोधन (अनुसंधान), शिक्षा तथा स्थानीय लोगों को इसमे भाग लेने के लिए किया जाने वाला प्रयास जीव संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है।

ज्ञात रहे -
- *जीव संरक्षण क्षेत्र मानव तथा जीवजगत योजना (MAB) के तहत 1971में युनेस्को (UNESCO) द्वारा आरंभ हुआ था।*
- *भारत में सर्वप्रथम जीव संरक्षण क्षेत्र नीलगिरि श्रेणी में 1986 में अस्तित्व में आया ।*

भारत में 15 जीव संरक्षण क्षेत्र हैं। वे है - नीलगिरि, नंदादेवी, नोक्रेक, मानस, ग्रेट, निकोबार, मन्नार का खाडी, सुंदरबन, सिमिलीपॉल, कंचनजंघा, पचमढ़ी, अगस्त्यमलै, डिब्रू, सैखोवा, दिबांग इत्यादि।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. ___________ वन वर्ष के किसी भी काल में अपने पत्ते नहीं गिराते (झरते)।
2. ___________ बनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है।
3. हिमालय पर्वत में ___________ प्रकार के वन हैं।
4. ___________ वन अधिकतर नदी द्रोणी (मुखज) भूमि में पाये जाते हैं।
5. नागार्जुन सागर वन्यजीवधाम ___________ राज्य में है।

Not to be republished ©KTBS

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

1. वनों से क्या तात्पर्य है?
2. मरुस्थलीय वनस्पति वाले प्रदेश का नाम लिखिए।
3. वन संरक्षण के लिए आवश्यक किन्हीं चार सोपानो को लिखिए।
4. वन्य जीव धाम से आप क्या समझते हैं ?
5. कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन का नाम लिखिए।
6. जीव संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है?

III. क्रिया कलाप :-

1. अपने निवास स्थान में देखे जाने वाले पेडों, वनस्पतियों तथा जीवजन्तुओं के प्रकार पहचान कर उसकी सूची बनाइए।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. वन्य जीवधाम में देखे जाने वाले जीवजन्तुओं के चित्रों का एक एलबम तैयार कीजिए।
2. भारत का नक्शा बनाकर उसमें जीवजन्तु संरक्षण क्षेत्रों को पहचान कर नाम भी लिखिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 6
भारत के जलसंसाधन

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेंगे।

- जलसंसाधन का महत्व ।
- भारत की प्रमुख नदियाँ ।
- सिंचाई - अर्थ तथा भारत में सिंचाई की आवश्यकता ।
- सिंचाई के प्रकार तथा वितरण ।
- विविधोद्‌देश्यी सिंचाई योजनाएँ ।

महत्व : जल प्राकृतिक संसाधनों में एक अमूल्य अंश है। जल के विना व्यवस्थित जीवन असंभव है। मानव को पीने के लिए, पकाने के लिए, स्वच्छता के लिए, सिंचाई, विद्युतशक्ति तैयार करने के लिए, उद्योगों के लिए, नौकायान, मत्स्यपालन आदि उद्‌देश्यों के लिए जल आवश्यक है।

भारत में अपार जल संपदा है। देश में अनेक नदियों बहती हैं तथा काफी वर्षा भी होती है। साथ ही अपरिमित अंर्तजल संपदा भी है।

भारत की प्रमुख नदियाँ : भारत में अनेक नदियों का जाल है। ये देश के प्राकृतिक संसाधन हैं। इन नदियों के जल का सिंचाई, जलविद्युतशक्ति तैयार करने, अंत:प्रदेशों में जलआपूर्ति, मत्स्यपालन, मनोरंजन इत्यादि उद्‌देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। भारत की नदियों का जल दो प्रमुख विभागों में बाँटा जा सकता है - 1) उत्तर भारत की नदियाँ 2) दक्षिण भारत की नदियाँ।

1) उत्तर भारत की नदियाँ - इन्हें हिमालय की नदियाँ भी कहते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ हैं।

सिंधुनदी : यह कैलाश पर्वत (तिब्बत) से (उगम) जन्म लेकर आरंभ में उत्तर पश्चिम (वायव्य) की ओर बहती है। तत्पश्चात् दक्षिण पश्चिम की ओर मुडकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद दक्षिण की ओर बहती हुयी कराँची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की लंबाई 2897 कि.मी. है जिसका 709 कि.मी. भाग भारत में है। इसका अधिकतम भाग पाकिस्तान में बहता है। अनेक उपनदियाँ सिंधुनदी में मिलती हैं। इनमें झेलम, चिनाब, व्यास, रावी तथा सतलज प्रमुख है।

गंगा नदी : यह भारत की सबसे लम्बी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 कि.मी. है। गंगोत्री में इसका उद्‌भव होता है। आरंभ में दक्षिण की ओर तत्पश्चात् पद्‌मा नदी के

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

रूप में आगे बहती है और अंत में बंगाल की खाडी में जाकर मिलजाती है। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख उपनदियाँ हैं - यमुना, घग्गर, गंडक, रामगंगा, गोमती, शारदा, सोन तथा कोसी। इनमें से यमुना सबसे लंबी उपनदी है।

ज्ञात रहे -
ब्रह्मपुत्र नद् को तिब्बत में साँगपो के नाम से तथा बांग्ला देश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह नद् विश्व के सबसे बडे नदी निर्मित मुजली द्वीप का निर्माण करता है।

ब्रह्मपुत्र नद् : मानस सरोवर के समीप चेमयंगडंग (तिब्बत) में इसका उद्भव होता है। आरंभ में पूर्वाभिमुख बहकर अरुणाचल प्रदेश में संकरी कंदराओं में बहते हुए भारत में प्रवेश करता है। तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बहकर बांग्लादेश में दक्षिण की ओर मुड कर गंगा नदी में मिलजाता है। इसकी कुल लंबाई 2589 कि.मी.है।

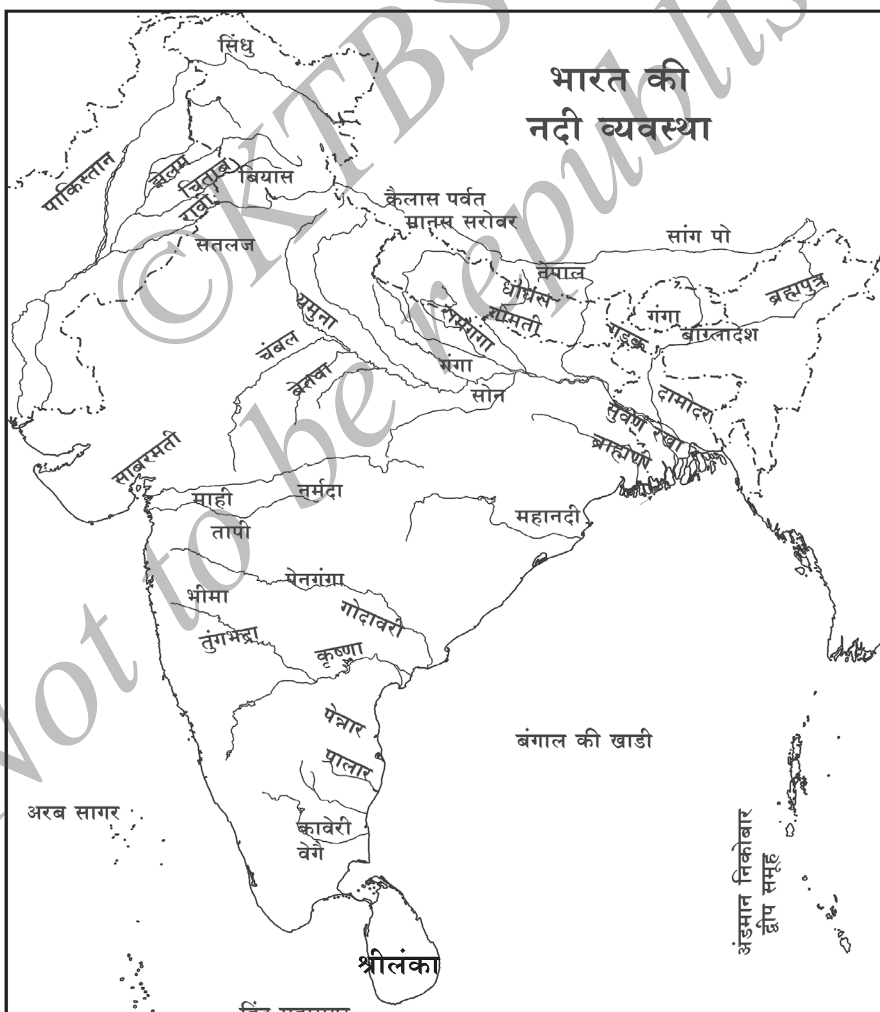

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

दक्षिण भारत की नदियाँ : दक्षिण भारत में अनेक नदियाँ बहती हैं। इन्हें प्रायः द्वीपीय पठार नदी भी कहा जाता है। इनमें की नदियाँ पश्चिमी घाटों से उद्‌भव होती हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में - महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी तथा उनकी उपनदियों का नाम आता है। इन्हें भी पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के रूप में विभाजित किया जा सकता हैं -

अ) पूर्व की ओर बहनेवाली नदियाँ : महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं।

महानदी सिवाह श्रेणी में उद्‌भव होकर पूर्व की ओर (851 कि.मी.) बहती हुयी बंगाल की खाडी में जाकर मिल जाती है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह त्रयंबक में जन्म (उद्‌भव) लेकर पूर्व की ओर (1465 कि.मी.) बहती हुयी बंगाल की खाडी में जा मिलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट उद्‌भव होकर दक्षिणपूर्व की ओर (1400 कि.मी.) बहती हुयी बंगाल की खाडी में जा मिलती है। इनमें मिलने वाली प्रमुख उपनदियाँ में हैं - भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा तथा मलप्रभा कावेरी नदी तलकावेरी (कोडगु) में उद्‌भव होकर पूर्व की ओर बहती हुयी अँत में बंगाल की खाडी में मिल जाती है। हेमावती, शिम्सा, कबिनी, अर्कावती, लक्ष्मणतीर्थ, सवर्णावती तथा भवानी कावेरी में मिलने वाली उपनदियाँ हैं।

आ) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ - नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहनेवाली प्रमुख नदियाँ हैं। नर्मदा अमरकंटक पहाडों में जन्म लेकर संकरी अमृतशिला कंदरा से होते हुए पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जा मिलती है। तापी नदी मूल्ताई के निकट उद्‌भव होकर पश्चिम की ओर (724 कि.मी.) बहती हुयी अरब सागर में जा मिलती है। इसके अतिरिक्त अनेक छोटी छोटी नदियाँ भी पश्चिम को बहती हैं। इनमें प्रमुख हैं - शरावती, काली, नेत्रावती तथा पेरियार नदियाँ।

सिंचाई :

अर्थ : कृषि के उद्देश्य से कृत्रिम जल आपूर्ति को 'सिंचाई' कहते हैं। अर्थात् नदियों, जलाशयों, तालाबों और अंर्तजल द्वारा कृषियोग्य भूमि को जल पहुँचाया जाता है।

सिंचाई की आवश्यकता : भारत कृषिप्रधान देश है। कृषि के लिए आवश्यक तथा निरंतर जल आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। भारत की कृषि अधिकतर मानसूनी वर्षा पर आधारित (निर्भर) है। किंतु वर्षा का वितरण, ऋतुकालिक, अकालिक तथा असमान है। कुछ उपज के लिए अधिक मात्रा में तथा लगातार जल आपूर्ति अनिवार्य है। उदा - धान, गन्ना (ईख), इत्यादि। साथही उपज की अधिक वृद्धि तथा उत्पादन के लिए लगातार जल

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

आपूर्ति अनिवार्य हैं। यह सिंचाई द्वारा मात्र संभव है। इस प्रकार भारत में सिंचाई की सुविधा अत्यंत आवश्यक है।

सिंचाई के प्रकार : भारत में कुंए, नहर तथा तालाब सिंचाई के प्रकार उपयोग में हैं। आजकल अन्यप्रकारों जैसे - टपकाव (बूंद-बूंद) सिंचाई, तथा छिडकाव सिंचाई का भी उपयोग हो रहा है।

1) कुंओं द्वारा सिंचाई : यह भारत का अत्यंत प्रमुख सिंचाई साधन है। देश के कुल सिंचाई क्षेत्र का 60.7 प्रतिशत भाग कुँओं द्वारा सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी कुँओं द्वारा सिंचाई संभव है। कम खर्च में सरलता से कुंए खोदे जा सकते हैं। खचीली तकनीक की आवश्यकता नहीं है। छोटे भू-भाग की खेती के लिए किसानों को भी यह उपलब्ध हो सकती है।

गंगा नदी के मैदान में कुँओं द्वारा सिंचाई व्यापक रूप में प्रचलित है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा उडीसा राज्यों में कुंओं द्वारा सिचाई अधिक प्रचलित है।

(कूप) कुँओं में खुले कुँऐं तथा नलकूप दो प्रकार है - आज भारत में नलकूपों द्वारा सिचाई अधिक प्रचलित है।

2) नहरों द्वारा सिंचाई : भारत में कुँओं द्वारा सिंचाई पद्धति दूसरे स्थान पर है। देश की कुल सिंचाई का 27 प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सींचा जाता है। विश्व की सबसे विस्तृत नहर सिंचाई व्यवस्था भारत में है। नहरों के निर्माण तथा निर्वहण की जिम्मेदारी सरकार से संबंधित है।

नहरों के दो प्रकार हैं - (1) बाढ़ आधारित या अस्थायी नहरें (2) स्थायी (सर्वकालीन) नहरें। किसी भी प्रकार का बाँध निर्मित न करके सीधे नदियों द्वारा नहर खोद कर जल आपूर्ति कर लेना ही बाढ़ निर्भर (अस्थायी) नहर है। नदियों पर बाँध बनाकर, जलाशयों में जल संग्रह कर उसे नहरों द्वारा जल आपूर्ति के लिए उपयोग करना सर्वकालीन या स्थायी नहर है। भारत में नहरो द्वारा सिंचाई की व्यवस्था व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाण, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उडीसा, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक राज्यों में विकसित है।

3) तालाबों द्वारा सिंचाई : प्राकृतिक अथवा कृत्रिम गड्ढों में वर्षा का जल संग्रहीत हो जाता है। इस संग्रहीत जलाशय को तालाब कहते है। संग्रहीत तालाब का जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। किंतु कई तालाब जलवायु (ऋतुकालिक) के मौसम पर निर्भर हैं। इस प्रकार भारत में आजकल तालाब द्वारा सिंचाई का क्षेत्र कम हो गया है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

वर्तमान में देश के सिंचाई प्रदेश का 3 प्रतिशत भाग मात्र तालाबों द्वारा सिंचाई के अंतर्गत आता है। यह अधिकतर तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उडीसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में देखा जा सकता है।

विविधोद्देश्यी नदी घाटी योजनाएँ : विविध उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली नदी घाटीयोजनाओं को विविधोद्देश्यी नदी घाटी योजना कहते हैं। ऐसी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य यह होता है -

1) सिंचाई आपूर्ति
2) बाढ नियंत्रण
3) जल विद्युत तैयार करना
4) मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण
5) अंर्त प्रदेशों का नौकायान
6) मत्स्यपालन
7) मनोरंजन की सुविधा
8) घरों के उपयोग तथा उद्योगधन्धों में जल
9) अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाना
10) वनपोषण आदि।

प्रमुख विविधोद्देश्यी नदी घाटी योजनाएँ :

1. दामोदर नदी घाटी योजना : यह भारत की सर्वप्रथम विविधोद्देश्य नदी घाटी योजना है। अमेरिका संयुक्त राज्य के टेनिसी नदी योजना पर आधारित यह योजना बनायी गयी है। दामोदर नदी को "बंगाल का शोक" कहा जाता है। क्योंकि वर्षाकाल में यह नदी बाढ से उफान लेकर बहती है और फसल, धन-जन, निवास आदि को हानि पहुँचाती है। इस पर नियंत्रण के उद्देश्य से विविधोद्देश्यी इस योजना को कारगर किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है - बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई आपूर्ति, नौकायान, जलविद्युत शक्ति उत्पादन, वनपोषण, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण, खानों की खुदाई तथा उद्योग धन्धे, अर्न्तप्रदेशों में मत्स्य पालन प्रगति इत्यादि। यह बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की संयोजित योजना है। इसे दामोदर तथा उसकी उपनदी पर निर्मित किया गया है। यह योजना तिलैय्या, कोनार, मैथान तथा पंचतहिल में 4 बाँध, 1. दुर्गापुर की खान, बोकारो, दुर्गापुर तथा चंद्रालपुर में 3 थर्मल (उष्णता) विद्युत केंद्र से जुडी है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

2. भाखरा नांगल नदी घाटी योजना : यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान राज्य सरकारों के सहयोग से बनी योजना है। यह योजना सतलज नदी पर (हिमाचल प्रदेश) भाखरा तथा नागल स्थान पर निर्मित दो अलग-अलग बाँध हैं तथा 4 जल विद्युत तैयारक केंद्र का निर्माण किया गया है। बाढनियंत्रण, सिंचाई आपूर्ति, जलविद्युत तैयार करना, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण तथा वन अभिवृद्धि इस योजना का मूल उद्देश्य है। भाखरा बाँध की ऊँचाई 226 मीटर है और यह भारत का प्रसिद्ध बाँध है। इस बाँध से निर्मित जलाशय का नाम 'गोविंद सागर' है।

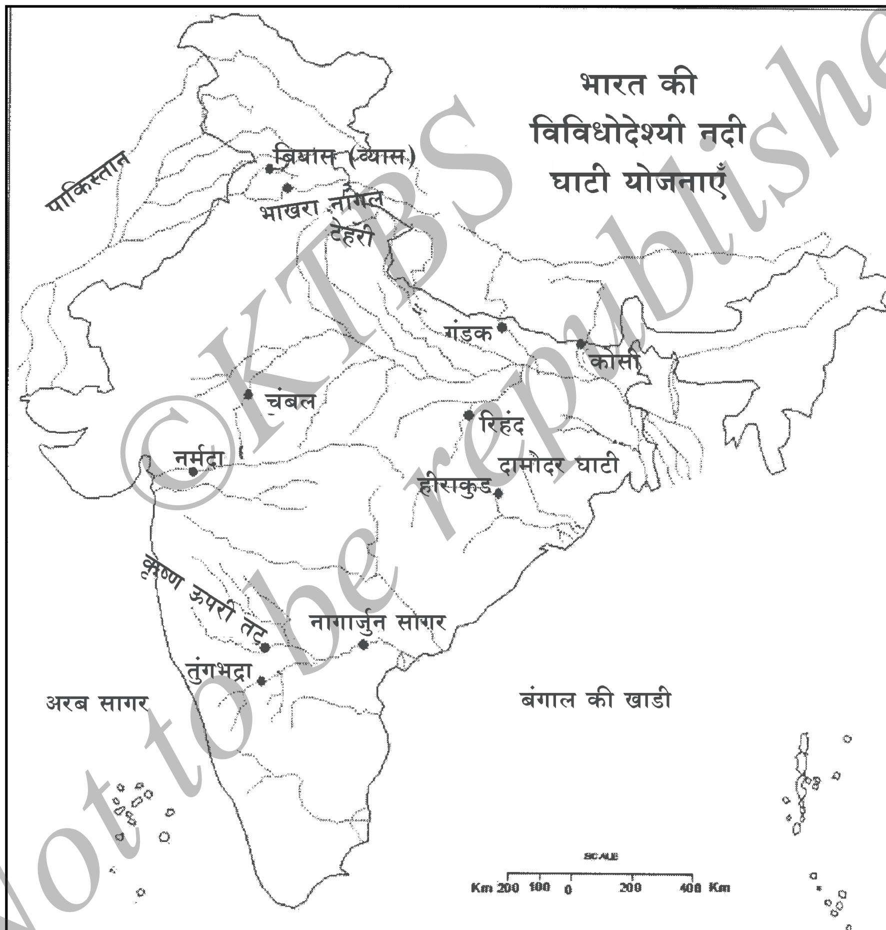

©KTBS Not to be republished

3) हीराकुड योजना : यह उडीसा की अत्यंत प्रमुख विविधोद्देश्यी सिंचाई योजना है। इस योजना के तहत महानदी पर 3 बाँध निर्मित है। उदा : हीराकुड, तिकारपारा तथा नाराज। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है - बाढ नियंत्रण, सिंचाई अपूर्ति तथा जल विद्युत तैयार करना । साथ ही अंर्तप्रदेशों में जल संचार, मत्स्यपालन तथा वन विकास में भी उपयोगी हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

4) तुंगभद्रा योजना : यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश (वर्तमान में तेलंगाना) की संयुक्त योजना है। सिंचाई आपूर्ति जलविद्युत तैयार करना तथा अंर्तप्रदेशों में मत्स्यपालन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना में एक बाँध तथा 3 जलविद्युत तैयारक केंद्र स्थापित किए गए हैं। बाँध को कृष्णा नदी की उपनदी तुंगभद्रा पर कर्नाटक के बल्लारी जिले से जुडे होसपेट के निकट 'मल्लापुरम' स्थानपर बनाया गया है। इससे निर्मित जलाशय 'पंपासागर' नाम से ख्यात है।

5) कृष्णा ऊपरीतट योजना :

यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। जो उत्तर कर्नाटक की अत्यंत बडी विविद्योद्देश्यी योजना है। इस योजना में आलमट्टी तथा नारायणपुर स्थान पर निर्मित 2 बाँध तथा 1 जलविद्युत तैयारक केंद्र आते हैं। सिंचाई आपूर्ति पीने का जल, तथा जल विद्युत शक्ति तैयार करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

क्या आप जानते है?
कोसी नदी को बिहार का शोक तथा महानदी को उडीसा का शोक कहा जाता है।

विजयपुर जिला, बसवन बागेवाडी तालुक में स्थित आलमट्टी ग्राम के निकट 'आलमट्टी बाँध' निर्मित है। तथा मुद्देबिहाल तालुक के सिद्धापुर ग्राम के निकट नारायणपुर बाँध बनाया गया है। बागलकोट, विणयपुर, कलबुर्गी, यादगिरि तथा बेलगावी जिले के कुछ भाग इस योजना से लाभान्वित होते हैं।

6) कोसी योजना : यह अंतराष्ट्रीय योजना है। जो भारत तथा नेपाल देशों की संयुक्त योजना से निर्मित है। कोसी नदी पर हनुमान नगर (बिहार) के निकट बॉध बनाया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सिंचाई आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत शक्ति तैयार (उत्पादन) करना तथा मत्स्यपालन है। यह योजना भारत द्वारा निर्मित होनेपर भी इसका लाभ भारत तथा नेपाल देश उठा रहे हैं।

7) रिहंद योजना : यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख विविद्योद्दश्यी योजना है। यह रिहंद नदी (सोन नदी की उप नदी) पर निर्मित है। बाढ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा, मत्स्यपालन, मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण तथा जलविद्युत शक्ति उत्पादन इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना से निर्मित जलाशय को 'गोविंद बल्लभ पंत सागर' कहा जाता है।

8. नागार्जुन सागर योजना : इस योजना से संबंधित बाँध तेलंगाना राज्य के नागार्जुन कोण्डा के निकट कृष्णा नदी पर निर्मित किया गया है। सिंचाई आपूर्ति तथा जलविद्युत शक्ति उत्पादनही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. सिंधु नदी का उद्‌गम __________ के निकट होता है।
2. पूरे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी __________ है।
3. हीराकुड बाँध __________ नदी पर निर्मित है।
4. गंगा नदी में आकर मिलने वाली नदियों में __________ नदी लंबी उपनदी है।
5. कोसी योजना __________ तथा __________ देशों की संयुक्त योजना हैं।

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

1. ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में लिखिए।
2. सिंचाई से क्या तात्पर्य है? और भारत के प्रमुख सिंचाई विभाग कौन-कौन से हैं?
3. भारत में सिंचाई क्यों अति आवश्यक है?
4. विविधोद्देश्यी नदी घाटी योजना से आप क्या समझते हैं?
5. आलमट्टी योजना के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
6. कुँओं द्वारा सिंचाई का महत्व तथा वितरण के बारे में लिखिए।

III. सही मिलान कीजिए :-

	क		ख
	योजनाएँ		**राज्य**
1)	नागार्जुन सागर	अ)	कर्नाटक
2)	भाखरा नंगल	अ)	हिमाचल प्रदेश
3)	हीराकुड	इ)	तेलंगाना
4)	तुंगभद्रा	ई)	उडीसा

IV. क्रिया कलाप :-

1. अपने निवास स्थान के समीप स्थित सिंचाई योजना क्षेत्र में जाएँ।
2. भारत की विविद्योद्‌देशीय नदी घाटी योजनाओं की तालिका बनाइए।

V. प्रदत्त कार्य :-

1. भारत का नक्शा बनाकर अपने अध्यापक की सहायता से प्रमुख सिंचाई योजनाओं को नामांकित कीजिए।

* * * *

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 7

भारत के भू संसाधन

इस अध्याय में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होगी ।

- भारत के भू-उपयोग
- भारत में कृषि तथा उसका महत्व
- भारत में कृषि के प्रकार
- फसलों का मौसम तथा उगाने का विधान
- भारत की प्रमुख फसलें
- बागवानी तथा पुष्प कृषि का महत्व

©KTBS Not to be republished

भारत में भू-उपयोग -

अर्थ : वन, व्यवसाय, घास के मैदान इत्यादि विविध उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग ही 'भू-उपयोग' कहलाता है। यह विविध अंशों पर निर्भर है। जैसे-भूमि का बाह्य लक्षण, जलवायु, मिट्टी, जनघनत्व, सामाजिक - आर्थिक तथा तकनीकी तत्व।

एक देश के प्राकृतिक संसाधनों में भूमि अत्यंत प्रमुख संसाधन है। आर्थिक अभिवृद्धि में भूमि का सम्पूर्ण उपयोग अति आवश्यक है।

विभाजन : भारत के भू उपयोग विधान को 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है - 1) कुल (सम्पूर्ण) कृषि प्रदेश, 2) वन प्रदेश 3) कृषि के लिए अप्राप्त भूमि 4) बंजर भूमि 5) कृषि योग्य अप्रयुक्त भूमि 6) स्थायी घास के मैदान तथा अन्य चारागाह 7) शेष

1. कुल (सम्पूर्ण) कृषि प्रदेश : यह फसल उगाने के लिए योग्य भूमि है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए यह प्रमुख है। भारत में आँकी गई कुल भूमि का 42.2 प्रतिशत कृषियोग्य भूमि का है। यह पूरे देश में समान रूप से नहीं वितरित है। यह अधिकतर पंजाब, हरियाण, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में है। इसके विपरीत उत्तर पूर्वीराज्यों में अत्यंत कम कृषि योग्य भूमि है। अन्य राज्यों में साधारण रूप में देखे जा सकते हैं।

2. वन प्रदेश : भारत के कुल आँके गए भू-प्रदेशों का 22.8 प्रतिशत भाग मात्र वनों से आच्छदित है। अत्यधिक वन प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में देखे जा सकते हैं। इसके विपरीत यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात में बहुत कम हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

3. कृषि के लिए अप्राप्त भूमि : मानव का निवास स्थान, सड़कें, रेलमार्ग, नहरें, पर्वत मरुस्थल ये सभी कृषि से अलग भूमि-उपयोग हैं। ये इस वर्ग में आते हैं। देश का कुल आँका गया भू-प्रदेशका लगभग 14.1.भाग इस वर्ग का है। यह अधिकतर असम, मणिपुर तथा सिक्किम राज्यों में देखा जा सकता है। किंतु गोवा, केरल, उडीसा तथा महाराष्ट्र में यह बहुत कम है।

4. बंजर भूमि : यह कृषि के लिए उपयोग न की गयी भूमि है। देश के ज्ञान प्रदेशों में 8.2 प्रतिशत भाग इस प्रकार की भूमि से युक्त हैं। ये अधिकतर मिजोरम, तमिलनाडु तथा मेघालय में हैं। किन्तु त्रिपुरा, पुदुचेरी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप में ऐसी भूमि कम है।

5. कृषि योग्य अप्रयुक्त भूमि : यह निश्चित, मिट्टी की उर्वरकता की कभी के कारण कृषि हतु उपयोग किए बिना छोडी गयी भूमि है। यह मेघालय, गोवा, नागालैंड तथा राजस्थान में अधिक पायी जाती है।

6. स्थायी घास के मैदान तथा अन्य चारागाह : यह देश के विवरित प्रदेश में 3.4 प्रतिशत भाग में मात्र फैला हुआ है। अधिकतर हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में देखा जा सखता है।

7. अन्य (शेष) : यह बगीचों तथा आरोपित बगीचों वाला भाग है। देश के विवरित प्रदेश में 1.1 प्रतिशत भाग मात्र यह दिखाई देता है। ऐसी भूमि अधिकतर असम नागालैंड, मेघालय, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में देखी जा सकती है।

कृषि (व्यवसाय) :

अर्थ : मनुष्य अपने आवश्यक खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल की पूर्ति संबंधी फसल उगाने के लिए भूमि की निराई - गुडाई करता है इसे ही व्यवसाय या कृषि कहते हैं। आज कृषि के अंतर्गतही पशुपालन, मुर्गीपालन तथा मधुमक्खी पालन भी आता है।

महत्व - कृषि मानव को अत्यंत प्रमुख तथा प्राचीन वृत्ति में से एक है। भारत कृषिप्रधान देश है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 6.5 प्रतिश भाग कृषि पर आधारित है। देश की अर्थिक प्रगति भी कृषि की प्रगति पर निर्भर है।

भारत में कृषि जीवनयापन का प्रमुख आधार है। मानव (व्यक्ति) तथा जानवर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने की वृत्ति 'कृषि' है। राष्ट्रीय आय का आधार यह है। देश की तृतीय वृत्ति - यातायात, व्यापार, बैंक बीमा, निर्यात आदि में यह सहायक है। यह कई उद्योगों के विकास में भी सहायक है। उदा - कपास एवं जूट के वस्त्र शक्कर (चीनी) उद्योग इत्यादि। साथ ही देश के राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर प्रभाव डालती है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कृषि के प्रकार :

विविध भौगोलिक, आर्थिक तथा सामाजिक कारकों से भारत में विविध प्रकार के कृषि विधान प्रचलित हैं। इनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है -

1. जीवनाधारित कृषि : किसान (कृषक) अपने तथा परिवार के पालन पोषण के लिए खेती कर जो फसल उगाता है वह पद्धति जीवनाधारित कृषि' कहलाती है। इस पद्धति में अत्यंत कम कृषि उत्पाद को बेचा जाता है। यह एक प्राचीन कृषि पद्धति है। यह भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों तथा उडीसा, मध्य प्रदेश में अधिक प्रचलित है। जीवनाधारित कृषि पद्दति के 2 प्रकार हैं - 1) स्थानांतरित खेती 2) स्थिर खेती।

i) स्थानांतरित खेती : वन के कुछ भाग को काटकर, जलाकर विस्तृत कर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। वहाँ की मिट्टी की उर्वरकता कम होने पर उस स्थान को छोडकर पुनः किसी स्थान पर जाकर (अपना स्थान त्याग कर) इसी प्रकार खेती करने को "स्थानांतरित खेती" कहते हैं। वनों के बीच कुछ आदिवासी लोग इस प्राचीन कृषि पद्धति को अपनाते हैं। भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मध्यप्रदेश, उडीसा तथा केरल राज्य में इस प्रकार की खेती प्रचलित है।

स्थिर कृषि : एक स्थान से दूसरे स्थान का परिवर्तन किए बिना शाश्वत रूप से एक ही स्थान पर वास कर कृषि करना 'स्थिर कृषि' है। ये कृषि की भूमि को छोडकर गये बिना प्रति वर्ष उसे ही कृषि के लिए उपयोग करते हैं।

> ***क्या आप जानते हैं? :***
> *स्थानांतरीत खेती को असम में जूंमिंग, केरल में पोनम, आंध्रप्रदेश तथा उडीसा में पोडु कहते हैं।*

घनी कृषि : छोटे भू-भाग पर अधिक पूँजी तथा मजदूर लगाने को 'घनी कृषि' कहते है। इस विधान में वर्ष पूर्ण फसल के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। एक वर्ष में दो या तीन फसल उगाकर, छोटे भाग में ही अधिक उत्पादन का प्रयास किया जाता है। यह कृषि विधान देश के उपजाऊ तथा सिंचाई की सुविधा वाले भागों में सहज रूप से प्रचलित हैं।

3. वाणिज्यिक कृषि : व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली खेती 'वाणिज्यिक कृषि' कहलाती है। इस विधान से धन कमाने वाली फसलों को बडी मात्रा में उगाया जाता है। मजदूरों का उपयोग कम होता है। यंत्रों तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धति का अनुसरण किया जाता है।

4. मिश्र कृषि : फसल उगाने तथा पशु पालन दोनों को साथ-साथ करना इस कृषि का विधान है। फसल तथा पशुपालन दोनों से कृषक की आय होती है। यह भारत में 1951 से प्रचलित है। आज यह अनेक राज्यों में प्रचलित है।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

5. आरोपित बागान कृषि : व्यापार के उद्देश्य से विशाल बगीचे में एक फसल उगाने को 'आरोपित बागान कृषि' कहते हैं। इसके लिए काफी मात्रा में मजदूर तथा पूँजी की आवश्यकता होती है। चाय, कहवा, रबड, तथा नारियल ऐसे ही आरोपित बागान की प्रमुख फसलें हैं।

6. सुखी (फीकी) कृषि : अत्यंत कम वर्षा तथा सिंचाई की सुविधा न रहने वाले क्षेत्र में कम प्रदेश में प्रचलित कृषि पद्धति यह है। यह अधिकतर वर्षा के आश्रय में उगायी जाती है। भारत में यह अधिकतर प्राय:द्वीपीय पठार तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रचलित है।

7. आर्द्र कृषि : काफी वर्षा वाले प्रदेश में सिंचाई की सुविधा के बिना फसल उगाने को 'आर्द्र कृषि' कहते हैं। इस विधान की कृषि पश्चिमी समुद्रतट पूर्ण तथा अन्य अधिक वर्षा वाले भागों में देखी जा सकती है।

8. सिंचाई कृषि : सिंचाई की सहायता से फसल उगाने को 'सिंचाई कृषि' कहते है। यह खर्चीला है। किन्तु भारत के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि भारत में वर्षा का वितरण मौसम के अनुरूप, अकालिक तथा असमान है।

फसलों के मौसम तथा उगाने का विधान : फसलों के मौसम एक कृषि प्रदेश में फसल उगाने की निर्दिष्ट अवधि को फसलों का मौसम कहते है। भारत में मुख्यत: तीन प्रकार की फसलों के मौसम हैं - 1) सितंबर पूर्व की फसलें 2) सितंबर के आरंभ की फसलें 3) जेड फसलें।

सितंबर पूर्व की कृषि का मौसम (काल) : वर्षा ऋतु में फसल उगाने को इस काल का नाम देते हैं। इस ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा काल के प्रारंभ के साथ अर्थात् जून-जुलाई मास में बुवाई की जाती है। सितंबर-अक्तूबर में फसलों की कटाई की जाती है। इस अवधि में उगायी जाने वाली प्रमुख फसलें है - धान, रागी, ज्वार, कपास, मूँगफली, तँबाकू इत्यादि।

ii) सितंबर के बाद की कृषि का मौसम : उत्तर पूर्वी मानसून के प्रारंभ में इस कृषि का मौसम है। अर्थात अक्तूबर-नवंबर में बुवाई की जाती है। फरवरी-मार्च मास में कटाई की जाती है। इस अवधि में उगाए जाने वाले खाद्य-गेहूँ, बार्ली, मूँगफली, आदि हैं।

iii) ग्रीष्म (जेड) की कृषि का मौसम : यह उपरोक्त दोनों अवधि के मध्य अवधि की फसल का काल है। इस अवधि में मुख्य रूप से - खरबूज, खीरा, तैलीयबीज, द्विदलधान्य, सब्जियाँ आदि उगायी जाती हैं।

भारत की प्रमुख फसलें : भारत के विविध भाग में अलग अलग प्रकार की फसलें उगायी जाती हैं। इन्हें खाद्य फसल, वाणिज्यिक फसल, तैलीयबीज तथा आरोपित फसल कहा जाता है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

खाद्‌य फसलें : लोगों को आवश्यक खद्‌य की आपूर्ति के लिए उगाए जाने वाला खाद्‌य आहार (खाद्य) फसल कहलाता है। उदा:धान, गेहूँ, ज्वार, द्विदलधान्य आदि।

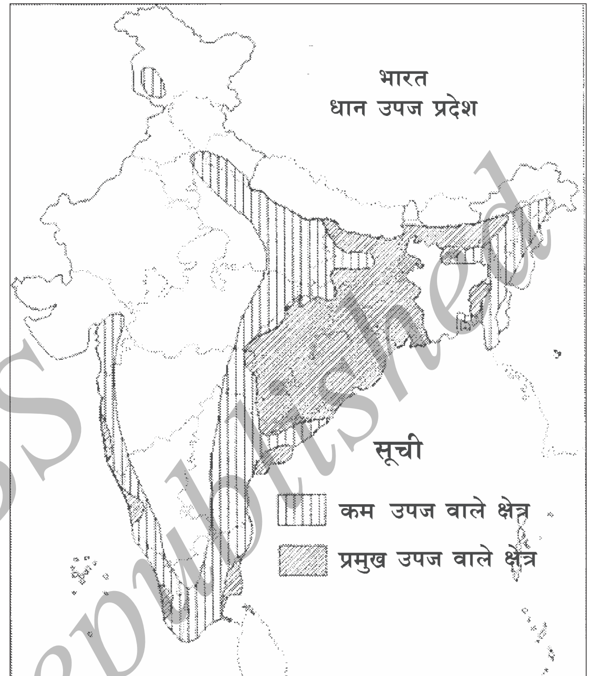

धान : धान भारत के अत्यंत प्रमुख खाद्‌य फसल में से एक है। यह देश के पूर्व, दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग में लोगों का प्रमुख खाद्‌य पदार्थ है। विश्व में अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में धान उगाने का क्षेत्र भारत में है। किंतु भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा अधिक धान उत्पादक देश है। धान भारत का अत्यंत प्रमुख सितंबर से पूर्व (मुंगारु) की फसल है।

धान उष्ण कटिबंधीय फसल है। इस प्रकार इस फसल के लिए 18° से 25° से. से अधिक उष्णता तथा 100-200 से.मी. से अधिक वर्षा आवश्यक है। कछारी, चिकनी तथा चिकनी मिश्रित बलुई मिट्‌टी इस फसल के लिए उपयुक्त है। धान के पौधों के नीचे तल में पानी ठहरना चाहिए। अत: भूमि का समतल होना अनिवार्य है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में सिचाई अत्यंत आवश्यक है।

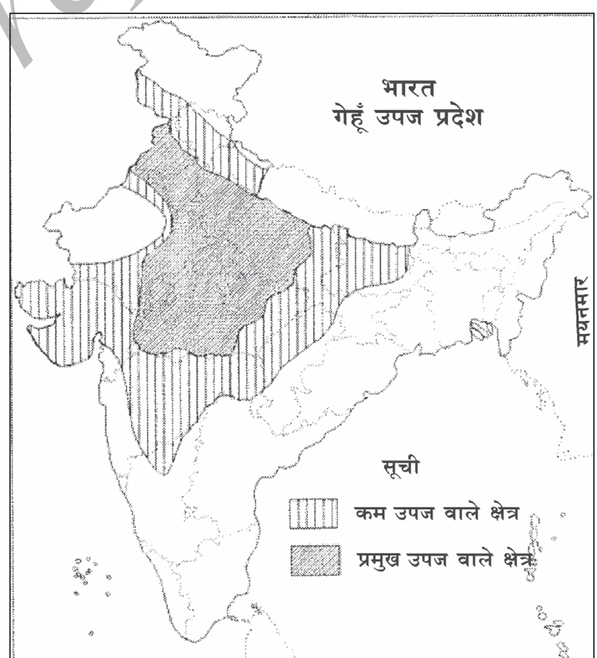

भारत में सभी राज्यों में धान की फसल देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल देश का अत्यधिक धान उत्पादक राज्य है। अन्यप्रमुख धान उत्पादक राज्यों में आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उडीसा तथा कर्नाटक का नाम आता है।

गेहूँ : भारत का दूसरा प्रमुख खाद्‌य है। यह सितंबर के बाद की फसल है। यह देश के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के लोगों की प्रमुख खाद्‌य फसल है।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

गेहूँ समशीतोष्ण क्षेत्र की फसल है। इसके लिए उष्णांश 10° से 15° से तथा वर्षा 50 से 70 से.मी. काफी है। बालू मिश्रित तथा काली मिट्टी इस फसल के लिए अनुकूल है। भारत में गेहूँ अधिक मात्रा में उत्तर के मैदान में उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में प्रमुख रूप से गेहूँ उत्पादन होता है। उत्तर भारत भारत का अत्यधिक गेहूँ उत्पादक राज्य है।

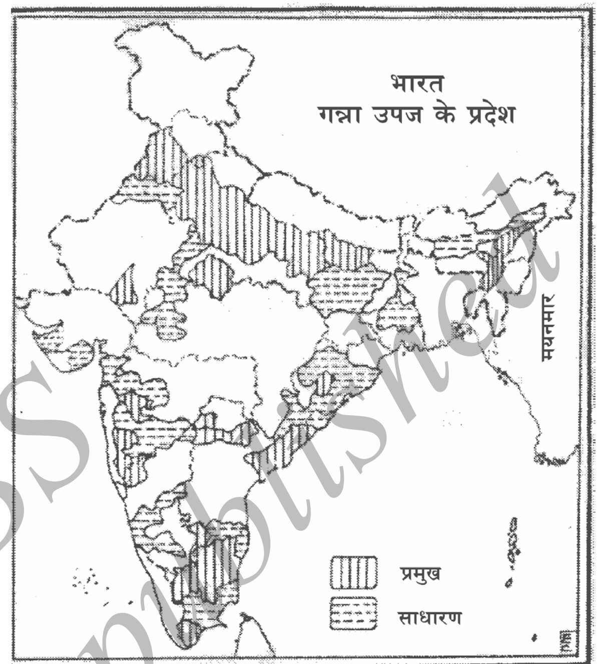

चीन के बाद भारत विश्व का द्वितीय प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश है।

वाणिज्यिक फसलें : व्यापार के उद्देश्य से उत्पादित की जाने वाली फसलों को "वाणिज्यिक फसल" कहा जाता है। उदा: गन्ना, कपास, तंबाकू, तैलीय बीज आदि।

गन्ना (ईख) : भारत की अत्यंत प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। विश्व में भारत ही अति विस्तृत क्षेत्र में गन्ना उत्पादक देश है। किंतु विश्व में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत ब्राजील के बाद द्वितीय स्थान रखता है।

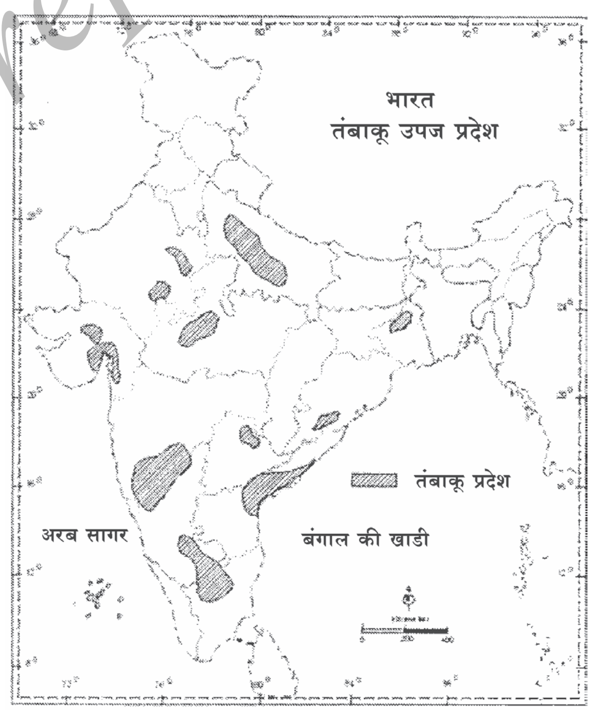

गन्ने का मूल स्थान भारत है। गन्ना, शक्कर, गुड तथा खाँड बनाने के लिए कच्चा माल है।

गन्ना वार्षिक फसल है। इस प्रकार इसकी कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है। इसके लिए अधिक उष्णांश से 26 से: तथा अधिक वर्षा 100 से 150 से.मी. आवश्यक है। गन्ना उत्पादन के लिए कछारी तथा चिकनी मिश्रित बलुई मिट्टी उपयुक्त है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

भारत में गन्ना उत्पादक प्रमुख प्रदेश में हैं। - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात तथा आंध्रप्रदेश।

तंबाकू : भारत के वाणिज्यिक फसलों में से यह एक हैं। तंबाकू को धूमपान की बीडी, सिगरेट, सिगार, हुक्का आदि के लिए उपयोग किया जाता है। कुछ भागों को चबाने, सुँधनी के रूप में तथा कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसके उत्पादन के लिए अधिक उष्णांश 21^o-23^o से. तथा साधारण वर्षा 50-100 से.मी. आवश्यक है। बालू मिश्रित चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। इसके लिए काफी मात्रा में रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है।

भारत में यह आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा बिहार राज्यों में उत्पादन किया जाता है। विश्व में भारत तीसरा प्रमुख तंबाकू उत्पादक राष्ट्र है तथा चौथा प्रमुख तंबाकू निर्यातक राष्ट्र है।

रेशेदार फसलें : वस्त्रोद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल (पदार्थ) उपलब्ध कराने की फसलें ही "रेशेदार फसलें" है। भारत में कपास तथा जूट अत्यंत प्रमुख रेशेदार फसल है।

कपास : यह भारत का प्रमुख रेशेदार फसल उद्योग है। यह देश के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चेमाल की आपूर्ति करता है। यह उष्ण कटिबंधीय तथा उपउष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी कृषि के लिए 21 से 24 से उष्णंश तथा 50 से 100 से.मी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता है। इसके लिए काली मिट्टी बहुत अनुकूल है। कपास भारत में सितंबर पूर्व की फसल के रूप में उत्पादित होता है।

भारत में कपास अधिक मात्रा में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में उत्पादक किया जाता है। भारत में विश्व का सब्से विस्तृत कपास उत्पादन क्षेत्र है। यह विश्व का तीसरा प्रमुख कपास उत्पादक देश है।

क्या आप जानते हैं? :
- *तंबाकू का बैज्ञानिक नाम : निकोशियन टोबैकन है।*
- *वनस्पति वर्ग का नाम : सोला नेसिया है।*
- *मूलस्थान : एंडीस पर्वत (दक्षिण अमेरिका) है।*
- *सर्वप्रथम परिचय कराने वाला व्यक्ति - जीन निकोट, (फ्रांस) है।*
- *भारत में सर्वप्रथम इसका परिचय कराने वाला पुर्तगाली था (17 हवीं शताब्दी में)*

पेय फसलें - आहलादकारी पेय तैयार करते के लिए उपयुक्त फसलों को 'पेय फसल' कहा जाता है। भारत में चाय एवं कहवा (कॉफी) अत्यंत प्रमुख पेय फसल हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

> **ज्ञात रहे -**
>
> *चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम - केमिलिया थीमा है। चाय में थीयेन अंश होता है।*

चाय : चाय अत्यंत प्रमुख तथा सस्ते दरों में मिल्ने वाला पेय है। विश्व में चीन के बाद चाय उत्पादन में भारत दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। चाय अरोपित बागान की फसल है। यह उष्णकटिबंधीय तथा उप उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उपज के लिए 21^{o}-30^{o}, से. उष्णता तथा 150-250 से.मी. वार्षिक वर्षा आवश्यक है। अधिक वनस्पतिक गहरे उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र इसकी उपज के लिए उपयुक्त हैं। समुद्र तल से 1200 से 2400 मीटर ऊँचाई वाले पहाडी ढलाऊँ क्षेत्र इसके लिए आवश्यक हैं। भारत में चाय उत्पादन अधिकतम असम, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में किया जाता है।

बागवानी तथा पुष्प कृषि का महत्व :

बागवानी : फल, सब्जियाँ, फूल, औषधि तथा अलंकारिक फसलों की खेती क्रमबद्ध रूप से किए जाने को 'बागवाली कृषि' कहते हैं। काफी भू-भाग का प्रयोग, प्राकृतिक, संसाधनों का आदर्श प्रयोग तथा ग्रामीण समुदाय को परिणत उद्योग की आपूर्ति करने के साथ-साथ यह कृषि भारत की कृषि के लिए लाभदायक है तथा प्रोत्साहन देता है। यह निर्यात व्यापार में वृद्धि करता है। तथा खाद्य संस्करण में सहायक भारत अपने विविध जलवायु तथा मिट्टी के प्रकारों के कारण विविध प्रकार की बागवानी कृषि उत्पादन में समर्थ है। आज भारत एक प्रमुख बागवानी करने वाले देश के रूप में जंगल के सामने आया है। विश्व के फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा प्रमुख स्थान रखता है। अर्थात् विश्व के कुल फल उत्पादन का 11 प्रतिशत तथा सब्जियों का प्रतिशत भाग भारत उत्पादित करता है।

भारत में बागवानी प्रमुख रूप से आंध्रप्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में विकसित हो चुकी है।

> ***क्या आप जानते है ?***
>
> - *अंग्रेजी भाषा का 'हार्टीकल्चर' शब्द हॉर्टस तथा 'कोलेरे' के संयोजन से बना है। हॉर्टस का अर्थ 'बाग' है तथा कालेर का अर्थ कृषि है।*
> - *बागवानी का विकास स्वर्ण क्रांति कहलाता है।*

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

पुष्प की खेती : फूल बेचने के लिए इसकी कृषि करने की कला ही 'पुष्प कृषि' है। प्राचीन काल से पुष्प व्यवसाय की कला भारतीयों को ज्ञात थी। देश की कृषि में पुष्प कृषि भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कृषकों की आय, उद्योग, उस पर विशेषकर महिलाओं के लिए वृत्ति का अवसर प्रदान करती है। तथा देश के व्यापार में वृद्धि में सहायक है।

विविधप्रकार के फलों को उगाने के लिए भारत की कृषि जलवायु, परिस्थित काफी अनुकूल है। भारत कुछ पारंपरिक पुष्पों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उदा.... मल्लिका, गेंदा, सेवंती, कनकांबर, चंपा, आदि। बिना गूँथे हुए फलों में सीतापुष्प (आर्किड) ग्लाडिगोलस, परागपुष्प, अंतोरियम, लिली, पाटल आदि के उत्पादन के लिए भी भारत ख्यात है।

भारत के लिए भी भारत ख्यात है। भारत में पुष्प कृषि प्रमुख रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में विकसित है।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए :-

1. कृषि के लिए उपयोग न की गई भूमि को ________ कहते हैं।
2. फसल तथा पशुपालन दोनों से युक्त कृषि पद्धति ________ कहलाती है।
3. सितंबर से पूर्व आरंभ की तथा बाद की वर्षा ऋतु के मध्य में उगाने वाली फसल को ________ कहते हैं।
4. ________ भारत में अत्यधिक धान उत्पादक राज्य है।

II. समूह में चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

1. 'भूमि-उपयोग' से क्या तात्पर्थ है?
2. 'आरोपण बागान' कृषि किसे कहते हैं।
3. सितंबर से पूर्व आरंभ की वर्षा तथा बाद के वर्षा काल की फसल में क्या अंतर है?
4. ईख (गन्ना) की खेती के लिए आवश्यक कृषि पद्धति कौन-कौन सी है?

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

5. पेय फसल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए।

6. बागवानी का महत्व समझाइए।

III. क्रिया कलाप :-

1. कर्नाटक राज्य में उगायी जाने वाली फसलों (अनाजों) का नमूना संग्रह कीजिए।

2. भारत का नक्शा बनाकर उसमें कपास और चाय की उपज (उत्पाद) प्रदेशों का नामांकन कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य :-

1. अपने निवास स्थान में आस-पास उगाए जाने वाले अनाजों (फसलों) का चित्र तथा तत्संबंधी जानकारी संग्रह कीजिए।

2. 'पुष्प की खेती' तथा 'स्त्रीशक्ति' के बारे में एक समूह चर्चा का आयोजन किया जाए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अर्थशास्त्र

अध्याय-1

अभिवृद्धि

इस अध्याय में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत हो सकेंगेः

- अभिवृद्धि और अनभिवृद्धि का अर्थ और स्वरूप
- अभिवृद्धि और अऩभिवृद्धि के कारण
- मानव अभिवृद्धि के सूचक
- लिंग संबंधी अभिवृद्धि

©KTBS Not to be republished

हम लगातार जीवन स्तर को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। हमारे लक्ष्य और इच्छाओं को अधिक मात्रा में पूरा करके पूर्व से अच्छा रहना चाहते हैं। वैसे ही हर एक वित्तीय व्यवस्था भी लोगों को उपलब्ध साधन और सेवाओं की मात्राओं को बढ़ाकर उनके कल्याण की अभिवृद्ध करने का प्रयत्न करती रहती है। किसी एक किसी एक देश के सभी लोगों की आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने की सामर्थ्य-वृद्धि की प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहते हैं। वित्तीय अभिवृद्धि किसी एक राष्ट्र की अपनी जनता की वित्तीय आशा-आकाक्षाओं को पूरा करने की सामर्थ्य बढ़ाकर गरीबी, बेकारी, असमानता और वस्तुओं की कीमत बढ़ाना आदि आर्थिक समस्याओं को नियंत्रित करती है।

1. अभिवृद्धि और अनभिवृद्धः

अभिवृद्धि और अऩभिवृद्धि शब्दों को अपने दैनंदिन जीवन में कई बार प्रयोग करते हैं। किसी एक क्षेत्र अथवा व्यक्तियों की प्रगति को सूचित करने के लिए हम सामान्यतया अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। अदाहरणार्थः ग्रामीण अभिवृद्धि, सामाजिक अभिवृद्धि, शैक्षिक अभिवृद्धि, महिलाओं और बच्चों की अभिवृद्धि। वैसे ही एक देश की प्रगति को हम वित्तीय अभिवृद्धि कहते हैं, लेकिन वित्तीय अभिवृद्धि एक संकीर्ण वातावरण है। उसकी सरल व्याख्या नहीं की जा सकती है।

प्रो. मेयर और बॉल्डविन के अनुसार-'किसी एक राष्ट्र की निज राष्ट्रीय आय दीर्घावधि तक अधिक होने की प्रक्रिया ही वित्तीय अभिवृद्धि है।' यह वाक्य वित्तीय अभिवृद्धि से संबंधित तीन तथ्यों पर बल देता है। जैसे 1.एक प्रक्रिया। 2.निजी राष्ट्रीय आय की अधिकता3.दीर्घावधि अधिकता

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

इन तीनों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगेः

अ.एक प्रक्रियाः

'प्रक्रिया' यह शब्द उत्पादन क्षेत्र की पूर्ति और माँग की प्रक्रिया में होनेवाला बदलाव आदि सूचित करता है। नये-नये संसाधनों का शोध, रकम संचयन, बढ़ती जनसंख्या, उत्तम तकनीकी आदि प्रक्रियाओं के कारण उत्पादन क्षेत्र की पूर्ति में परिवर्तन होते हैं। वैसे ही बढ़ती जनसंख्या उनकी परिभाषा में बदलाव आय का स्तर और उसके बँटावरे में बदलाव, जनता की अभिरुचि में बदलाव आदि के कारण सामान की माँग में परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन ही राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन बढ़ाव का पूरक होता है।

आ.निजी राष्ट्रीय आयः

राष्ट्रीय आय एक वर्ष की अवधि में राष्ट्र में उत्पादित सभी सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है। यह वित्तीय अभिवृद्धि मापने का मुख्य साधन है। जितनी राष्ट्रीय आय बढ़ती है उतनी अभिवृद्धि भी बढ़ती है,लेकिन यहाँ निजी शब्द पर बल दिया गया है। वह जनता में खरीदने की शक्ति का प्रतिबिंब करता है। तब तो निजी आय का क्या तात्पर्य है?हमारी आय को मूल्य परिवर्तन के साथ संतुलन करे तो निजी आय मिलती है। उदाहरणार्थ आज के 100 रुपये की आय से एक वर्ष के पूर्व कितना खरीद सकते थे ? मूल्य बढ़ने के कारण कम मात्रा में सामान खरीद सकते हैं। इस प्रकार धन की आय मूल्य बढ़ने से यदि तुलना करें तो वास्तविक खरीदी की शक्ति प्राप्त होती है। यह अभिवृद्धि प्रक्रिया में मूल्यों की स्थिरता को सूचित करती है।

इ.दीर्घावधि अधिकताः

उपर्युक्त सूचित निजी आय दीर्घावधि तक अर्थात दस साल तक अथवा उससे अधिक अवधि तक वृद्धि करनी चाहिए। अल्पावधि वृद्धि को अभिवृद्धि नहीं कह सकते हैं। पहले ही सूचित माँग की प्रक्रिया और उत्पादन क्षेत्रों की पूर्ति में परिवर्तन की लगातार प्रक्रिया होतो तभी अभिवृद्धि दीर्घावधि की अभिवृद्धि हो सकती हैं।

लेकिन कुछ अर्थशास्त्रज्ञों ने आय के बदले जनता के कल्याण की अधिकता को महत्व देकर अभिवृद्धि की व्याख्या करते हैं। उदाहरण के लिए प्रो. कोलिन क्लार्क के अनुसार वित्तीय अभिवृद्धि जनता के वित्तीय कल्याण को बढ़ा सकता है।लेकिन वित्तीय कल्याण जनता से उपयोग करनेवाले सामान सेवाओं का कुल योग ही होता है। वित्तीय कल्याण की अधिकता दूसरे अर्थ के अनुसार गरीबी की समस्याओं को कम करने की सूचना देती है। इससे अभिवृद्धि दीर्घावधि तक लगातार गरीबी के विषवर्तुल को भेद कर एक राष्ट्र को स्व-पोषक बढ़ने की ओर ले जाने की प्रक्रिया कह सकते हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

लेकिन कालानुक्रम में अभिवृद्धि के उद्देश्य बदलते रहते हैं और विस्तृत भी होते हैं। अब हम हर एक को लाभ मिलने की अभिवृद्धि की बात करते हैं। सहज संसाधनों और पर्यावरण भावी पीढ़ियों के लिए लाभ देने की लगातार अभिवृद्धि के बारे में हम बातें करते हैं। अब अभिवृद्धि के उद्देश्य आय की अधिकता गरीबी, बेकारी और असमानता को कम करना, पर्यावरण का संरक्षण-आदि के निर्वहण को सबके कल्याण की अधिकता कह सकते हैं।

अमेरिका, केनड़ा, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और पश्चिम यूरोप राष्ट्रों के अलावा पिछली शताब्दी में सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, चीन और राष्ट्रों की आय दीर्घावधि में अधिक होने के कारण उन राष्ट्रों को अभिवृद्धि राष्ट्रों के अंतर्गत माना जाता है।

1. अनभिवृद्धिः

'अनभिवृद्धि' यह शब्द पिछड़े वर्ग और बिना अभिवृद्धि के वर्ग स्थिर स्थिति का द्योतक है। जिस देश में उत्पादन कम है,लोगों के आय भी अत्यंत कम है। बहुत से लोगों को कनिष्ठ मूलभूत सुविधाएँ जैसे रोटी, कपड़ा और मकान भी प्राप्त करना कठिन है। उस देश को अनभिवृद्धि देश कहा जाता है। बहुसंख्यक लोग निरक्षर है। अंधविश्वास में डूबे रहते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। अतः विविध प्रकारों की बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। उदाहरणार्थ, स्वतंत्रता के पूर्व भारत अंग्रेजों के दीर्घकालीन प्रशासन के अधीन था और वित्तीय शोषण का शिकार बन गया था। अतः गरीब राष्ट्र कहलाता था, लेकिन ऐसे राष्ट्रों को अभिवृद्धि पथ पर अग्रसर राष्ट्र कहते हैं। वे अभिवृद्धि की सामर्थ्य प्राप्त कर उस दिशा में प्रयत्नशील है और अपने प्रयत्न को प्रतिबिंबित कर रहे हैं।

विश्वसंस्था के अनुसार 'अमेरिका, केनडा, आस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों से हर व्यक्ति की निजी आय कम रहनेवाले राष्ट्रों को अनभिवृद्धि कहा गया है। यहाँ अभिवृद्धि प्राप्त राष्ट्रों से तुलना करे तो हर एक की आय कम सूचित किया जाता है। विश्वबैंक अपनी विश्व अभिवृद्धि की रिपोर्ट में विश्व के सभी राष्ट्रों को तीन भागों से विभाजित किया है, जो निम्नलिखित हैं-

1. अधिक आय के राष्ट्र 2. मध्यम आय के राष्ट्र 3. कम आय के राष्ट्र

उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार मध्यम और कम आय के राष्ट्रों को अभिवृद्धि पथ पर अग्रसर राष्ट्र कहा गया है। भारत अभिवृद्धि पथ पर अग्रसर राष्ट्र है। आजकल के सालों से आय गणनीय अधिकता प्राप्त कर चुकी है।

2. अभिवृद्धि आय की सूचीः

वित्तीय अभिवृद्धि का मापन कैसे किया जा सकता है ? अर्थशास्त्र विदों ने विभिन्न मानदंडों के अनुसार विचार-विमर्श करके आय के बारे में एक प्रमुख मानदंड निर्धारित किया है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

आय सूची : व्यक्तिगत आय, बहुन जनप्रिय मानदंड है तो भी वह लोगों के बीच आय-वँटन को नहीं दिखाता है। इतना नही, आहार आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक अवसरों की ओर ध्यान नहीं देता अतः आर्थिक अभिवृद्धि को मापनेवाला उचिन पर्याय 'मापन'। का निर्माण के लिए विदों ने प्रयत्न किया था। अभिवृद्धि सूच्यंक इसमें महत्व पूर्ण पहले ही बताया गया है कि राष्ट्र के आवासी सभी लोगों की आय को कुल मिलाने से राष्ट्रीय आय मिलती है। जितनी आय बढ़ती जाती है, उतनी ही अभिवृद्धि का स्तर बढ़ता जाता है,लेकिन राष्ट्रीय आय के साथ-साथ जनसंख्या भी बढ़ती जाती है। यह वित्तीय प्रगति को कम कर देती है, इसलिए भिन्न-भिन्न आय और अधिक जनसंख्यक राष्ट्रों के साथ तुलना करना उतनी समीचीन नहीं है। इस समस्या का समाधान करना हर एक की आय के विस्तृत रूप से मानदंड का प्रयोग किया जाता है। वह राष्ट्र की जनता की आम आय को राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भागाहार करे तो प्राप्त अंक होता है।

आप यह जानते है :

2016 में भारत आय रू 12603 कहा जाता था, वह वैश्विक प्रतिशत प्रतिशत 15, है। उस वर्ष के कुल आय रू 14786557 करोड़, 121.6 करोड़ लोगों से भाग करने से आनेवाली संख्या ही है। राष्ट्रीय आय में सातवें स्थान में भारत है। आय में 143वें स्थान में है।

©KTBS Not to be republished

3. मानव अभिवृदिध सूची :

आर्थिक प्रगति का मुख्य उद्देश्य जनता कल्याण बढ़ाना ही है। अभिवृद्धि जनता को गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए मदद करनी चाहिए। वह कनिष्ठ आवश्यकताएँ जैसे रोटी,कपड़ा, मकान, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पीने का शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, गंदगी रहित पर्यावरण आदि से प्राप्त हो। यदि आय में बढ़ती हो तो इन सब की पूर्ति अपने आप हो जाती है।

अमार्त्य सेन के चिंतनों को अपनाकर पाकिस्तान का अर्थशास्त्रज्ञ महबूब उल हक ने बताया है - 'मानव गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य' बताया है जो निम्नलिखित हैं- जो सुदीर्घ स्वस्थ जीवन, ज्ञानी होना, जीवन के लिए कनिष्ठ आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए पर्याप्त आय को अमर्थ्य सेन ने मानव अभिवृद्धि बताया है। उनके अनुसार मानव की सामर्थ्यों को बढ़ानेवाली प्रक्रिया ही मानव की अभिवृद्धि है। यहाँ की प्रमुख सामर्थ्य है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। किंतु मानव की अभिवृद्धि का मापन कैसे ?

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

विश्वसंस्था के अभिवृद्धि के कार्यक्रम (यूएऩडीपी) विभाग, इन चिंतनों को अपनाकर 'मानव अभिवृद्धि सूच्यांक' के नाम से एक मानदंड का निर्माण कर राष्ट्र की प्रगति का मापन कर रहा है। प्रमुख सामर्थ्यों का मापन करने की सूची तैयार कर मानव अभिवृद्धि सूच्यांक की रचना की गयी है। स्वास्थ्य को व्यक्ति की जीवितावधि, शिक्षा को साक्षरता की मात्रा तथा खरीद करने की शक्ति को हर एक आय के आधार पर मापन किया जा रहा है।

चित्र:1 मानव अभिवृद्धि सूची:

निरीक्षित जीवितावधि एक देश की जनता कितने साल तक जीवित रहते हैं। वह उनकी आम उम्र होती है। वह पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ परिसर की प्राप्ति ये निरीक्षण जीवावधि का निर्णय करते हैं। स्तरीय शिक्षा राष्ट्र की प्रगति का पूरक है। राष्ट्र की शिक्षा की प्रगति को 25 साल से अधिक उम्रवाले अपने शिक्षा को पूरी करने की अवधि तथा पाँच वर्ष के बच्चे प्राप्त करने की शिक्षा के आधार मापन किया जाता है। उसी तरह हर एक की आय के आधार पर जीवन के स्तर मापन किया जाता है। ये तीनों सूचियाँ मानव की अभिवृद्धि के सूच्यांक हैं।

आप हर एक सूची के प्रगति के अलावा कुल सूच्यांक का मापन भी कर सकते हैं। राष्ट्रों के बीच मानव की प्रगति की तुलना भी कर सकते हैं। सन् 2014 में भारत में मानव अभिवृद्धि की सूच्यांक की मात्र 0.586 थी। लेखाजोखा करने पर मालुम हुआ कि 187, राष्ट्रों में 135वाँ स्थान भारत को प्राप्त हुआ था। भारत यूएऩडीपी वर्गीकरण के अनुसार मध्यम स्तरीय मानव अभिवृद्धि प्राप्त राष्ट्र समूह के अंतर्गत आता है।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

चित्र:2 भारत में मानव अभिवृद्धि प्रगति:

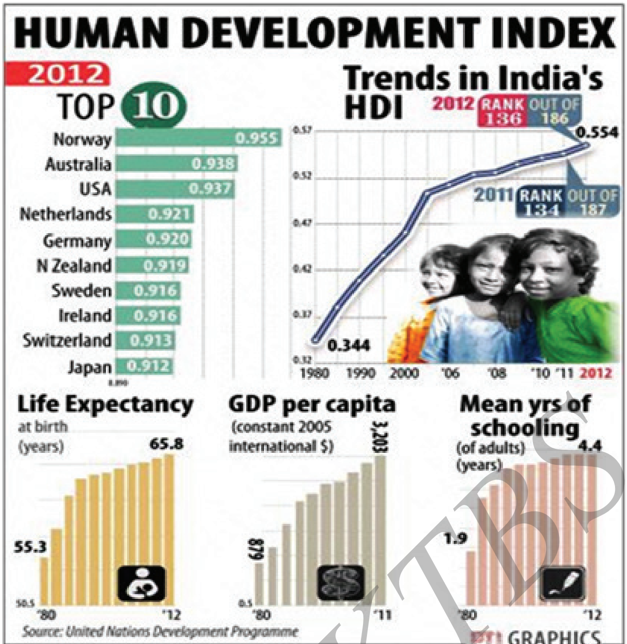

चित्र-2 के अनुसार सन् 2012 में भारत की मानव अभिवृद्धि सूच्यांक की मात्रा 0.554 थी 186 राष्ट्रों में से भारत ने 135वाँ स्थान प्राप्त किया था। यह सूच्यांक 0.554 का मूल्य 65.8 साल की निरीक्षित जीवनावधि 4.4 साल की स्कूली शिक्षा की आय अवधि और हर एक आय का आम उपलब्धी है। 1980 और 2012वीं अवधि में मानव अभिवृद्धि के सभी अंग सुधारित होकर भारत का कुल सूच्यांक 0.334 से 0.554 तक बढ़ गया है। किंतु पहले के 10 राष्ट्र की अभिवृद्धि देखे तो भारत और भी बहुत प्रगति प्राप्त करनी है।

4. लिंग संबंधी अभिवृद्धिः

अभिवृद्धि की प्रगति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के हिसाब से महिला आधा भाग है। महिलाएँ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता प्राप्त कर चुकी है। नागरिक समाज का कर्तव्य है कि महिलाओं को सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक समानता प्रदान करनी चाहिए। स्वतंत्र भारत में हमारे संविधान ने महिलाओं को पुरुष के बराबर स्वतंत्रता, समानता और अन्य अवसरों को प्रदान किया है। किंतु महिलओं के विरुद्ध आज भी कई असमनाताएँ होती हैं। वे हिंसा की शिकार बन गयी हैं। महिलाओं को आज भी संपूर्ण अभिवृद्धि में समान हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रस्तुत लिंग असमानताओं को दूर करना चाहिए अर्थात् स्वतंत्रता, समानता प्रदान करनी चाहिए।

आजकल भारत में प्रस्तुत लिंग असमानता के कई आयाम हम देख सकते हैं। 1000 पुरुषों के लिए उपलब्ध महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जा सकता है। वह स्थूल रूप से एक समाज में महिलाओं का क्या स्थान है?इसे सूचित करता है। हमारे देश में महिलाओं की असमानता के

> *समझने के लिए :*
>
> अभिवृद्धि में समानता का ज्ञान नहीं हो तो बरबादी हो जाती है। मानव अभिवृद्धिरिपोर्ट-1994

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

कारण 2011 की जनगणना के अनुसार इस लिंग अनुपात केवल 945 था। यह सचमुच आघात का विषय है और भी आघात का तथ्य है कि बच्चों के 0.6 साल बच्चों के लिंग का अनुपात इससे भी कम है।

> **क्रियाकलापः**
> भारत में असंतुलिन पुरुष-महिला के कारणों की सूची बनाइयेः

उसी तरह 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता का अनुपात प्रतिशत 65.46 होतो पुरुषों की साक्षरता का अनुपात प्रतिशत 82.14 था। आज भी कुछ लोग समझते हैं कि महिलाओं को शिक्षा की जरूरत नहीं है। कुछ स्थानों में महिलाओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित उपयुक्त सुविधाएँ नहीं है। अतः या असमानता आज भी आगे बढ़ रही है। आप महिलाओं की नौकरी की परिस्थिति देखे तो वे मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है। 'कृषि, इमारत बनाना, कुटीर-उद्योग-आदि।' महिलाओं को पुरुष से कम मजूरी दी जाती है। महिलाएँ जो पैसे कमाती है, उसे खर्च करने की स्वतंत्रता भी उन्हें नहीं है, इसका प्रमुख कारण है कि महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में शिक्षा नहीं मिल रही है। कुछ ही महिलाएँ उन्नत पदों में हैं और अधिक वेतन भी प्राप्त कर काम कर रही हैं।

अधिक घरों में महिलाएँ भोजन करने की अवधि अंतिम है, क्योंकि पति और बच्चों के भोजन के बाद बचे आहार को पाने की स्थिति है। इससे वह अपौष्टिकता के कारण कई बीमारियों से पीड़ित है। एक ओर अपौष्टिकता, दूसरी ओर अधिक काम करने के कारण बीमारी से पीड़ित होने पर भी पुरुष उसके इलाज़ की ओर ध्यान नहीं देते। इससे गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। उसके बच्चे भी बीमारी से पीड़ित होते हैं। इन कारणों से भारत में माताओं की मृत्यु (गर्भवती संदर्भ और प्रसव के संदर्भ) और शिशुओं की मृत्यु (एक वर्ष के अंदर) और बच्चों की मृत्यु पाँच वर्ष के अंदर अधिक हो रही है। माता के गर्भस्थ भ्रूण यदि बच्ची हो तो पता लगाकर हत्या करने की बुरी परंपरा बढ़ रही है। इससे लिंगानुपात कम हो रहा है।

राजनीतिक संस्थाओं में और स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होने पर भी कई बार उन नियमों का उल्लंघन किया गया है। महिलाऔ द्वारा अपने अधिकार के बारे में प्रश्न करने पर भी उसका गंभीर चिंतन नहीं किया जाता। इस लिए लिंग असमानता बढ़ रही है।

आर्थिक क्षेत्रों में महिलाएँ काम करने की मात्रा बढ़ाकर उनका बल संवर्धन के लिए स्व-सहाय संघों की स्थापना की गयी है। वह संघ बीस समान मनोधर्मोंवाली महिलाओं का है। यह महिलाएँ संघ के नियमानुसार सदस्यत्व प्राप्त करने के बाद अपने यहाँ अल्पमात्रा में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र कर, बाहर से भी मदद प्राप्त कर संघ का प्रारंभ करके आय

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। संघ का लेखाजोखा, बैंकों से पत्र-व्यवहार और आय की वृद्धि कैसे करना चाहिए? इन विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्व-सहायक संघों ने महिलाओं की आय तथा बचत के लिए न केवल अवसर प्रदान करते हैं बल्कि महिलाएँ अपनी आवश्यकता के अनुसार खर्च करने की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इससे महिलाओं की गरिमा और स्वायत्तता बढ़ रही है।

वर्तमान वर्षों में महिलाओं के बल संवर्धन के लिए कई कार्यक्रम अपनाये गये हैं। पिछले दिनों में उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए इच्छित सुविधाओं को नहीं दिया जाता था। आज यह संघ के द्वारा अपेक्षित सुविधाएँ प्राप्त कर रही हैं। 'सबलीकरण' का तात्पर्य है कि महिलाओं के बल संवर्धन की प्रक्रिया। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा कार्य होते थे, उन्हें रोकने के लिए विविध कानूनों की रचना कर उन्हें लागू किया गया है। समान वेतन, चुनावों की संस्थाओं में आरक्षण आदि कार्यक्रमों में अपनाया गया है। इनसे महिलाओं को अभिवृद्धि के पथ पर लाने में सचमुच मदद मिल रही है।

आप यह जानते हैं?

राष्ट्र स्तर पर यूएनडीपी लिंग असमानता का सूच्यांक तैयार करता है। इस सूच्यांक के मूल्य भी 0 तथा 1 के बीच में है। वह पूर्ण समानता का द्योतक है। 1. यह पूर्ण असमानता का द्योतक है। 2015 में भारत के लिंग की असमानता का सूच्यांक का मूल्य 0.563 था। 188 राष्ट्रों में से 130वाँ स्थान भारत ने प्राप्त किया था। इसका अर्थ है कि लिंग समानता और महिलाओं की अभिवृद्धिहीन स्थिति में है।

Not to be republished ©KTBS

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिये:

1. आर्थिक अभिवृद्धि एक ____________ हैं।
2. एक साल में उत्पादित - सामग्री - सेवा मूल्य को ____________ कहते हैं।
3. अनभिवृद्धि राष्ट्रों में मुख्य रूप से ____________ कम होता है।
4. मानव अभिवृद्धि ____________ का विस्तृत रूप सूचित करती है।
5. वैश्विक मानव की अभिवृद्धि की रिपोर्ट प्रकट करने की जिम्मेदारी निभानेवाली संस्था ____________हैं।
6. 2014 में भारत ने मानव की अभिवृद्धि के सूच्यांक में ____________ स्थान प्राप्त किया था।
7. 2011 में भारत में लिंग का अनुपात ____________ था ।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

II. निम्नलिखित प्रश्नों के पाँच/छह वाक्यों में उत्तर दीजियेः

1. अभिवृद्धि की व्याख्या कर उसकी प्रक्रिया का विवरण दीजिये।
2. अनभिवृद्धि किसे कहते हैं ? कारण बताइये।
3. मानव अभिवृद्धि का सूच्यांक किसे कहते हैं ? उसका लेखाजोखा कैसे करते हैं समझाइये?
4. भारत में मानव अभिवृद्धि का सूच्यांक कम है।'-कारण बताइये।
5. लिंग समानता का संतुलन कैसे किया जाता है?
6. महिला स्व-सहायक संघ महिला सबलीकरण को पूरक है। समर्थन कीजिये।

III. गतिविधियाँ :

1. आपके गाँव और नगर में सर्वेक्षण करके वहाँ के परिवारों की अभिवृद्धि संबंधी भिन्नता पहचानिये।

IV. परियोजनाः

1. वर्तमान में सरकार द्वारा महिलाओं के बल संवर्धन हेतु जो कार्य किये गये हैं, उनकी सूची तैयार कीजिये।

©KTBS Not to be republished

* * * *

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय-2

ग्रामीण अभिवृद्धि

इस अध्याय के अध्ययन से निम्नलिखित बिंदुओं से अवगत हो सकेंगे ।

- ग्रामीण अभिवृद्धि के अर्थ और महत्व
- ग्रमीण अभिवृद्धि तथा विकेंद्रीकरण
- ग्रमीण अभिवृद्धि तथा पंचायत राज की व्यवस्था
- ग्रमीण अभिवृद्धि और महिला

भारत ग्रामों का देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिशत 68.84 लोग गाँवों में रहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने बहुत दिनों से पहले कहा था, भारत की वास्तविक अभिवृद्धि का मतलब है कि ग्रामों की अभिवृद्धि ही है। लेकिन आजादी पाकर लगभग 70 साल होने पर भी भारत के ग्रामों की दुस्थिति और अनभिवृद्धि के द्योतक है। एक तिहाई ग्रामीण लोग गरीबी से पीड़ीत हैं। अभिवृद्धि कार्यक्रमों तथा गरीबी हटानेवाली योजनाएँ लोगों तक पहुँचने में असफल हुई हैं।

आजादी के बाद सरकार द्वारा अपनायी गयी अभिवृद्धि तकनीकी नगर केंद्रित अभिवृद्धि के लिए अवसर लिए, इस प्रकार विद्वानों ने कहा है। अंग्रेजों के प्रशासन में ग्राम ीण उद्योग-नाश की ओर जा रहा था। आजादी के बाद आधुनिक अैद्योगिकरण, स्पर्धा के नाते और पर्याप्त आघात का अनुभव किया । कृषि आधारित उद्योग और उपयुक्त मजदूरी देने में असमर्थ होने के कारण ग्रामीण लोग नगरों की ओर जाने लगे। उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया लागू होने के नाते आधुनिक तकनीकि को अपनाकर औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्रों को तीव्र गति से विस्तृत होने की भी प्रेरणा मिली।

अधिक रूप से कृषि मात्रा पर आधारित ग्रमीण लोगों में गरीबी बढ़ गयी है। इन में एक तिहाई लोग अत्यंत गरीबी में जी रहे हैं। आधुनीकीकरण के दबाव से उद्योग नष्ट हो गये हैं। लगभग 60 प्रतिशत के बराबर लोग प्राथमिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय के इस क्षेत्र की देन बहुत कम है। वह लगातार से कम हो रही है। अत: ग्रामीण और नगरों के बीच में अंतर बहुत बढ़ रहा है। इस असंतुलनता को दूर करके, देश की सर्वांगीण अभिवृद्धि को बढ़ाना है तो ग्रामीण प्रदेशों की अभिवृद्धि करना बहुत आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्याय में आप ग्रामीण अभिवृद्धि के अर्थ समझकर उसे साकर करने के लिए सरकारों द्वारा किये गये कामों के बारे में परिशीलन करेंगे।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

1. ग्रमीण अभिवृद्धि के अर्थ और महत्वः-

ग्रामीण अभिवृद्धि का अर्थ : ग्रमीण अभिवृद्धि, ग्रामों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए तैयार की गयी एक योजना कह सकते हैं। ग्रमीण लोगों के जीवन का स्तर उत्तम करने के लिए ग्रामों की प्रगति को अभिवृद्धि कह सकते हैं। समग्र प्रक्रिया होकर गरीब लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रगति ही है।

कृषि रोकना और मंदगति के विकास ग्रामीण पिछड़ेपन और ग्रामीण गरीबी के लिए बहुत प्रमुख कारण है। अतः कृषिएतर उद्योगों की आवश्यकता है, इसलिए साक्षरता,कौशल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवाहन, शक्ति, संपर्क, बाजार, संपत्ति - आदि बुनियादि सुविधाओं को मज़बूत करना आवश्यक है। इतना ही नहीं कृषि अभिवृद्धि के लिए सिंचाई और भू-अभिवृद्धि भी आवश्यक है। इस प्रकार ग्रामीण अभिवृद्धि साक्षरता, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएँ, भू-सुधारण सिंचाई के अलावा गरीबों की स्थिति को सुधार करने के लिए उपयुक्त क्रमों को अपनाना चाहिए। अतः ग्रामीण अभिवृद्धि के लिए आवश्यक क्रमों की सूची तैयार करें वह इस प्रकार रहता हैं -

1. मानव संसाधनों की अभिवृद्धि
   i. साक्षरता, उसमें से महिलाओं की साक्षरता, शिक्षा तथा कौशलाभिवृद्धि
   ii. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुधार
2. भू - सुधारण
3. स्थानीय उत्पादकों की अभिवृद्धि
4. बिजली, सिंचाई ,आर्थिक,बाजार, परिवहन (ग्रमीण और संपर्क रास्ता) कृषि अनुसंधान और विस्तरण तथा सूचना प्रसारों के साथ मूलभूत सुविधाओं की अभिवृद्धि
5. गरीबी हैटानेवाली निर्दिष्ट योजनाएँ

ग्रामीण अभिवृद्धि का महत्वः ग्रमीण अभिवृद्धि कृषि और कृषि हेतर क्षेत्रों की अभिवृद्धि को अपना ने के कारण कुल मिलाकर राष्ट्र की अभिवृद्धि होती है। अधिक कृषि की आय के कारण, औद्योगिक सामग्री -सेवा की माँग बढ़ती है। अपने द्वारा अनेक उद्योग सृष्टि हो, वे गतिविधायाँ और भी विस्तृत होती हैं। अधिक शिक्षा और कौशल से अधिक उत्पादन भी कर सकते हैं। उत्तम स्वास्थ्य लोगों के सहभागित्व बढ़ने से राष्ट्रीय उत्पन्न भी बढ़ रहा है। कृषि का संस्करण और कुटीर उद्योगों की अभिवृद्धि समस्त ग्रामीण परिवर्तन के लिए सहयोग श्रीगणेश का होता है। ये सभी गरीबी कम करने के लिए कारण बन जाते हैं।

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

2. विकेंद्रीकरण :

हर गाँव के प्रशासन का अधिकार तथा उसकी अभिवृद्धि की जिम्मेदारी को गाँववाले को ही सौंपने का अधिकार को ही विकेंद्रीकरण कहते हैं। यह अधिकार बँटन की एक प्रक्रिया है, इसके निर्धारण में लोगों का सहभागित्व बहुत ज्यादा है। आरंभिक स्तर से योजना निर्माण और अभिवृद्धि उपलब्धि की प्रक्रिया भी है। इसी को गाँधीजी ने 'ग्राम स्वराज्य' कहा है। विकेंद्रीकरण सभी प्रकार के शोषण रोकता है। मानव स्वास्थ्य और गरिमा को संरक्षण करता है तथा सहानुभूति और सहकार जैसा मानवीय मूल्यों की अभिवृद्धि करता है।

विकेंद्रीकरण प्रोत्साहन करने के लिए भारत में पंचायत राज्य की व्यवस्था को पुनश्चेतना किया गया । सन् 1993 में संविधान के 73वाँ नियम को परिवर्तन करके कानून द्वारा समग्र भारत में एकरूप का पंचायत राज संस्थाओं को अस्तित्व में लायी। इसमें पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक स्थान मिला। इस परिवर्तन से तीन प्रकार के पंचायत राज की व्यवस्था अस्तित्व में आयी । भारत में प्रचलित पंचायत राज की संस्था के प्रमुख तथ्य हैं -

i. ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत और जिला पंचायत नाम के तीन प्रकार की पंचायत व्यवस्था हैं, यह ग्राम सभा की नींव है।

ii. सीधा और निश्चित चुनाव

iii. अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण करना ।

iv. आर्थिक व्यवस्था, पत्र मंडन और लेखाजोखा की निरीक्षण

v. कार्य निर्वाहण और सहयोग नौकरों की नियुक्ति

vi. पंचायत को विसर्जित करते समय अनुकरणीय क्रम और छः महिने के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है।

पंचायत राज व्यवस्था में प्रमुख भूमिका यह है। ग्रामीण अभिवृद्धि में ग्रामीण लोगों के सहभगित्व करना।

3. ग्रामीण अभिवृद्धि में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका :

ग्रमीणा अभिवृद्धि में लोग का सहभगित्व गरीबी हटाना, जीवनोपायों की सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुविधाओं करने की योजना का अनुष्ठान इन संस्थाओं की जिम्मेदारी है। ग्रामों की सड़क, मैले का निकास, पीने का पानी, सड़क का दिये, शौचालय, विद्यालय, और अस्पताल की इमारत, बाज़ार-आदि समुदाय के लिए उपयुक्त बेसिक व्यवस्थाओं की

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अभिवृद्धि की जिम्मेदारी भी इन पर है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण का, स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाओं का विस्तृत करने के द्वारा मानव संसाधन को अभिवृद्धि करने में पंचायत राज संस्थाएँ काम करनी पड़ती है।

ग्राम पंचायत में ग्राम-सभा अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। कम से कम छः महीनों में एक बैठक करनी है। ग्राम के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं। ग्रामों की सारी अभिवृद्धि की आवश्यकताएँ तथा योजनाओं के बारे में चर्चा ग्राम-सभा में ही होती है।

महात्मा गांधी 'राष्ट्रीय ग्रमीण उद्योग योजना' 'स्वर्ण जयंती ग्रामु स्व-उद्योग योजना'- अदि उद्योग निर्माण तथा गरीबी हटाने की योजना। ये सभी योजनाएँ पंचायत संस्था के द्वारा ही गरीबी और बेकारी को हटा सकते हैं। इंदिरा आवास योजना, अंबेडकर-वल्मीकी आवास योजना, आश्रय योजना-आदि आवास योजनाओं को लागू करके आवास रहित लोगों को घर निर्माण करके दे सकते हैं। सुवर्ण ग्रामोद्य योजना के द्वारा, बुनियादि आवश्यकताओं का संवद्र्धन कर सकते हैं।

ग्रामों में आहार पदार्थ देने की व्यवस्था संवद्र्धन करके, उचित गरीबी लोगों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को संतुलित रूप से मिलने की व्यवस्था कर सकते हैं। ग्रामों के वयोवृद्ध, विकलांग, विधवाएँ, मानसिक अस्वास्थ - आदि को पहचानकर उनको सरकार से प्राप्त होनेवाले मददों को प्राप्त होने की व्यवस्था करना सामाजिक कल्याण सेवाओं की व्यवस्था कर सकते हैं।

महिलाओं के स्व-सहाय संघों को संगठित करके, उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहन देकर, देश की अभिवृद्धि में महिलाएँ भी सक्रिय होने की व्यवस्था कर सकते हैं। ग्रामीण मेलाएँ, त्योहार-आदि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का प्रोत्साहन कर सकते हैं। इनसे ग्रामीण कलाएँ प्रगति प्राप्त करके और ग्रामीण संस्कृति को संवद्र्धन कर सकते हैं।

ग्रामीण उत्पादन के गतिविधियों जैसे - कृषि, पशु-पालन, मुर्गी-पालन, मछली-पालन, सामाजिक वन आदि को अभिवृद्धि करने के द्वारा लोगों को अवसरों की व्यवस्था अधिक कर सकते हैं। तालाब, कुओं का निर्माण, उनकी मिट्ठी निकालना, लघु सिंचाई की योजना का निर्वहण - आदि के द्वारा कृषि को सिंचाई विस्तार कर सकते हैं। ग्रमीण तथा कुटीर उद्योगों को अभिवृद्धि कर सकते हैं। आहार संस्करण घटकों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं।

उपर्युक्त समस्त गतिविधियों में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्व की है। इनके ग्रामों की समस्त अभिवृद्धि को साकार कर सकते हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

4. अभिवृद्धि में महिलाः

महिला, मानव के जीवन में माता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, बेटी के रूप में अनेक कर्तव्यों को निभाती है। मानव का जीवन निर्माण स्त्री से होता है। वह घर में काम करने के अलावा, घर के बाहर किसान के रूप में, नौकरानी के रूप में, अधिकारी के रूप में, उद्यमी के रूप मे, नीति निरूपक के रूप में, पुरुष के बराबर काम कर रही है। इसलिए देश की अभिवृद्धि में , उसमें भी ग्रमीणाभिवृद्धि में महिला का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूल, कृषि और मुर्गी-पालन के क्षेत्रों में महिलाएँ अधिक रूप से काम कर रही हैं। कृषि, कार्मिकों में महिलाएँ ही अधिक हैं।

शिक्षित महिलाएँ अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में, विविध प्रकार के उद्योगों में सफलता पूर्वक कार्य निर्वहण कर रही है। कार्यालयों में , व्यापारी संस्थाओं में, शैक्षिक संस्थाओं में, अस्पताल , वृद्धाश्रमों - आदि में महिलाओं की सेवा असाधारण है। इतना मात्र नहीं शिक्षित महिला ने जनसंख्या रोकने में अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाया है।

महिलाएँ राजनीति क्षेत्रों में भी अपना स्थान स्थायी कर दी है। ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सरकार के विविध स्तरों में राजनीति में अग्रसर होकर अनेक प्रकार की जिम्मेदारी निभायी हैं। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के द्वारा, सामान्य ग्रामीण महिलाओं को भी अधिकार पाकर ग्रामों की अभिवृद्धि में काम करने का अवसर मिला है। वर्तमान कर्नाटक पंचायत राज संस्थाओं को चुनाव - द्वारा चयनित सदस्यों में आधे से अधिक महिला सदस्य रहना बहुत महत्वपूर्ण अंश है।

ग्रमीण भाग के समस्त ग्रामों में 'महिला स्व-सहाय संघ' (स्त्रीशक्ति संघ) स्थापना की गयी है। ये ग्रमीण गरीब महिलाओं को संगठन करने में और उनको आर्थिक स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण काम रहे हैं। इन संघों के महिला सदस्य, इनके द्वारा आसान से उधार लेकर उत्पादन की गतिविधियों में सक्रिय रुप से परिश्रम कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से काम निर्वहण करनेवाले ये संघ बचत संग्रह और वसूल करने में भी इसकी उपलब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाँवों में अभी भी नशे की चीज़े पीना, जुआ - आदि बुरी आदतें बढ़ रही हैं। बाल्यविवाह, दहेज, जातिपद्धति, अंधविश्वास, महिला और बच्चों का शोषण, आदि सामाजिक बुराइयाँ अभी भी जीवित हैं। जागृत महिलाएँ संगठित होकर इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकती हैं। उसके द्वारा स्वच्छ और प्रगतिशील समाज निर्माण में सहयोग दे सकते हैं।

महिलाएँ, घर में करनेवाले मजदूरी रहित मेहनत को, श्रम के रूप में स्वीकृत नहीं है। घर के अंदर और बाहर की मेहनत को गणना की गयी तो महिलाएँ पुरुषों से भी अधिक मेहनत करती हैं। फिर भी उनके पौना-एक भाग मजदूरी रहित मेहनत है, उसे राष्ट्रीय आय में स्वीकृत नहीं की गयी है। महिला कार्मिकों को समान वेतन तथा उद्योगी महिलाओं

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

को सुरक्षा की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कुलमिलाकर देश की आर्थिक अभिवृद्धि में स्त्री-पुरुष दोनों पर समान जिम्मेदारी है। उन दोनों की प्रगति जैसे रथ के दो पहिये हैं।

क्रियाकलापः

अपने गाँव में रहनेवाले 'महिला स्व-सहाय संघ' में जाकर उसके कार्यों को जानिये।

अभ्यास

I. निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिये:

1. 'भारत की निजी' अभिवृद्धि का मतलब है ____________।
2. संविधान का 73वाँ सुधार के अनुसार भारत में ____________ स्तर की पंचायत लागू हुई हैं।
3. पंचायत संस्थाएँ ____________तथ्यों के अधीन कार्य निर्वहण कर रही हैं ।
4. ग्रमीण की गरीबी महिलाओं को संगठित करने के लिए और उनको आर्थिक रुप से स्वावलंबी बनाने के लिए ____________ को जारी गया है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिये:

1. ग्रामीणाभिवृद्धि के अर्थ बताइए।
2. विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है?
3. तीन स्तर की पंचायत राज संस्थाओं के नाम लिखिए।
4. किन्हीं दो आवास योजनाओं को बताइए।

III. निम्नलिखित प्रश्नों के लिए पाँच-छः वाक्यों में उत्तर लिखिये:

1. भारत में ग्रामीण आर्थिक परिस्थिति कैसी है?
2. ग्रामीण अभिवृद्धि के महत्व का संक्षेप में विवरण दीजिये।
3. गांधीजी के ग्राम-स्वराज्य कल्पना विकेंद्रीकरण की भूमिका में लिखिए।
4. ग्रामीण अभिवृद्धि में पंचायत राज संस्थाओं के स्थान के बारे में लिखिये।

IV. गतिविधियाँ -

1. अपने निकट के ग्राम पंचायत जाकर, वह ग्रामीण अभिवृद्धि के लिए निर्वहण करनेवाली कार्यों की सूची बनाइये।
2. अपने निकट रहनेवाले महिला स्वसहायकसंघ जाकर, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में उनकी भूमिका के संबंध में सूची प्राप्त करके, कक्षा में चर्चा कीजिये।

* * * *

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

व्यावहारिक अध्ययन

अध्याय - 1

बैंक संबंधी व्यवहार

आप को इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी होगी ।

- बैंक का अर्थ।
- बैंकों की विशेषताएँ।
- आर्थिक लेन-देन में बैंकों और डाक-घरों की भूमिका तथा बैंकों के प्रकार।
- बैंकों में खोले जानेवाले विभिन्न प्रकार के खाते
- बैंको में खातों को खोलने की पद्धति
- बैंक खातों के उपयोग

©KTBS Not to be republished

भूमिका :

लगभग दो सौ साल पहले बैंकों की तरक्की हुई। बैंकों का स्वरूप समयचक्र के अनुसार बदलता गया। 'बैंक' शब्द आर्थिक व्यवहारों - लेनदेन से संबंध रखता है। बैंक अर्थ संबंधी सथाएँ हैं। ग्रहक सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों में अपना पैसा जमा करते हैं और जरुरत पड़ने पर उसे वापस लेते हैं। बैंक ग्राहकों को कर्ज देते हैं और उस पर सूद वसूल करते हैं। बैंक दूसरे देशों की मुद्रा के विनिमय का काम भी करते हैं। किसी भी देश की तरक्की उस देश की बैंकिंग व्यवस्था पर निर्भर करती है। समाज की उन्नति के आवश्यक अंग हैं - कृषि, उद्योग-धंधे तथा व्यापार वाणिज्य बैंक धन का ऋण देकर इनकी जरूरते पूरी करते हैं। बैंक देश की आर्थिक दशा को शीघ्र गति से बढाने मे मदद करते हैं।

बैंक से क्या तात्पर्य है?

'बैंक' नामक शब्द इटली भाषा के ''बेंको'' (Banko) अथवा फ्रेंच भाषा के ''बेंक'' (Banque) शब्द से निकला है। 'बैंक' शब्द का अर्थ है - मेज अथवा पैसे का विनिमय करने का मेज है।

बैंक अपने पास ग्राहकों को द्वारा जमा किए गए धन को दूस्रों को कर्ज देने का काम करते हैं। इस प्रकार पैसे की लेन-देन का व्यवहार करना ही बैंकों का मुख्य काम है। बैंक एक आर्थिक संस्था है। बैंक व्यक्तियों से, विविध संस्थाओं से जमा-पूँजी इकट्ठा करते हैं। फिर जरूरतमंद व्यक्तियों तथा संस्थाओं को कर्ज देने का काम करते हैं। बैंक संबंधी सेवाओं का लाभ उठाना एव पैसे की लेन-देन का व्यवहार करने को ही बैंकिंग व्यवस्था कहते हैं। बैंक सार्वजनिक जमा-पूँजी को ग्राहकों को जरूरत पड़ने पर चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य रूपों के द्वारा अदा करते हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

बैंकों की विशेषताएँ :

1. **धन का निर्वाह :** बैंक वित्तीय संस्थाएँ हैं। ये जनता के पैसों की लेन-देन का काम करते हैं।
2. **व्यक्ति/संस्था/कंपनी :** बैंक एक व्यक्ति हो सकता है अथवा संस्था या कंपनी हो सकता हैं आर्थिक व्यवहारों का काम करने वाली संस्था को ही बैंक कहते हैं।
3. **जमा-पूँजी का संग्रह :** बैंक जनता से जमा-पूँजी इकट्ठा करते हैं। यह रकम एक निर्दिष्ट अवधि तक बैंक में जमा की जाती है। जमानत की अवधि के पूरे हो जाने पर, पूरे पैसे सूद के साथ जमा करने वाले को वापस किये जाते हैं। बैंक इस जमा-रकम की सुरक्षा करता हैं बैंक ग्रहकों की जमा-पूँजी का संरक्षक कहलाता है।
4. **कर्ज देना :** बैंक उद्योग-धंधे, कृषि, शिक्षा, गृह-निर्माण आदि अवसरों के लिए उधार देता है।
5. **पावती और वापसी :** बैंक पैसा जमा करनेवालों को चेक अथवा हुंडी के द्वारा धन की पावती करता है। अपनी जमा-राशि वापस पाने की सुविधा प्रदान करता है।
6. **एजेंट अथवा एजेंट की नियुक्ति तथा आवश्यक सेवाएँ :** बैंक अपने ग्रहकों की हर तरह से सेवा करता है। साथ ही लाभ भी कमाता है।
7. **लाभ और सेवा की भावना:** बैंक सेवा की भावना से लाभ प्राप्त करने वाली संस्था है।
8. **निरंतर विकास :** बैंक अपने कार्यकलापों का विकास दिन-ब-दिन करनेवाली संस्था है। बैंक का कार्यक्षेत्र बहुत ही विशाल और गतिशील है।
9. **संबंध जोड़ने की कड़ी :** बैंक पैसा जमाकरनेवालों और ऋण प्राप्त करनेवालों के बीच की एक कड़ी है। यह ग्राहकों से जमा-राशि इक्ट्ठा करके, अन्य ग्राहकों की जरुरतों की पूर्ति करता है।
10. **बैंकिंग व्यवहार :** बैंक का प्रधान कार्य वित्त या धन से संबंधित है। इसका अन्य कार्यों से कोई संबंध नहीं होता है।
11. **नाम की पहचान :** हर एक बैंक का एक प्रत्येक नाम होता है। इस नाम के साथ 'बैंक' शब्द का जुडना अनिवार्य है। उदा: स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक आफ मैसूर, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कर्नाटक बैंक वगैरह । इस कारण से यह मालूम होता है कि ग्राहक का खाता किस बैंक में है।

    (स्टेट बैंक सब स्टेट बैंक, आफ इंडिया में विलीन हो गए हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

बैंको के काम :

1. जनता से अथवा अन्य लोगों एवं संस्थाओं से जमा-राशि स्वीकार करना।
2. जनता तथा संघ-संस्थाओं को ऋृण देना।
3. धन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना।
4. चेक ड्राफ्ट, बिल तथा हुंडी पर पैसा वसूल करना।
5. हुंडी पर छूट देना।
6. सुरक्षा-अलमारियों को किराये पर चढ़ाना।
7. विदेशी विनिमय व्यवहारों का निर्वाह करना।
8. कीमती चीज़ों को सुरक्षा संदूकों में रखना।
9. ऋृण तथा गैरंटी (भरोसा) संबंधी पत्र जारी करना।
10. केन्द्र तथा राज्य सरकारों से वित्तीय व्यवहार करता।

साहूकारों तथा ग्प्रहकों के आपसी संबंध

साहूकारों तथा ग्प्रहकों के आपसी सबंध

साहूकारों तथा ग्प्रहकों के परस्पर संबंधों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं।

1. साधारण संबंध 2. विशेष संबंध

1. साधारण संबंध : इसे तीन भागों में बाँट सकते हैं।

- प्राथमिक संबंध (लेनेवाले और देनेवाले का रिश्ता)
- सहायकारी संबंध (न्यासी तथा लाभ पानेवाले के बीच का रिश्ता)
- एजेंट (प्रतिनिधि) और मुखिया का संबंध ।

2. विशेष संबंध :

- चेकों को स्वीकार करने की शिष्टता दिखाना।
- ग्प्रहकों के खातों को गोपनीय रखने का भरोसा देना।

कार्यकलाप : *पास के बैंक में जाकर उच्च शिक्षा पाने के कर्ज के बारे में जानकारी पाइये।*

बैंकों से मिलनेवाली सेवाएँ :

1. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुविधा ।
2. निजी ऋण ।
3. गृह तथा वाहन संबंधी ऋण ।
4. आपसी निधि (फंड) ।
5. वाणिज्य संबंधी ऋण ।
6. सुरक्ष संदूक या अल्मारी ।
7. विश्वासपूर्ण सेवाएँ ।
8. ई-बैंकिग सेवाएँ ।

Not to be republished ©KTBS

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

बैंकिंग व्यवहार

बैंक और डाक घर

किसी बैंक खाते में होनेवाले धन संबंधित व्यवहारों को बैंकिंग व्यवहार कहते हैं। धन से संबंधित लेन-देन के व्यवहारों को चलानेवाली संस्थाओं को बैंक कहते हैं। बैंक ग्रहकों से पैसा लेकर उसे उसके खाते में डाल लेता है। इसप्रकार बैंक हजारों लाखों लागों से जमा की हुई रकम को जरुरतमंदो की कर्ज या ऋण के रूप में देते हैं। इन कर्जे को बैंक ऋण या कर्ज कहते है। बैंक अपने ग्रहकों को कर्ज देकर उसपर सूद वसूल करते हैं। बैंक कर्जदार से सूद वसूल कर उसका एक अंश जमा किए हुए मूल व्यक्ति को देते हैं। पैसा जमा करने वालों को यह सूद आय के रूप में मिलती है। बैंक अपने ग्राहकों की धन-राशि को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उद्योग-घंधों में लगाकर लाभ पाते हैं और अपनी निधि बैंकों को समृद्ध करते हैं या बढ़ाते हैं।

भारत देश के सारे इंडिया व्यवहारों पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आर बी आई) का नियंत्रण रहता है। इसे बैंकों का बैंक अथवा बैंकों की माँ कहा जाता है। यह भारत का केंद्र बैंक है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के द्वारा निर्धारित आर्थिक विधि विधानों का पालन भारत के सभी बैंकों को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। आज हमारे देश में स्टेट बैंक का समुदाय है। 20 विदेशी बैंक हैं। इस जाल सूत्र (नेटवर्क) से 8,000 बैंक शाखाएँ जुडी हुई हैं। ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सरकारी तथा गैर-सरकारी बैंक भी इस जाल-सूत्र से जुड हुए हैं।

बैंकिंग उद्योग ने डाक घरों को अपने क्षेत्र में समेट लिया है। यह इस उद्योग के विकास का अगला कदम है। भारतीय डाक घर विभाग ने भारतीय डाक बैंक के जाल को डाक कार्यालय के साथ पूरे देश में प्रारंभ करने की योजना बनायी है। इनमें 90 प्रतिशत ग्रमीण तथा समीप के छोटे नगरों में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया हैं।

> ***कार्यकलाप :*** *आप डाक घर जाकर वहाँ के बैंकों के निर्वाह की जानकारी पाइये।*

डाक घर विभाग कई तरह की आर्थिक सेवाएँ जनता को दे रहा है। जैसे डाक घर बचत बैंक, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (नेशनल सेविंग्स पत्र, मासिक आवर्ती जमा (Monthly Recurring Deposit)डाक विभागीय बीमा, पेंशन की अदायगी, धन का स्थानांतरण आदि। डाक घर विभाग इस योजना को अमल करने के लिए 1,000 करोड़ की रुपये की लागत की योजना बना रहा है। यह विभाग डाक घर विभाग के अधीन में काम करेगा।

बैंकों के प्रकार :

बैंकों के कई प्रकार हैं। इर एक बैंक अपनी-अपनी विशेष योजनाओं को अमल करने मं प्रयत्नशील है और अपना खास स्थान बना रहा है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

बैंकों के कुछ विशेष प्रकार इस तरह हैं

- केन्द्र बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक ।
- वाणिज्य बैंक ।
- उद्योग विकास बैंक ।
- भू-अभिवृद्दि बैंक ।
- स्थलीय बैंक । (लेन-देनदार या साहूकार)
- सहकारी बैंक ।

(बैंकों के बारे में आप विस्तृत रूप से पिछली कक्षा के अर्थशास्त्र संबंधी पाठ मे पढ़ चुके हैं।

बैंक खातों के प्रकार (Types of Bank Accounts)

सामान्य रुप से बैंक में चार तरह के खाते खोल सकते हैं। वे इसप्रकार हैं -

1. बचत खाता (Savings Account)
2. चालू खाता (Current Account)
3. आवर्ती जमा खाता (Recurring Deposit Account)
4. अवधि जमा खाता (Fixed Deposit Account)

1. बचत खाता : (Savings Account) : सामान्यत: वेतन पानेवाले अथवा निश्चित आमदनी पानेवाले ग्रहक बैंकों में इस खाते को खोलते हैं। विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens) पेंशन पानेवाले आदि यह खाता खोलते हैं। इस योजना के द्वारा पैसे की बचत तथा धन-राशि की बचत करने में ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाता है। हर महीना किसी निश्चित राशि को जमा करने की जरूरत नहीं है। ग्रहक अपनी इच्छा के अनुसार पैसे जमा कर सकता है। ग्रहक अपनी जरूरत के मुताबिक मनचाही रकम को अपने खाते से चेक या वापसी - पत्र (Withdrawal Slip) के द्वारा वापस ले सकता हैं।

> *"बैंकों मे मिलनेवाले इस प्रकार के खातों द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए" - 1) बचत खाता 2) चालू खाता 3) आवर्ती जमाखाता*

2. चालू खाता : (Current Account) : नियमित रूप से बड़ी मात्रा में लेन-देन करने वाले व्यापारी अथवा उद्योगपति चालू खाता खोलते हैं। पैसा जमा करना, वापस लेना, विपरीत परिस्थिति में अधिक ऋण लेना, इस योजना की सुविधाएँ हैं। एक दिन में ग्रहक चाहे कितनी बार ही सही पैसा जमा कर सकता है और पैसा वापस भी ले सकता है। सामान्य रूप से बैंक इस खाते को खोलने वालों को जमाराशि पर व्याज नहीं देते। परन्तु अपनी सेवा के लिए निश्चित रकम वसूल करते हैं।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

आवर्ती जमा खाता : (Recurring Deposit Account) : इस खाते से ग्रहकों को भविष्य में बड़ी मदद मिलती है। भविष्य में होनेवाले खर्चीले व्यवहारों को सँभालने के लिए ग्रहक यह खाता खोलते हैं। वे हर महीना एक निश्चित राशि निश्चित अवधि तक यह खाता खोलते हैं। ग्रहकों को शादी-व्याह, गृह-निर्माण तथा बच्चों की उच्च शिक्षा आदि अवसरों के समय इस खाते से मिलनेवाली रकम काम आती है।

निश्चित अवधि जमा-खाता : (Term Deposit Account) : इस खाते में एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि तक रखी जाती है। यह अवधि एक महीना, छः महीने, एक साल, पाँच साल अथवा दस साल तक हो सकती है। निश्चित अवधि के पूरा होने के बाद जमाकर्ता को वह राशि सूद के साथ वापस कर दी जाती है। सूद-दर अवधि के अनुसार बदलती रहती है।

बैंक खातों को खोलने की कार्य-प्रणाली (Opening of Bank Account)

वर्तमान युग में बैंक अत्यंत आवश्यक तथा मुख्य आर्थिक सँस्थाँए माने जाते हैं। बैंक ग्रहकों के लिए बहुत ही जवाबदेह तथा सुरक्षित माने जाते हैं। इतना ही नहीं नौकरीपेशा, ग्राहको तथा उद्योग धंधे करनेवालों को अपनी तरक्की के लिए बैंक खाते का होना बहुत आवश्यक है। बैंक में खाता खोलना कोई कठिन काम नहीं, बल्कि सरल है। बैंक में खाता खोलने की सात दशाएँ हैं :

> **कार्यकलाप**
>
> *50,000 रुपये जमा करने पर 8% सालाना सूद के अनुसार एक साल में मिलने वाली राशि का पता लगाइए।*

1. किस प्रकार का खाता खोलना है, इसका निर्णय करना : बैंको में कई तरह के खाते होते हैं। बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, निश्चित अवधि का जमा-खाता आदि। बैंक में खाता खोलने के पहले ग्रहक को यह सोचना जरूरी है कि किस तरह का खाता उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

2. अपने अनुकूल बैंक के अधिकारी से संपर्क करना : पहले ग्रहक किस प्रकार का खाता खोलना है, इसका निर्णय कर लेता है। तो उसे अपने घर या दफ़तर के पास वाले बैंक को चुनना है तब उस बैंक के अधिकारी से संपर्क करना है।

3. प्रस्तावना अर्जी-खाता खोलने का नमूना-पत्र पूरी तरह से भरें : आप को इस आवेदन पत्र के सभी अंशों को पूरी तरह से पढ़कर अवश्य भरना चाहिए। ग्रहक को अपना नाम, पता, व्यवसाय, उम्र इत्यादि पूछे गये सभी प्रश्नों का विवरण देना है। अर्जी के साथ अपने दो या तीन हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षर-पत्र पर लिखकर बैंक मे प्रस्तुत करना है। आप को बैंक के साथ लेन-देन करते समय जरूरी तौर पर उसी तरह हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि आपके हस्ताक्षर में कभी भी बदलाव दिखाई देता है, तो

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

फिर एक बार मूल रूप की तरह हस्ताक्षर करना पड़ता है। हाल ही के नियमों के अनुसार ग्रहक को खाता खोलते समय दो या तीन पासपोर्ट फोटो देने पड़ते हैं। अगर दो या तीन व्यक्ति मिलकर संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं तब सब के भाव चित्रों के साथ नमूने के हस्ताक्षर भी लिखके देने होंगे नवीन नियमों के अनुसार हस्ताक्षर सहित आधार-कार्ड देना है।

4. परिचितों का उल्लेख/संदर्भ देना : आप जिस बैंक में खाता खोलना चाहते हैं, उस बैंक के ग्रहक का या समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम व्यवसाय आदि विवरणों के साथ अर्जीपत्र में देकर उनके हस्ताक्षर भी पाना आवश्यक हैं। बैंक के अन्य ग्रहक के द्वारा आपका परिचित कराना बैंक की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

> ***जातकारी - संयुक्त खाता*** *- दो या दो से अधिक ग्राहकों द्वारा एक ही खाते को खोलने को संयुक्त खाता कहते हैं।*

5. बैंक-खाता खोलने के नमूना-पत्र को बैंक में जमा करना : बैंक खाता खोलने के पत्र को पूरी तरह भरने के बाद, संबंधित कागजों को संलग्न करके बैंक में जमा करना चाहिए।

6. अधिकारी की सम्मति : आप का आवेदन-पत्र तथा आवश्यक जानकारी की पूरी तरह से परीक्षा करने के बाद, खाता खोलने के लिए आवश्यक पत्रों को स्वीकार करने को बाद अर्जीदार को बैंक में खाता खोलने की अनुमति दी जाती है। आवश्यक पत्र का मतलब है - पहचान पत्र, घर के पते का नकल-पत्र, पॉन कार्ड तथा आधार कार्ड।

7. प्रारंभिक जमा-रकम : अर्जी की पूरी जाँच करने के बाद, बैंक का अधिकारी आवेदक (Applicant) को बैंक में प्रारंभिक निर्धारित रकम जमा करने की अनुमति देता है। इस राशि को जमा करने के लिए ग्रहक को एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है जिसे चलान कहा जाता है। अगर ग्रहक एक निश्चित रकम नियमानुसार जमा करना चीहता है तो प्रणाली के अनुसार, उसे एक और आवेदन-पत्र भरना पड़ता है। आवर्तखाते के लिए खाता नंबर की पास-बुक दी जाती है। बचत खाता अथवा चालू खाते से रकम वापस लेने की सुविधा के लिए चेक बुक दी जाती है।

बैंक-खाता खोलने के प्रयोजन :

- बैंक में खाता खोलने से आपकी धन-राशि सुरक्षित रहती है।
- बैंक में खाता रहने के कारण आप तरह-तरह के शुल्क और कर आसानी से और सुरक्षित रूप से भर सकते हैं।
- बैंक - खाता पैसा वसूल करने में मदद करता है।
- बैंक खाता रखनेवाले बैंक से कर्ज पा सकते हैं।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

- बैंक खाता रखने के कारण सभी आर्थिक व्यवहारों में सुविधा होती है।
- बैंक खाता रखनेवाले बैंक में सुरक्षा-संदूक पाने के योग्य होते हैं।

अभ्यास

I. खाली जगहों को ठीक तरह भरिए :-

1. 'बैंक' नामक शब्द फ्रेंच भाषा के ________ शब्द से आया है।
2. ________ को बैंकों का बैंक कहा जाता है।
3. राष्ट्रीकृत बैंक का उदाहरण है ________ ।
4. राष्ट्रीय बचत पत्र ________ विभाग प्रदान करता है।
5. बैंक के ________ खाते से दिन में कई बार लेन-देन का व्यवहार किया जाता है।
6. जमा-राशि निश्चित अवधि तक ________ खाते में रखी जा सकती है।

II. इन प्रश्नों की समूह रूप से चर्चा करके जवाब दीजिए :-

1. बैंक का क्या अर्थ है?
2. बैंक व्यवहारों में ध्यान देने योग्य विशेषताओं की सूची बनाइए ।
3. बैंको के क्या-क्या काम हैं ?
4. बैंक और ग्राहकों के संबंध को बताइए ।
5. बैंको में बचत खाता खोलनेवाले ग्राहकों की अत्यधिक संख्या का क्या कारण है?
6. बैंक-खाता खोलने के क्या-क्या लाभ हैं?

III. कार्य-कलाप :

1. कुछ बैंकों की सूची बनाइए ।
2. बैंक जाकर निश्चित रक़म खाता खोलने के बारे में तथा ब्याजदर वापस लेने के बारे में जानकारी पाइए।

IV. योजना :

1. बैंक जाकर, व्यवस्थापक से भेंट कर बैंक खाता खोलने के बारे में जानकारी पाइए। जरूरत हो तो, बैंक में खाता खोलिए ।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

अध्याय - 2

उद्यमवृत्ति (उद्यमिता)/ठेकेदारी

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों की जानकारी होगी ।

- ठेकेदारी का अर्थ ।
- ठेकेदारी की भूमिका और महत्व ।
- स्व उद्योग के मौके ।
- कुछ मुख्य ठेकेदार ।
- स्व उद्योग की व्यवस्था ।

आज के आर्थिक बाजार में ठेकेदारी की प्रमुख भूमिका रही है। यह प्रमुख आर्थिक क्रियाओं - भूमि मजदूरी, पूंजी तथा संगठनों में से एक है। यह एक देश की व्यापारिक स्थिति और उद्योग क्षेत्र के परिवर्तन में मुख्य अंश है।

ठेकेदार का अर्थ :

ठेकेदार नामक शब्द फ्रेंच के एंट्रा प्रेंडे से आया है। अर्थात एक कार्य कलाप को अपने जिम्मे लेना। ठेकेदार व्यवहार में एक नई कल्पना ले आता है। इसमे व्यवहार को निभाने के लिए प्रशासनिक निर्वहण कौशल तथा समूह/दल बनाने की क्षमता होती है और नेतृत्व/मुखिया का गुण होता है। (ठेकेदार को उद्योगशील या उद्योगति भी कहते हैं।)

ठेकेदार किसी एक प्रतिफल (लाभदायक) उद्योग की स्थापना का जिम्मा लेता है। वह व्यवहार के तरीके में किसे, कैसे और कितना उत्तम है, की गणना कर एक उद्योग को प्रारंभ करता है और मिलजुल कर निर्वाह करता है। उद्योगपति नवीन वस्तुओं के वारे में अन्दाजा लगाकर उनकी बाजार में आवश्यकता, तकनीकी तथा परिवर्तन की कल्पना कर लेते है। कुलमिला कर उद्योगपति मौके (अवसर) का निरीक्षण कर उनका लाभ उठाने की ताक में रहते हैं। और सही मौकों पर संगठित करते हैं। गणक यंत्र, मोबैल (मोबाइल) फोन, कपडा धोने की मशीन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, कुरियर सेवाएँ और तुरंत तैयार करने वाले खाद्य पदार्थ उद्योगपतियों की कल्पना का ज्वलंत उदाहरण है।

ठेकेदारी - एक बार उद्योगपति द्वारा अपने उद्योग की स्थापना के लिए किया जानेवाला कार्य (क्रिया) ठेकेदारी कहलाता है। (इसे उद्योगशीलता भी कहते हैं) ठेकेदारी एक सृजनात्मक क्रिया कलाप है। यह बेकार की वस्तुओं का (अनावश्यक को आवश्यक में बदलने) आवश्यक वस्तु के रुप में बदलनड का सृजनात्मक कौशल है। यह दूसरों की कठिन, समस्यात्मक, विरोधी और अस्तव्यस्तमय परिस्थिति को देख उसे कार्यरुप में लाने

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

की क्रिया है। ठेकेदारी अवसरों को ढूँढ कर या पता लगाकर, हानि का हिसाबलगाकर उसे लाभप्राप्त करके के लिए स्थापित किया जाने वालाएक साहसकार्य है। ठेकेदारी कार्य करने का एक तरीका है । यह कुछ विशेष संगठनों का संयोजन, तथा उसमें निहित उद्देश्य तथा संगठित परिवर्तन के लिए एक अन्वेषण को नियोजित रुप से वातवरण में विश्लेषित करने का कार्य है। यह एक तकनीकी है, जो मानव द्वारा नियोजित तथा प्रवृत्त कार्य में जैसे व्यापार संस्था में हो या सरकार संबंधी हो या शिक्षण क्षेत्र में हो या विज्ञान तथा तकनीकी में हो या गरीबी हटाने से संबंधित हो या किसी अन्य कार्य में देखा जा सकता है।

ठेकेदारी की विशेषताएँ :-

- सृजनात्मक
- समूह निर्माण
- नुकसान - भरपाई के लिए तत्पर
- नवीन पद्धति का उपयोग
- प्रोत्साहन देना
- निर्णय करना
- क्रियात्मक
- समस्या का समाधान
- वचन वद्दता
- नेत्तत्व
- लक्ष्य प्राप्ति
- आत्मविश्वास

ठेकेदारी के कार्य:

ठेकेदार को अवसर देखकर योजना बनाकर, संसाधनों को संगठित कर, उत्पादन, बाजार और अन्य अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए होता है। प्रमुख रुप से परिवर्तन एवं सुधार लाकर, नुकसान होने पर सामना भी करना पडता है। ठेकेदार का प्रमुख कर्तव्य है।

1. ठेकेदार व्यापारिक क्रियाओं को अनेक योजनाओं द्वारा प्रारंभ करता है।
2. ठेकेदार उत्पादन के अंगों को संयोजित करता है।
3. ठेकेदार उत्पादित वस्तुओं के बारे में, तकनीकी के बारे में बाजार तथा उद्योग आदि के बारे में निर्णय लेता है।
4. ठेकेदार सभी तत्वों को समाधानपूर्वक संयोजित करता है।
5. ठेकेदार नये- नये तरीकों को इस्तेमाल करता है।
6. ठेकेदार अपने उद्योग के धन संबंधी आय- व्यय को निभाता है।
7. ठेकेदार को फायदे-नुकसान तथा अनिश्चितता का भी सामना करना पडता है।
8. ठेकेदार व्यापार के मार्ग को बताकर उसे सही ढंग से कार्यगत करने में मार्ग दर्शन करता है।

उद्योगपति की भूमिका तथा महत्व :

उद्योगपति की भूमिका-उद्योगपति व्यापार की धुरी है। वह विविध सुझावों पर ध्यान देते हुए उन्हें कार्यरूप में लाकर आर्थिक प्रगति और विकास करता है। भारत की आर्थिक प्रगति

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

में उद्योगपतियों (ठेकेदारों) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये उद्योगों के क्षेत्र में परिवर्तन ही नहीं कृषि और सेवा क्षेत्र के विकास में भी मुख्य भूमिका निभाता है। उद्योगपति आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित भूमिका निभाता है।

1. उद्योगपति लोगों के अनुपयुक्त बचत धन को पूंजी के रुप में निर्माण करती है। वे संसाधनो का उपयोग उद्योगों को प्रारंभ करने के लिय करते है।
2. स्व्यं उद्योगों को प्रारंभ करने के द्वारा उद्योगपति कुशल कारीगरों को. तकनीकी कुशलता पूर्ण व्यक्ति तथा कार्यकर्ता को अधिक मात्रा में उद्योगों के अवकाश प्रदान करता है।
3. उद्योगपति एक देश के पूरे देशी उत्पादन (GDP) और लोगों की वैयक्तिक आय को बढाता है।
4. उद्योगपति पूंजी तथा कुशलता को प्रयोजनकारी रूप में साथ जुटाकर नवीन वस्तुओं तथा सेवाओं को अभ्यास में लेकर बाजारों का विकास करता है।
5. उद्योगपति उत्तम वस्तुओं को कम दर पर लोगों को उपलब्ध करा कर उनके जीवन स्तर को उत्तम बनाने में प्रयत्नशील रहता है।
6. उद्योगपति उद्योगों की अभिवृद्धि करता है वह प्रांतीय भिन्नता को गग्रमीण प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना करने के द्वारा समाधान करता है।
7. उद्योगपति आय तथा सम्पत्ति को एक प्रदेश में केंद्रीकृत होने से बचाता है और सामाजिक विकास में सहायक होते है।
8. उद्योगपति देश के निर्यात व्यापार को बढाते हैं।
9. उद्योगपति नवीन परिवर्तन को अभ्यास में लाकर तकनीकी को बदलकर अधिक लाभदायक बनाने का प्रयत्न करते हैं।

उद्योगपतियों का महत्व :-

उद्योगपति बाजार की आर्थिक स्थिति में केंद्रस्थान पर सुशोभित होता है। इन उद्योगपतियों में आर्थिकता के यंत्रों में विद्युत को संचारित करने के लिए सहायक स्पार्कप्लग अग्नि-डाट का तरह अर्थिक क्रियाकलाप के लिए चेतना देनेवाला सहायक है।

एक देश की आर्थिक प्रगति पूरे विश्वव्यापी स्तर पर प्रख्यात/प्रसारित होने के लिए उद्योगों को बढावा देकर उन्हें सही पुरस्कार देना आवश्यक है। क्योंकि उद्योगपति और उनके क्रिया कलाप देश के गौरव, विकास, प्रगति तथा समयोचित विमर्शात्मक निर्णय होतें है। विश्व का अत्यंत क्रियात्मक या चलनात्मक समाज अत्यधिक उद्योगपतियों वाला है। और आर्थिक तथा कानूनन रचना उद्योगपतियों को और अधिक गणनीय क्रियाओं को करने के लिए उत्तेजित करती है। उद्योगपति लोगो के अनुपयोगी बचत के द्वारा पूंजी को बढाता है। वे अपनी विरासत में प्राप्त संसाधनों द्वारा उद्योग की स्थापना करते हैं। आर्थिक तथा उद्योगों

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

के विकास के लिए आवश्यक नवीन वस्तुओं तथा सेवाओं को बाजार सहायक होता है।

उद्योगपति की क्षमता और कल्पनाशक्ति उद्योग को बढाती है। उद्योगपति अपने उद्योग संबंधी नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं लेता है। वह लाभ को ढूँढता रहता है। अवसर ढूँढता है। लाभप्राप्त कर और अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है।

उद्योगपतियों के स्वउद्योग के अवसर

स्वत : उद्योगपति अथवा निजी उद्योगधारी देश की रीढ है। सडक के किनारे की एक चाय की दुकान से लेकर मॉम एवं पॉप, परचून की दुकान, कबाडी व्यापारी, इंटरनेट व साइबर आदि निजी औद्योगिक संस्थाएँ है। इन उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इससे सार्वभौमिक रूप से आर्थिक व्यवस्था के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संभव हो सकती है। भारत सरकार में निजी उद्योगों के लिए अधिक प्रोत्साहन देकर आवश्यक सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था तथा नवीन तकनीकी को बढावा देती है। एक व्यक्ति के निजी उद्योग से उद्योगशील बनाने के लिए अनेक सेवा संस्थाओं को केन्द्र सरकार के अति सूक्ष्म तथा छोटे स्तर की व्यावहारिक संस्थाओं के मंत्रिमंडल ने इस परिवर्तन के लिए विशेष प्रयास किया है। कई नवीन व्यावहारिक संस्थाएँ कम जमापूँजी द्वारा चरम सीमा तक पहुँचने में सफल रही है।

किसी एक व्यक्ति द्वारा उद्योग की स्थापना के लिए निम्नालिखित किसी व्यावहारिक संस्था को चुन कर स्थापना की सुविधा है। ये प्रमुख रूप से निम्नालिखित हैं।

1) विज्ञापन सेवा संस्थाएँ।
2) बाजार- सलाहकारी संस्थाएँ।
3) उद्योग सलाहकारी संस्थाएँ।
4) वसाुओँ को किराए तथा ठेकेपर देनेवाली संस्थाएँ।
5) फोटो कॉपी निकालने वाले केन्द्र
6) उद्योग अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला।
7) औद्यौगिक वस्तुओं की गुणात्मकता की प्रयोगशाला।
8) इंटरनेट तथा संवहन दुकानें।
9) दूरदर्शन जाल के सेवा क्षेत्र।
10) क्रीच (बाल सेवा) एंव ब्यूटीपार्लर (सौंदर्य वर्धन)।

स्वउद्योग की योजनाएँ :

किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने के लिए धन की प्रमुख रुप से आवश्यकता पडती है। काफी न होने पर किसी भी उद्योग की स्थापना और विकास संभव नही है। भारत सरकार

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

और राज्य सरकार ने उद्योग की स्थापना, विकास और उन्हें कालानुसार सुधार करने के लिए अनेक संपत्ति संबंधी संस्थाएँ स्थापित की हैं। ये संस्थाएँ छोटे स्तर के उद्योग धन्धों को भी कर्ज रुप मे धन देकर सहायता करती है।

इन संस्थाओं में प्रमुख हैं।

1) भारत के औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
2) कृषि तथा ग्रमीण विकास राष्ट्रीय बैंक (NABARD)
3) आयात तथा निर्यात बैंक (EXIM BANK)
4) भारतीय कुटीर उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
5) भारतीय औद्योगिक संपत्ति निगम (IFCI)
6) भारतीय औद्योगिक संपत्ति जमा तथा कर्ज निगम (ICICI)
7) भारतीय औद्योगिक पुनःनिर्माण बैंक
8) भारतीय वाणिज्य और अन्य बैंक
9) राज्य संपत्ति निगम (SFC)
10) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)
11) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI)

ठेकेदारों की संचालक संस्था :-

केंद्र तथा राज्य सरकार उनके स्तरपर ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिए, विकसित करने के लिए तथा बढावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चला रही है। सरकार ने उद्योगों की स्थापना को लिए अनेक संस्थाओं तथा कार्यकारी संस्थाओं की स्थापना की है, जो विशेषकर छोटे (निम्न) स्तर के, मध्यम स्तर के उद्योगों की स्थापना के लिए ठेकेदारों को आवश्यक धन, प्रशिक्षण, बाजार आदि के किए सहायक रहा है। इनमें प्रमुख है।

1) जिला औद्योगिक केंद्र (DIC's)
2) कुटीर औद्योगिक विकास संस्था (SIDC)
3) राष्ट्रीय कुटीर की उद्योगिक संस्था (NSIC)
4) निम्न स्तर की औद्योगिक संस्था
5) निम्न स्तर की औद्योगिक सेवा संस्था (SISI)
6) औद्योगिक प्रदेश
7) खादी और ग्रामोद्योग मंडली
8) तकनीकी सलाहकारी संस्थाएँ ।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

प्रमुख उद्योगपति

भारत के अत्यंत प्रमुख उद्योगपति एक समान औद्योगिक चैतन्यता रखते है। ये अपनी आनुवंशिक समृद्धि अर्जित करते या लाखों डालर वित्त संबंधी समझौते में लगाए ये सब अपने देश के उत्पादन संबंधी स्वप्न देखकर सफल हुए हैं। ये अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से लाखों रुपए प्राप्त करते हैं। कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों का संक्षिप्त व्यक्ति चित्र दिया जा रहा है।

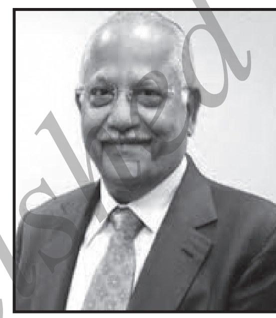

डॉ. प्रताप रेड्डी :- आप भारत में स्बास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सालय समूह (संकीर्ण) के विकास में सबसे आगे रहे हैं। इनके द्वारा प्रारंभ किया गया अपोलो चिकित्सालय समूह लगभग 750 आधुनिक प्रकार के अस्पताल से परिपूर्ण हैं । वैद्यकीय क्षेत्र में क्रांति करने वाले डॉ.प्रताप रेड्डी को अस्पताल खोलने की प्रेरणा एक रोगी से मिली जो अपने हृदय की शस्त्र चिकित्सा के लिए अमरिका के टेक्सास नगर ना जाने के कारण मर गया। आपकी चिकित्सा क्षेत्र की साधना भारत के सामान्य जन तक पहुँचाने की है।

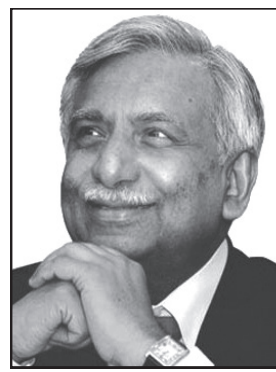

नरेश गोयल:- आपने जेट विमान सेवा को प्रारंभ किया और इसके अध्यक्ष रहे हैं । यह वायु मार्ग भारत का अत्थंत बडा आंतरिक वायुमार्ग है। विश्वविद्ययालय की पदवी प्राप्त कर संचार उद्योग के कार्य में लग गये। 1974 तक गोयलजी ने जेट वायुमार्ग को विदेशी विमान मार्ग के व्यापार और व्यापारिक देख का कार्य प्रारंभ कर दिया था। गोयल जी ने भारत सरकार के 1917 को बाह्याकाश (अंतरिक्ष) नीति के उत्तम अवसर का उपयोग कर जेट विमान, वायु मार्ग पर आंतरिक संचार के लिए भारत में निश्चित समय पर आने-जाने का प्रारंभ किया।

नारायण मूर्ति : आप सन् 1999 में भारत में इन्फोसिस तकनीकी निगम को प्रारंभ करनेवालों में से एक हैं। NASDAQ (National associtaion of Securities Dealers Automated Quatations). में पंजीकृत भारत को सर्वप्रथम तकनीकी संस्था इन्फोसिस है। 2006 तक इस संस्था ने 50,000 से भी अधिक कारीगरों (कार्यकर्ताओं) की नियुक्ति कर दो बिलियन डालर से भी अधिक व्यापार व्यवहार चलाया है। मूर्ति जी की ईमानदारी, सत्यता, खुला एवं स्पष्ट व्यवहार तथा नीतिपूर्ण सम्पूर्ण समग्रता का पूर्ण अंश इनकी ख्याति का कारण है।

© KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

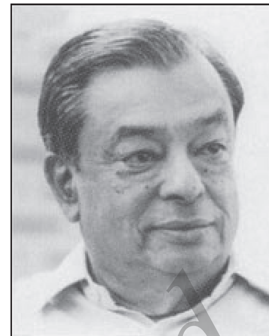

वर्गिस कुरियन : आप प्रख्यात उद्योगपति हैं। आप सफेद क्रांति के पितामह कहलाते हैं । आप लाखों लीटर दूध के उत्पादन की कल्पना, दूध की नदी बहाने के द्वारा कृषि के विकास के अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अमूल दूध तथा दुग्ध उत्पादन द्वारा तैयार होने वाले पदार्थ इनकी विशेष उपलब्धि है। आप गुजरात के कैरा जिले के आनंद में पशु-पालन को छोटे स्तर पर प्रारंभ कर भारत में विशाल पैमानेपर बडे पशु-पालन की अभिवृद्धि कर रहे हैं।

धीरूभाई अंबानी : आप भारत के अत्थंत साहसी उद्योगपति हैं। आप भारत के सम्मिलित संस्थाओं के जन्मदाता हैं। धीरूभाई अम्बानी के पिता विद्यालय में अध्यापक थे। आप माऊंट गिरनार नायक स्थान पर सप्ताह के अंत में भजन पुस्तकों को यात्रा पर जानेवाले व्यक्तियों को बेच कर उद्योग का प्रारंभ किया। अपनी हाईस्कूल की परीक्षा के बाद अपनी सोलह वर्ष की आयु में आफ्रीका के आडेन नगर गए। जहाँ पेट्रोल बंक (टंकी) बंदरगाह पर सेवारत हुए और उसके बाद तेल की एक कंपनी में लिपिक (मुंशी) के रूप में कार्यरत हुए । 1958 में भारत के 50,000 रूपयों सहित वापस लौटे। और वस्त्र-उद्योग की कम्पनी प्रारंभ की। आज आपके द्वारा स्थापित रिलायन्स संस्था विश्व के प्रमुख उद्योगों में से एक है।

अजीम प्रेम जी: आप विप्रो तकनीकी संस्था के अध्यक्ष रहे हैं । यह संस्था साफ्टवेयर की दिशा में भारत की अत्यंत बडी संस्था है। अपने पिता की मृत्यु के कारण अपने विद्यार्थी काल में वापस घर लौट आये। वार्षिकी सर्वसदस्यता में एक शेयरदार अजिम प्रेमजी को अपने हिस्से का शेयर बेचने का आदेश दिया गया था। जो इन्हें अपनी संस्था के लिए प्रोत्साहन था। आज विप्रो तकनी की संस्था-अनुसंधान तथा विकास (ठ.ऊ) सेवा में अत्यंत बडी स्वायत्त संस्था है।

एकता कपूर: भारत के दूरदर्शन क्षेत्र में आधिपत्य जमानेवाली नारी के रूप में इसका नाम प्रसिद्ध है। इसने बालाजी दूरदर्शन सिनेमा का प्रारंभ किया। 2001 में इसे वर्ष की श्रेष्ठ उद्योगपति का खिताब संस्था से प्राप्त हुआ। इसने अपने 19 वें वर्ष की आयु में दूरदर्शन अनुक्रम प्रसारण की प्रमुख स्त्री होने की ख्याति पायी है।

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

Downloaded from https:// www.studiestoday.com

किरण मजूमदार शाह : आप बायोकान निगम की अध्यक्षा और प्रशासनिक निदेशिका हैं। यह निगम भारत में जीव विज्ञान तकनीकी की अत्यंत बडी संस्था है। जो 1978 में एक छोटी किराए की मोटर देने वाले के स्थान पर प्रारंभ की गयी। इसे कई समस्याओं तथा घटनाओं का सामना करना पडा, क्योंकि यह तकनीकी नयी थी और एक महिला उद्योगपति द्वारा प्रारंभ की जा रही थी जो बडा ही विरल है। किरण शाह ने इन सबका सामना करते हुए जीव विज्ञान तकनीकी को प्रख्यात कराने में सफलता पाई।

अभ्यास

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :-

1. ठेकेदार शब्द फ्रेंच के __________ से आया है।
2. ठेकेदार द्वारा उद्योग की स्थापना के लिए की जानेवाली जिम्मेदारी __________ कहलाती है।
3. अपोलो अस्पताल के संस्थापक __________ हैं।
4. विप्रो संस्था के अध्यक्ष __________ हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए:-

1. ठेकेदार से क्या तात्पर्य है?
2. ठेकेदारी काफी साहस का कार्य है, कैसे?
3. ठेकेदारी की विशेषताएँ बताइए।
4. ठेकेदार के महत्व को बताइए ।

III. क्रियाकलाप

1. निकट के उद्योग केन्द्र जाकर उद्योग संस्था के मजदूरों का विवरण प्राप्त कीजिए।
2. इंटरनेट की सहायता से विविध उद्योग संस्थाओं की तालिका बनाइए।
3. भारत के प्रमुख ठेकेदारों (उद्योगपतियों) के छायाचित्र संग्रह कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य :

अपने निकट के उद्योगपति के साथ साक्षात्कार कीजिए और उद्योगस्थापना संबंधी विवरण प्राप्त करके रिपोर्ट तैयार कीजिए।

* * * *

©KTBS Not to be republished

Downloaded from https:// www.studiestoday.com